लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit, Fumigated On 16-1-84, Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14-शुक्रवार, 9 अगस्त, 1968/18 श्रावण, 1890 (शक)

No. 14—Friday, August 9, 1968/Sravana 18, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
392	भारतीय दूतावासों में वैज्ञानिकों की नियुक्तियां	Appointment of Scientists in Indian Embassies ..	531–533
393	होटलों पर नियंत्रण	Control on Hotels ...	533–536
394	नई दिल्ली में होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'कास्टेशिया'	International Conference "Castasia" to be held in New Delhi	536–541
395	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन	Reports submitted by Administrative Reforms Commission	541–548
396	त्रिपुरा में सीमांत सड़कें	Border Roads in Tripura ...	548–549
397	पादरी फेरर की गतिविधियां	Father Ferrer's Activities ...	549–553

अ. सू. प्र. सं./S.N.Q. Nos.

3	परिवहन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threaten by Port & Dock workers ...	553–559

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.

391	नई दिल्ली नगर पालिका	New Delhi Municipal Committee ..	560
398	उत्तर प्रदेश में बिना इमारतों के प्राथमिक स्कूल	Primary Schools without Buildings in U.P. ...	560–561
399	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता	Indiscipline in Banaras Hindu University ...	561

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता प्र.संख्या/ S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Peges
400	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान से चाय ले जाने में रियायतें	Concessions for Airlifting of Tea by I.A.C...	561-562
401	गृह–कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां	Advisory Committees under the Ministry of Home Affairs ... —	562
402	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित तथा व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent and earned by I.A.C.	562-563
403	कलकत्ता में डकैती	Calcutta Robbery ...	563-564
404	जहाज बनाने वाले विदेशी कारखानों से जहाजों की खरीद	Purchase of Ships from Foreign Shipyards ...	564
405	एयर इंडिया के लिये जम्बो जैट विमान	Jumbo Jets for Air India ...	564-565
406	दिल्ली में हिप्पी लोग	Hippies in Delhi ..	565
407	कच्छ आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां	Arrests during Kutch Movement ...	565-566
408	उत्तर प्रदेश में इंटरमीडियेट कक्षायें	Intermediate Classes in U.P. ..	566
409	हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम	Hindustan Shipyard, Visakhapatnam...	566-567
410	गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां	Advisory Committee under the Ministry of Home Affairs	567
411	कलकत्ता बस सेवा	Calcutta Bus Service —	567
412	एयर इंडिया द्वारा होटलों की स्थापना	Hotels by Air India ...	568
413	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission... ...	568

414	चौथी पंचवर्षिय योजना में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना	Development of Tourism in Bihar during Fourth Plan ...	568-569
415	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 पर पुल	Bridge on National Highway No. 31 ..	569
416	दिल्ली के स्कूलों में अन्तिम परीक्षा	Final Examinations in Delhi Schools	569-570
417	उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सीमाओं पर कोटिया ग्राम समूह	Kotia Group of Villages on the border of Orissa and Andhra Pradesh	570
418	हिन्दी भाषा-भाषी विद्यार्थियों को दाखिल न करने का कलकत्ता विश्वविद्यालय का निर्णय	Calcutta University Decision not to Admit Hindi-Speaking Students	570
419	बम्बई पत्तन	Bombay Port	570-571
420	एयर इण्डिया के अधिकारियों के विदेशों में रहने की अवधि	Air-India Officers' Stay Abroad	571-572

अता. प्र. सं/U.S.Q. Nos.

3206	ईसाई संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली राशि	Funds received by Christian Institutions from Abroad ...	572-573
3207	पेट्रोलियम से प्रोटीन का उत्पादन	Production of Protein from Petroleum ..	573
3208	स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर पर परमाणु विज्ञान तथा टेक्नोलोजी का पढ़ाया जाना	Teaching of Nuclear Science and Technology at School and Intermediate Levels... ...	573-574
3209	पंजाब के पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff consequent to reorganisation of Punjab	574
3210	बैजनाथ का मन्दिर	Baijnath Temple	574

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3211	राज्यों में भाषाओं के अध्ययन का कुल समय	Language Study Hours in States	574-575
3212	शिव सेना	Shiv Sena	575
3213	होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर पुल	Bridge on Narmada River in District Hoshangabad	575
3214	मध्य प्रदेश में भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in I.C.S., I.A,S. and I.P.S. of M.P.	576
3215	मध्य प्रदेश में सड़कें	Roads in Madhya Pradesh	576
3216	विदेशी दूतावासों के सदस्यों द्वारा शिकार नियम का उल्लंघन	Violation of Shikar Rules by Foreign Missions	576
3217	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	576-577
3218	हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay-Scales of Himachal Pradesh Government Employees	577-578
3219	कालेजों में योगासन आरम्भ करना	Introduction of Yogic Exercise in College ...	578
3220	त्रिपुरा में पर्यटक स्थान	Tourist Spots in Tripura	578-579
3221	त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा	Women's Education in Tripura	579-580
3222	स्कूलों के लिए विकास दल	Development Groups for Schools	580-581
3223	आगरा में राजपूत सेनापति का स्मारक	Memorial to Rajput Army Chief in Agra ...	581-582

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3224	डाक्टरों के लिए अखिल भारतीय सेवा बनाना	Formation of All India Service for Doctors...	582
3225	औद्योगिक सुरक्षा सेना	Industrial Security Force	582
3226	नई दिल्ली नगर पालिका	New Delhi Municipal Committee	583
3227	जम्मू तथा काश्मीर के लिए औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Project for Jammu and Kashmir ...	583-584
3228	"रीडर्स डाइजैस्ट" के मई के अंक में प्रकाशित भारत का नक्शा	India's Map in may Issue of 'Readers Digest'	584
3229	हिमालय भूतत्व विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक संस्था की स्थापना	Establishment of an Institute of Research in Himalayan Geology	584-585
3230	दिल्ली में राशन कार्डों के लिए आवेदन - पत्रों के फार्म	Application forms for Ration Cards in Delhi	585
3231	कांडला हवाई अड्डे पर पशुओं का चरना	Grazing of Cattle at Kandla Aerodrome –	585
3232	समाज विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी समिति	Committee on Social Science Research	586
3233	विंध्य प्रदेश क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल	Water for Irrigation for Vindhya Pradesh Region ..	586
3234	बाड़मेर में घुसपैंठ	Infiltration in Barmer	586-587
3235	अनुसूचित जातियों के लोगों को रोजगार	Employment of Scheduled Castes	587
3236	दिल्ली में होटल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Staff Quarters for Hotel Employees in Delhi..	588
3237	विद्रोही नागा नेताओं का मनीपुर जाना	Visit to Manipur by hostile Naga Leaders ...	588
3238	बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी	Non-Gazetted Employees of Bihar Government	588-589

3239	केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र	Central Mining Research Station	589-590
3240	विदेशी पति-पत्नियों की नागरिकता	Citizenship of Foreign Spouses	590
3241	'सियासत जदीद', कानपुर	Siyasat Jadid, Kanpur	590-591
3242	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Resettlement of Ex-Servicemen in Punjab Border	591
3243	शहीद दिवस का मनाया जाना	Obsergance of Martyrs Day —	591
3244	माओ उपमण्डल में नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Nagas in Mao Sub-Division ...	591-592
3245	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Tours of Ministers Abroad	592
3246	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands ...	592-593
3247	आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र के अहाते में पाये गये बम	Bombs found, A.I.R. premises, Varanashi ..	593
3248	मध्य प्रदेश में राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers in Madhya Pradesh ...	593
3249	नागाओं द्वारा हमला	Raid by Nagas	594
3250	राजभाषा अधिनियम	Official Language Act ..	594
3251	औद्योगिक प्रबन्ध निकाय	Industrial Management Pool ...	594
3252	महाराजा जयपुर	Maharaja of Jaipur	595
3253	निकोबार द्वीप समूह के निवासियों से ज्ञापनपत्र	Memo. from people from Nicobar Islands ...	595
3254	बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) में बसें	Buses in Ballia District (U.P.)	595-596

3255	संस्कृत छात्रों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Sanskrit Scholars	596-597
3256	गाजीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police Firing in Ghazipur	597 598
3257	देवरिया में रोड़वेज	Roadways in Deoria (U.P.) ...	598
3258	भाषा अनुसंधान एकक	Language Research Unit	598
3259	बोन गांव (पश्चिमी बंगाल) में गोली कांड	Firing in Bor.gaon (West Bengal) ...	599
3261	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्यालय में संगणकों का लगाया जाना	Installation of Computer at I.A.C. Head Quarters	599-600
3262	छोटी बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports	600
3263	भारतीय नौवहन संस्था	Indian Institute of Shipping, Bombay ...	600-601
3264	सड़क परिवहन उद्योग का पुनर्गठन	Reorganisation of Road Transport Industry	601
3265	भारत में अध्ययन के लिये अमरीकी छात्रों का आना	Students from U.S.A. for study in India ...	601-602
3266	इण्डियन एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस	Indian Association for Cultivation of Science	602
3267	सरकारी सप्लाई स्टोर, नानकाबरी (अन्दमान)	Government Supply Store, Nancowri (Andaman)	602-603
3268	काश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिए रियायती किराया टिकटें	Concessional Fare Tickets for turist to Kashmir	603
3269	दिल्ली में अवैतनिक दण्डाधिकारी	Honorary Magistrates in Delhi	603
3270	शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता	Percentage of National Income spent on Education	603-604

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
3271	त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत	Sanskrit under Three Language Formula ...	604
3272	एम. एस. सी. कक्षाओं में दाखिला (मेरठ विश्व-विद्यालय)	Admissions to M. Sc. Classes (Meerut University) ...	605
3273	मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें	Text-books for Educational Institutions affiliated to the Meerut Univarsity..	605
3274	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	Transport Department, U.P. ...	605-606
3275	मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s. Aminchand Pyarelal	606
3276	"एस. एस. विश्व शान्ती" नामक जहाज	"S.S. Vishwa Shanti" ...	606-607
3277	पर्यटकों के लिए सुविधायें	Facilities for Tourists	607
3278	पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय पुलिस बल	All-India Police Force for Tourists Protection	607-608
3279	प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल	Study Groups of A.R.C.	608
3280	दण्डाधिकारियों तथा पुलिस के कर्त्तव्य	Duties of Magistracy and Police ...	608-609
3281	विश्वविद्यालय क्षेत्र में पुलिस का प्रवेश	Entry of Police in University Areas	609
3282	दिल्ली में कालेजों में दाखिला	Admission to Colleges in Delhi	609-610
3283	बिहार में बसें	Buses in Bihar	610
3284	बिहार में कोठारी आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of Kothari Commission in Bihar ..	610-611
3285	छोटी सादड़ी स्वर्ण काण्ड	Chhoti Sadri Gold case ..	611

3286	उत्तर प्रदेश में भूमि आन्दोलन	Land Agitation in U.P. ...	611–612
3287	काशी विद्यापीठ की एम. ए. (हिन्दी) को मान्यता देना	Recognition of M.A. (Hindi) of Kashi Vidyapeeth	612
3288	पश्चिम बंगाल में विजय सेना	Vijaya Sena in West Bengal	612-613
3289	जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया	Jammu and Kashmir Militia	613
3290	हैदराबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police Firing in Hyderabad	613–614
3291	राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री का सुझाव	Mysore Chief Ministers Suggestion re. National Integration	614
3292	गुजरात में नये हवाई अड्डे	New Airports in Gujarat ...	614
3293	दिल्ली-शाहदरा सड़क पर यातायात	Traffic on Delhi–Shahdara Road ...	614-615
3294	पर्यटक केन्द्रों में परिवहन एकक	Transport Units at Tourists Places	615
3295	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	615–616
3296	ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries ...	616
3297	मिनीकाय द्वीपों में पाकिस्तानियों द्वारा पैदा किया गया आतंक	Terror created by Pakistani in Minicoy Islands	616–617
3298	मिनीकाय के नाविकों द्वारा राष्ट्रीय झण्डे का अपमान	Insult to National Flag by seamen of Minicoy Island ...	617
3299	दिल्ली में रानी झांसी सड़क	Rani Jhansi Road, Delhi ..	617–618

3300	दिल्ली में माध्यमिक विद्यालयों का दिल्ली प्रशासन के अधीन लाया जाना	Bringing of Secondary Schools in Delhi under Delhi Administration	618
3301	एशियाई कार्मिक संघ की गोष्ठी	Asian Trade Union Seminar ...	618-619
3303	एयर इंडिया में यात्रा करने वालों की संख्या	Passenger Carried by Air India — ...	619-620
3305	चीन में कुकी तथा मिजो लोगों का प्रशिक्षण	Trainings of Kukis and Mizos in China	620
3306	नेफा सेवायें	NEFA Services	620-621
3307	पुष्पक विमान की दुर्घटना	Enquiry into Crash of Pushpak Aircraft	621
3308	डैनियल वाल्काट और जान डोंज को राजक्षमा	Clemency to Daniel Walcot and Jean Donze	621-622
3309	हतिया (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Hatia (Bihar) ..	622
3310	बैरकपुर हवाई अड्डे पर विमान का निश्चित कार्यक्रम के बगैर उतरना	Unscheduled Landings of Planes at Barrackpore ...	622-623
3311	उद्योग आयोग की स्थापना	Setting up of Industry Commission —	623
3312	गणित सुधार समिति की सिफारिशें	Recommendations of Mathematics Reforms Committee	623-624
3313	विश्वविद्यालयों में परियोजनाओं का बन्द होना	Stoppage of Projects in Universitie	624
3314	विश्वविद्यालयों के हिसाब-किताब का लेखा परीक्षा	Audit of Accounts of Universities ..	624-625
3315	सभी अध्यापन कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य अध्ययन	Compulsory Teaching by All Teaching Staff..	625
3316	एक अमरीकी कालेज के विद्यार्थि द्वारा भारतीय संस्कृति का अध्ययन	Study in Indian Culture by an American College Students ...	625

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3317	दिल्ली में बस दुर्घटनाए	Bus accidents in Delhi ...	626
3318	केरल में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Kerala ..	626
3319	तिहाड़ जेल, नई दिल्ली	Tihar Jail, New Delhi ...	6?6
3320	मध्य प्रदेश के मूलू चरवाहे की शिकायतें	Complaints of Shephard, Mulu, from Madhya Pradesh	627
3321	दिल्ली में गुंडागर्दी	Hooliganism in Delhi	627
3322	माहोबा (उत्तर प्रदेश) में पांच व्यक्तियों को जीवित जलाया जाना	Burning alive of five persons in Mahoba (U P.) ...	627-628
3323	केरल में अन्तर्देशीय जल मार्गों का विकास	Development of Inland Water Transport in Kerala	628
3324	प्रशासनिक सुधार आयोग का पुलिस प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल	A.R.C. Study team on Police administration	628
3325	केरल में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के लिए सुन्दर स्थानों का विकास	Development of Beauty Spots in Kerala to attract Foreign Tourists ...	628-629
3326	त्रिभाषा सूत्र की क्रियान्विति	Execution of Three-Language Formula ...	629
3327	बिहार में गंगा के घाटों को जाने वाली सड़कें	Approach Roads to GHATS on the Ganges in Bihar	629-630
3328	कोसी तथा गंडक को राष्ट्रीय जलमार्ग बनाना	Kosi and Gandak as National Waterways ..	630
3329	गंगा में व्यापारिक परिवहन सेवा	Commercial Transport Service in Ganga ..	630
3330	दिल्ली में हत्याएं	Murders in Delhi	630-631
3331	दिल्ली का उप - राज्यपाल	Lt. Governor of Delhi	631
3332	उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी	U.P. Government Employees ...	631-632

3333	दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order situation in Delhi	632
3334	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या	Murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya ...	632-633
3335	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा मुद्रणालयों को भेजी गई पाण्डुलिपियां	Manuscripts sent to press by C.S.T.T.	633-634
3336	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग का कार्यालय	Office for Commission for Scientific and Technical Terminology — ..	634
3337	आसाम में मारवाड़ी लोग	Marwaris of Assam ...	634
3338	दिल्ली में अपहरण के मामले	Kidnapping in Delhi	635
3339	कलकत्ता बन्दरगाह से अनाज की चोरी	Pilferage of Foodgrains from Calcutta Port —	635-636
3340	भूतपूर्व नरेशों पर मुकदमा चलाने की अनुमति	Permission to Sue Ex-Rulers	636
3341	अय्यर आयोग	Ayyar Commission	636
3342	उत्तर प्रदेश में टैक्सियों का जीपों के रुप में प्रयोग	Use of Taxi as Jeeps in Uttar Pradesh	636-637
3343	उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना	Road Accidents in U.P. ..	637
3344	उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी आदेश	Official orders of Uttar Pradesh Government	637
3345	हिन्दुओं का क्रमिक ह्रास	Gradual Decay of Hindus ..	637-638
3346	पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी	West Bengal State services	638
3347	आध्यात्मिक सम्मेलन	Spritual Meet	638
3348	पश्चिम बंगाल में आयुक्त	Commissioner in West Bengal ..	638-639

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S. Q.Nos	विषय	Subject	Pages
3349	राष्ट्रीय पुस्तकालय पुनर्विलोकन समिति	National Library review committee	639
3350	बम्बई बन्दरगाह	Bombay Port ..	640
3351	पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्नातक कालिज का खोला जाना	Onening of Degree College in Pauri Garhwal District ..	640
3352	देहाती सड़कों का विकास	Development of Rural Roads	640-641
3353	राष्ट्रीय एकता परिषद् की शैक्षणिक पहलुओं सम्बन्धी उप-समिति	Sub-Committee of National integration Council on Educational aspects ...	641
3355	पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak, Nationals	641-642
3356	मिज़ो विद्रोहियों द्वारा आतंक फैलाया जाना	Terror created by Mizos ...	642
3357	मिज़ो लोगों के साथ मुठभेड़	Clashes with Mizos ..	642-643
3358	नई दिल्ली इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के कार्यालय का स्थान परिवर्तन तथा नवीकरण	Shifting and Renovating of I.A.C. A.G.Ms' Office, New Delhi	643
3359	उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by U.P. Government employees	643-644
3360	सड़क विकास योजना	Road Development Plan ...	644
3361	पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning of Parties ...	644-645
3362	गुजरात में तटीय राज-पथ	Coastal Highways in Gujarat	645
3363	अजन्ता और एलोरा की गुफायें	Ajanta and Ellora Caves ...	645-646
3364	पुलिस पदक	Police Medals	646-647
3365	होटलों में ठहरने की व्यवस्था	Hotel Accommodation	647

3366	राज्यों में आदर्श स्कूल	Model School in States	648
3367	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार	Central Government Employees Consumer Cooperative Stores ..	648
3368	उड़ीसा में कोठारी आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Kothari Commission in Orissa ...	648-649
3369	उड़ीसा के अध्यापकों को पेंशन का लाभ	Pensionary benefit to Orissa Teachers	649
3370	अंदमान में कर्मचारियों को विशेष वेतन	Special Pay for Andaman Employees ..	649-650
3371	अन्दमान द्वीपसमूह में मुख्य भारत भूमि के लोग	Mainlanders in Andamans	650
3372	अन्दमान प्रशासन के एक अधिकारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against Andaman Officer ...	650
3373	पश्चिम बंगाल में अध्यापकों के लिए समान वेतनमान लागू करना	Introduction of uniform Pay Scales for teachers in West Bengal ...	650-651
3374	शिक्षा नीति	Education Policy	651
3375	शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Education ...	651-652
3376	खान अब्दुल गफ्फार खां	Khan Abdul Ghaffar Khan ...	652
3377	बिहार में माओ इश्तिहार	Mao leaflets in Bihar	652-653
3378	बिहार में सड़कें	Roads in Bihar	653
3379	आन्ध्र प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption against certain Andhra Pradesh Police Officers	653
3380	ताजमहल की मरम्मत	Maintenance of Taj Mahal ...	654
3381	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के लिए विमान	Plane for President's visit Abroad	654

3382	नागाओं के साथ मुठभेड़	Encounters with Nagas	654-655
3383	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा माल का यातायात	Cargo Traffic of I.A.C. ..	655
3384	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर पुल	Bridges on National Highway No. 26..	655-656
3385	दिल्ली में कालेजों में दाखिले	Admissions to Colleges in Delhi	656
3386	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	Delhi Flying Club	656-657
3387	दिल्ली के अध्यापकों को वेतन न मिलना	Non-Disbursement of Salaries to Delhi Teacher	657
3388	दिल्ली विश्वविद्यालय में बी०एस०सी० (आनर्स) में दाखिला	Admission to B.Sc. (Hons.) in Delhi University	657-658
3389	आनन्द मार्ग	Ananda Marg	658
3390	दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री राकेश कुमार को दाखिला	Admission of Shri Rakesh Kumar in Delhi University ..	658-659
3391	मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र	Pre-historic Paintings in Madhya Pradesh ...	659
3392	महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश को पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ निधियों का नियतन	Allocation of Funds for Library purposes in Maharashtra, Mysore and Andhra Pradesh	659-660
3393	सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project	660
3394	मैसूर राज्य के लिये पुरातत्वीय विभाग	Archaeological Department for Mysore State	660
3395	पश्चिम बगाल में अन्तर्देशीय जलमार्गों के सबंध में कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन का प्रतिवेदन	Inland CM Pos'. Report on Waterways in West Bengal	661

3396	सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के संवर्गों में रिक्त पदों को भरना	Filling of Vacancies in Assistant's and Section Officer's Grades	661
3397	मार्क्सवादियों द्वारा प्रायोजित संघर्ष	Marxist-sponsored Struggle ...	661–662
3398	कलकत्ता में चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Chinese Embassy Staff in Calcutta	662
3399	छोटानागपुर में आन्दोलन	Agitation in Chota Nagpur ...	662
3400	दिल्ली के आसपास डकैतियां	Dacoities around Delhi	662-663
3401	पाकिस्तानियों द्वारा डकैतियां	Dacoities by Pakistanis	663
3402	कोचीन जहाज निर्माण कारखाना	Cochin Shipyard ...	663
3403	पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन	Changes in Course Books	664
3404	बांदा जिले का प्रशासन	Administration of Banda District ...	664
3405	उड़ीसा में बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers in Orissa ..	664–665
3406	पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी	Employees of West Bengal Government ...	665–666
3407	उर्दू	Urdu ...	666
3408	कलकत्ता में सैटरडे क्लब लिमिटेड में धोती-कुर्ते पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Dhoti Kurta in Saturday Club Ltd., Calcutta	666–667
3409	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगन में पुलिस का प्रवेश	Entry of Police into Delhi University Premises	667
3410	पश्चिमी जर्मनी से मालवाही जहाज प्राप्त करना	Acquisition of Cargo Vessels from West Germany ...	667–668

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3411	निर्माण के ठेके	Construction Contracts	668
3412	कूच बिहार के स्कूल में धोखा घड़ी का मामला	Fraud in Cooch-Behar School	668
3413	दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला	Admission to Delhi University	669
3415	पालम, डमडम, सांताक्रूज और मद्रास के हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों पर यात्री सेवा शुल्क लगाना	Levy of Passenger Service Fee at Palam, Dum Dum, Santa Cruz and Madras Airports	669-670
3416	देश में निरक्षरता	Illiteracy in the Country	670
3417	पुलिस बल	Police Force	670
3418	इटावा (उत्तर प्रदेश) में हथियारों का कारखाना	Arms Factory in Itawah (U.P.)	670-671
3419	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर)	National Fitness Corps	671
3420	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेश कोर)	National Fitness Corps	671
3421	उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ मन्दिर में इमारतों के निर्माण के लिये धन	Funds for construction of building at Badrinath Temple in U.P.	672
3422	मोटर गाड़ियों की प्लेटें	Motor Vehicles Plates ...	672
3423	कोयना भूकम्प में क्षति	Damage in Koyana Earthquake ...	672-673
3424	उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education in Orissa	673
3425	नरेला (दिल्ली) के निकट रेल पटरी पर लड़के की मृत्यु	Death of boy on Railway track near Narela (Delhi)	673-674
3426	विधि उप-मंत्री के पत्र लिखने के कागजों की चोरी	Theft of letter-head of Deputy Law Minister ...	674

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्रश्न संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3427	औरतों द्वारा आत्महत्याएं	Suicides among Women	674-675
3428	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	675
3430	बड़ी बन्दरगाहों का विकास	Development of Major Ports	676-677
3431	केरल में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज	Regional Engineering College in Kerala	677
3432	भारत में हिंसा की प्रवृत्ति	Cult of violence in India	677-678
3433	भारत के द्वीप	Islands belonging to India	678
3434	बेरोजगार वैज्ञानिक तथा तकनीशन	Unemployed Scientists and Technicians	678-679
3435	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हुई हानि	Losses suffered by I.A.C.	679
3436	उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये धन का नियतन	Allocation for Rural Roads in Orissa	679-680
3437	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की नेरगुंडी कटक शाखा के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Nergundi Cuttak Branch Staff of Central Road Transport Corporation	680
3438	डिप्टी कलेक्टरों और असिस्टेंट डिप्टी-कलेक्टरों की नियुक्ति	Appoinment of Deputy Collectors and Assistant Deputy Collectors	680-681
3439	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	681
3440	सैनिक स्कूल	Sainik Schools	682
3441	आसाम - नागालैंड सीमा सीमांकन	Demarcation of Assam-Nagaland Border	682
3442	आसाम में लचित सेना	Lachit Sena in Assam	682
3443	"एशियन पीपल्स एन्टी-कम्यूनिस्ट लीग"	Asian People's Anti-Communist League	683

3444	उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.A.S. and I.P.S, Officers in Orissa	683
3445	पोलीटेक्निक विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships to Polytechnic Students	684
3446	विदेशों से इंजीनियर	Engineers from Abroad	684
3447	मथुरा में यमुना नदी पर पुल	Bridge over Jamuna at Mathura	685
3448	हिन्दी सहायक	Hindi Assistants	685-686
3449	भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service	686-687
3450	बिहर में माओ समर्थक पुस्तकें	Pro-Mao Books in Bihar	687
3451	अनुसूचित जातियों के स्नातक	Scheduled Caste Graduates	687
3452	राज्यों का पुनर्गठन	Reorganisation of States	688
3453	उत्तर प्रदेश में पुस्तकाध्यक्षों के वेतनक्रमों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Librarian in Uttar Pradesh	688-689
3454	सफदरजंग हवाई अड्डे पर बेकार पड़े हुए विमान और फालतू पुर्जे	Aeroplanes and Spare parts lying at Safdarjang Aerodrome	689
3456	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम लागू करना	Implementation of U.D.C. Pay Scales... ...	689-690
3457	आंध्र और तेलंगाना प्रदेशों के इन्जीनियरों की सांझी श्रेणीकरण सूची	Common Gradation List of Engineers of Andhra and Telengana Regions	690
3458	आंध्र और तेलगांना प्रदेशों के कर्मचारियों की सांझी श्रेणीकरण सूचियां	Common Gradation List of Employees of Andhra and Telengana Regions	690-691

3459	आन्ध्र प्रदेश सरकारी नौकरी (निवास स्थान संबंधी शर्त) अधिनियम, 1957	Andhra Pradesh Public Employment (Requirement as to residence) Act, 1957	691
3460	दिल्ली में हत्यायें	Murders in Delhi ..	691-692
3461	केन्द्रीय ड्रेंजिग संस्था	Central Dredging Organisation	692
3462	साहरनपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र "हक नवाज़"	"HUQ NAWAZ" Weekly published from Saharanpur (U.P.) ...	692
3463	काश्मीर में जाकर प्रत्यक्ष अध्ययन	On the spot study in Kashmir .. —	693
3464	कलकत्ता-अगरतला उड़ान में जल-पान व्यवस्था	Catering on Calcutta-Agartala Flight	693
3465	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of A.R.C. Recommendations	693-694
3466	पारादीप बन्दरगाह	Paradeep Port ...	694
3467	रुरकेला में प्रादेशिक इन्जीनियरिंग कालेज	Regional Engineering College in Rourkela ...	694-695
3468	मनीपुर के वित्त सचिव की नियुक्ति	Appointment of Finance Secretary	695-696
3469	मनीपुर में खेल–कूद परिषद्	Sports Council in Manipur ...	696
3470	भारतीय प्रशासन सेवा में मनीपुर के अधिकारी	I.A.S. Officers of Manipur	696-697
3471	शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों को पुस्तकों की भेंट	Presentation of Books to Foreign Countries by Education Ministry	697
3472	राजस्थान और उड़ीसा में संस्कृत के विकास के लिए सहायता	Assistance for Development of Sanskrit in Rajasthan and Orissa ...	697-698

अतां. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3473	प्रशासनिक सुधार आयोग का कृषि संबंधी अध्ययन दल	Study Team of A.R.C, on Agriculture	698-699
3474	मिज़ो विद्रोही	Mizo Rebels	699
3475	विद्रोही मिज़ो लोगों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना	Mizos' Entry in East-Pakistan	699
3476	नाहरा तथा चौकी में राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेसकोर) प्रशिक्षण केन्द्रों का बन्द होना	Closure of N.F.C. Training Centres at Nahra and Chowki ...	700
3477	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) की प्रशिक्षण संस्थायें	N.F C. Training Institutes ...	700
3478	मैट्रिक उपरान्त छात्र-वृत्ति योजना	Post-Matric Scholarship Scheme ...	700-701
3479	कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर सेवा से स्काई-मास्टर विमान को बदलना	Replacement of Sky-master Aircraft on Calcutta-Port Blair Service	701-702
3480	अन्दमान में संचार सुविधायें	Communication facilities in Andaman Islands	702
3481	दिल्ली के विकास के लिये धन का नियतन	Funds for Developments of Delhi ..	702-703
3483	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के कर्मचारियों का सम्मेलन	Convention of National Fitness Corps Employees ...	703
3484	कांग्रेस के लिये धन संग्रह	Collection of Funds for Congress ...	703
3485	सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी के एजेंट	C.I.A. Agents	704

अता.प्र.संख्या/विषय	Subject	Pages
3486 दिल्ली विश्व विद्यालय के अहाते में पुलिस द्वारा प्रवेश	Entry of Police into Delhi University Premises ..	704
3487 रांची जिले (बिहार) में आदिवासियों पर गोलियां चलाया जाना	Firing on Adivasis in Ranchi District (Bihar)	704-705
दिनांक 23 अप्रेल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8249 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. No. 8249 dated 23rd April, 1968 ...	705
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	706
मोलवी फारूक द्वारा अनन्तनाग में पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया भाषण	Pro-Pakistan Speech at Anantnag by Maulvi Farooq	706-709
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	709-710
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya-Sabha ...	710-711
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill ..	711-713
सदस्य की रिहाई	Release of Member	711
श्री कीकर सिंह	Shri Kikar Singh	
7 अगस्त, 1968 को मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच सवारी गाडी में आग लग जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Fire accident to Passenger train between Maripat and Dadri Stations on 7.8. 1968	712
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C.M. Poonacha	712
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re. Calling Attention Notices	713
एयरलाइन्स की टिकटों में 'मूल्य कटौती' व्यापार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 124 re. cut price Business in airlines tickets ..	713-714

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	714-715
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members ..	715
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक	Gold Control Bill	716
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पुरस्थापित करने के लिये नियत समय में बढ़ोतरी	Extension of time for presentation of Joint Committee Report	716
अनुदानों की पूरक मांगे (उत्तर प्रदेश), 1968-69	Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh), 1968-1969 ..	716
बिहार आय-व्ययक, 1968-69 पुरस्थापित	Bihar Budget, 1968-69-Presented	716-719
श्री मोरजी देसाई	Shri Morarji Desai	716
भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) विधेयक तथा पेटेंट विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Indian Patents and Designs (Amendment) Ordinance; Indian Patent and Designs (Amendment) Bill and Patents Bill	716
विचार करने का प्रस्ताव तथा संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to Consider and Motion for reference to Join Committee	719
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar	719
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F.A Ahmed ..	720
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ...	725
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	726
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	727
चौतिसवां प्रतिवेदन	Thirty fourth Report	727

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक–जारी	Constitution (Amendment) Bill-Contd. Negatived ...	727
अनुच्छेद 120 में संशोधन श्री ईरा सेझियान	Amendment of Article 120 by Shri Era Sezhiyan ...	727
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consicer	727
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	727
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jaganathrao Joshi ..	728
डा. गोविन्द दास	Dr. Govind das ...	729
श्री एस. कंडप्पन	Shri S. Kandappan ..	729
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	731
श्री ही. ना.मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	731
श्री चिन्तामणी पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	733
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon ...	733
श्री जे. एच. पटेल	Shri J.H. Patel	734
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ...	734
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ...	734
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai ...	735
श्री अब्दुलगनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ...	735
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidhya Charan Shukla	735
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	736
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, परिचालित	All India Ayurvedic Medical Council Bill –Circulated	737
वाद-विवाद आरम्भ करने का प्रस्ताव	Motion to resume debate ...	737
श्री अ. त्रि. शर्मा	Shri A.T. Sharma	737
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to Circulate	738

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	738
श्री ब. सू. मूर्ति	Shri B.S. Murthy	738
श्री अ. त्रि. शर्मा	Shri A.T. Sharma ...	738
राज द्रोह विधेयक, श्री यशपाल सिंह का	Treason Bill by Shri Yashpal Singh ..	739
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	739
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	739
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	740
ट्रेक्टरों की सप्लाई के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Supply of Tractors	740
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	740
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	742

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार 9 अगस्त, 1968/18 श्रावण, 1890 (शक)
Friday, August 9, 1968/Sravana 18, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, अभी आधा मिनट शेष है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों घड़ियों में समय अलग अलग दिख रहा है । इस बात की ओर मैंने अभी अभी संकेत किया था । बाहर वाली तथा अन्दर वाली घड़ियों में कुछ अन्तर है । इसे ठीक कर दिया जायेगा ।

प्रश्नों के मौखिक उतर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय दूतावासों में वैज्ञानिकों की नियुक्तियां

***392. श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणि-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के संयुक्त अरब गणराज्य के हाल के दौरे के दौरान, जो उन्होंने कई संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में किये थे, उन्हें काहिरा स्थित भारतीय दूतावास में वैज्ञानिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की कमी के कारण काफी कठिनाई हुई ;

(ख) क्या भारत लौटने पर उन्होंने यह कहा है कि हमारे मिशनों और दूतावासों में वैज्ञानिक व्यक्ति अधिक होने चाहियें और यह सुझाव भी दिया है कि विदेशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिये भारतीय दूतावासों में सहचारी के रूप में वैज्ञानिक नियुक्त किये जाने चाहियें ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये वैज्ञानिक नियुक्त करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने भारत लौटने पर संयुक्त अरब गणराज्य में एक विज्ञान सलाहकार की नियुक्ति का सुझाव दिया था । प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराव पटेल : श्रम मन्त्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 25,664 वैज्ञानिक बेरोजगार हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा मन्त्रालय में डा० आत्माराम के उपर्युक्त कथन के बाद वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : हम इस प्रस्ताव पर उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं । यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर अभ्यावेदन दिया जाये ।

श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारी यह चाहते हैं कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा बेरोजगार वैज्ञानिकों को उन स्थानों पर रोजगार पर लगाया जाये ? यदि आपके मन्त्रालय ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है तो आपके मन्त्रालय के लोगों को वेतन किस लिये दिया जाता है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : शिष्ट मण्डल ने भारत लौटने पर यह सुझाव दिया था कि संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय दूतावास में एक वैज्ञानिक अधिकारी को नियुक्त किया जाये जो दोनों देशों में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों में सहयोग का पथ प्रशस्त करने में सहायता प्रदान करे । डा० आत्माराम से इस सुझाव के प्राप्त होने पर हमने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये लिखा है ।

Shri O. P. Tyagi : I am unable to understand the reason why the Minister of Education is replying to this question, as it relates to the appointment of a scientist in an Indian Embassy abroad which is the subject matter dealt with the Ministry of External Affairs. Secondly may I know the number of such scientific departments established in Indian embassies abroad; and the progress made by each of them so far ?

Shri Bhagwat Jha Azad : In regard to the first portion of the question I want to submit that since the subject of science education in Indian embassies abroad is related to the Ministry of Education, so I am replying to this question. As regards to his second question I require notice.

Shri O. P. Tyagi : I think the Minister has not understood me correctly. I would like to know whether Government have set up certain Higher Secondary Schools in Indian embassies where Indian people live and made arrangement there for examinations etc. on the same pattern of education as is prevalent in the U. K. embassy in India.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not related to the main question, which relates to the appointment of a scientist in an Indian Embassy.

Sh i O. P. Tyagi : I think that the Hon. Minister has not understood my question. I want to know whether any arrangement exists in Indian embassies just on the pattern as it is here in U. K. embassies. Here in U. K. embassy a student can appear in Cambridge examination. May I know whether in the same way a Indian student can appear in Higher Secondary examination in Indian embassies abroad.

Shri Bhawat Jha Azad : This question relates to the appointment of a scientist and not for conducting examination.

होटलों पर नियन्त्रण

393. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के जनपथ होटल और अशोक होटल के नियंत्रण को निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय से हटाकर, उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत हस्तान्तरित करने के क्या कारण हैं ।

(ख) क्या नये होटल; जो बनाये जा रहे हैं या जिनको भविष्य में बनाया जायेगा, उनके मन्त्रालय के नियंत्रण के अधीन रहेंगे; और

(ग) इस परिवर्तन से क्या लाभ होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): (क) सरकारी होटलों का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय को हस्तान्तरित किया गया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समस्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रीय होटल प्रायोजनाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एक ही मन्त्रालय के अधीन होने से हमारे होटल सम्बन्धी विकास के लिये जिसकी कि अत्यधिक आवश्यकता है, समन्वय और योजना के कार्य में काफी सुविधा होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या जनपथ और अशोक होटलों के निदेशक मण्डलों में इस मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व था और यदि हां; तो क्या मन्त्रालय द्वारा अपेक्षित सुधार आदि करने के लिये वह पर्याप्त न था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, नहीं, वह पर्याप्त नहीं था।

श्री स० चं० सामन्त : क्या गैर सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलाये गये होटलों को भी मन्त्रालय अपने नियंत्रण में लेगा ?

डा० कर्ण सिंह : जी, नहीं। इसकी पृष्ठ भूमि स्पष्ट कर देने से बात स्पष्ट हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होटल अब तक निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय के नियंत्रण में थे। दो निगम थे—अशोक होटल निगम और जनपथ होटल निगम; जिसके नियंत्रण में जनपथ, रणजीत और लोदी होटल थे। हाल ही में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की कि ये होटल पर्यटन मन्त्रालय के नियंत्रण में होने चाहियें क्योंकि वह मन्त्रालय ही होटलों के विकास से सम्बद्ध है। इसी कारण से ये होटल पर्यटन मन्त्रालय को हस्तांतरित किये गये हैं। जहां तक गैर सरकारी होटलों को इस मन्त्रालय द्वारा चलाये जाने का प्रश्न है, मन्त्रालय द्वारा उन्हें अपने हाथ में नहीं लिया जायेगा। हां, उनके ऋण तथा अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में यह मन्त्रालय प्रशासनिक मशीनरी के रूप में काम करेगा।

श्री तिरुमल राव : क्या इन होटलों को इस मन्त्रालय को देने का एक कारण यह भी था कि निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय के पास काम अधिक हैं जबकि पर्यटन मन्त्रालय के पास कम।

डा० कर्ण सिंह : इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन होटलों के पर्यटन मंत्रालय को हस्तांतरित किये जाने के पश्चात एक ऐसा समाचार हमने पढ़ा था कि इन होटलों को चलाने के लिये प्रशासी पदों पर सेवानिवृत्त कर्नलों या ब्रिगेडियरों को नियुक्त करने की बात पर विचार किया जा रहा है। क्या यह सच है और क्या ऐसी नियुक्तियां की गई हैं, क्या मन्त्री महोदय सैनिकों को अधिक सक्षम समझते हैं अथवा वह होटलों को सैन्यीकरण करना चाहते हैं ?

डा० कर्ण सिंह : कुछ पदों के लिये सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी भी पूल में होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं होटलों को सैनिक अधिकारियों द्वारा चलवाने के लिये उत्सुक हूं। परन्तु मैं इस बात को भी उचित समझता हूँ कि यदि सैनिक सेवा का कोई योग्य और अनुभवी व्यक्ति किसी काम के लिये उपलब्ध हो तो उसकी सेवाओं का लाभ उठाया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं ?

डा० कर्ण सिंह : कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री फ० गो० सेन : क्या यह सच है कि अशोक होटल का प्रबन्ध किसी दूसरे प्रबन्धक को सौंपा गया है ? क्या उस होटल की प्रबन्ध व्यवस्था और आय घटती जा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : वस्तुतः प्रबन्ध व्यवस्था किसी दूसरे के हाथों में नहीं गई है। गत एक या दो वर्षों में कई कारणों से अनुपाततः कम लोग होटलों में आये हैं। उंकटाड सम्मेलन के

लिये 300 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था भी उसमें अलग से की गई थी। हां, प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्ध में मैं जांच कर रहा हूं।

श्री कृ० मा० कौशिक : कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में ऐसी खबर छपी थी कि अशोक होटल की खान-पान व्यवस्था बहुत ही खराब है। मैंने इस सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था और उत्तर में यह लिखा था कि इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। क्या वह जांच पूरी हो गई है और किस आधार पर जांच कराई गई थी ?

डा० कर्ण सिंह : वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस शिकायत का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु समय-समय पर हमें खान-पान व्यवस्था के स्तर के सम्बन्ध में शि ायत मिलती रहती हैं। यह कहना बिलकुल गलत है कि अशोक होटल में खान-पान की व्यवस्था निकृष्ट है। किसी दिन माननीय सदस्य को खराब आमलेट मिला हो यह बात दूसरी है। इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि सुधार के लिये काफी गुंजाइश है और हम उसके लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या पर्यटन मंत्रालय इन होटलों को भारतीय शिल्प उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं से सुसज्जित रखेगा ? ऐसा सुना गया है कि अशोक होटल में अनेक वस्तुएं ऐसी है जो विदेशों से आयात की गई हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अशोक होटल का मुख्य विशाल कक्ष हाल ही में भारतीय वस्त्रों और भारतीय शोभा प्रदायिनी वस्तुओं से सुसज्जित किया गया है। यह बड़ा अच्छा विचार है कि स्वदेशी वस्तुओं का विशेषतः वस्त्र आदि का उपयोग अधिक से अधिक किया जाये। जब हमें अच्छी चीजें देश में उपलब्ध हैं तो उनका आयात करना मूर्खता होगी।

श्री तेनेट्टि विश्वनाथम : क्या अशोक होटल अशोक की विचार धारा से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है ? क्या पूरे अशोक होटल में एक भी अशोक का वृक्ष है ?

डा० कर्ण सिंह : ऐसी बात नहीं है कि अशोक नाम केवल किसी वृक्ष का ही हो सकता है। हमने इस होटल का नाम अपने देश के एक महान शासक के नाम पर रखा है।

श्री मु० न० नाघनूर : प्रायः ऐसा देखा गया है कि किसी संस्था के प्रबन्धकों के बदलने पर उसका आर्थिक खर्च भी बढ़ जाता है। क्या मन्त्री महोदय ऐसा आश्वासन देंगे कि इन होटलों की प्रबन्ध व्यवस्था बदलने पर उनका खर्च अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़ेगा ?

डा० कर्ण सिंह : संभवतः माननीय सदस्य क्या लागत से अभिप्राय प्रशुल्क से हैं।

श्री मु० न० नाघनूर : मेरा तात्पर्य होटल के खर्च से हैं।

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम होटल को यथाशक्ति कार्यकुशलता से और लाभ पर चलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या यह सच है कि अशोक होटल की प्रबन्ध-व्यवस्था के बारे में परामर्श देने के लिये कुछ परामर्शदातृ प्रबन्धकों की नियुक्ति बिना निदेशक मण्डल के परामर्श के ही कर दी गई थी। क्या अब इन सब होटलों में एक समान प्रशासनिक ढांचा होगा ?

डा० कर्ण सिंह : प्रबन्धक के बारे में परामर्श का विषय वस्तुतः निगम के कार्यक्षेत्र में हैं। मुझे तत्सम्बन्धी जानकारी नहीं है। चूंकि अशोक होटल 5–स्टार वाला होटल, जनपथ 3–स्टार वाला होटल, रणजीत 2--स्टार वाला होटल और लोदी होटल, 1--स्टार वाला होटल है, इसलिये उन सबके प्रशासन में एक रूपता आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हां, जहां तक सम्भव होगा उनकी कार्य-कुशलता में हम एक-रूपता अवश्य लायेंगे।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या मन्त्री महोदय तत्सम्बन्धी जानकारी देंगे ?

डा० कर्ण सिंह : इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

नई दिल्ली में होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'कास्टेशिया'

\+
394. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री जी० एस० रेड्डीन :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1968 में नई दिल्ली में कास्टेशिया नामक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा बुलाया गया है अथवा यूनेस्को की ओर से आयोजित किया गया है ; और

(घ) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir. An International Conference on the 'Application of Science and Technology to the Development of Asia' (CASTASIA) will be held at New Delhi from 9th to 20th August, 1968.

(b) Countries which are expected to participate are :-

(i) 26 countries of the member states of Unesco;

(ii) Observers from non-member states of Unesco;

(iii) Representatives of the United Nations System; and

(iv) Observers from intergovernmental organisations, international non-governmental organisations and private foundations.

(c) This Conference has been convened by the Unesco.

(d) The subjects which will be discussed at the Conference consist of :-

(i) The present status of Science and technology in Asia.

(ii) Prerequisites for the application of science and technology to development.

(iii) Improvement of science education in the countries of Asia.

(iv) Science policy and its relation to national development planning.

(v) Draft Asian Plan for scientific and technical manpower and cost of research and development (1965-1980).

Shri Mahant Digvijai Nath : May I know whether this conference is first of its kind ever held anywhere in the world ; if so, the benefits accrued to India as well as to other countries ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The first such conference was convened by UNESCO in 1964 in Lagos for the save of Africa, the second was convened in 1965 in Sentiago for Latin America and this is the third conference convened for Asia. How to make the best use of science and technology for the progress of Asian countries is the subject to be discussed in this conference.

Shri Mahant Digvijai Nath : May I know whether the question of reorganization of agriculture on the scientific and technological basis. will also be considered in the conference ; if so, the nature and details of that basis and its effect on agriculture ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have already told the main subject for discussion is the development of science and technology in Asia. Besides it, the pre-requisites of such a development will be included in the discussion. At the same time a scheme for making development from 1965 to 1980 in the sphere of science and technology will be prepared.

Shri Mahant Digvijai Nath : What will be its effect on agriculture ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As far as this organization relates to the agriculture, it will certainly be discussed.

श्री हेम बरुग्रा : क्या यह सच है कि इस सम्मेलन में चीन का पांच सदस्यीय शिष्ट-मंडल भी भाग ले रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे चीनी प्रतिनिधिमंडल हमारे विरुद्ध किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि शुरु न करें; जैसा कि कुछ वर्ष पूर्व मिस्टर को मो जो की अध्यक्षता में आये चीनी प्रतिनिधि मंडल ने किया था ?

श्री भागवत झा ग्राजाद : यह सच है कि चीनी शिष्ट मंडल इस सम्मेलन में भाग ले रहा है ।

श्री हेम बरुग्रा : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री भागवत झा ग्राजाद : जैसा कि मैंने बताया है यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विचाराधीन विषय तक ही अपने आपको सीमित रखें और राजनीति के क्षेत्र में न कूदें । हम भी यह आशा करते हैं कि सभी सदस्य राष्ट्र सम्मेलन के विषय तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि सरकार ऐसी क्या कार्यवाही करेगी जिससे चीनियों को हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार का ऐसा काम करने से रोका जा सके जो सम्मेलन से सम्बद्ध न हो। इसका उत्तर स्वयं मंत्री महोदय दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चीनियों को भारत विरोधी प्रचार करने से रोक सकते हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : इस सम्बन्ध में हमने सम्मेलन के आयोजकों से बात-चीत की थी और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि कोई भी देश राजनैतिक प्रचार का काम नहीं करेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या यह आश्वासन केवल आशा मान्य ही है ?

श्री रंगा : जो भी सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा उसे पहले ही उनको आगाह कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें काफी आगाह कर दिया है।

श्री मनु भाई पटेल : इस सम्मेलन पर कुल कितना खर्च आयेगा और भारत सरकार को उसका कितने प्रतिशत वहन करना होगा ?

श्री भागवत झा आजाद : इस सम्मेलन पर 2.625 लाख रुपये खर्च होंगे।

Shri Rabi Rai : In reply to a question regarding the participation of South Africa in the Olympics. Dr. Trigun Sen himself said that since South Africa which was practising apartheid, was going to participate in Olympics, so India would not participate in that. Now in respect of this conference why did Government of India did not protest on the same lines against China. China has attacked India. My second question is that in India we take seven minutes to manufacture a thing while in a country like China it takes forty minutes and in countries like Russia and America it takes six and three minutes respectively. May I know whether the question of reducing this dissimilarity will be considered in this conference ? May I know whether the views of Gandhiji regarding small unit machine will also be considered here and whethere it would also be discussed regarding giving technical education through mother tongue ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have told, the subjects to be considered in this conference are they have to achieve the development of science and technology during the next 65 to 80 years to bring about progress in the countries of Asia. We can say on the basis of the previous conference which was held in Logos and Sentiago that it is very useful to consider such matters in these conferences and such things give strength to the Asian countries for their development.

Shri Rabi Ray : Full reply has not been given. South Africa was not an aggressor but we have made complaints about that. China was an aggressor about whom you are telling that it was held in Logos . . .

Shri Bhagwat Jha Azad : I am sorry, I would have told it earlier that Communist China about whom you are talking is not taking part in it because Red China is not a member of the United Nations.

Shri K.N. Tiwary : Just now it has been stated that two conferences were held before this conference, whether there is any machinery to implement those motions which were passed in those conferences so that these may get encouragement ? If not, whether this will also be considered in this conference that some way may be found out in this respect ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have told that UNESCO calls this conference, therefore all these things are dealt by it that what matter should be considered in it and how those decisions may be implemented and how the co-ordination may be achieved.

डा० मैत्रेयी बसु : मंत्री महोदय ने 'तकनिकी' शब्द का प्रयोग किया है। मैं नहीं जानती कि वे इसका क्या अर्थ लेते हैं। उनका मतलब 'टेकनीक' से है अथवा 'टेकनिकल' से ? क्या यह टेकनीक शब्द का अनुवाद है अथवा टेकनिकल का ? जो कुछ भी वे इसका अर्थ लेते हों, क्या वे सोचते हैं कि वे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर हिन्दी भाषा को समृद्ध बना रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह भाषा को ठीक करने से सम्बन्धित है। अतः इसके लिए कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं।

Shri Bal Raj Madhok : It is heartening to note that the Hon. Minister has stated that the representative of Republic of China is taking part in this conference. If he had told this earlier the time of the House would not have been wasted. I would like to know whether the Government recognise Republic of China in other matters also? In this Conference the representatives of China are taking part but after some days the Labour Conference of the Asian countries is going to take place. May I know whether they are being called in that conference or not ? If they are not being called then what the Government of India have to say about their different polices ?

The basic problem of science and technology before the country at present is that we are emphasizing on basic research while the country is in need of development research and applied research. No attention is being said towards this and that is why inspite of spending huge amounts the country is lagging behind in the field of science. May I know what sort of scientist have been selected in the delegation for this conference that is whether they are basic research scientist or applied research scientist or Development research scientist ?

May I know whether the Government have made arrangements to invite those scientist to this conference who are our scientists and are our nationals and have earned a good name in foreign countries ?

डा० त्रिगुण सेन : युनैस्को ने इस सम्मेलन को बुलाया है। अतः युनैस्को ने ही सदस्य देशों को इस सम्मेलन में बुलाया, मैं नहीं जानता कि जब लेबर सम्मेलन होगा भारत उनको बुलायेगा अथवा नहीं। युनैस्को ने केवल उन सदस्य-देशों को आमंत्रित किया है जो उससे सम्बद्ध हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सम्मेलन का मुख्य विषय व्यवहारिक अनुसंधान है—कि विज्ञान को किस प्रकार मानवता के कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाय, मैं सोचता

हूं ये ही दो प्रश्न पूछे गये थे। हम केवल मौलिक अनुसंधान पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि इस विषय पर भी कर रहे हैं कि विज्ञान को मानव कल्याण में किस प्रकार लगाया जा सकता है।

श्री बलराज मधोक : प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है ?

श्री हेम बरुआ : प्रेक्षकों को किसने आमंत्रित किया है ? मंत्री महोदय ने अथवा संयुक्त राष्ट्र ने ? (व्यवधान)

डा० त्रिगुण सेन : यह एक अन्तर-सरकारी बैठक है और युनैस्को ने सदस्य देशों को बुलाया है।

श्री बलराज मधोक : प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है ?

डा० त्रिगुण सेन : जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है ?

डा० त्रिगुण सेन : प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मैं कर रहा हूं।

Shri Maharaj Singh Bharati : This Confernee is being held for the development of science and technology. Our problem is quite different from the problem of Europe and America. Japan has made so much progress on the basis of small scale technology. We have imported rice from Philipines. From Russia and other big countries we did not receive. We are benefited by the small countries and that can be more advantageous to us which involves less capital and more people. May I know whether the Government will put strongly this view on this problem in this conference that the small scale technology may be encouraged and the charges have not to be paid for the know how for availing the contribution of applied science and there should be free exchange of it among the Asian countries ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is right that our delegation should emphasize on it and we shall do that. So far our development on the basis of technique and science is concerned, it is right that more emphasis should be given on it. The hon. Member has mentioned Japan. I will say that a strong delegation has also come from Japan to take part in this conference and that will also emphasize on this matter and certainly we will also stress on that according to your wishes.

श्री वी० चं० शर्मा : कल या परसों के- मेरे विचार से कल के नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र में इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के बारे में एक सम्पादकीय लेख था। उस सम्पादकीय लेख में यह कहा गया है कि इस सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में प्रतिनिधिमंडल के नेता को छोड़ कर शेष सभी प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनका विज्ञान से, आधुनिक अथवा नवीनतम विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। उनका व्यवहारिक विज्ञान से कोई परिचय नहीं हैं। ये प्रतिनिधि विज्ञान की अपेक्षा वाणिज्यिक रूचि अधिक रखते हैं। मै जानना चाहता हूं क्या मन्त्री महोदय इस सम्पादकीय लेख का खंडन करेंगे जो कि एक प्रसिद्ध समाचार पत्र नेशनल हेरल्ड में छपा है ? (व्यवधान)

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्य को उत्तर दे सकता हूं लेकिन सम्पादकीय का खंडन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, महानिदेशक को उन मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का अधिकार दिया गया था जो अपने-अपने राज्यों में एशिया के विकास के लिये विज्ञान तथा औद्योगिकी के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हैं ।

वास्तव में, मैं अपने प्रतिनिधि मंडल का नेता हूं । मेरे अतिरिक्त इस प्रतिनिधि मंडल में हैं योजना आयोग के उप-सभापति डा० डी० आर० गाडगिल - वैकल्पिक नेता- , डा० आत्माराम, तकनीकी विकास के महानिदेशक डा० कालेलकर, राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की ओर से डा० खोसला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा० डी० एस० कोठारी, योजना आयोग में शिक्षा तथा विज्ञान के कार्यकारी सदस्य डा० बी० डी० नाग चौधरी, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महानिदेशक डा० बी० पी० पाल..........

श्री वी० चं० शर्मा : सारे सरकारी सदस्य! कोई गैर-सरकारी सदस्य नहीं ?

डा० त्रिगुण सेन : क्या वे वैज्ञानिक नहीं हैं ? मैं नहीं मानता कि वे वैज्ञानिक नहीं हैं । डा० कोठारी तथा डा० पाल जैसे व्यक्ति जोकि इसे कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं... ...(व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : इनमें से कौन अप्लाइड रिसर्च से सम्बन्धित है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० त्रिगुण सेन : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री शिवकुमार शास्त्री : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अब बैठ जांय ?

श्री वी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय मेरे एक अच्छे मित्र हैं लेकिन आज वे पकड़ में आ गये हैं ।

Reports Submitted by Administrative Reforms Commission.

*395. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the subjects in respect of which Government have received reports from the Administrative Reforms Commission;

(b) whether Government have taken a decision to implement some of those reports; and

(c) the time by which Government would be in a position to take a final decision on the remaining reports ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

(a)	Subject	Statement	Date of Submission
(i)	Problems of redress of citizens' grievances		20. 10. 1966
(ii)	Machinery for Planning		
	- Interim		29. 4. 1967
	- Final		14. 3. 1968
(iii)	Public sector undertakings		17. 10. 1967
(iv)	Finance, accounts and audit		13, 1. 1968
(v)	Economic administration		20. 7. 1968

(b) The present position regarding the processing of these reports is as below:

(i) **Report on Problems of redress of Citizens grievances–**

The core recommendation relating to the setting up of an institutional machinery consisting of Lokpal and Lokayuktas has been accepted with certain modifications. A Bill styled "The Lokpal and Lokayuktas Bill, 1968" was introduced in the Lok Sabha on 9th May, 1968, and now stands referred to a Joint Committee of the two Houses of Parliament.

(ii) **Interim report on the Machinery far Planning–**

Attention is invited to the statement made by the Prime Ministei in the Lok Sabha on the 17th July, 1967 announcing the deicisions of the Government on the recommendations contained in this report.

(iii) **Final report on the Machinery for Planning–**

Attention is invited to Prime Minister's speech in the Lok Sabha on the 19th April, 1968. Decisions have been taken on most of the recommendations which concern the Central Government. Recommendations pertaining to State Governments have been brought to their notice for examination by them.

(iv) **Report on Public Sector Undertakings–**

The extent to which some of the recommendations covering the organisational Structure of Public enterprises and their relationship with Parliament and Government have been accepted for implementation is shown in the statement laid by the Deputy Prime Minister on the Table of the House on the 10th May, 1968.

(v) **Report on finance, accounts and audit–**

The recommendation regarding performance budgeting has been accepted.

(vi) **Report on economic administration–**

The report was submitted by the Commission only on the 20th July, 1968 and is under examination.

(c) The recommendations contained in these reports are far-reaching in their scope. For many of the important recommendation a good deal of inter-ministry consulation is necessary. For some others, the State Governments have also to be consulted. All this makes it difficult at this stage to indicate any firm date by which final decisions on all the recommendations would be taken.

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whethere this Commission has suggested some measures to prevent the prevalent malpracties in every shere, if so, what steps the Government are going to take to implement them ?

Shri Vidya Charan Shukla : No special report regarding malpractices has been given. But it is expected that malpractices will be reduced by the administrative reforms.

Shri Shiv Kumar Shastri : Our administration involves huge expenditure whether the Administrative Reforms Commission has suggested any measures to bring about economy in it ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : In this statement at one place it has been said, 'Decisions have been taken on most of the recommendations which are concerned with the Central Government.' It would have been better if a reference would have been made in this statement about these decisions taken so that we should have not felt the need of asking about them. May I know whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has also suggested to the Central Government that in the Council of Ministers the number of Ministers should not be more then eight, if so, whethere the Government have taken any decision in this respect ? One member of the Administrative Reforms Commission has died. May I know whether the Government are going to fill that gap, if not, why not ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the recommendations and decisions regarding them are concerned, full attention has been given in this statement towards them and it has been stated that which six reports have been received and what decisions have been taken in respect of them. It is right that full details have not been given in this respect but if the hon. Member wants I can tell him separately. So for as the Council of Ministers is concerned, no report has been received in this respect so far. If any report will be submitted in this respect, we will consider that. so far as I know no such report has been received so far. I will inform if any report will be received. At present, there are two vacancies in the Commission. No decision has been taken so far to fill them. We want that the work of this Commission may be completed as early as possible.

श्री सु० कु० तापड़िया : पर्याप्त परामर्श, विचार विमर्श तथा मंत्रियों, अधिकारियों, आई० सी० एस० अधिकारियों तथा सचिवों के कार्यालयों के पश्चात इन प्रतिवेदनों को तैयार करने में काफी धन, समय तथा प्रयत्नों को खर्च किया गया, इन विचार-विमर्शों के पश्चात हम उस अवस्थान पर पहुंच गये हैं जहां केवल उन सचिवों तथा अधिकारियों की सिफारिशों को उपयोगी बनाने का कार्य करना है जो पहले आपस में मिले थे तथा जिन्होंने विचार किया था और प्रमाण दिया था, वे आयोग की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ क्या भारत सरकार प्रशासन-सुधार-आयोग की सिफारिशों को उपयोगी बनाने के लिये एक मंत्रि मंडल-उप-समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है; तथा क्या सरकार विपक्षी दलों की अथवा सभी दलों के नेताओं की एक संसदीय स्थायी समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है ? जो रक्षक समिति का काम कर सके और जो हर अवस्थान पर सिफारिशों के कार्यान्वियन में प्रगति पर निगरानी रख सके और उस पर पुर्नविचार कर सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना ठीक नहीं है कि केवल भारत सरकार सचिव तथा अधिकारी ही आयोग की सिफारिशों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करेंगे ।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं सिफारिशों के उपयोगीकरण के बारे में पूछ रहा हूँ ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सिफारिशों पर सर्वोच्च स्तर पर विचार होता है और तब निर्णय किया जाता है । यह सच नहीं है कि इन सिफारिशों पर अधिकारी स्तर पर निर्णय दिया जाता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या मंत्रिमंडल उन पर विचार विमर्श करता है ? वह सर्वोच्च स्तर कौन सा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में, सर्वोच्च स्तर मंत्रिमंडल है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वे इस पर विचार विमर्श करते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब कभी यह आवश्यक होता तो मंत्रिमंडल की उप-समिति अथवा पूरा मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिमंडल के सम्बन्धित मंत्री इस पर विचार करते हैं । लेकिन इनका निपटारा अधिकारियों के स्तर पर नहीं होता । जहां तक संसदीय समिति का प्रश्न है, यह सुझाव कार्यवाही के लिये है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब प्रशासन सुधार आयोग नियुक्त किया गया था यह बताया गया था कि आयोग अपना प्रतिवेदन एक वर्ष में प्रस्तुत कर देगा । लेकिन अब चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, आयोग को अपना अन्तिम प्रतिवेदन देने के लिये कितना समय चाहिये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने अनुमान से अधिक समय ले लिया है । लेकिन हमने समय-समय पर यह प्रश्न प्रशासन सुधार आयोग के सामने रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अपना कार्य शीघ्र करें । हमें विश्वास है कि आयोग अपना कार्य शीघ्र करने के सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करता रहा है । सभा इस बात को जानती है कि इन मामलों पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये विशेषज्ञ दल, अध्ययन दलों तथा अन्य दलों को नियुक्त करने में भी काफी समय लगा । जो लोग इन अध्ययन दलों तथा विशेषज्ञ दलों में थे वे अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों में काफी व्यस्त थे और उनको इस कार्य को करने में समय लगा तथा कुछ अनेक विशेष कारण थे जिनके कारण अपने कार्य को करने में प्रशासन सुधार आयोग को पूर्व-अनुमान से अधिक समय लगा । हम इस बात को फिर से आयोग के सामने लायें और निवेदन करें कि वे शीघ्रता करें और उन्होंने बताया कि वे अन्तिम प्रतिवेदन को यथासम्भव शीघ्र देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Ram Sewak Yadav : Our administration do not represent the social and economic interest of the country. May I know whether the Administrative Reforms Commission has paid attention to this fact and submitted any report in this regard and suggested any measures that our administration should represent the social and economic interest of the country. The places which are reserved for Harijans and tribals should be filled up and they should get full representation because they are weaker sections of our society. whether any measures have also been suggested by the Administrative Reforms Commission in this respect ?

Shri Vidya Charan Shukla : The first point raised by the hon. Member is very important. I hope the Commission will certainly pay attention towards this. So far as the question of Harijans and tribals is concerned, it is our National policy to do whatever we can do for them. I think the Commission will pay full attention towards it.

Shri Sita Ram Kesri : May I know whether it is obligatory on the Government to implement the reports of the Administrative Reforms Commission or it is at the choice of the Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is evident that the recommendations of any Commission are not taken as an award. They are considered by the Government carefully. That recommendation is implemented which is thought suitable and which is in the interest of the public and the rest are not accepted.

श्री नाथ पाई : जब हमने अमेरिका के हूवर आयोग के समान प्रशासन सुधार आयोग की मांग को उठाया तो इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया, उस समय के गृह मन्त्री श्री नन्दा ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार सरकार इस आयोग के स्थापना की वांछनीयता पर विचार करेगी, हम नहीं चाहते कि इस पर विस्तृत प्रतिवेदन दिया जाये परन्तु सवाल यह है कि इस देश में प्रशासन की कार्य विधि समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बिल्कुल असंगत है और हमने सोचा था कि इस सारी व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए हमने सरकार से इस तरह के आयोग के लिए प्रार्थना की थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था, मेरे विचार में यह श्री हनुमन्तटया के सभापतित्व के अन्तर्गत अच्छा कार्य कर रही है। परन्तु इस सत्य को देखते हुए कि, यह प्रतिवेदन काफी बड़ा होता जा रहा है, मैं नहीं सोचता कि हमारे विपक्षी मित्र को किसी गम्भीर विषय को पढ़ने की आदत नहीं है जैसा कि श्री सु० कु० तापड़िया ने ठीक ही कहा है.......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्रश्न पर आयें।

श्री नाथ पाई : हममें से कुछ को सीधा प्रश्न पूछने पर बाधा डाली जाती है क्योंकि हम विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह देखेगी कि इन सिफारिशों पर रोक लगाई जाय और इनका सार सरकार को मिल सके और उस पर कार्यवाही की जा सके, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं कि इसके लिये मन्त्रीमंडल समिति है, हम जानना चाहते हैं कि सरकार, इन प्रतिवेदनों को दृष्टि में रखते हुए इस व्यवस्था में वे सुधार लाने के लिए क्या कर रही है ? श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पूछे गए प्रश्न जो श्री हरिश्चन्द्र माथुर की मृत्यु होने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में था मंत्री महोदय ने कहा कि वे इस पर विचार कर रहे हैं, क्या सभा को यह आश्वासन मिल सकता है कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति लोक सभा अथवा विधान सभा के चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों को रखकर नहीं की जाएगी, अपितु इसमें योग्य व्यक्ति रखे जायेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है इस बात को देखते हुए हमने सभा के सब वर्गों की इस मांग को स्वीकार किया कि प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की

जायं। आयोग ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और प्रतिवेदन दिया है। इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण समय-समय पर सभा पटल पर रखा गया है इस विषय पर कुछ समय पूर्व प्रधान मन्त्री ने वक्तव्य दिया था, इस प्रकार हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि इन सिफारिशों पर मंत्रीमंडल स्तर और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के स्तर पर गंभीर विचार किया जा रहा है। इन प्रतिवेदनों अथवा सिफारिशों पर असावधानी से विचार करने का सवाल नहीं उठता। दो रिक्त स्थानों में सदस्यों की नियुक्ति के प्रश्न पर हमें आशा है कि आयोग का कार्य शीघ्र समाप्त हो जायेगा, वास्तव में हमें आशा थी कि उनका कार्य इस आने वाले सितम्बर तक समाप्त हो जायेगा, परन्तु आयोग ने हमसे प्रार्थना की है कि उनके कार्य के लिए वित्तीय अनुदान की मंजूरी को इस चालू वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया जाय, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि क्या इन दो रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभदायक रहेगी कि नहीं क्योंकि यह आयोग अपने कार्य की समाप्ति पर है, इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या दो अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने में फायदा है या नहीं।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशासन सुधार आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल की स्थापना की है। यदि हां, तो क्या उनका प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है और क्या आयोग से संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समय मैं कह नहीं सकता कि क्या इस विशेष विषय का अध्ययन करके आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य के भाग (ख) में आर्थिक प्रशासन पर प्रतिवेदन के शीर्षक के अन्तर्गत यह बताया गया है कि आयोग ने 20 जुलाई, 1968 को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और इसकी जांच की जा रही है।

(ग) के अन्तर्गत कहा गया है :—

'इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का कार्य क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशों के लिये अन्तर मंत्रालय परामर्श आवश्यक है। कुछ दूसरी सिफारिशों के लिये राज्य सरकारों से भी परामर्श लेना जरूरी है।'

प्रशासन सुधार आयोग द्वारा इस दिशा में सुझाये गये विशेष उपाय क्या हैं? मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करने के बारे में गम्भीरता से सोच रही है? क्या सरकार डा० चेन्ना रेड्डी के त्याग पत्र देने से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये मंत्रिमंडल के पद पर किसी को नहीं रखेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य का मतलब आर्थिक प्रशासन से है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका मतलब मंत्रालय में बचत से है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि यह केवल 25 दिन पहले प्रस्तुत कर दिया गया था। मेरे अनुमान में इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में रखी हुई हैं–पर मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। मुझे प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख का पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जो : मेरा मतलब इस विवरण से था कि इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का कार्य क्षेत्र व्यापक है।' इसका मतलब है कि सरकार इस आधार पर उसे स्वीकार नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे कहते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है कि यह कुछ दिनों पहले प्राप्त हुआ था।

श्री स० मो० बनर्जो : यह हमारा पुराना अनुभव है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आयोग ने 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारणी दल, 4 विशेषज्ञ ग्रुप और एक कृतिकबल नियुक्त किया है। इसमें से कितनों ने आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आयोग ने 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारिणी दल, 4 विशेषज्ञ दल और एक कृतिकबल को जुलाई 1968 तक के लिये नियुक्त किया है। 14 अध्ययन दल और कई कार्यकारिणी दलों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया और आयोग को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

श्री क० प्र० सिंह देव : अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सिफारिशों पर उच्च स्तर अर्थात मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई है. मैं जान सकता हूं कि इन सिफारिशों पर कितनी बार मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई।

श्री विद्या चरण शुक्ल : 6 प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और 5 पर निर्णय लिया गया है। आखिरी प्रतिवेदन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन सब पर उच्चस्तर पर निर्णय लिया गया है।

Shri Bhola Nath Master : Just now Shri Nath Pai has said that the Reforms Commission has submitted Several reports. I want to know whether any action has been taken or not. A bill regardind Lokpal and Lok-Aykuta was brought in this house which was about corruption based on the report of Santhanam Committee, and whether the amendment is being introduced in the Vigilance Committee in accordance with the report of Administrative Reforms Commission.

Shri Vidya Charan Shukla : The statement says that it has been brought in pursuance to that.

श्री धीरेश्वर कलिता : प्रशासन सुधार आयोग के निरर्थक प्रयत्न और कार्य के बारे में इस सभा में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता परन्तु मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूँ कि इस आयोग पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है।

श्री विद्या चरण शक्ल : इसके नियुक्त करने के समय से अब तक कुल व्यय 39,59,944 रुपये हुआ ।

श्री शंकर राव माने : मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सभा को इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का मौका दिया जायेगा ताकि इन अमूल्य सुझावों पर माननीय सदस्यों के विचारों का ठीक ठीक पता लगाया जा सके ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह आपके ऊपर है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

Shri Shinkre : Some times back it appeared in the newspaper that the Status of Union territories should be abolished and the large state should be given the status of autonomus state and the small union territories should be amalgamated in the neighbouring states. I want to know whether it is correct or not.

श्री विद्या चरण शुक्ल : एक अध्ययन दल संयुक्त राज्य क्षेत्र के लिये नियुक्त किया हुआ है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रशासन सुधार आयोग को सौंप दिया है ।

त्रिपुरा में सीमान्त सड़कें

*396. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क विकास संगठन ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में सीमान्त सड़कों के विकास तथा निर्माण के लिये कोई योजना बनाई है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) अब तक त्रिपुरा में क्रियान्वित की गई सीमा सड़क विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आई है ?

परिवहन तथा नौहवन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री किरित विक्रम देव बर्मन : मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा सीमा कहां तक जंगलों से आधारित है और प्रतिरक्षा कार्यों के लिये वहां सड़कें नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि समस्त सीमा में कब तक प्रवेश योग्य सड़कें बना दी जायेंगी ?

श्री भक्त दर्शन : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये था । हमने सीमावर्ती सड़कें विकास बोर्ड से इसके बारे में पूछ-ताछ की और उन्होंने बताया कि न तो त्रिपुरा प्रशासन और न प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने कोई प्रस्ताव भेजा है ।

श्री स्वैल : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के बाहर से काफी संख्या में शरणार्थियों के आने से और आदिमजाति लोगों की भूमि से उनका अधिकार छीन

जाने से त्रिपुरा में सड़कों के निर्माण और विस्तार का आदिमजाति लोगों द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है ? क्योंकि वे सोचते हैं कि इस प्रकार उनकी भूमि से अधिकार छीन जाने को काफी प्रोत्साहन मिलेगा । क्या त्रिपुरा के आदिमजाति लोगों द्वारा पांचवी अनुसूचित प्रशासन को उस क्षेत्र में लागू करने की मांग उठाई जा रही है ?

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

Father Ferrer's Activities

*397. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government had served a notice on Father Ferrer to leave Maharashtra;

(b) whether it is also a fact that Maharashtra Government had charged him with creating communal feeling, causing disturbances and indulging in anti-national activities;

(c) whether it is also a fact that the Chief Minister of Maharashtra has observed that Father Ferrer has been alluring the poor to adopt Christianity and his activities were endangering peace;

(d) whether it is also a fact that Government have granted him permission to return to India after one month; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukala) : (a) Father Ferrer was served with a notice to leave India.

(b) No, Sir.

(c) No such categorical statement was made by the Chief Minister of Maharashtra. However, in answer to an Assembly question in July, 1968, the Chief Minister had acknowledged that complaints had been received by the State Government **interalia** to the effect that Father Ferrer had been alluring the poor and inducing them to become Christians and that his activities were creating disturbances and were, therefore, posing a law and order problem.

(d) Before Father Ferrer left he was given an understanding that should he take a holiday abroad of over a month or so, there would be no difficulty in his returning to India and working in any State, other than Maharashtra, where he would be acceptable. A request has since been received from him for a visa for working in Andhra Pradesh or Gujarat. The request is being considered in consultation with the State Government concerned.

(e) Government saw no objection to his being allowed to come back to work in any State where he would be acceptable.

Shri S. M. Joshi : I want to know from the hon. Minister whether our Minister of State has himself gathered some information in view of the information communicated by the Chief Minister of Maharashtra ? If the activities of Father Ferrer, as stated by the Chief Minister, are a fact, then why should not the Central Government have made objection over his arrival here. Is it a fact that you asked the Andhra Govt. Whether they are prepared to allow Father Ferrer to come back ?

Shri Vidya Charan Shukla : What the Chief Minister of Maharashtra has stated is all correct and we too have gathered the same facts. As I have stated in the main answer

that since he had requested that he want to come back to work in Gujarat or Andhra, it was then, natural that we consulted both the States whether they were prepared to permit him to come back. Now, we will decide upon the request in accordance with the answer we receive from those States.

Shri S. M. Joshi : My question has not been answered. One thing, I want to make clear is that as regards Christianity, I consider Jensus Christ a great man who reached the highest level of humanity and love; but if one acts in this way in the name of Christianity, as has been stated, our Central Minister, then, should think whether it would not be like inviting the trouble again if he permits some one to go to other State ?

Shri Vidya Charan Shukla : This question was discussed on an earlier occasion also and our Home Minister had given a statement in this regard and on the basis of that we had decided that Father Ferrer should go out of India for sometime. After his departure, it was decided that knowing all these facts if a State Govt. express its concurrence on its own responsibility, we will not stand in the way. Only that much is our intention.

श्री चेंगलराया नायडू : मैं सत्य को जानने के लिये स्वयं वहां गया था तथा मैं वहां से अनेक गावों में गया। मैंने देखा है कि पादरी फेरर ने शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप जानकारी देने लगे हैं। यह प्रश्न काल है।

श्री चेंगलराया नायडू : किसानों की सहायता करने के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। केवल पुलिस तथा कुछ राजनीतिज्ञ जो कि पिछड़े हुए लोगों का शोषण करते हैं, वही उनसे भय खाते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार उनके काम से नहीं बल्कि उनकी लोकप्रियता से डरती थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आरोप गलत है। ऐसे आरोप का कोई आधार नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : इस प्रश्न से मुझे भी कुछ थोड़ी सी परेशानी हो रही है। परन्तु इसकी भूमिका में मुझे सदन को यह बता देना चाहिये कि कोई अच्छा काम करते हुए मैं अपने धर्म को दूसरों के धर्म से भिन्न नहीं समझता। यहां ऐसे भी मित्र बैठे हैं जो आपको बतादेंगे कि गोरखपुर में मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने गीता प्रेस को एक सामाजिक बल का रूप दिया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की ओर आइये।

श्री लोबो प्रभु : वर्ष 1942 में एटा में सोरों के स्थान पर मैंने तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना की। यदि मैं यह प्रश्न पूछता हूं तो एक भारतीय होने के नाते पूछता हूं। प्रश्न यह है कि क्या गृह-कार्य मन्त्रालय यह प्रमाणित करेगा कि क्या पादरी फेरर ने किसी भी चीज का प्रलोभन देकर एक भी आदमी का धर्म-परिवर्तन नहीं किया, और दूसरे क्या उन्होंने गावों के विकास के बारे में अत्यन्त मूल्यवान् काम किया जोकि वास्तव में सरकार ने छुआ तक नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारे लिये यह प्रमाणित करना असम्भव है कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन कराने के लिये कोई अनैतिक कार्य नहीं किया क्योंकि हमारे पास इसके विपरीत शिकायतें आई हैं ....(व्यवधान) उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया होगा, परन्तु हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बुरा ही किया है. उन्होंने जरूर कोई अच्छी बातें भी की होंगी; और इसीलिये हम कहते हैं यदि कोई राज्य उन्हें वापस लेने को तैयार है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जब कोई विदेशी धर्म प्रचारक यहां आना चाहता है तथा किसी राज्य में बसना चाहता है, तो इस बारे में प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ? क्या भारत सरकार उसे सीधे ही अनुमति दे देती है या वह राज्य सरकार से इसके लिये प्रार्थना करता है ? यदि यह अनुमति भारत सरकार की ओर से दी जाती है तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से अनुमति क्यों मांगी जाती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यहां जिस सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि जब भी कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है हम सदा ही राज्य सरकारों से परामर्श लेते हैं। मान लीजिये कि कोई विदेशी मिशनरी किसी विशिष्ट क्षेत्र में काम करना चाहती है, तो हम निर्णय करने से पूर्व सदा वहां के स्थानीय प्रशासन अर्थात् राज्य सरकार की सलाह लेते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Father Ferrer's lobby is very active. They have given many allurements like that of publishing news in the newspapers, providing air travels; and they have spent lakhs of rupees. The Home Minister once gave a statement regarding foreign christians wherein he said that if the activities of the foreign Christian Missionaries were found objectionable, action will be taken against them; so in these circumstances, when the activities of that man were stated to objectionable by the Government of Maharashtra and you too say that you do not have contradictory information, why is he being permitted to come again ? Why do not you stick to the policy declared by you ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already made it clear that his activities were objectionable and that is why, accepting the recommendations of the Government of Maharashtra, we asked him to go out of India on holiday. When he requested for a visa for returning here and working in Gujrat or Andhra, we consulted both the States.

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked why do not you stick to the policy declared by the Home Minister ? Why are you not taking action in accordance with that ?

Shri Vidya Charan Shukla : Our action is just in accordance with that. The Govt. of Gujrat have stated that they are not prepared to take father Ferrer back. Now we have asked the Andhra Govt, If they are prepared, then, we will think what should we do next.

अध्यक्ष महोदय : श्री कार्तिक उरांव आवेश में मत आईये।

श्री कार्तिक उरांव : हर व्यक्ति को अपनी धारणा बनाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, परन्तु तथ्यों के विरूद्ध जाने का किसी को अधिकार नहीं है। कुछ लोग, या सरकार माने चाहे न

माने, परन्तु यह सच है कि किसी का धर्म परिवर्तित करना बलप्रयोग, दबाव, प्रलोभन तथा बाध्यता का कार्य है; यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, कहा गया अथवा किया गया अवैध प्रभाव है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या उसे मालूम है कि हमारे देश में विदेशी मिशनरियों को रहने की अनुमति देने का अर्थ अपने यहां रिक्तता को स्वीकार करना है जिसे स्वयं सरकार ने पूरा करना था, जबकि उसके ऐसा न कर सकने के फलस्वरूप विदेशी मिशनरियां सामाजिक कार्य अथवा धर्म प्रचार के नाम से यहां आकर काम करते हैं। यह भी बताया गया है कि इस बारे में अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण कार्यों के लिये सहायता दी है तथा यह अनुदान धर्म परिवर्तित कराने के उद्देश्यों में प्रयुक्त किया गया। मै सरकार से जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रकार अनुमति देकर वह समाज कल्याण मंत्रालय की कटु आलोचना कर रही है तथा उस मंत्रालय के कार्य की भर्त्सना करती जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय धरा पर विदेशी सहयोग से विदेशी धर्म का प्रचार करना स्वीकार किया है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : मैं इसके विरूद्ध कड़ा विरोध प्रकट करती हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इसे गम्भीरता से न लें।

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : मेरे सुनते सुनते उन्हें यह जानकारी दी गई है। उस से कहकर प्रश्न कराया गया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया बैठ जाइये। हमने आपका विरोध सुन लिया है। मन्त्री महोदय ने भी आपका विरोध सुन लिया है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने भी आपका विरोध नोट कर लिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो जानकारी श्रेणी-वृद्ध अथवा गोपनीय है वह संसत्सदस्यों सहित किसी को भी नहीं देते। परन्तु यदि संसत्सदस्यों को वह जानकारी देने के लिये कहते हैं जो कि गोपनीय नहीं है, तो वह जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मैं उसे रोकना न्याय संगत नहीं समझता...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आप सब बैठ जायें ? वह तो केवल इसका विरोध कर रही थी कि माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न करने के लिये जानकारी दी गई है।

श्री कृष्णमूर्ति : वह प्रधान मंत्री को अपना विरोध प्रकट कर सकती है। वह लोक सभा में कैसे विरोध प्रकट कर सकती है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका काम है। अपनी चिंता वे आप करेंगी। वह तो केवल इस बात का विरोध प्रकट कर रही थी कि किसी ने किसी को जानकारी देकर प्रश्न करने को उकसाया है। अब अल्प सूचना प्रश्न, श्री रा० बरूआ।

श्री को० सूर्यनारायण : श्रीमान्, व्यवस्था के प्रश्न पर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं होता। कृपया स्थिति को और खराब मत कीजिये। अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

परिवहन तथा गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

अ० सू० प्रश्न संख्या 3. श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० बरुग्रा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के उस कथिक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि मजूरी बोर्ड एक संतोषजनक उचित मजूरी ढांचा तैयार नहीं करता तो देश के आठ बड़े पत्तनों के पत्तन तथा गोदी कर्मचारी अगस्त, 1968 में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर देगे;

(ख) यदि हां, तो पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या हैं और क्या सरकार ने कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को रोकने के लिए दोनों पक्षों को परस्पर मान्य समझौता कराने के लिए प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) संतोषजनक मजदूरी संरचना के लिए प्रस्ताव बनाने से पहले पत्तन और डॉक कर्मचारी मजदूरी बोर्ड इस समय अन्तिम विचार-विमर्ष में लगा हुआ है। अखिल भारतीय पत्तन और डॉक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष, श्री एस० आर० कुलकर्णी स्वयं इस बोर्ड का सदस्य है और महासचिव श्री माखन चटर्जी भी।

संघ की कार्यकारी समिति ने जून, 1968 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें शिकायत की गई कि मजदूरी बोर्ड ने पहले 3½ वर्ष लगा लिए है और आरोप लगाया कि पत्तन और डॉक कर्मचारियों के मालिक बोर्ड के काम को अन्तिम रूप देने में उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं। 3½ जुलाई को प्रस्ताव की एक प्रति मुझे मिली। उत्तर में संघ को सूचित किया गया कि पत्तन अधिकारी मजदूरी बोर्ड के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे परन्तु सरकार ताजे अनुदेश बड़े पत्तन अधिकारियों को भेजे है कि मजदूरी बोर्ड का काम उनके प्रयत्नों में कमी के कारण रूक न जाए इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

तब से संघ ने कलकत्ता में एक विशिष्ट सम्मेलन 24 और 25 जुलाई को किया और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें संबद्ध संस्थाओं को कहा गया कि मजदूरी संरचना के पुनरीक्षण की सफलता के लिए, जो उचित मजदूरी सिद्धान्त पर आधारित हो जैसा मजदूरी बोर्ड के विचारार्थ विषय में दिया गया है, एक प्रदर्शन करे और आरोप लगाया कि यह स्वार्थी तत्वों द्वारा भंग किया जा रहा है ।

इस सम्मेलन ने संघ की कार्यकारी समिति को उचित सूचना देकर 20 अगस्त, 1968 के बाद किसी भी दिन सब पत्तनों पर हड़ताल करने का प्राधिकार दिया यदि उसकी राय में मजदूरी बोर्ड के जरिये उचित पुनरीक्षित मजदूरी संरचना प्राप्त करना शीघ्र संभव न था। क्योंकि परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा था अर्थात 10–7–68 के पत्र में उस मंत्रालय ने संघ को सूचित किया था कि सरकार ने बड़े पत्तन अधिकारियों के प्रयत्नों में ढील के कारण नहीं रूकना चाहिए इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए ।

प्रस्ताव की एक प्रति मेरे मंत्रालय को भेजी गई है ।

मैं इस रवैये को नही समझ पाता हूं जैसा मैंने पहले ही कहा है मजदूरी बोर्ड का काम अब अन्तिम चरण में है । इस की गत बैठक 4–8–68 को हुई और आगामी बैठक 24-8-68 को होनी निश्चित है । मुझे अपने सहयोगी श्रम मन्त्री से ज्ञात हुआ है कि मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है कि वह बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को निश्चितरूप से इस वर्ष नवम्बर के अंत तक दे दें ।

इस समय बोर्ड के निष्कर्षों प्रत्याशा करना । बोर्ड में शामिल एक पार्टी की आम आलोचना करना और बोर्ड के निष्कर्ष संघ के विचारानुकूल न होने पर हड़ताल की धमकी देना ये ऐसी बाते हैं जो इस मामले के हल के लिए अनुचित नहीं है । सरकार को मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट मिलनी है और उसे रिपोर्ट पर निर्णय लेना है । मैं संघ से प्रस्ताव करूंगा कि वे कम से कम रिपोर्ट को अन्तिमरूप दिये जाने और उसे सरकार को प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा करें । अपनी ओर से मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट पर अपने विचार निश्चित करने से पहले उनके विचारों पर भी विचार किया जाएगा ।

श्री न०कु० सांघी : एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स, रेलवे तथा पत्तन जैसी सेवाओं में हड़तालें बढ़ती जा रही हैं । इसके क्या कारण हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फीडरेशन से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि मजूरी बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जो लगभग चार वर्ष का समय लिया गया है वह बहुत लम्बा है ? तब मैं जानना चाहूँगा कि 4 अगस्त को होने वाली मजूरी बोर्ड की बैठक को रद्द करने का क्या कारण है । क्या सरकार पर इसकी जिम्मेवारी है ।

डा० बी० के० आर० बी० राव : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं स्वयं भी मजूरी बोर्ड द्वारा लिये गये इतने लम्बे समय को पसन्द नहीं करता । मेरे विचार से ऐसे कई मामले हैं जहां मजूरी बोर्ड ने काफी लम्बी अवधियाँ ले ली । मैं तीन मामलों के बारे में बता

सकता हूं। चाय, रबर तथा कोयला खानों के बारे में उन्होंने चार वर्ष से भी अधिक ले लिये। लोह अयस्क तथा चूना पत्थर वाले मामले में भी उन्होंने लगभग चार वर्ष ले लिये।

श्री रंगा : क्या आप इसे उचित सिद्ध कर रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी नहीं।

श्री रंगा : तो फिर ऐसी अभद्र बातें क्यों बताते हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझसे एक प्रश्न पूछा गया तथा मैं उसका उत्तर दे रहा था।

दूसरे प्रश्न के बारे में क्या 4 अगस्त की बैठक सरकार के कहने से रद्द कर दी गई थी, सो मुझे कुछ नहीं मालूम की वह बैठक क्यों रद्द की गई थी। यह मन्त्रालय द्वारा दिये गये किसी निर्देश के आधार पर नहीं हुआ।

श्री न० कु० सांघी : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या उन्होंने पत्तन के कर्मचारियों को मजूरी तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि करने सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों का हिसाब-किताब किया है तथा क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह मजूरी बोर्ड द्वारा दिये गये मजूरी और महंगाई भत्ते में वृद्धि सम्बन्धी निर्णय को लागू करने जा रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहला प्रश्न काल्पनिक है मैं तो यही कह सकता हूं कि विचारणीय विषयावली में थोड़ा बहुत प्रबन्धकों के सामर्थ्य का विचार रखना होता है। जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है कि क्या हम मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करेंगे, जो हमें मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन श्रमिकों की चिरकालीन मांगों के बारे में, इन वर्षों में क्या कोई अन्तरिम सहायता दी गई थी, जिन मांगों के लिये यह मजूरी बोर्ड या तो सोता रहा अथवा काम करता रहा या विचार करता रहा--केवल ईश्वर ही जानता है वह क्या कर रहा है ? क्या श्रमिकों के गुस्से को दूर करने के उद्देश्य से कोई सहायता दी गई है। कोई भी यह सोच सकता था कि वह दबाव डालने का प्रयत्न कर रही थी परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यहां सरकार की गलती है जो चार वर्षों से मजूरी बोर्ड को चला रही है तथा मन्त्री महोदय अपनी ऊंची आवाज में यहां आ कर कहते हैं कि यह ही अपराधी नहीं है बल्कि और भी व्यक्ति अपराधी हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मैंने इस सभा में अपने वरिष्ट सहयोगी का गुस्सा क्यों मोल लिया । मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मजूरी बोर्ड ने दो बार अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की थी। एक 1 फरवरी, 1965 में तथा दूसरी एक-अगस्त 1966 से। दो बार अन्तरिम सहायता बन्दरगाह कर्मचारियों को देने की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा 1965 में औद्योगिक कर्मचारियों को कम से कम

4 प्रतिशत बोनस देने के पश्चात सरकार ने 1966 में बन्दरगाह कर्मचारियों को उतना भुगतान करने की मंजूरी दी हलांकि वे बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते थे। अतः 4 प्रतिशत का भुगतान प्रसादतः भुगतान था। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति बड़ी बन्दरगाह न्यासों के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने की भी मंजूरी दी गई थी। गत तीन वर्षों में पांच अथवा छः बार सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई भत्ते की दरें बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों को भी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मेरे सहयोगी के तत्वावधान में अखिल भारतीय बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों मन्त्री महोदय और मेरे बीच अगस्त, 1967 में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप सरकार बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों को ये मुख्य रियायतें देने के लिये सहमत हो गई थी अर्थात तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि गिनने के लिये महंगाई भत्ते, नगर भत्ते अन्तरिम सहायता तथा फुटकर आय, जहां कहीं वह हो, को "वेतन" की परिभाषा में शामिल करना तथा प्रसादतः भुगतान।

श्री काशीनाथ पांडेय : मेरे अनुभव को दृष्टि में रखते हुए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनके कारण मजूरी बोर्डों को अपना काम धीरे करना पड़ता है, उदाहरणार्थ चीनी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड का काम धीमा पड़ गया क्योंकि उस उद्योग की स्थिति बहुत खराब थी उसी तरह से इस मजूरी बोर्ड को भी बहुत अधिक समय लग जाना था परन्तु सभी मामलों में सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। चूंकि आपका प्रतिनिधि भी यहां पर ही है, इसलिये क्या इस बात का स्पष्ट उत्तर देना आपके लिये सम्भव नहीं है कि क्या आप मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मजूरी बोर्ड ने अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की है।

श्री काशीनाथ पांडे : उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है कि उन्होंने अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वह आपको कैसे आश्वासन दे सकते हैं। बच्चा पैदा होने पर ही उसका नाम रखा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जबकि मजूरी बोर्ड को श्रम मन्त्रालय ने नियुक्त किया था और जबकि यह अपना काम कर रहा है परिवहन मन्त्रालय ने मुख्य बन्दरगाहों की कार्य-प्रणाली की जांच करने के उद्देश्य से इसके साथ-साथ एक और समिति बना दी है जिसके प्रधान श्री वैंकटारमन हैं। वेंकटारमन समिति का एक निर्देश–पद कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के उद्देश्य से बन्दरगाहों की वित्तीय क्षमता का पता लगाना है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि अधिक वेतन देने के उद्देश्य से वित्तीय क्षमता के बारे में वैंकटारमन समिति को निर्देश–पद के कारण इस मजूरी बोर्ड के काम को ठेस पहुंच रही है तथा मजूरी बोर्ड के नियोजकों के प्रतिनिधि वैंकटाराव समिति का निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे वित्तीय क्षमता का पता लगायेंगे तथा इसलिये वे कुछ नहीं कर सकते। उसके लिये उनका क्या करने का विचार हैं ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है सभा को यह पता होगा कि गत वर्ष जब पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने समूचे भारत में हड़ताल करने की धमकी दी थी तो उन्होंने एक यह भी मांग की थी कि जो 4 प्रतिशत प्रसादत: अनुदान दिया जाता था उसे बढ़ा कर 20 प्रतिशत किया जाना चाहिये। उसे स्वीकार करना मेरे लिये सम्भव नहीं था। क्योंकि मुझे डर था कि बन्दरगाहें 20 प्रतिशत प्रसादत: भुगतान करने की स्थति में नहीं होगी। संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि उनकी राय में बन्दरगाहों की भुगतान करने की क्षमता है। इसलिये मैंने उन्हें सुझाव दिया कि इस मामले पर तब तक निर्णय न किया जाये जब तक कि आयोग द्वारा उस पर निर्णय नहीं कर लिया जाता, जिसे इस मामले को सौंपने का प्रस्ताव था। पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ इसके लिये सहमत हो गयी यही कारण है कि इसे वैंकटारमन सिमिति के निर्देश पद में शामिल किया गया है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी तो यह है कि मैं ऐसा नहीं समझता कि मजूरी बोर्ड के पत्तन न्यास प्रतिनिधि वैंकटा समिति के प्रतिवेदन की ओर तथा यह प्रश्न टालने के लिये उनके निर्देश पद की ओर, इशारा कर रहे हैं कि उनकी राय में उनकी भुगतान करने कि क्षमता कितनी है ?

श्री नाथ पाई : प्रो० रंगा के उन तरीकों का समर्थन करते हुए जिसके अनुसार कि सरकार देश भक्त तथा अनुशासन में काम करने वाले मजदूर संघ कर्मचारियों के विकास के बारे में काम करती है, इससे मेरा तात्पर्य भारत के भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ से है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा था कि शिफारिशें आने पर उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करने से पहले वह संघ के विचारों पर विचार करेंगे तथा उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पतन तथा गोदी कर्मचारी देरी तथा अन्य कठिनाइयों के बारे में बहुत चिन्तित हो रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह ऐसे नेताओं को बुलाने का प्रयास क्यों नहीं करते जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आश्वासन देते हैं, जिसे उत्तर के अन्त में दिया गया हैं, कि सरकार सिफारिशों को क्रियाविन्त करने से पहले उनके दृष्टिकोण पर विचार करेगी तथा देश की सभी बन्दरगाहों में उत्पन्न खतरनाक स्थति को रोकेगी।

डा० बी०के० आर बी० राव : मैं इस विषय में जानना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरी ओर बठे हुए मेरे वरिष्ठ सहयोगी समाचारों में दिये गये भाषणों को पढ़े जो पत्तन तथा गोदी कर्मचारीयों के सुव्यवस्थित संगठन के नेताओं द्वारा गत दो महीनों से तैयार किये गये हैं। तथाजिनमें वह भाषण भी सामिल हैं जो उनके अधिवेशन के समय कलकत्ता में दिया गया था। परन्तु भाषण की टिप्पणी करने की मेरी इच्छा नहीं है।

श्री नाथ पाई : ये भाषण तो दीक्षान्त भाषणों के समान हैं।

श्री बी० के० आर० बी० राव : मैंने बहुत से दीक्षान्त भाषण दिए हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वे आपके भाषणों को बड़ी अच्छी तरह से समझते रहे हैं

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने जो आश्वासन दिया है वह सरकार का सामान्य काम है । चाहे आश्वासन न भी दिया हो तब भी जैसे ही मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन आता है यदि विभिन्न दलों द्वारा मजूरी बोर्ड को व्यक्त की गई राय भिन्न हो, तो न केवल कर्मचारियों को परन्तु किसी भी अन्य व्यक्ति को मजूरी बोर्ड की राय से, तथा इस सम्बन्ध में हमें भी वाणिज्य और खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय जैसे उपभोक्ता मन्त्रालय के विचार भी लेने पड़ते हैं, तथा सभी सिफारिशों को स्वीकार करने से पहले सभी प्रकार के विचारों पर विचार किया जाएगा ।

डा० मैत्रेयी बसु : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि जब वेंकटारमन आयोग स्थापित किया गया था, तो उस समय उसमें केवल एक ही मजदूर नेता था तथा उन्होंने जान-बुझ और नेता नहीं लेने चाहे । मजूरी बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं यहां यह नहीं बता सकती कि क्या वेंकटारमन आयोग का उल्लेख नियोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा मजूरी बोर्ड में किया गया है अथवा नहीं । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि मन्त्रालय में किसी व्यक्ति ने इन मजदूर संघो को जिन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया है, प्रलोभन दिया है कि श्रमिकों को कुछ भी नहीं मिलेगा परन्तु हड़ताल इसलिए होनी चाहिये जिससे उनका महत्व अधिक बढ़ जाये ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : क्या यह सुझाव दिया जा रहा है कि मन्त्रालय में कोई व्यक्ति उन्हें हड़ताल करने के लिये उत्तेजित कर रही है ।

डा० मैत्रेयी बसु : मैंने यही प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्रालय से किसी व्यक्ति ने उत्तेजित किया है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Shiv Chandika Prasad : May I Know from the hon. Minister wher the interim relief which has been given is less or more than recomended by the wage Board

डा० वी० के० आर० वी राव : 1 फरवरी, 1965 से 7.80 रुपये प्रति मास तथा 1 अगस्त, 1966 से 4 रुपये प्रति मास अर्थात् कुल मिलाकर 11.80 रुपये अन्तरिम साहयता देने की सिफारिश दी गई थी तथा यह सारी साहयता दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न यह था कि जिस अन्तरिम साहयता की सिफारिश की गई थी वह अधिक थी अथवा कम ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मजूरी बोर्ड जितनी अन्तरिम साहयता देने की सिफारिश करता है वह सारी दी जाती है ।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम : मन्त्री महोदय ने यह कह कर बहुत अच्छा काम किया कि वह मजूरी बोर्ड कि सिफारिशों पर निर्णय करने से पहले प्रभावित दलों को विश्वास में लेंगे यह गोदी कर्मचारियों के बारे में कहा गया है । क्या यह बात हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखपटनम् के श्रमिकों तथा कर्मचारियों पर भी लागू होती है ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : विभिन्न सामाचारों से पता चलता है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं होगी परन्तु वे बहुमत होगी । चूंकि सरकार ने मजूरी बोर्डों की सिफारिशों में संशोधन करना आरम्भ कर दिया है, जैसा कि उन्होंने बिजली बोर्ड कर्मचारियों के मामले में किया है जिसके लिये श्रम मन्त्री को इस्तीफा देने के लिये कहा गया था । मैं नहीं जानता कि वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अथवा नहीं । इसलिये बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों के मन में ऐसी आशंका है कि यदि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्व सम्मत हुई तो सरकार उनमें संशोधन कर सकती है तथा यदि प्रतिवेदन बहुमत द्वारा दिया गया तो हो सकता है कि उसे कार्यन्वित न किया जाये । अतः मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि मजूरी बोर्ड के सदस्यों में सर्व सम्मति न होने पर क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि प्रतिवेदन को कार्य रूप दिया जायेगा अर्थात बहुमत प्रतिवेदन कार्यान्वित किया जायेगा ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : यह काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री नाथपाई : यह काल्पनिक प्रश्न नहीं है । इसमें कल्पना की क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उसका उत्तर दे सकें तो अच्छा है ।

श्री नाथपाई : उन्हें प्रतिवेदन मिलने वाला है । अतः यह सुझाव देना काल्पनिक है कि प्रतिवेदन एक दिन मिल जायेगा । तथा जब वह मिल जायेगा तो वह अधिकारी सिफारिशों का क्या करेंगे, हम यह जानना चाहते हैं ? अतः यह प्रश्न काल्पनिक नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह था कि बहुमत प्रतिवेदन मिलने पर क्या उसे कार्यान्वित किया जायेगा ? उन्हें इस बात का उत्तर देना चाहिये । हमें यह आश्वासन दिया जाये कि उसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

डा० बी० के० आर० बी० राव : प्रश्न यह है कि क्या बहुमत प्रतिवेदन होने पर मैं उसे स्वीकार करूंगा भी अथवा नहीं । जब तक मुझे यह पता नहीं लग जाता कि क्या यह बहुमत प्रतिवेदन है अथवा नहीं तब तक कोई निर्णय करना मेरे लिये बहुत कठिन है । अतः क्या यह अकाल्पनिक प्रश्न नहीं है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या मन्त्री महोदय इस बात की सूचना देंगे कि सरकार ने मजूरी ढांचा बनाने के बारे में मजूरी बोर्ड को कौन कौन सी मार्गदर्शी बातें बताई हैं तथा क्या यह आवश्यकता पर आधारित होगा अथवा क्या इसे मूल्य स्तर से सम्बन्धित किया जायेगा तथा न्यूनतम मजूरी क्या दी जायेगी इत्यादि ?

डा० बी०के०आर०बी० राव : मैं समझता हूं कि यह "निर्देश-पद" के अन्तर्गत आता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख सकते हैं ।

डा० बी० के० आर० बी० राव : जी, हां ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नई दिल्ली नगर पालिका

*391. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री चेंगलराय नायडू :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम ने सर्वसम्मति से केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि नई दिल्ली नगर पालिका को निर्वाचित निकाय बनाया जाये और क्या दिल्ली के उप राज्यपाल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो महानगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वसम्मत राय की अवहेलना की जाने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महानगर परिषद् ने ऐसा एक संकल्प पारित किया था और राज्यपाल द्वारा उसका समर्थन किया गया था। सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे संकल्प के पारित किये जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका के संबंध में चुनाव की प्रणाली लागू करना उचित नहीं समझा गया था। क्योंकि नई दिल्ली में अधिकांश सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार की है और बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो किसी तरीके से एक निर्वाचित स्थानीय निकाय के सदस्य के रूप में नहीं चुने जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बिना इमारतों के प्राथमिक स्कूल

*398. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) कितने स्कूलों की अपनी कोई इमारत नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन तक, भत्ते नहीं मिलते है और यदि हां, तो किन-किन जिलों में जिला बोर्डों द्वारा इनका भुगतान नहीं किया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनेक जिला बोर्डों के विरुद्ध घूसखोरी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताएं, रिश्वतखोरी और गबन के आरोप लगाये थे और उत्तर प्रदेश में ऐसे जिला बोर्डों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे जिला बोर्डों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता

***399. श्री सरजू पाण्डेय :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में पिछले तीन वर्षों में अराजकता की भावना बढ़ी है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1967 में जिन विद्यार्थियों को कुछ घटनाओं में सक्रिय भाग लेने के कारण निकाल दिया गया था, उन्हें वर्तमान उपकुलपति द्वारा इस वर्ष पुनः दाखिल कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि परीक्षा हालों में बड़े पैमाने पर नकल चलती है और नकल करने वाले विद्यार्थी परीक्षकों को धमकी भी देते हैं ; और

(घ) विश्वविद्यालय की स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमान से चाय ले जाने में रियायतें

***400. श्री चक्रपाणि :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान द्वारा चाय ले जाने की विशेष रियायती भाड़ा दरें हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस रियायत का कारण और ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन रियायतों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि की रियायत दी गई ;

(घ) क्या सरकार इस रियायत को समाप्त करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की चाय के लिए कोई विशेष रियायती दरें नहीं हैं। लेकिन अन्य वस्तुओं के साथ

साथ चाय भी अधिक परिमाण में विमान द्वारा ले जाये जाने के लिए प्रस्तुत किये जाने पर उन मार्गों पर परिवहन की जाती है जहां कि माल ले जाने की क्षमता अधिक परिमाण की दरों पर उपलब्ध है जो कि सामान्य माल भाड़े की दर से सामान्यतया 40% से 50% तक कम हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक मद मे हुई माल भाड़े की आय का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां

*401. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, तथा उनके सदस्यों के नाम क्या है ; और उनमें से प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी है ;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन एक ही बार के लिए होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता है और एक बार नाम निर्देशन की अवधि कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित तथा व्यय की गई विदेशी मुद्रा

*402. **श्री नम्बियार :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स ने कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की और कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूँ।

विवरण

	1963–1964	1964–1965	1965–1966	1966–1967	1967–1968 (प्राक्कलित)
	(लाख रुपयों में)				
(क) इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा खर्च की गयी विदेशी मुद्रा।	125	212	240	390	567
(ख) इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा उपार्जित की गयी विदेशी मुद्रा।	300	400	373	430	673
शुद्ध उपार्जन :	175	188	133	40	106

कलकत्ता में डकैती

***403. श्री समर गुह।**
श्री श० ना० माइती :
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्क स्ट्रीट डाकघर से, जहां हाल ही में डकैती हुई थी, निकटतम पुलिस स्टेशन ने उस डाकघर से लिखित शिकायत देने का आग्रह किया था और इस कारण ऐसे घोर अपराध के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ ;

(ख) क्या सम्बन्धित अधिकारियों को विधि-रासायनिक परीक्षण के लिये अपेक्षित सामग्री बहुत विलम्ब से दी गई थी ;

(ग) क्या कलकत्ता की सड़कों पर सामान्यतः गश्त लगाने वाली पुलिस की सभी गाड़ियां उस दिन प्रयोग में नहीं लायी जा सकी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन त्रुटियों के कारण डाकुओं के पकड़ने की कार्यवाही में कितनी बाधा पड़ी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पुलिस को जब फोन पर डकैती के बारे में सूचना मिली तो वे उसी समय मौके के लिये चल दी थी।

(ख) कानूनी जांच के लिए एकत्र की गई सामग्री को आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात अविलम्ब प्रयोग में भेज दिया गया था।

(ग) नगर में गश्त कर रही पुलिस की सभी वायरलैस गाड़ियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सतर्क कर दिया गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जहाज बनाने वाले विदेशी कारखानों से जहाजों की खरीद

404. श्री एस० आर० दामानी : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने तटीय नौवहन बेड़े की संवृद्धि के लिए जहाज बनाने वाले विदेशी कारखानों से 70 करोड़ रुपये के मूल्य के जहाज खरीदने का प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या प्रस्ताव के विरुद्ध देश के जहाज निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज बनाने का एक विशाल कारखाना बनाये जा सकने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों से खरीदे जाने वाले जहाजों में कम से कम कुछ जहाज देश में बनाने के उद्देश्य से देश में उपलब्ध क्षमता का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) संभवतः माननीय सदस्य अभी हाल ही में नेशनल शिपिंग बोर्ड के अध्ययन दल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का संकेत कर रहे हैं जिससे तटीय नौवहन उद्योग की समस्याओं की परीक्षा की थी और लगभग 70 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर प्रत्येक 14000 डी डब्लू टी के 23 पोतों की प्राप्ति का कार्यक्रम सूचित किया था जो 12 वर्ष की अवधि तक विस्तृत होगा। नेशनल शिपिंग बोर्ड ने अभी तक रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है नेशनल शिपिंग बोर्ड की टिप्पणी प्राप्त हो जाने के बाद ही प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न उठेगा ।

(ख) और (ग) : यद्यपि स्थानीय भवन निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन नहीं मिले हैं किन्तु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० चतुर्थ योजना काल में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव बना रही है । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र के अन्य यार्डों की मौजूदा और संभाव्य क्षमता का भी निर्धारण किया जा रहा है । इसके हो जाने के बाद और चौथी योजना में प्रस्ताव शामिल हो जाने पर, यह कहना संभव हो सकेगा कि भारत के लिये कितने पोत बनाना संभव होगा ।

एयर इंडिया के लिये जम्बो जेट विमान

***405. डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो 'जम्बो जैट" विमानों के अतिरिक्त एयर इंडिया द्वारा दो और 'सुपरसानिक' विमान खरीदने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि एयर इंडिया ने सुपरसानिक विमानों के लिए अभी निश्चित आदेश नहीं दिये हैं, परन्तु उन्होंने दो यू० एस० एस एस टी और दो कानकार्ड विमानों के वितरण के लिए आरक्षण (डिलीवरी पोजीशन) प्राप्त किये हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में हिप्पी लोग

*406. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में हिप्पी लोग विदेशी मुद्रा का अवैद्य व्यापार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 'हिप्पी' शब्द का अर्थ-बोधन ज्ञात नहीं है । यदि उसका अर्थ-बोध आवारा विदेशी राष्ट्रिकों से लिया जाता है जो पोशाक आदि के सामान्य रूप से मान्य स्तरों के अनुकूल नहीं रहते, यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा में अवैध लेन-देन करते पाये गये हैं ।

(ख) सरकार के प्रवर्तन-अभिकरण सतर्कता बरत रहें है और जब कभी विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन उनके ध्यान में आता है तो विधि के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है ।

कच्छ आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां

*407. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ पंचाट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) क्या सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) कच्छ पंचाट के सरकार द्वारा अंगीकार किये जाने के विरुद्ध आन्दोलन के सम्बन्ध में विधि अधीन प्राख्यापित निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिये गुजरात में 1946 व्यक्ति तथा दिल्ली में 896 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से एक शिकायत की गई थी कि पुलिस ने एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक दण्डाधिकारीय जांच का आदेश दिया गया था तथा वह शिकायत सत्य नहीं पाई गई।

8 मई, 1968 को भुज में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के आरोपों पर गुजरात सरकार द्वारा एक प्रशासनिक जांच का आदेश दिया गया है और यह प्रगति पर है।

Intermediate Classes in U. P.

*408. **Shri Sharda Nand : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Bal Raj Madhok :**

Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of compulsory subjects in Inter Classes has been increased in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that this has caused more difficulty for students and great resentment among them and the public ;

(c) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(d) whether it is also a fact that many students would have to study English as a compulsory subject consequent to this increase ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The number of subjects, which was reduced from five to four last year, has now been restored.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) English has been prescribed as an optional subject among others and it is open to students to study it or not.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

409. **श्री रवि राय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम की दशा में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए पिछले अगस्त, में श्री एम० पी० पाई की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार को उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) तदर्थ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**

1662/68] । सिफारिशों की परीक्षा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के निदेशक मंडल ने कर ली है और अब उनकी परीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है । परीक्षा पूरी हो जाने के बाद सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गृह-कार्य मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समितियां

***410 श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, तथा उनके सदस्यों के नाम क्या है और उनमें से प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सदस्यों का नाम-निर्देशन एक ही बार के लिए होता है और यदि नहीं, तो किसी सदस्य को कितनी बार पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता है और एक बार नाम-निर्देशन की अवधि कितनी है ; और

(घ) वर्ष 1967–68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1663/68]**

कलकत्ता बस सेवा

411. श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में छः राजकीय बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने तथा 120 गैर-सरकारी उपनगरीय बसों को डलहौजी एस्कवेयर तक चलाने की अनुमति देने का निर्णय हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने इस निर्णय के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

Hotels by Air-India

*412. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Air-India propose to set-up Hotels at various places ;

(b) if so, the names of places where these Hotels are likely to be set up ; and

(c) the time by which this scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a), (b) & (c) : Air-India have under consideration proposals to set-up two Hotels, one Four Star Hotel at Juhu Beach as a joint venture with India Tourism Development Corporation, and the other a Transit Hotel near Santa Cruz Airport to be exclusively owned by Air-India. The proposals have not yet been finalised.

प्रशासनिक सुधार आयोग

*413. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार अपने काम को निर्धारित समय के अनुसार सितम्बर, 1968 तक अन्तिम रूप देने का है ;

(ख) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितना काम अधूरा रह जायेगा तथा आयोग को अपना काम समाप्त करने के लिए और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) जैसा गत सत्र में 8–3–68 को तारांकित प्रश्न संख्या 531 के उत्तर में कहा था कि प्रशासनिक सुधार आयोग को सितम्बर के लगभग अपना काम समाप्त करने की आशा थी। आयोग ने अब सूचित किया है कि उसके काम की समाप्ति के लिए कोई तारीख बताना सम्भव नहीं है और जो कुछ कहा जा सकता है वह केवल यह हैं कि वह यथाशीघ्र ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। आयोग को अपने कार्यों की शर्तों में उल्लिखित 10 विशिष्ठ क्षेत्रों में से प्रशासन के 6 निम्नलिखित क्षेत्रों में अभी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है :—

(1) भारत सरकार और उसकी कार्य प्रणाली की व्यवस्था ;

(2) केन्द्र राज्य सम्बन्ध ;

(3) कर्मचारी प्रशासन ;

(4) राज्य स्तर पर प्रशासन ;

(5) जिला प्रशासन और

(6) कृषि प्रशासन।

Development of Tourism in Bihar During Forth Plan

*414. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have prepared a scheme for the development of tourism in Bihar during the Fourth Five Year Plan period :

(b) if so, the outlines thereof ;

(c) whether some scheme has also been prepared for the development of Rajgri, Bodh Gaya and Nalanda ; and

(d) if so, the outlines thereof and the amount proposed to be spent by Government for their development ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a), (b), (c) and (d) Since the Fourth Five Year Plan is still under prepration, no tourist schemes have yet been finalised. Subject to resources being available, however, Government propose to provide amenities at Centres of Buddhist importance in Bihar like Nalanda and Bodh Gaya, construct a Youth Hostel at Ranchi and provide additional accommodation at Wild Life Sanctuaries in Hazaribagh and Palamau Districts.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 पर पुल

415. **श्री मधु लिमये :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कौसी नदी के (नेपाल से) बिहार में प्रवेश करने के स्थान से नवगछिया रोड़ पुल तक इस नदी पर कोई अन्य पुल नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा तथा विकास की दृष्टि से सुपौल निर्मली अथवा किसी अन्य स्थान में एक सड़क का पुल बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला ; और

(घ) सड़क के पुल की परियोजना के कार्य को कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) पार्श्व सड़क परियोजना में मुजफ्फरपुर और फारबेसगंज के बीच सीधे संरेखण पर कौसी नदी के दूसरे सड़क पुल के निर्माण का विचार है। पार्श्व सड़क स्कीम की प्रथम प्रावस्था 1963 में शुरु की गई थी और उसमें मुजफ्फर नगर दरभंगा और फारबेस-गंज तथा मरीचा/डागमारा के अनुभाग शामिल थे। दरभंगा और मरीचा/डागमारा के बीच लिंक सड़क का निर्माण तथा पुल कौसी का निर्माण दूसरी प्रावस्था के निर्माण कार्य के भाग के रूप में अनुसूचित था। अब प्रतिरक्षा की दृष्टि से इस पुल की कोई प्राथमिकता नहीं है। तथापि इस पुल का निर्माण विकास के दृष्टिकोण से वांछनीय हो सकता है किन्तु मौजूदा वित्तीय कठिनाइयों के कारण दूसरी प्रावस्था के निर्माण कार्य को जिसमें इस पुल का निर्माण शामिल है, हाथ में लेना संभव नहीं है।

दिल्ली के स्कूलों में अन्तिम परीक्षा

*416. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1968 से दिल्ली के स्कूलों में योग्यता आंकने की एक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है जिससे अन्तिम परीक्षायें नहीं हुआ करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को लागू करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ; जी हां,

(ख) और (ग) : योजना के ब्यौरे तथा इसे लागू करने के कारण "1968-69 के दौरान विद्यार्थियों की योग्यता आंकने की योजना" नामक कागज में उल्लिखित हैं, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1664/68]**

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में सीमाओं पर कोटिया ग्राम समूह

*417. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच उनकी साझी सीमा पर स्थित कोटिया ग्राम समूह सम्बन्धी विवाद के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कब तक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। कौनसा राज्य इस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है ; इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है।

(ख) परीक्षा के लिए मुख्य बात यह है कि क्या ये ग्राम भारत सरकार (उड़ीसा का गठन) आदेश 1936 में परिभाषित सीमा के अनुसार उड़ीसा के भाग बनते हैं। अतः विधान बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

Calcutta University Decision not to Admit Hindi-Speaking Students

*418. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Calcutta University has decided not to admit the students of Hindi-speaking States in any of its Colleges;

(b) if so, whether this decision is not against the policy of Government;

(c) whether provincialism and fissiparous tendencies will not be encouraged by the decision taken by the University; and

(d) if so, the steps taken by Government to prevent them ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) No, Sir. The University has not taken any such decision.

(b) to (d) Do not arise.

बम्बई पत्तन

419. **श्री अदिचन : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार संस्था ने बम्बई पत्तन से पोतों की वापसी की धीमी गति की समस्या का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उप-पत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1665/68]**

(ग) बम्बई पत्तन ट्रस्ट के परामर्श में प्रतिवेदन विचाराधीन है।

एयर इण्डिया के अधिकारियों के विदेशों में रहने की अवधि

***420. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के यातायात, भण्डार, सामान्य तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के विदेशों में एक स्थान पर कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) लन्दन तथा अन्य स्थानों पर लगातार तीन वर्षों से अधिक रहने वाले अधिकारियों के पदनाम क्या हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पिछले 6 वर्ष से अधिक समय से देश से बाहर हैं; और

(घ) विदेशों में उनके इतनी लम्बी अवधि तक ठहरने के बाद उन्हें वापिस न लाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) क्योंकि एयर इण्डिया एक स्वायत्त निकाय है, अतः उसके अफसरों को तैनात अथवा स्थानान्तरित करना पूर्णतया कारपोरेशन के ही अधिकार-क्षेत्र में है। भारत में भर्ती किये गये अफसरों को किसी विदेशी स्टेशन पर सामान्यतया भारत के पश्चिम में चार वर्ष की अवधि के लिये तथा पूर्व में तीन वर्ष की अवधि के लिये तैनात किया जाता है।

(ख) उन भारत में भर्ती हुए अफसरों के पदनाम जो एक ही विदेशी स्टेशन में लगातार तीन वर्ष से अधिक काल तक ठहरे हैं नीचे दिये गये हैं :—

वाणिज्यिक :

रीजनल डायरेक्टर — यू० के०

रीजनल मैनेजर — यू० एस० ए० और कनाडा

रीजनल मैनेजर — आस्ट्रेलिया

मैनेजर – सिंगापुर और मलेशिया, हांगकांग, जापान और मास्को ।

असिस्टेंट मैनेजर, न्यूयार्क, सिडनी, प्राग, बाहरीन तथा फिजी ।

एयरपोर्ट मैनेजर, न्यूयार्क तथा अदन

कार्गो सेल्ज मैनेजर, न्यूयार्क

एरिया सेल्ज मैनेजर, लागोस

पैसेन्जर सर्विस मैनेजर, न्यूयार्क

सुपरिटैंडेन्ट, केटरिंग/केबिन सर्विस, लन्दन

डिस्ट्रिक्ट सेल्ज मैनेजर, बेलग्राड, कुआला लुम्पुर, होनोलुलू, वानकोवर तथा काठमाण्डू

असिस्टेंट रिजर्वेशन मैनेजर, न्यूयार्क तथा लन्दन
डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन मैनेजर, बैंकाक

पैसेन्जर सेल्ज सुपरवाईजर, न्यूयार्क (2)

सेल्ज सुपरिटेन्डेन्ट, न्यूयार्क

लेखा :

अकाउन्ट्स मैनेजर, न्यूयार्क

स्टेशन अकाउन्टैण्ट्स, फ्रैंकफर्ट, रोम, बैंकाक तथा काहिरा ।

परिचालन :

डिपुटी ओपरेशन्ज मैनेजर, लन्दन

सीनियर फ्लाइट ओपरेशन्ज आफिसर्ज – 12 } विभिन्न
फ्लाइट ओपरेशन्ज आफिसर्ज – 12 } स्टेशन

(ग) 39.

(घ) परिचालन सम्बन्धी, वाणिज्यिक अथवा प्रशासनिक कारणों से कारपोरेशन के लिये उन्हें वापिस भारत लाना सम्भव नहीं हुआ है ।

ईसाई संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली राशि

3206. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 से 1967 के दौरान विदेशों से धन प्राप्त करने वाली भारत स्थित विभिन्न ईसाई शैक्षणिक, मिशनरी, धार्मिक धमार्थ या सांस्कृतिक संस्थाओं के नाम और पते क्या हैं और इन्होंने किस-किस को तिथि धन प्राप्त किया;

(ख) प्रत्येक को कितनी धन राशि प्राप्त हुई और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के रिकार्ड के अनुसार धन देने वाले दाताओं के नाम और पते क्या हैं;

(ग) दाता अथवा दान प्राप्त करने वाले ने प्रत्येक बार क्या उद्देश्य बताया है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात के लिये कुछ उपाय किये हैं कि धन उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है या नहीं जिसके लिये उसकी घोषणा की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम से प्रोटीन का उत्पादन

3207. **श्री य० म० प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम से बड़ी मात्रा में प्रोटीन तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितना उत्पादन हो रहा है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि यदि संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाये तो भारत में पेट्रोलियम से कुल कितनी मात्रा में प्रोटीन तैयार किया जा सकता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम द्वारा देहरादून में स्थापित पायलट प्लाट में गैस तेल से एक सौ किलोग्राम प्रोटीन का स्वीकार्य परीक्षण करने हेतु उत्पादन किया गया है ।

जोरहट स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला में भी पोष्टिक परीक्षणों हेतु सेमी पायलट प्लाट में पेट्रोलियम हाइड्रोमार्क्स से प्रोटीन का उत्पादन किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

स्कूल और इन्टरमीडिएट स्तर पर परमाणु विज्ञान तथा टेक्नालोजी का पढ़ाया जाना

3208. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल और इन्टरमीडिएट स्तर पर परमाणु विज्ञान और टेक्नालाजी को लोकप्रिय बनाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि परमाणु विज्ञान के बारे में इस समय किया जाने वाला अध्ययन विद्यार्थियों में परमाणु विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने में अपर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो पाठ्यक्रमों का व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार की वर्तमान नीति सभी स्तरों पर विज्ञान के पढ़ाने में सुधार करना है, जिसमें परमाणु विज्ञान भी शामिल है ।

(ख) और (ग) यह सच है कि अधिकतर भौतिकी तथा रसायन के मौजूदा स्कूल पाठ्यक्रमों में परमाणु विज्ञान बहुत कम शामिल है। फिर भी कुछ विषयों जैसे परमाणु-रचना, प्राकृतिक रेडिओ-गतिविधि, आइसोटोप्स तथा एक्सरे हैं, जो कुछ राज्यों में उच्चतर माध्यमिक या इन्टरमीडिएट स्तर पर पढ़ाए जाते हैं।

Transfer of Staff Consequent to Reorganisation of Punjab

3209. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Government employees, Department-wise, who were transferred to Himachal Pradesh at the time of re-organisation of Punjab;

(b) the number of employees out of them who had expressed a desire to go back to their respective States and the number of those who wanted to remain in Himachal Pradesh; and

(c) the outcome of their requests to this effect and the time by which those who want to go back to their respective States would be sent back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is attached. **[Placed in the Library. See. No. L.T. 1666–68]**

(b) 5843 represented for change in their allocation, on various grounds including domicile, and the rest did not seek any change.

(c) Final allocation has yet to be done in respect of a number of departments. This is being expedited, The position will be clear after the work is completed.

Baij Nath Temple

3210. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that historical monuments like palaces and fort of Sujanpur Tira and Baij Nath Temple in Kangra District of Himachal Pradesh are in a deplorable condition and the Archaeological Department is not taking any care of them;

(b) whether Central Government had formulated any scheme to repair and renovate the Baij Nath Temple; and

(c) if so, when it would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राज्यों में भाषाओं के अध्ययन का कुल समय

3211. **श्री लोबो प्रभु :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूलों में प्रति सप्ताह के कुल समय में से भाषाओं के अध्ययन के लिये कुल कितना समय दिया जाता है;

(ख) इसकी तुलना में ब्रिटेन, अमरीका तथा फ्रांस में कितना-कितना समय दिया जाता है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनमें बच्चों को दो अथवा अधिक लिपियों का अध्ययन करना होता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में 1960–62 के दौरान माध्यमिक स्कूलों से 10 प्रतिशत याहच्छित स्तरित नमूने के आधार पर ली गई अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

शिव सेना

3212. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 मई, 1968 को नई दिल्ली में दिये गये श्री वि० के० कृष्ण मेनन के इस वक्तव्य की ओर गया है कि शिव सेना को कुछ भारतीय उद्योगपतियों तथा विदेशी साधनों में धन प्राप्त होता है और यह महाराष्ट्र सरकार की सहायता के बिना फल-फूल नहीं सकती थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिव सेना की गतिविधियों की पूरी तरह जांच करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने श्री वि० के० कृष्ण मेनन द्वारा 28 मई, 1968 को दिये गये वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) शिव सेना की गतिविधियां प्रतिक्रियावादी तथा हानिकारक हैं । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाए हुए है जिन्होंने बताया है कि पुलिस अत्यन्त सतर्कता बरत रही है और प्रत्येक घटना में, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्ट्यावाद हो, कार्यवाही की गई है ।

Bridge on Narmada River in District Hoshangabad

3213. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of a bridge on Narmada river near Handia in Distt. Hoshangabad (Madhya Pradesh) which would connect Maharashtra with Madhya Pradesh;

(b) the estimated cost thereof;

(c) when the bridge is likely to be completed; and

(d) when this bridge would be opened to traffic ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d) The proposed bridge over the river Narmada near Handia in the District of Hoshangabad (Madhya Pradesh) when constructed, will fall on a State road. The Government of Madhya Pradesh are, therefore, primarily concerned with all matters pertaining to this project.

Officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in I.C.S., I.A.S.. and I.P.S. of M.P.

3214. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh who are I.C S., I.A.S. and I.P.S. Officers and the dates on which each one of them entered service; and

(b) the present designation of each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A statement is enclosed. [**Placed in the Library. See. No. L. T. 1668/68**].

Roads in Madhya Pradesh

3215. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted a scheme to the Central Government for the development of roads in Madhya Pradesh during the year 1968-69;

(b) if so, whether Government have sanctioned the scheme;

(c) the broad details of the scheme and the expenditure which would be incurred thereon; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Not so far, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

"Violation of Shikar Rules by Foreign Missions"

3216. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some members of foreign Missions are violating the Shikar Rules in Madhya Pradesh with the help of high Government officials;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have informed the Central Government of these facts; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No definite information is available.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Hindi Assistants

3217. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those Hindi Assistants who were recruited through U.P.S.C. examination in 1959 have been made permanent in closed cadre;

(b) if so, whether it amounts to closure of all avenues of regular promotions for Hindi Assistants;

(c) whether it is also a fact that there is a procedure for the promotion of other Assistants (Central Secretariat Service-Grade IV); and

(d) if so, the reasons for discriminating against Hindi Assistants for the last nine years and the reasons for not laying down a procedure for their promotion ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Posts of Hindi Assistants are isolated ex-cadre posts. Such ex-cadre posts cannot have any higher posts in direct line for promotion. However, to allow avenues of promotion to these Hindi Assistants, Government have issued instructions to all the Ministries etc. that these Hindi Assistants should be permitted to apply for Class II and Class I (Junior) posts under the Central Government for which higher degree of proficiency, qualification and experience in Hindi are required.

(c) Yes, Sir, Promotion of regular Assistants of CSS is governed by the C.S.S. Rules, 1962.

(d) As already stated, the posts of Hindi Assistants are isolated posts and therefore there are no higher posts in direct line of promotion. Hindi Assistants can, however, apply, for higher posts created for Hindi work if they fulfil the conditions of eligibility prescribed for such posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान

3218. श्री वीर भद्र सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की एक स्वीकृत सिफारिश के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के मामले में पंजाब का अनुसरण करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1967 में गृह-कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का चम्बा जिले के पांगी क्षेत्र में वहां सरकारी सेवा में कार्य कर रहे स्थानीय तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों को 3 सितम्बर, 1966 से स्थानीय तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों के बीच भेदभाव को समाप्त करके समान दर पर प्रतिकर भत्ता देने का इरादा व्यक्त किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इसे भूतलक्षी प्रभाव देने के वित्तीय पहलू के बारे में सूचना देने के लिये कहा था; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए उत्तर का व्यौरा क्या है, और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सिवाय सचिवालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों के, जो केन्द्रीय दरों पर वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, हिमाचल सरकार के सभी कर्मचारियों के जो सचिवालय में कार्य नहीं करते हैं, वेतनमान और भत्ते पंजाब-ढांचे पर आधारित हैं। फिर भी भारत सरकार ने अभी निर्णय किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कोई परिवर्तन इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाय कि पड़ोसी राज्य में समान परिवर्तन हुआ है और ऐसे परिवर्तन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाए।

(ख) से (घ) कैंनूर और पंगी क्षेत्रों में नियुक्त हिमाचल प्रदेश के गैर-सचिवालयी कर्मचारियों को उन्हीं दरों और शर्तों पर पूर्ति-भत्ता स्वीकृत किया जाता है जिस पर भूतपूर्व पंजाब सरकार लाहोल और स्पिति क्षत्रों में कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों को देती थी। भूतपूर्व पंजाब सरकार ने 1–9–1966 से लाहोल और स्पिति क्षेत्रों में प्राप्य पूर्ति-भत्ते की दरों को संशोधित किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार से एक सन्दर्भ प्राप्त होने पर उस सरकार से जुलाई, 1967 में यदि भारत सरकार को वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया था कि 1–9–1966 से समान आधारों पर कैंनूर और पंगी क्षेत्र में प्राप्य पूर्ति भत्ते की दरें भी संशोधित कर दी जाएं। सरकार ने अब सूचित किया है कैंनूर और पंगी क्षेत्रों में संशोधित दरों के फलस्वरूप लगभग 1,89,000 रुपये वार्षिक की बचत होगी।

उस सरकार ने यह भी सिफारिश की थी कि जबकि 1–9–1966 से स्थानीय व्यक्तियों को प्रस्तावित संशोधित दरें दे दी जाएं, बाहरवालों के मामले में ये दरें आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होनी चाहिए अन्यथा भारी वसूलियां चुकानी पड़ जाएंगी जिनके कारण बाहरवालों को वास्तविक कठिनाई होगी। विकल्प के तौर पर, हिमाचल प्रदेश ने सिफारिश की है कि स्थानिकों को संशोधित दरें 1–9–1966 से स्वीकृत की जाए और बाहिरवालों को पूर्ति-भत्तों की पुरानी दरें दी जाती रहे।

मामले पर भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

कालेजों में योगासन आरम्भ करना

3219. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में योगासनों को शारीरिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी-कितनी संस्थाओं ने इन्हें आरम्भ किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु वर्तमान वर्ष से कालेजों में लागू की जाने वाली प्रस्तावित राष्ट्रीय सेवा कोर के अधीन शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर योगिक क्रियाओं की व्यवस्था होगी। सरकार का यथासम्भव ढंग से विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

त्रिपुरा में पर्यटक स्थान

3220. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पर्यटन स्थानों के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास पर कितनी लागत आयेगी, प्रत्येक पर्यटक स्थान का विकास किस प्रक्रम पर है, उनमें अग्रेतर क्या परिवर्तन किये जाने का विचार है और प्रत्येक कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) त्रिपुरा में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र (सेंट्रल सेक्टर) में कोई स्कीमें नहीं हैं। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार का 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित पर्यटन केन्द्रों के विकास का प्रस्ताव है :—

1. रुद्रसागर झील पर एक पर्यटक बंगले का निर्माण।
2. परिवहन सुविधाए ।
3. रुद्रसागर झील में नौका बिहार तथा अन्य मनोरंजन सुविधाएं ।
4. पर्यटन प्रचार साहित्य।
5. कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण का संगठन एवं स्थापना।

(ग) प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा

3221 श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन ने 1968-69 में त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिये कितनी धनराशि मांगी थी और वास्तव में इस प्रयोजन के लिये कितना धन मंजूर किया गया था;

(ख) 1968-69 में त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिये क्या विशिष्ट योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) त्रिपुरा में महिलाओं की शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं, प्रत्येक आय वर्ग में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या, प्रत्येक वर्ग में कुल लड़कियों की संख्या में इनका प्रतिशत और त्रिपुरा की महिलाओं में प्रोढ़ शिक्षा का प्रतिशत कितना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) :—

योजना का नाम	प्रशासन द्वारा प्रस्तावित राशि	मंजूर की गई राशि
	रुपये	रुपये
आयोजनेतर के अधीन :		
महिला कालेज, अगरतला	3,81,700	3,39,700
छात्राओं को वजीफे	60,000	60,000

आयोजना के अधीन : (जारी रहने वाली योजनाओं के लिए)

प्रारम्भिक स्कूलों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण	10,000	2,000
माध्यमिक स्तर की अध्यापिकाओं के लिए क्वाटरों का निर्माण	50,000	2,000
महिला कालेज का विकास	1,11,800	35,000

आयोजना के अधीन : (नई योजनाओं के लिए)

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन	26,000	–
निर्धन छात्राओं के लिए वर्दियां	30,000	–
प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम का आयोजन	16,800	–
प्रारम्भिक स्कूलों से सम्बद्ध सफाई खन्डों का निर्माण	20,000	2,000

(ख) : योजना का नाम	**1968-69 के लिए की गई व्यवस्था रुपये**
आयोजनेतर के अधीन :	
महिला कालेज, अगरतला	3,39,700
छात्राओं को वजीफे	60,000
आयोजना के अधीन : (जारी रहने वाली योजनाओं के लिए)	
प्रारम्भिक स्कूलों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं के लिए क्वाटरों का निर्माण	2,000
माध्यमिक स्तर से सम्बन्ध अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण	2,000
महिला कालेज का विकास	35,000
आयोजना के अधीन : (नई योजनाओं के लिये)	
प्रारम्भिक स्कूलों से सम्बद्ध सफाई खण्डों का निर्माण	2,000

(ग) : प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्कूलों के लिए विकास दल

3222. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में राष्ट्रीय विकास दल के समक्ष दिये गये अपने भाषण में उन्होंने स्कूलों के लिये जिन विकास दलों पर जोर दिया है उनका उद्देश्य क्या है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय विकास दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस दल द्वारा देश में स्कूलों के लिये भवनों की समस्या को कैसे हल करने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) शैक्षिक भवनों सम्बन्धी विकास ग्रुपों का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक भवनों के लिए उपलब्ध वित्त को अत्यधिक दक्षता से प्रयोग करना है शैक्षिक भवनों की लागत को कम करने की दृष्टि से रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था तथा भारत में अन्य स्थानों पर तथा विदेशों में जो अनुसंधान कार्य हो रहा है उसको इन विकास ग्रुपों द्वारा विकीर्णन किया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख)	1. श्री जे. पी. नायक अवैतनिक सलाहकार शिक्षा मंत्रालय	चेयरमैन
	2. श्री दिनेश मोहन निदेशक, सी, बी. आर. आई	सदस्य
	3. श्री सी. बी पटेल चीफ इन्जीनियर सी. पी. डब्लू डी., दिल्ली क्षेत्र	सदस्य
	4. शैक्षिक भवनों सम्बन्धी सभी राज्यों के विकीर्णन ग्रुपों के चैयरमेन	सदस्य
	5. श्री आर. डी. श्रीवास्तवा वैज्ञानिक, सी. बी. आर. आई.	सदस्य सचिव

(ग) केन्द्रीय विकास ग्रुप निर्माण में दक्षता तथा मितव्ययता के साथ प्रोटोटाइप्स के विकास में राज्य विकास ग्रुपों की सहायता करेगा और शैक्षिक भवनों के लिए उपलब्ध वित्त को अत्यधिक काम हेतु प्रयोग करने के लिए स्वीकार करेगा ।

आगरा में राजपूत सेनापति का स्मारक

3223. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई 1968 को 'टाईम्ज आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ समाचार सही है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति का आगरा में स्मारक, जिसे जसबन्त सिंह की छतरी कहा जाता है, दिन-ब-दिन जीर्ण शीर्ण होती जा रही है ;

(ख) क्या वर्ष 1910 में इसे एक परिरक्षित स्मारक घोषित किया जाने के बावजूद भी इसके चारों कोनों के दो स्तम्भ गिर गये हैं और बाहरी दीवार भी टूट गई है,

(ग) क्या इसके रेत और पत्थर की छुट-पुट चोरी बढ़ती जा रही है और छतरी के चारों ओर बनाया गया सुन्दर बाग अब नहीं रहा है, और

(घ) इस स्मारक के परिरक्षण के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) काफी समय हुआ बाहरी दीवार के कौनों के दो स्तम्भ गिर गए थे और पश्चिम की ओर दीवार के ऊपरी भाग का एक हिस्सा टूट गया था। किन्तु ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। जिससे यह पता चल सके कि टूट-फूट कब हुई।

(ग) जी नहीं, सर्वेक्षण द्वारा वहां कोई बाग नहीं बनाया गया था।

(घ) स्मारक पहले से ही परिरक्षित है। आवश्यक मरम्मत तभी की जा सकती है जबकि नाथद्वारा एस्टेट के मालिक का सरकार के साथ समझौता हो जाए, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

डाक्टरों के लिए अखिल भारतीय सेवा बनाना

3224 **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री तुकाराम गवित : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक्टरों की एक अखिल भारतीय सेवा बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रस्तावित भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों की भर्ती, संवर्ग प्रबन्ध तथा सेवा की शर्तों को नियमित करने वाले नियमों तथा विनियमों के प्रारूप राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये हैं। भर्ती तथा संवर्ग नियमों / विनियमों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

औद्योगिक सुरक्षा सेना

3225 **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समूचे देश में प्रमुख औद्योगिक कस्बों के लिये औद्योगिक सुरक्षा सेना संगठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्यवार क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार का कुछ औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए एक दल गठन करने का प्रस्ताव है। इस दल के गठन तथा नियमन के लिये "केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक, 1968" नामक एक विधेयक 13 मई, 1968 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। यह अब लोक सभा के विचाराधीन है।

नई दिल्ली नगर पालिका

3226 श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री चेंगल राय नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सदस्य संख्या और उन के सेवा काल के निर्धारण सम्बन्धी मामलों को एक रक्षित विषय घोषित कर दिया गया है और महानगर परिषद तथा कार्यकारी परिषद द्वारा उन पर चर्चा करना वर्जित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या अधिसूचना जारी करने से पहले सरकार ने महानगर परिषद तथा दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया था, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) संसद द्वारा अधिनियमित दिल्ली प्रशासन अधिनियम की धारा 27 (1) का परन्तुक बताता है कि नई दिल्ली से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद के किसी एक सदस्य अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा किसी मामले में लिया गया प्रत्येक निर्णय इस शर्त के साथ होगा कि उसमें प्रशासक की सहमति हो और इस उप-धारा में कुछ भी ऐसा न हो जो प्रशासक और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच किसी मतभेद के मामले में प्रशासक को नई दिल्ली के प्रशासन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से, जिसे वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है, रोकता हो। इस परन्तुक का तात्पर्य यह है कि नई दिल्ली से सम्बन्धित मामलों में प्रशासक, अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण है। सार्वजनिक हित में इस मामले को सुस्पष्ट करने के लिए यह निर्णय किया गया कि धारा 27 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की संख्या निश्चित करने, उनके कार्यकाल तथा उसके प्रासंगिक अनुपूरक तथा परिणामी सभी मामले जो नई दिल्ली नगर पालिका से सम्बन्धित हों प्रशासक द्वारा अपने विवेक से क्रियान्वित किये जायेंगे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

जम्मू तथा काश्मीर के लिए औद्योगिक परियोजनाएं

3227 श्री रवि राय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 16 मई, 1968 को दिल्ली में जो उच्चस्तरीय सम्मेलन हुआ था उसमें जम्मू तथा काश्मीर में कतिपय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया था, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) तथा (ख) यह निर्णय किया गया था कि पहले कुछ पुर्जों के उत्पादन के लिये भारतीय दूरभाष उद्योग, बंगलौर का एक सहायक एकक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में स्थापित किया जाय। यह एकक ट्रांजिस्टर रेडियो का उत्पादन भी आरम्भ कर सकता है। काश्मीर में घड़ियों के एक कारखाने की स्थापना की सम्भावनाओं पर भी खोज की जा रही है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड से एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

'रीडर्स डाइजैस्ट' के मई के अंक में प्रकाशित भारत का नक्शा

3228 **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मई मास की 'रीडर्स डाइजैस्ट' पत्रिका में प्रकाशित नक्शे की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के क्षेत्र की गलत तस्वीर दिखाई गई है,

(ख) क्या इस नक्शे को संयुक्त राज्य अमरीका के भूतपूर्व वाइस प्रेसीडेंट मि० रिचर्ड निक्सन द्वारा एक लेख में प्रयोग किया गया है जिसमें काश्मीर को अफगानिस्तान तथा मंगोलिया की तरह एक स्वतंत्र राज्य दिखाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले की ओर अमरीका सरकार का ध्यान दिलाया है ?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : 'रीडर्स डाइजस्ट' के मई, 1968 के अंक में प्रकाशित नक्शे के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के लोक सभा में दिये गये उत्तर को कृपया देखिये। यह नक्शा श्री रिचर्ड निक्सन द्वारा लिखे गये एक लेख के साथ प्रकाशित हुआ था।

(ग) पत्रिका का स्वामित्व तथा प्रकाशन प्राइवेट हाथों में होने के कारण अमेरिका की सरकार के साथ मामला उठाना उचित नहीं समझा गया।

हिमालय भूतत्व विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक संस्था की स्थापना

3229 **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिमालय भूतत्व विज्ञान में अनुसंधान के लिये एक संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या होगा और चालू वर्ष के लिये वित्तीय परिव्यय कितना है तथा उसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या गहन अनुसंधान के लिये हिमालय में कोई विशिष्ट क्षेत्र निश्चित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी हां।

(ख) संस्थान का मुख्य उद्देश्य, भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से हिमालय के भूगर्भ, उनके खनिज तथा धातु संबंधी साधनों, नदी व्यवस्था, हिमनद आदि के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है।

संस्थान के 1968-69 वर्ष के बजट अनुमानों में 1,96,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

अस्थाई तौर पर संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित है।

(ग) संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा कार्य की योजना तैयार की जा रही है।

दिल्ली में राशन कार्डों के लिए आवेदन पत्रों के फार्म

3230 श्री ए० श्रीधरन : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन कार्डों के आवेदन-पत्रों के फार्म केवल हिन्दी में छापे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि इससे राजधानी में रहने वाले अहिन्दी भाषी लोगों को बहुत असुविधा हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) यद्यपि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जनता के इस्तेमाल के लिये प्रपत्रों की छपाई के संबंध में मौजूदा हिदायतों की तरफ दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

Grazing of Cattle at Kandla Aerodrome

3231. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cattle are allowed to graze at night at Kandla Aerodrome and officers at the aerodrome are making money therefrom;

(b) whether this grazing also poses a threat to traffic; and

(c) if so, the steps taken by Government to prevent it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) To prevent unauthorised grazing the airport has been fenced, and a staff of three chowkidars and two operating hands appointed. Cattle found straying into the airport area are impounded.

समाज विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी समिति

3232, **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7552 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सिफारिशों को, विशेषकर संगठनात्मक ढांचे सम्बन्धी सिफारिशों को, क्रियान्वित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि एक स्वायत्त समाज अनुसंधान परिषद् स्थापित की जाये और समाज विज्ञान अनुसंधान के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना में पर्याप्त निधियों का प्रबन्ध किया जाये।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(घ) प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी० 1996/68]**

विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र की सिंचाई के लिये जल

3233 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विन्ध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ विलय का निर्णय करते समय इस बात पर विचार किया गया था कि विन्ध्य प्रदेश की भूमि की सिंचाई के लिये भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य से जल उपलब्ध हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वचन को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) "अपने प्रतिवेदन के पैरा 463 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि विन्ध्य प्रदेश, नर्बदा पानी के प्रायोग के लिए योजना से लाभ उठाने की स्थिति में है।"

(ख) विन्ध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश का एक भाग है और विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्यवाही करना उस राज्य की सरकार के लिए है।

Infiltration in Barmer

3234. **Shri Nibal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pro-Pakistanis had fled to Pakistan uring the Indo-Pak conflict but now 1000 persons have infiltrated into Barmer area; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : A number of persons from the border districts of Rajasthan went over to Pakistan during the Indo-Pakistan conflict in 1965. There is no information to the effect that 1000 of such persons have re-infiltrated into the Barmer area of Rajasthan.

Employment of Scheduled Castes

3235. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the persons belonging to the Scheduled Castes are still not being given employment in a number of Government Departments in proportion to their population;

(b) whether it is a fact that thousands of capable and educated youngmen of Schedu ed Castes are jobless;

(c) if so, whether Government propose to adopt some measures to check the injustic being done to Scheduled Castes; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Vacancies are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts|Services under Government according to the prescribed percentages as shown in the statement laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No. L.T. 1669/68**]. The quota of reservation has to be observed in vacancies as and when they occur in services and posts filled by direct recruitment and in service and posts filled by promotion to the extent reservation is provided in such posts. There is no quota fixed for representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes vis-a-vis the total number of employees in a grade of service or a Ministry/Department etc. It would not therefore be correct to expect that the strength of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in a Ministry/Department/Attached Office/Subordinate Office would be in the ratio of their population. The representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services under the Central Government as on 1-1-67 is given in Statement (Annexure II) laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No. L. T. 1669/68**]. Only in cases where, despite efforts if suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes are not available even after application of relaxed standards of suitability, that such reserved vacancies are dereserved and filled by appointment of candidates belonging to communities other than the Scheduled Castes/Tribes.

(b) There are a number of young men including members of Scheduled Castes who are unemployed. It may be mentioned that while there may be a large number of Scheduled Castes on the live Registers of the Employment Exchanges, not all those who stand registered are necessarily jobless; quite a proportion of the persons registered are already employed and have got themselves registered for better employment.

(c) and (d) : The Working Group appointed under the Chairmanship of Shri M. R. Yardi had specifically examined the question of improving the representation of Scheduled Castes in services and made a number of recommendations aimed at improving the representation of Scheduled Castes in services. Except two of its recommendations which are still under consideration, the other recommendations on the subject have been accepted.

Staff Quarters for Hotel Employees in Delhi

3236. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to construct some additional staff quarters in Ashoka Hotel, Janpath Hotel and Ranjit Hotel in Delhi with a view to provide some more accommodation facilities to the employees working in these hotels; and

(b) if so, the time likely to be taken for implementing the aforesaid scheme ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a)and(b): No scheme is at present under consideration of additional staff quarters in Ashoka, Janpath or Ranjit Hotels. The Ashoka Hotel had recently constructed 12 new staff quarters within the Hotel premises.

विद्रोही नागा नेताओं का मनीपुर जाना

3237 **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा नेता श्री केहर्टी ने अभी हाल में इम्फाल तथा मनीपुर के कुछ भागों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का क्या कारण था और इम्फाल तथा नागा क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया;

(ग) क्या कुछ समय पश्चात केहर्टी दल का नागा ब्रिगेडियर इम्फाल आया और इम्फाल के होस्टल में ठहरा;

(घ) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर पुलिस के महानिरीक्षक को दी गई पूर्व सूचना के आधार पर उक्त नागा ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है और श्री केहर्टी की यात्रा के कुछ समय पूर्व उनके इम्फाल में आने के क्या कारण थे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : स्वर्गीय केहर्टी सीमा ने 25 अप्रैल, 1968 को इम्फाल का दौरा किया था। उनके दौरे का उद्देश्य, बताया जाता था, मनीपुर के कुछ नागा नेताओं से मिलना था। मनीपुर में उनके रुकने के दौरान उन्होंने सर्वश्री कैशिग, खेड़सुंग, अनाल, कपानो खुई से भेंट की थी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) : कथित ब्रिगेडियर अपने दो साथियों के साथ 1–6–1968 को पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, 1950 के अधीन जिसका विस्तार मनीपुर तक किया गया है, कथित समाज–विद्रोही गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किये गये थे।

Non–Gazetted Employees of Bihar Government

3238. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the formar Government of Bihar headed by Shri Bhola Pasran Shastri had taken a decision to pay the non-gazetted staff for the five days period of their strike;

(b) if so, whether the payment has been made to those persons;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the Chief Secretary has the authority to withhold the implementation of the Cabinet decision; and

(e) if not, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e) The information will be collected and placed on the Table of the House.

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र

3239. **श्री क० लकप्पा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र खान कर्मचारियों की सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उसने कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) खानों में सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय खान अनुसंधान स्टेशन, धनबाद द्वारा किए गए अनुसंधान निम्नांकित हैं :—

(क) खान संवातन-गुण और मात्रा प्रदीप्ति।

(ख) भूमिगत आग-निवारण और नियंत्रण।

(ग) ज्वालासह उपस्कर।

(घ) सुरक्षित विस्फोटक और प्रस्फोटक।

(ङ) अग्नि प्रतिरोध सामग्री।

(च) छतों को रोकना।

(छ) खानों में स्तर नियंत्रण।

(ज) स्तम्भों की स्थिरता।

(झ) व्यवस्थित रूप से सम्भालकर रखना (स्टोइंग)

(ट) खान धंसना।

(ठ) खान लपेटन रस्सी।

(ड) खान अवलंब।

(ढ़) वायवीयत।

खान सुरक्षा के इन क्षेत्रों में केन्द्रीय खान अनुसंधान स्टेशन, धनबाद द्वारा की गई खोज और निष्कर्षों को प्रकाशित किया जाता है और सभी सम्बन्धितों में व्यापक रूप से प्रचार तथा परिचालन किया जाता है ताकि उनका व्यवहारिक उपयोग हो सके ।

विदेशी पति-पत्नियों की नागरिकता

3240. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की विदेशी पति-पत्नियों को भारतीय नागरिक बनने के लिये बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या यह नियम असैनिक अधिकारियों पर लागू होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विदेशी नागरिक के साथ विवाह करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये इसे अनिवार्य करने का भारत सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 23 मार्च, 1963 से सशस्त्र सेनाओं के एक कर्मचारी को विदेशी राष्ट्रिक से विवाह करने के लिये सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रिक से इस सम्बन्ध में लिखित बचन देना पड़ता है कि वह विदेशी नागरिकता को छोड़ देगा/देगी और जैसे ही कानून उसके ऐसा करने के लिये अनुमति प्रदान करता है वह भारतीय नागरिकता स्वीकार कर लेगा/लेगी । उपरोक्त शर्तें उन असैनिक सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होती है जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान किया जाता है ।

यह शर्त 23 मार्च, 1963 से पहले हुई शादियों पर लागू नहीं होती थी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान किये जाने वाले असैनिक सरकारी कर्मचारियों के मामलों के अतिरिक्त । फिर भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को जो विदेशी राष्ट्रिकों से विवाह करने के इच्छुक हैं, अनुमति के लिये अपने प्रस्ताव सेवा से त्यागपत्र के साथ सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजने पड़ते हैं । नवम्बर, 1964 से प्रशासनिक रूप में यह निर्णय किया गया है कि विदेशी से विवाह करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

Siyasat Jadid, Kanpur

3241. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Onkar Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that press reports inciting religious feelings of Hindus and also provocative to them have appeared in Siyasat Jadid, an Urdu newspaper published from Kanpur saying that "while crossing the river Ganga, Sita had prayed that in case she crossed the river safe and sound, she would offer wine, meat and rice to the river"; and

(b) if so, the action taken by Government against the said newspaper ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Facts are being ascertained from the Government of Uttar Pradesh.

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

3242. श्री श्रादिचन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सीमा के निकट पंजाब (भारत) में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये 1200 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शहीद दिवस का मनाया जाना

3243. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1969 (गांधी जन्म शताब्दी वर्ष) को व्यापक स्तर पर शहीद दिवस के रूप में मनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या इस बलिदान दिवस को प्रत्येक राज्य की राजधानी में मनाने के लिये प्रत्येक राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सन् 1955 से प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी, दिल्ली तथा सभी राज्य की राजधानियों एवं शहरों में, उन लोगों की स्मृति के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान किया । इस सम्मान में दो मिनट का मौन शामिल है जबकि अधिक से अधिक जहां तक सम्भव है, गतिविधि एवं कार्य बन्द कर दिये जाते हैं । दिल्ली में एक विशेष राज्य उत्सव राजघाट पर मनाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाये जाते हैं । 150 साधारण सैनिक उलटे हथियारों के साथ तथा छः बिगुलची सहित एक अन्तर्सेवा शोक बिगुल बजाती है । इस समय 1969 में इस दिन को मनाने के आधार को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

माश्रो उपमण्डल में नागाश्रों के साथ मुठभेड़

3244. श्री श्रंबुचेजियान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1968 को माओ उपमंडल में तिनशोंग नामक स्थान पर विद्रोही छिपे नागाओं और सुरक्षा दलों के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी तथा सुरक्षा दल के सैनिक भारी संख्या में हताहत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके पास से कोई विदेशी हथियार तथा गोला बारुद पकड़े गये थे; और

(घ) इस मुठभेड़ में कितने विद्रोही बागी पकड़े गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) 28 मई, 1968 को तिगशोंग के निकट नागा विद्रोहियों के साथ एक मुठभेड़ में हमारे आदमियों में से एक घायल हुआ था । हताहत विद्रोहियों में एक मरा और अन्य दस घायल हुए ।

(ग) पकड़े गये गोला-बारुद के मूल स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) कोई विद्रोही नहीं पकड़ा गया ।

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

3245. **श्री सीताराम केसरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के द्वारा बार-बार किये जाने वाले विदेशों के दौरों को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ख) वर्ष 1967 में मंत्रियों ने कुल कितने दौरे किये तथा उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई; और

(ग) इनमें से कितने दौरे लाभदायक सिद्ध हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मंत्रियों द्वारा दौरे केवल तभी किये जाते हैं जब उनके कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाने के सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक समझा जाता है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह का विकास

3246. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगाल की खाड़ी में 200 द्वीपों का, जिन्हें अन्दमान तथा निकोबार द्वीप के नाम से पुकारा जाता है; और जो भारत के लिये बहुत सामरिक महत्व के हैं, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से अधिक तेजी से विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सामरिक महत्व के द्वीपों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) सरकार अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सामरिक महत्व से पूर्ण अवगत है तथा उसने उनकी सुरक्षा तथा विकास के लिये कदम उठाये हैं । तीव्र-गति से विकास के उद्देश्य से यह क्षेत्र एक

'विशिष्ट क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है तथा इसके तेजी से विकास के लिये कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष 1968–69 के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये योजना व्यय 251 लाख रुपये हैं जिसका विघटन इस प्रकार है :—

I.	कृषि कार्यक्रम	26 लाख रु०
II.	सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	9 ,, ,,
III.	सिंचाई तथा बिजली	15 ,, ,,
IV.	उद्योग तथा खान	3 ,, ,,
V.	परिवहन तथा संचार	141 ,, ,,
VI.	समाज सेवाएं	53 ,, ,,
VII.	विविध	4 ,, ,,
	कुल	251 ,, ,,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र के अहाते में पाये गये बम

3247. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र के अहाते में कुछ बम पाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) वाराणसी में आकाशवाणी के केन्द्र के अहाते में कोई बम नहीं पाये गये। तथापि वाराणसी जिले में सारनाथ के समीप आशापुर चौराहे के पश्चिम में एक टिन के डिब्बे में दो हथगोले पाये गये थे तथा राज्य पुलिस मामले में जांच कर रही है।

Political Sufferers in Madhya Pradesh

3248. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) whether any assistance or relief has been provided to the political sufferers in Madhya Pradesh by the Central Government during the last ten years; and

(b) if so, the nature of assistance and the number of persons to whom assistance has been provided ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) **Ad-hoc** cash grants have been given from the Home Minister's Discretionary Grant to 104 political sufferers of Madhya Pradesh during the last ten years.

नागाओं द्वारा हमला

3249. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सशस्त्र विद्रोही नागाओं के एक गिरोह ने नागालैंड में उत्तर कछार में घुस कर फाजुई गांव में हमला किया था;

(ख) क्या सरकार को इस घटना के बारे में कोई अधिकृत सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार नागा विद्रोहियों का एक गिरोह जून के प्रथम सप्ताह में उत्तर कछार पहाड़ियों के फाइपुई गांव में गया और 701 रु० तथा कुछ घरेलू वस्तुएं बलपूर्वक एकत्रित कीं ।

राजभाषा अधिनियम

3250. श्री रा० को० अमीन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन ने हाल ही में दिये गये अपने एक भाषण में सुझाव दिया है कि प्रधान मंत्री को राजभाषा अधिनियम से उत्पन्न हुए भ्रम को दूर करने का कोई रास्ता निकालने के लिये सार्वजनिक नेताओं का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । तथापि उन्होंने यह सुझाव व्यक्तिगत रूप में दिया ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

औद्योगिक प्रबन्ध निकाय

3251. श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रबन्ध निकाय की कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन किये जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Maharaja of Jaipur

3252. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have invited Maharaja of Jaipur, who is Ambassador of India in Spain, to Delhi for talks before finalising the draft of the Bill being prepared with a view to abolish privy purses of ex-Rulers so that he might assist in making the ex-Rulers agree to the Government proposal; and

(b) if so, the proposal which Government propose to place before the ex-Rulers through the Maharaja of Jaipur ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Maharaja of Jaipur was called by the Ministry of External Affairs for normal consultations. When he was here, he called on the Home Minister also and among other things the current topic of implementation of Government's decision to abolish privy purses and privileges of the Rulers of former Indian States also came up for discussion.

(b) Does not arise.

निकोबार द्वीप समूह के निवासियों से ज्ञापनपत्र

3253. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकोबार द्वीप समूह के कुछ नेताओं ने दिल्ली आकर सरकार को एक ज्ञापनपत्र पेश किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सरकार को बताया है कि उस द्वीप समूह में आंतक छाया हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह आंतक चीन-समर्थक तथा पाकिस्तान-समर्थक तत्वों ने पैदा कर रखा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी हाल में कोई नेता निकोबार से दिल्ली नहीं आये थे और सरकार को कोई ज्ञापन-पत्र नहीं दिया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जिले (उत्तर प्रदेश) में बसें

3254. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी रोडवेज तथा गैर-सरकारी अलग-अलग कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) 1966-67 में कितनी आय प्राप्त हुई थी;

(ग) सरकारी रोडवेज में प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(घ) 1966-67 में बलिया जिले में सरकारी बसों के कर्मचारियों के विरुद्ध जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि बलिया जिले में सरकारी बसें हमेशा देर से चलती हैं और इससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्तियां

3255. **श्री विश्वनाथ पान्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने छात्रों को संस्कृत में अनुसंधान के लिये छात्रवृत्तियां मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये छात्रवृत्तियां कितने विद्यार्थियों को दी गई और वे किन-किन राज्यों के हैं;

(ग) कितने छात्रों ने छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन-पत्र दिये थे; और

(घ) अनुसंधान छात्रवृत्तियों के लिये छात्रों का चयन करने की कसौटी क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । पिछली बार प्रदान की गई छात्रवृत्तियां वर्ष 1967-68 से सम्बन्धित थीं ।

(ख) अखिल भारतीय आधार पर 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं । उनका राज्य-वार वितरण इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	3
दिल्ली	4
मध्य प्रदेश	1
मैसूर	1
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	8
पश्चिम बंगाल	1
	20

(ग) 80 विद्यार्थियों ने इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र भेजे थे ।

(घ) प्रादेशिक चुनाव समितियों की सिफारिशों के आधार पर विद्यार्थियों का चुनाव किया गया था। समितियों ने दिल्ली, तिरुपति और वाराणसी में उम्मीदवारों का इन्टरव्यू लिया था।

गाजीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

3256. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक संभाली :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 में मुसलमानों के दो वर्गों में झगड़ा होने पर उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया था तथा कर्फ्यू लगाने से पूर्व मुसलमानों के एक वर्ग के जलूस को रोकने के लिये पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों और लाठियों के कारण बहुत से व्यक्ति जख्मी हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति जख्मी हुये तथा कितने व्यक्ति मारे गये थे; और

(ग) पुलिस द्वारा गोली तथा लाठी चलाई जाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गाजीपुर कस्बे के मुसलमानों के दो वर्गों में गत कई वर्षों से धार्मिक जलूस निकालने के प्रश्न पर विवाद चल रहा है। इस वर्ष भी मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा धार्मिक जलूस निकालने के लिए किये गये प्रयासों के कारण तनाव था। अतः गाजीपुर के एस. डी. एम. ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत अन्य बातों के अतिरिक्त धार्मिक जलूस निकालने पर 7 जून, 1968 से 17 जून, 1968 तक रोक लगा दी थी। मुसलमानों का एक वर्ग धार्मिक जलूस निकालने तथा निषेध भंग करने पर दृढ़ था। 10 जून, 1968 को इस वर्ग के लगभग 500 से 600 मुसलमानों ने लाठियों तथा ईटों से आदि सशस्त्र तथा निषेध आज्ञा भंग कर धार्मिक जलूस निकाला तथा वे नारे लगाते हुए टाऊन हाल की ओर बढ़े। एक राजपत्रित अधिकारी तथा नगर मजिस्ट्रेट के अधीन एक पुलिस पार्टी ने जलूस को रोका। पुलिस वाले जलूस को नहीं रोक सके क्योंकि वे संख्या में बहुत कम थे। मौखिक चेतावनी देने के पश्चात् लाठी भी चलाई गई परन्तु उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ और पुलिस का घेरा तोड़ दिया गया जिसके दौरान नगर मजिस्ट्रेट तथा कुछ पुलिस वालों से हाथापाई भी हुई। एक अन्य पुलिस घेराव को भी इसी प्रकार तोड़ दिया गया। टाऊन हाल पहुंचने पर जलूस की संख्या 1000 हो गई थी और उन्होंने टाऊन हाल के अहाते में स्थित पी. ए. सी. तथा सिविल पुलिस की चौकियों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों ने भीड़ तितर-बितर होने के लिए बार-बार चेतावनी दी परन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। भीड़ हिंसक हो गई और उसने पुलिस पर लाठियों तथा ईटों आदि से आक्रमण कर दिया जिससे मजिस्ट्रेट तथा एक दर्जन पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसमैनों को चोटें आईं। चूंकि बार-बार दी गई मौखिक चेतावनियां तथा लाठी चार्ज प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ और चूंकि सरकारी कर्मचारियों की जानों तथा सरकारी सम्पत्ति

को तुरन्त खतरा था । मजिस्ट्रेट के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वे पुलिस को गोली चलाने का आदेश देकर भीड़ को तितर-बितर करे । सर्वप्रथम केवल चार राउन्ड चलाये गये, परन्तु इससे भीड़ ने सामना करना नहीं छोड़ा जो कि और भी उत्तेजित हो गई थी। अतः छः राउन्ड गोली और चलाई गई । इससे भीड़ तुरन्त तितर-बितर हो गई और गोली चलाना बन्द कर दिया गया । गोली चलाये जाने के फलस्वरूप तीन व्यक्ति मारे गये और एक घायल हुआ ।

10 जून, शाम के 8 बजे से लेकर 11 जून, 1968 के प्रातः 7 बजे तक का कर्फ्यू समूचे नगर में लगाया गया । इसके पश्चात् कोई घटना नहीं घटी ।

लाठी चार्ज द्वारा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

Roadways in Deoria (U. P.)

3257. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some portions of the office-building of the Roadways in Deoria, Uttar Pradesh and also of other buildings, which were constructed by Government at a cost of several lakhs of rupees, collapsed and were damaged and Government officials have embezzled a sizeable amount of money in collusion with the contractors there; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The necessary information is being obtained from the Government of U. P. and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

भाषा अनुसंधान एकक

3258. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने भाषा अनुसंधान एकक के लिये कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये हैं;

(ख) क्या इन पदों के बारे में ज्ञापन दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो नियुक्तियां किस तरीके से की गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) मंत्रालय में कोई भाषा अनुसंधान यूनिट नहीं है और इसलिए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बोनगांव (पश्चिम बंगाल) में गोली कांड

3259. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री भगवान दास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जुलाई, 1968 को सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल में बोनगांव के लोगों पर अकारण गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप 3 व्यक्ति मर गये और 8 व्यक्ति घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के बारे में जांच के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सीमा सुरक्षा दल का एक हैड कांस्टेबल 16 जुलाई, 1968 को बागदाह हट, पुलिस थाना बागदाह, जिला 24 परगना, पर लगभग सायं 8 बजे बस से उतरते हुए, बताया जाता है, एक औरत से जा टकराया। इस विचार से कि उसने एक स्त्री की शालीनता पर भद्दा आक्षेप किया है, गांव के कुछ व्यक्तियों ने उस पर आक्रमण किया और उसे एक दुकान के भीतर बन्द कर दिया। यह सूचना प्राप्त होने पर कि हैड कांस्टेबल को पीटा जा रहा है, सीमा सुरक्षा दल का एक नायक और दो कांस्टेबल हैड कांस्टेबल को बचाने को गये। इस पार्टी पर बागदाह पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया। मुठभेड़ में नायक और दो कांस्टेबलों ने आत्म-रक्षा में एक गोली प्रत्येक ने चलायी, जिसके परिणामस्वरूप 8 व्यक्ति गोलियों से घायल हो गए, जिनमें से बाद में अस्पताल में तीन मर गये।

(ख) और (ग) नायक और दो कांस्टेबल निलम्बित और गिरफ्तार कर लिये गये हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा मामले दर्ज किये गये हैं और उनकी जांच हो रही है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्यालय में संगणकों का लगाया जाना

3261. श्री नम्बियार :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में आर० बी० एम० 1401 संगणक लगाया है;

(ख) यदि हां, तो संगणक द्वारा किस प्रकार के कार्य कराये जा रहे हैं; और

(ग) संगणक के लग जाने से कुल कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (i) छान परीक्षा, ऋण सम्बन्धी व्यवहारों के बिल तैयार करना तथा वसूली नियंत्रण;

(ii) विमान ईंधन बिलों का सत्यापन, तथा ईंधन के उठाने एवं खपत सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन; और

iii) विभिन्न विश्लेषणात्मक रूपों में यातायात सम्बन्धी आय, भार और परिचालन ।

(ग) कोई नहीं ।

छोटी बन्दरगाहों का विकास

3262. **श्री एस० ग्रार० दामानी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी बन्दरगाहों के विकास के प्रश्न को चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) क्या इस काम के लिये और अधिक साधन जुटाने के लिये राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं; और

(ग) क्या छोटी बन्दरगाह विकास कार्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत शामिल करने की पुरानी प्रथा को फिर से चालू करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) चूंकि अभी चतुर्थ योजना बनाई जा रही है, अतः यह सूचित करना कठिन है कि चतुर्थ योजना में लघुपत्तन कार्यक्रम को क्या प्राथमिकता दी जायेगी ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवहन कार्यक्रम (लघु पत्तनों सहित) पर राज्य सरकारों से अभी तक विचार-विमर्श नहीं किया गया है ।

(ग) जी हां ।

भारतीय नौवहन संस्था

3263. **श्री एस० ग्रार० दामानी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में एक भारतीय नौवहन संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के क्या कृत्य होंगे तथा इसकी स्थापना पर कितना धन व्यय होगा और इसको चलाने पर कितना धन व्यय होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) मोटे तौर पर संस्था वाणिज्यिक नौवहन में विभिन्न विषयों जैसे नौवहन अभ्यास, चार्टरिंग, चुंगी क्रियाविधि, नौबीमा, सागर परिवहन का अर्थशास्त्र, स्टोवेज, वाणिज्यिक भूगोल इत्यादि में परीक्षा लेगा और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अनुमान किया गया है कि पहले वर्ष संस्था का व्यय लगभग 3.18 लाख रुपये होगा और बाद के वर्षों में 4 लाख रुपये वार्षिक। इसमें संस्था के लिये आवश्यक निवास के निर्माण की पूंजीगत लागत नहीं शामिल है, क्योंकि निवास स्थान को प्रारम्भ में किराये पर लेकर संस्था को चलाने का विचार हैं। यदि संस्था को अपना निवास स्थान रखना है तब पूंजीगत लागत लगभग 8 लाख रुपये होगी।

सड़क परिवहन उद्योग का पुनर्गठन

3264. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि सड़क परिवहन उद्योग का पुनर्गठन इस तरह किया जायेगा कि इसके घटक आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े हो सकें;

(ख) क्या इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि बड़ी संख्या में ऐसे बुकिंग एजेंट भी है जिनके पास अपनी कोई मोटर गाड़ी नहीं है, और जो छोटे मोटर गाड़ी मालिकों का शोषण करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके कार्य को विनियमित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मोटर वैहिकिल (संशोधन) बिल, 1965 में एक व्यवस्था शामिल की गई है, जो संसद की एक संयुक्त समिति के सम्मुख है। यह राज्य सरकारों को माल बुकिंग और फारवर्डिंग एजेन्टों के क्रियाकलापों को लाइसेंस देने के अधीन करके उन्हें विनियमित करने का अधिकार देती है।

भारत में अध्ययन के लिए अमरीकी छात्रों का आना

3265. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः सप्ताह के अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये अमरीका से आये 15 अध्यापकों का एक दल इस समय भारत में है;

(ख) क्या एक वर्ष के अध्ययन के लिये अमरीकी कालेज विद्यार्थियों की एक पूरी कक्षा के भारत आने का कोई और प्रस्ताव भी है; और

(ग) इस योजना को आरम्भ करने वाले संगठन का नाम क्या है और उनके अध्ययन का विषय-क्षेत्र क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारतीय सभ्यता के सम्बन्ध में भारत स्थित अमरीकी शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित और प्रारम्भ किए गए छः सप्ताह के एक ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 14 अमरीकी प्रोफेसरों का एक दल फिलहाल भारत में है।

(ख) और (ग) बंगलौर विश्वविद्यालय ने पेसिफिक विश्वविद्यालय, स्टोकटन, केलिफोर्निया, अमरीका के केलीसन कालेज के सहयोग से एक योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत केलीसन कालेज के लगभग 80 विद्यार्थियों को एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में अनियमित विद्यार्थियों के रूप में दाखिल किया जाएगा। वे उनका खाने, रहने, शिक्षा शुल्क आदि का सभी खर्च वहन करेंगे। वे एक भारतीय भाषा, भारतीय सभ्यता, 1900 के बाद की भारत की राजनीति, आर्थिक भूगोल, भारत के धर्म तथा भारत की कला का अध्ययन करेंगे।

इण्डियन असोसिएशन फॉर कल्टीवेशन आफ साइन्स

3266. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सात मजदूर-संघों के प्रतिनिधियों ने इण्डियन असोसिएशन फॉर कल्टीवेशन आफ साइन्स के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मजदूर-संघों से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। संस्था के कर्मचारियों की एसोसियेशन ने तथा कुछ संसद सदस्यों ने जांच समिति स्थापित करने के लिए कहा है।

(ख) दिल्ली इन्डियन असोसिएशन फॉर कल्टीवेशन आफ साइन्स सौसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड एक स्वायत्त निकाय है और केन्द्रीय सरकार इसके मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार एसोसिएशन को सहायक अनुदान देती है, इसलिए इसके कार्यसंचालन का अध्ययन करने और इसमें सुधार करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

सरकारी सप्लाई स्टोर, नानकाबरी (अन्दमान)

3267. **श्री भगवान दास** : **श्री गणेश घोष** :
श्री वि० कु० मोडक : **श्री एस्थोस** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नानकाबरी द्वीप समूह के प्रशासनिक मुख्यालय कमरोती में सरकारी सप्लाई स्टोर बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी स्टोर को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि आकजी एन्ड कम्पनी के दबाव में आकर जिसकी चैम्पियन द्वीप में एक कैन्टीन है, इस स्टोर को बन्द कर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नानकावरी द्वीप समूह के प्रशासनिक मुख्यालय केमोरटा में सरकारी सप्लाई स्टोर, नानकावरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा दायर की गई लेख्य याचिका के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में, बन्द कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिए रियायती किराया टिकटें

3268. श्री हरदयाल देवगुण : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने अधिक विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटन सीजन में रियायती किराया टिकटें देने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस मामले में कोई प्रत्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है। परन्तु भारतीय रेलवेज पहले ही रियायती रेल-व-रोड टिकट दे रहे हैं, जो कि 15 अप्रेल से 31 अक्तूबर, 1968 तक उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अवैतनिक दण्डाधिकारी

3269. श्री हरदयाल देवगुण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवैतनिक दण्डाधिकारियों के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जहां तक अवैतनिक न्यायिक दण्डाधिकारियों से सम्बन्धित सिफारिश का प्रश्न है वह संघ राज्य क्षेत्रों (न्यायिक एवं कार्यपालक कार्यों का पृथक्करण) विधेयक, 1968 में समाविष्ट किये गये हैं, जो अब दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के पास हैं। तथापि अवैतनिक कार्यकारी दण्डाधिकारियों को नियुक्त करने की व्यवस्था को बनाये रखा गया है जिससे कि उन्हें, यदि आवश्यकता पड़े तो, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सके।

Percentage of National Income Spent on Education

3270. Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of national income spent on education during the last 21 years; and

(b) the percentage of national income proposed to be spent on education in each year of the current Five Year Plan ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Figures are not available for the years 1947-48 and 1948-49. Figures for 1949-50 onwards are given below :—

1949-50	1.1	percent
1950-51	1.2	,,
1951-52	1.2	,,
1952-53	1.4	,,
1953-54	1.4	,,
1954-55	1.7	,,
1955-56	1.9	,,
1956-57	1.8	,,
1957-58	2.1	,,
1958-59	2.1	,,
1959-60	2.3	,,
1960-61	2.4	,,
1961-62	2.7	,,
1962-63	2.9	,,
1963-64	2.8	,,
1964-65	2.6	,,
1965-66	2.9	,,
1966-67	2.8 (Estimated)	,,
1967-68	2.7 (Estimated)	,,
1968-69	2.7 (Estimated)	,,

(b) The Fourth Five Year Plan is under preparation.

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत संस्कृत

3271. **श्री शारदानन्द :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बलराज मधोक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संस्कृत को भारतीय स्कूलों में पढ़ाने योग्य समझती है;

(ख) क्या भारतीय स्कूलों में लागू किये जाने वाले त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत विद्यार्थियों को संस्कृत चुनने की स्वतन्त्रता होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यदि वे चाहें तो एक पृथक विषय के रूप में संस्कृत को लिया जा सकता है।

(ग) त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत आधुनिक भारतीय भाषाओं का (संस्कृत के अतिरिक्त) अध्ययन करना पड़ता है विशेषकर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त दक्षिण भाषाओं में से एक भाषा का और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिन्दी का भी अध्ययन करना होता है।

Admissions to M. SC. Classes (Meerut University)

3272. Shri Sharda Nand : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1,200 students could not get admission in M. Sc. in Meerut University this year ;

(b) whether it is also a fact that this number is likely to increase by about 30 percent, next year ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b) The required information is not readily available with the University.

(c) Does not arise.

Text-Books for Educational Institutions Affiliated to the Meerut University

3273. Shri Sharda Nand :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Edncation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great dearth of suitable text-books for courses prescribed by higher educational institutions affiliated to the Meerut University ;

(b) whether the condition of their libraries and laboratories for necessary scientific experiments is deplorable ;

(c) whether Government are aware of its adverse effects on education ; and

(d) if so, the measures adopted so far in this connection ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) There are no complaints in this regard,

(b) to (d) : Although there is room for improvement, libraries and laboratories are fairly well equipped and suitable grants are being given to the colleges by the University Grants Commission and the State Government within the resources available.

परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश

3274. श्री रवि राय : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जून, 1968 के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य परिवहन विभाग में चेसियों की खरीदारी के बारे में बहुत सी वित्तीय अनियमिततायें हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश राज्य से आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल

3275. **श्री बि० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री नायनार : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के बारे में 19 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 अप्रैल, 1968 को न्यायालय के समक्ष कोई विवरण पेश किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) मुकदमें की सुनवाई की अगली तारीख क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) : जब मामला न्यायालय में भेजा गया तब अभियुक्त के विरुद्ध एक चार्जशीट फाइल की गई थी। फौजदारी मामला होने के कारण सरकार द्वारा और विवरण दाखिल करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी जब कभी अभियुक्त द्वारा कोई बात उठाई जाती है तो अभियोजक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है । मामला अब न्यायाधीन है और मुकदमें के परिणाम की प्रतीक्षा की जायं ।

(ग) सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त 1968 है ।

"एम० एस० विश्व शान्ति" नामक जहाज

3276. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एम० एस० विश्व शान्ति" नामक जहाज रूमानिया के एक बन्दरगाह के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तथा उसके नष्ट होने के कारणों का पता लगाने के लिये विभागीय जांच की गई थी,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनायें पुनः न हों इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) (क), (ख) और (ग) : 1 मार्च 1968 को वा० पो० विश्वशान्ति जब कि रूमानिया के कान्सटैन्ट्जा के पत्तन के निकट पहुंच रहा था भूमि में धंस गया. जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश माल और पांत बिल्कुल नष्ट हो गये । नौवहन हताहत के बारे में घटना स्थल पर जांच की गई थी । मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 360 के साथ पठित धारा 362 के अन्तर्गत औपचारिक जांच का भी आदेश दिया जा चुका है । न्यायालय के निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पर्यटकों के लिए सुविधायें

3277. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के लिये सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारें केन्द्रीय पर्यटन विभाग को सहयोग नहीं दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें राज्यों की क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) पर्यटन की सुविधाओं का विकास करने के लिये सामान्य प्रक्रिया संहिता बनाने तथा एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के हेतु पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (**डा० कर्ण सिंह**) (क) और (ख) : कार्यात्मक सहयोग बढ़ाना हमेशा सम्भव है और इस प्रयोजन के लिए हर प्रयत्न किया जाता है।

(ग) पर्यटन विकास परिषद्, जो कि एक ऐसा फोरम (गोष्टी) है जहां पर्यटन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है, तथा समन्वयात्मक कार्य-प्रणाली तैयार की जाती है, पिछले 12 वर्ष से अस्तित्व में है। इसके सदस्य वर्ग में समस्त राज्यों के पर्यटन मंत्री सम्मिलित हैं तथा इसका वर्ष में एक बार केन्द्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है ।

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय पुलिस बल

3278. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** :
श्री न० कु० सांघी :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तथा उन्हें भिखारियों और अन्य व्यक्तियों से परेशानी से बचाने के लिये एक पृथक अखिल भारतीय पुलिस बल बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां. तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना धन व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : कोई अलग से अखिल भारतीय पुलिस स्थापित करने का विचार नहीं है। परन्तु राज्य सरकारों को सिफारिश कर दी गई है कि वे पर्यटकों की हिफाज़त के लिये राज्य-पुलिस के ढांचे के अंतर्गत पर्यटक पुलिस यूनिटें स्थापित करें। जहां कहीं सम्भव हो सकेगा इन यूनिटों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

इस उद्देश्य के लिये पुनरीक्षित चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि इस समय योजना आयोग को प्रस्तुत की हुई हैं, 90 लाख रुपये की एक अन्तिम व्यवस्था की गयी है। ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल

3279. **श्री विश्वम्भरन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा बनाये गये सभी कार्यकारी दलों ने अपना-अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) क्या और अध्ययन दल बनाने का प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है ; और

(ग) इस आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन के कब तक मिलने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान।

(ग) आयोग ने सूचित किया है कि इसके कार्य पूरा होने के लिए कोई तारीख बताना सम्भव नहीं है। तथा जो कुछ कहा जा सकता है वह केवल इतना है कि यह ऐसा करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहा है।

दण्डाधिकारियों तथा पुलिस के कर्त्तव्य

3280. **श्री लोबो प्रभु :** क्या गृह-कार्य मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए, कि दंगे फसादों की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए, क्या सरकार का विचार दण्डाधिकारियों तथा पुलिस के निरोधक, संरक्षी तथा दण्डात्मक कर्तव्यों को लागू करने के लिये सेवा विनियम जारी करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने तथा विशेषकर यह उपबन्ध करने का है कि दंगे शुरू होने के बाद दण्डाधिकारी को उन निरोधक कार्यवाहियों के बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए जो उसने इस सम्बन्ध में रोकथाम के लिये की है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक ऐसा निदेश जारी करने का भी है कि पुलिस अधिकारियों को उनकी सामान्य नियुक्ति की अवधि में कारण बताये बिना, जो मन्त्री द्वारा अनुमोदित हों, स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में मंत्री : श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशें उचित कार्यवाही के लिये सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। ये अगले सुझाव राज्य सरकारों के ध्यान में उनके विचारार्थ लाये जायेंगे।

विश्वविद्यालय क्षेत्र में पुलिस का प्रवेश

3281. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा प्रधान मंत्री को दिये गये उस ज्ञापन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की टिप्पणी सरकार को प्राप्त हो गई है जिसमें मांग की गई थी कि शिक्षा संस्थाओं के प्रधान की अनुमति के बिना शिक्षा संस्थाओं में पुलिस के प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री : श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि ज्ञापन में दिये गये आरोप सत्य नहीं हैं। पुलिस ने वर्दवान के उत्तरपारा कालिज तथा विवेकानन्द छात्रावास में तब प्रवेश किया जबकि कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा था। कृष्ण नगर में पुलिस बिप्रदास पोलिटेकनिक में तलाशी वारन्ट को पूरा करने के लिए की गई थी। उन्होंने किसी भी समय जादवपुर के विश्वविद्यालय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया।

(ग) सरकार राज्य सरकार के साथ सहमत है कि पुलिस ने कुल मिलाकर उग्र उत्तेजना की स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन धैर्य, होशियारी तथा उत्साहपूर्वक किया।

दिल्ली में कालेजों में दाखिला

3282. श्री रामावतार शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्ता :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी पहले की तरह दिल्ली के कालेजों में दाखिला लेने के लिये विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विज्ञान पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनमें स्थानों को अविवेकपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, अन्य पाठ्यक्रमों के दाखिले के मामले में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) और (ग) दाखिले की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र से काफी समय पूर्व एक कार्यकारी ग्रुप नियुक्त किया जाता है और विद्यमान विभागों तथा कालेजों में स्थानों को बढ़ाने के अलावा जहां कहीं आवश्यक होता है नये कालेज खोले जाते हैं । आगामी दस वर्षों के लिए कालेज की शिक्षा सम्बन्धी एक भावी योजना तैयार की जा रही है ।

Buses in Bihar

3283. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is fact that previously seven to eight buses were plying for Naubatpur in Patna District, Bihar;

(b) whether it is a also a fact that at present, not even a single bus is plying consequent to which the passengers experience much difficulty;

(c) whether Government propose to take remedial measures in this regard; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to the Government of Bihar, it is not a fact that even a single bus is not plying on the route. The Bihar State Road Transport Corporation is now doing eight trips daily with two buses. Previously, the Corporation had prepared a schedule for operation of 16 trips daily by four buses. However, due to bad road conditions, it has not been been possible to adhere to it. The original schedule will be restored as soon as the road is repaired.

Implementation of Recommendations of Kothari Commission in Bihar

3284. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the erstwhile S. V. D. Ministry of Bihar headed by Shri Bhola Paswan Shastri took a decision to implement the recommendations of the Kothari Commission in regard to school teachers;

(b) if so, whether Government have implemented them; and

(c) if not, when they are likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The State Government have Stated that the pay scales of Primary, Middle and Secondary school teachers have been revised with effect from 1st April, 1968 in accordance with the Kothari Commission's recommendations, but with certain modifications. The modifications were necessary in view of the huge financial implications involved.

Chhoti Sadri Gold Case

3285. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that in his reply sent to the Central Government in regard to the Chhoti Sadri Gold case, the Chief Minister of Rajasthan had stated that the gold which was deposited in Chittorgarh Treasury and in respect of which receipt was issued by the District Magistrate to Shri Ganpat Lal and the gold which the Police recovered from the fields etc, of Shri Ganpat Lal and prepared the Panchnama is not different but the same;

(b) if so, whether it is a fact that the two entries made in the documents show different weights of gold viz., 56 kilos 863 grams of gold as deposited in Treasury and 57 kilos of gold as recovered by the police;

(c) whether Government have investigated the matter; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Central Bureau of Investigation have looked into this point. The Gold when recovered from the fields on 16.12.1965, was weighed with the scales used for weighing grains, and the weight was found to be 57 kgs. When this gold was brought to the treasury at Chittorgarh and got reweighed with the scales of goldsmiths before being deposited in the treasury, its exact weight was found to be 56.863 kgs.

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में भूमि आन्दोलन

3286. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूमिहीन लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड कुमांऊं और नैनीताल क्षेत्रों में उनकी भूमि का आवंटन किये जाने के लिये आन्दोलन किया जा रहा है;

(क) क्या यह भी सच है कि आन्दोलनकारियों में स्त्रियां और बच्चे भी हैं, जिन्हें पुलिस ट्रकों में भर कर ले जाती है और आन्दोलन स्थान से दूर जंगल में जाकर छोड़ देती है या उन्हें हलदवानी स्थित नारी निकेतन में रखा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है 6 अप्रैल, 1968 को आन्दोलनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल खण्ड मंडलाधीश (डिवीजनल आफिसर) से मिलने गया था, परन्तु वह उनसे नहीं मिला;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने आन्दोलन-कर्त्ता गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें किन किन जेलों में रखा गया है; और

(ङ) क्या उनकी मांगों पर विचार करने और उन्हें भूमि देने का सरकार का इरादा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Recognition of M. A. (Hindi) of Kashi Vidyapeeth

3287. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the Degree of M. A. (Hindi) of Kashi vidyapeeth (Uttar Pradesh), has been recognised by Government as equivalent to that awarded by other Universities in the country;

(b) if so, whether this degree is regarded as equivalent to the Degree of M. A. (Hindi) of the Calcutta University and whether the Government of West Bengal has also recognised it;

(c) if so, whether it is a fact that the Director, Public Instruction, West Bengal Government has informed Secretary-cum-Administrator, Belgharia Texmco Estates School, Belgharia, District 24-Parganas that the M. A. (Hindi) degree awarded by Kashi Vidyapeeth to a certain Assistant Teacher of the aforesaid school, is not equivalent to the M. A. degree of Calcutta University and he cannot be given the same scale of pay, which is given to other teachers who are M. As. from other Universities; and

(d) if so, whether Government propose to take suitable action in the matter ?

Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir, for purposes of employment under the Central Government.

(b) No, Sir.

(c) The Director of Public Instruction, West Bengal, has taken this action on the ground that M. A. (Hindi) degree awarded by the Kashi Vidyapith is not recognised as equivalent to an M. A. degree of Calcutta University.

(d) On receipt of a representation from the teacher concerned, Director, Public Instruction, West Bengal, was requested to consider his case sympathetically. It is, however, for the State Govt. to accord recognition to any degree for purposes of employment under them.

Vijaya Sena in West Bengal

3288. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Home **Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University students in West Bengal have organised a Vijaya Sena to oppose the Hindi news bulletin broadcast by A. I. R.;

(b) whether it is also a fact that this Vijaya Sena would also oppose the appointment of non-Bengali employees (Government and private both) in West Bengal; and

(c) if so, Government's reactions thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) According to the information received from the State Government, at the instance of some students of the Calcutta University, an organisation styled West Bengal Bijoy Sena was formed in a meeting of the University students held inside the Calcutta University Hall on 6th April, 1968 with a view to launching an agitation demanding

introduction of Bengali in official work and reservation of 80% of posts in all Departments for Bengalis. Government have no information that the aims of the Bijoy Sena include opposition to Hindi news bulletins and to the appointment of non Bangali in West Bengal.

(c) A close watch is maintained on the activities of the organisation and appropriate action under the law will be taken as and when necessary.

जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया

3289. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया का पुनर्गठन किया है;

(ख) क्या सरकार ने मिलिशिया के असैनिक कर्मचारियों का दायित्व ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन असैनिक कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय करनी होती है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार की सहमति से मई, 1964 में जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया का पुनर्गठन किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया पर इसके असैनिक सिब्बन्दी समेत व्यय के लिए अनुदान देती है।

(ग) इन असैनिकों पर कुल वार्षिक व्यय लगभग 2 लाख रुपये हैं।

हैदराबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

3290. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षित पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा, जो शराब के नशे में चूर था, एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के कथित प्रयास के परिणामस्वरूप 29 जून, 1968 को हैदराबाद के एक उपनगर चन्द्रायणगुल्टा के निकट पुलिस की एक चौकी पर जिस भीड़ ने हमला किया था उस पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से लगभग 25 व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) निर्दिष्ट घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा अन्तिम प्रयत्न के रूप में चलाई गई लाठी और गोली के फलस्वरूप जनता के

पांच सदस्य घायल हो गये थे । 14 पुलिस वालों को, जिनमें केन्द्रीय रक्षित पुलिस के सिपाही भी शामिल है, उद्दंड भीड़ के साथ झगड़े में चोटें आई ।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान् । सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, हैदराबाद घटना की जांच कर रहे हैं और उनके प्रतिवेदन का इन्तजार किया जा रहा है । जहां तक केन्द्रीय रक्षित पुलिस का सम्बन्ध है, केन्द्रीय रक्षित पुलिस का महा निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच पड़ताल की है तथा दल के अपराधी सदस्यों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की है ।

राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री का सुझाव

3291. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के उद्देश्य से दो अथवा दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक खण्ड बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसूर के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर खण्डों को बनाने का सुझाव नहीं दिया है । उन्होंने श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के पश्चात अपने मष्तिक से गुजरने वाले कुछ विचारों को व्यक्त किया था कि अपेक्षाकृत बड़े राज्य देश में कभी कभी उत्पन्न होने वाली विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करने में वर्तमान में सहायक सिद्ध हो सकते है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में नये हवाई अड्डे

3292. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में कोई हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात राज्य में किन्हीं नये हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हो रहा है, परन्तु इंडियन एयरलाइन्स की आवश्कताओं की पूर्ति के लिये मौजूदा हवाई अड्डों का समय समय पर सुधार किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Traffic on Delhi-Shahdara Road

3293. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that great inconvenience is caused due to the double traffic being run on a narrow road between Delhi and Shahdara and consequently accidents take place there generally;

(b) if so, whether Government propose to widen this road in view of traffic congestion; and

(c) the time when the work is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) Yes, Sir. The traffic is especially heavy in the reach between the Jamuna Bridge and the Radha Talkies (Shahdara Chowk). While the lower black-topped carriageway is already 22, wide, the higher level concrete carriageway, which is 16' wide, is proposed to be widened to 24' by adding 4' on either side.

(c) The work has already been started.

पर्यटक केन्द्रों में परिवहन एकक

3294. **श्री हेमराज :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश पर्यटक केन्द्रों में कोई परिवहन एकक नहीं है;

(ख) क्या ऐसे पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक एकक स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों के नाम क्या क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने 22 मुख्य पर्यटन केन्द्रों पर स्थित 83 कार परिचालकों का अनुमोदन कर दिया है। और भी परिचालक सामने आ रहे हैं तथा भारत पर्यटन विकास निगम अपने कार्य कलाप के क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की परिवहन यूनिटें निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने के बारे में बातचीत चल रही है:

1. पटना
2. जयपुर
3. हैदराबाद
4. बैंगलोर
5. मद्रास
6. बम्बई
7. कलकत्ता
8. आगरा
9. चण्डीगढ़

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3295. **श्री हेमराज :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 19-5-1968 को नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) इस बैठक में साम्प्रदायिक स्थिति, हरिजनों की दशा तथा रेल सम्पत्ति के बचाव पर विचार विमर्श किया गया ।

ईसाई धर्म प्रचारक

3296. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम के आर्कबिशप और ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं ने लगभग 300 भारतीय ईसाई लड़कियों को, प्रत्यक्ष रूप से नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये, किन्तु वास्तव में धर्म परिवर्तन करने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये, जर्मनी भेजा है;

(ख) नर्सिंग का प्रशिक्षण दिलाने के लिये इन ईसाई लड़कियों को जर्मनी क्यों भेजना पड़ा, जबकि भारत में हजारों नर्सों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ग) इन लड़कियों को पारपत्र, किन आधारों पर दिये गये थे और उन पारपत्रों, की अवधि कितनी थी;

(घ) क्या इस तरीके से भारतीय लड़कियों की विचारधारा को प्रभावित करने के लिये ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रयासों की जानकारी सरकार को है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी ।

मिनीकाय द्वीपों में पाकिस्तानियों द्वारा पैदा किया गया आतंक

3297. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लक्कदीव में मिनीकाय द्वीपों के 24 नेता पाकिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा उत्पन्न किये गये आतंक के बारे में विरोध प्रकट करने के लिये हाल ही में नई दिल्ली आए थे;

(ख) गत पांच वर्षों में मिनिकाय द्वीपों में कितनी बार उपद्रव हुए और उनका स्वरूप क्या था,

(ग) उनकी क्या शिकायतें थी और सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिनिकोय से कुछ स्थानीय नेता जून, 1968 में भारतवर्ष के समक्ष कुछ अपनी शिकायतें रखने के लिये दिल्ली आये थे। उन्होंने द्वीप समूह में पाकिस्तानी समर्थक तत्वों द्वारा स्थापित किसी उत्पन्न किये गये आतंक की शिकायत नहीं की थी।

(ख) पिछले 8 वर्षों में मिनिकोय में हिंसात्मक ढंग की दो बड़ी घटनाएं हुई हैं:

1. फरवरी, 1965 विदेशी समुद्री जहाजों में नियुक्त मिनिकाय नाविकों ने द्वीप समूह निवासियों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने से रोका।

2. अप्रेल, 1968 अमीन केतचेरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1670/68]

मिनीकाय के नाविकों द्वारा राष्ट्रीय झण्डे का अपमान

3298. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मिनीकाय द्वीप के कुछ नाविकों ने गणतन्त्र दिवस पर हमारे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किया था तथा उन्होंने कुछ निवासियों को छुरे घोंपे थे;

(ख) क्या उन दंगों को दबाने के लिए काजीकोड से सशस्त्र सेना बुलानी पड़ी थी; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क): इस वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रानी झांसी सड़क

3299. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रानी झांसी सड़क को महत्वपूर्ण सड़क माना जाता है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इस सड़क के रख रखाव तथा मरम्मत पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें दिल्ली में वर्षा ऋतु के आरम्भ में ही रानी झांसी सड़क पर दिल्ली परिवहन की एक बस धंस गई थी, जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(घ) राजधानी में इस महत्वपूर्ण सड़क की हालत खराब होने के लिये जिम्मेदारी ठहराने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1.97 लाख रुपये।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के जल सप्लाई और सवीवेज डिसपोजल संस्थान द्वारा सड़क दो बार काटी गयी थी, एक बार गंदी नालियों के लिए और फिर पानी की नालियां बिछाने के लिये। गत वर्षा ऋतु में सड़क कुछ स्थानों पर जहां जल की नालियां बिछायी गयी थीं नीचे बैठ गयी और एक डी. टी. यू. बस उसके अन्दर घुस गयी। निगम का आयुक्त इंजीनियर (जल) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें जांच कार्य सौंपा गया है। निगम द्वारा आगे कार्यवाही रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जाएगी।

सड़क का बीच का भाग पुन: ठीक कर लिया गया है। जल वितरण और सीवेज डिसपोजल संस्थान के ड्रेनेज विभाग से भी निकासी की प्रणाली में और सुधार किया है और इस क्षेत्र में निकासी की प्रणाली में और सुधार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। निकासी प्रणाली में सुधार होने के बाद निगम का मौजूदा सड़क सतह को सुधारने और दृढ़ करने का प्रस्ताव है।

Bringing of Secondary Schools in Delhi Under Delhi Administration

3300. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether a decision was taken to bring the Secondary Schools in Delhi under the Delhi Administration;

(b) if so, whether it has been implemented; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The matter is under consideration of the Government.

एशियाई कार्मिक संघ की गोष्ठी

3301. श्री देवकी नंदन पाटोदिया : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए एशियाई कार्मिक संघ गोष्ठी का आयोजन रूस द्वारा किया गया था और उसके लिये वित्त व्यवस्था के० जी० बी० द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की उपपत्तियां क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पहले भी ऐसी तथा विभिन्न अन्य अवांछनीय गतिविधियों के लिये वित्त व्यवस्था रूस तथा चीन ने की थी और इस बात की जानकारी भारत सरकार को थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार को मालूम इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने रूस तथा चीन की सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(च) यदि हां, तो उनका क्या उत्तर प्राप्त हुआ था और यदि वह असन्तोषजनक था, तो सरकार का विचार बाद की क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने नई दिल्ली में 16 अप्रैल, से 30 अप्रैल 1968 तक वर्ल्ड फेडरेशन ग्राफ ट्रेड यूनियन की सहायता से दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापार संघ गोष्ठी का आयोजन किया था। सरकार के पास सूचना नहीं है कि इस गोष्ठी के लिए के०जी०बी० द्वारा धन व्यवस्था की गई थी।

(ग) और (घ) गत पांच वर्षों में वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन या किसी चीनी व्यापार संघ संगठन द्वारा कोई ऐसे सम्मेलन आयोजित नहीं किये गये थे। किसी गतिविधि के विशिष्ट संदर्भ न होने की स्थिति में और अधिक सूचना देना सम्भव नही है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया में यात्रा करने वालों की संख्या

3303. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1967 के दौरान एयर इंडिया द्वारा इसकी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, जिनमें पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरवेज भी हैं की अपेक्षा बहुत कम यात्रियों ने यात्राएं कीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया में एक विमान के पीछे 840 व्यक्ति नियुक्त हैं जबकि बी०ओ०ए०सी०, एयर फ्रांस, और जापान एयरलाइन्स में क्रमशः प्रति विमान 444, 324 और 257 व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों की कमी और प्रति विमान के रखरखाव के लिये इतने अधिक कर्मचारी नियुक्त करने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) सभी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के 1967 के लिए यात्री यातायात संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1966 में, एयर इंडिया ने पैन-अमेरिकन बी०ओ०ए०सी० और एयर फ्रांस जैसी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से कम यात्रियों का वहन किया। लेकिन इसने पी०आई०ए० द्वारा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं पर वहन किये गये यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया।

एयरलाइन उद्योग में, वहन किये गये यात्रियों की कुल संख्या से अधिक महत्वपूर्ण संख्या यात्री–किलोमीटरों की संख्या है। यह वहन किये गए यात्रियों की संख्या और उनके द्वारा

उडान की गयी दूरी का गुणनफल है। इस आधार पर, 1966 में एयर इंडिया का आई० ए० टी० ए० के 100 सदस्यों में अठारहवां स्थान था।

1967 में एयर इंडिया के पास 7354 कर्मचारी थे और नौ विमानों का बेड़ा था। इसी प्रकार उक्त वर्ष में एयर फ्रांस के पास 25,631 कर्मचारी और 109 विमान थे, बी०ओ०ए०सी० के पास 19,416 कर्मचारी तथा 45 विमान थे और जे०ए०एल० के पास 10,499 कर्मचारी तथा 41 विमान थे।

लेकिन ये आंकड़े स्वयं में अधिक सार्थक नहीं हैं। कर्मचारियों की संख्या अन्य बातों के साथ साथ यंत्रीकरण के स्तर पर, एयरलाइन द्वारा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों या अन्य संगठनों को प्रदान की जा रही सेवाओं पर निर्भर करती है। एयर इंडिया भारत से होकर विमान सेवाएं परिचालित करने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, और भारतीय वायु सेना के विमानों तथा उपस्कर को संधारित करने के लिए काफ़ी ग्राउण्ड स्टाफ नियुक्त किये हुए है।

चीनी में कुकी तथा मिजो लोगों का प्रशिक्षण

3305. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन में विद्रोही नागाओं के अतिरिक्त 1000 कुकी तथा मिजो विद्रोही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विद्रोहियों ने अपनी यात्रा आसाम की मिजो पहाड़ियों तथा मनीपुर के चुरचांदपुर सब-डीवीजन से आरम्भ की थी और बर्मा की सीमा तक पहुँच गये थे;

(ग) उन्हें अपनी इस लम्बी यात्रा में सुरक्षा दल तथा सीमा पुलिस द्वारा न रोके जाने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या बर्मा सरकार के सहयोग से सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुकी तथा मिजो विद्रोही दलों में मणिपुर होकर बर्मा में घुस रहे हैं, किन्तु ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनमें से एक हजार चीन को चले गये हैं और वहां प्रशिक्षण पा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) सुरक्षा उपायों का निरन्तर पुरावलोकन किया जाता है तथा उन्हें ऐसे गिरोहों का, जो छोटे दलों में कठिन तराई का लाभ उठाकर सीमा पार कर जाते हैं, पता लगाने तथा गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय बढ़ा दिये गये हैं।

नेफ़ा सेवायें

3306. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा सेवाओं में स्थानीय लोगों के लिये स्थान आरक्षित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आरक्षित स्थानों की प्रतिशतता कितनी होगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : नेफा सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 40 प्रतिशत नेफा के आदिवासी उम्मीदवारों के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव है ।

पुष्पक विमान की दुर्घटना

3307. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असैनिक तथा उड्डयन के महानिदेशक द्वारा पुष्पक विमान की दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं;

(ग) क्या दुर्घटना बैल्डिंग की त्रिटियों या विमान में घटिया सामग्री प्रयोग करने के कारण हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्य प्रवर्तन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डेनियल वाल्कॉट और जान डोंज को राजक्षमा

3308 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीन डोंज और डेनियल वाल्काट ने, जो विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत और तस्कर व्यापार के कारण बम्बई और मद्रास में दीर्घकालिक दण्ड भोग रहे हैं, राजक्षमा के लिये महाराष्ट्र सरकार को प्रार्थना पत्र दिया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार का विचार राजक्षमा सम्बन्धी उस याचिका के पक्ष में निर्णय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुल्क) : (क) जीन क्लौडे डोंज और डैनियल हेलीवाल्काट नामक बंदियों ने, जो तस्करी इत्यादि के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सजा काट रहे हैं, बम्बई में अपनी कारावास से दण्ड परिहार और भारत से निकासी के लिए केन्द्रीय गृह मन्त्री को सम्बोधित एक याचिका भेजी है ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने याचिका भारत सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेजी थी।

(ग) याचिका पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है और रद्द कर दी गई है।

हतिया (बिहार) में साम्प्रदायिक दगे

3309 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह **कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष भारी इंजीनियरी निगम के नगर, हतिया, बिहार में हुए साम्प्रदायिक दागों के दौरान पुलिस या मैजिस्ट्रेटों के पास कत्ल, और लूटने आदि की कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई;

(ख) उन शिकायतों में दर्ज अभियुक्तों या गवाहों द्वारा बताये व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितने मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं और कितने मामलों की जांच अभी भी हो रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) :(क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बैरकपुर हवाई अड्डे पर विमान का निश्चित कार्यक्रम के बगैर उतरना

3310 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1968 को कराची से आने वाला एक पेन अमरीकन बोइंग विमान 707, जो पूर्व की ओर जा रहा था, बैरकपुर हवाई अड्डे पर, जो कि रक्षित क्षेत्र है, बिना निश्चित कार्यक्रम के उतर गया;

(ख) क्या जून, 1965 में ई० वी० डैनिस नामक एक अमरीकी विमान चालक ने, जो दो इंजन वाला बीचक्राफ्ट विमान चला रहा था, बम्बई के अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करके बम्बई के ऊपर उड़ान ली और फारमूसा जाने वाले उस विमान को भुवनेश्वर में उतारा;

(ग) क्या उपरोक्त घटना के दो सप्ताह पश्चात कराची से आने वाला दूसरी बीचक्राफ्ट विमान बम्बई में उतरा था; और

(घ) क्या ब्रिटिश ओवरसीज एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक विमान निश्चित कार्यक्रम के बिना ही जुहू में उतरा और क्या ऊपर दिये गये अवतरण तस्कर व्यापार तथा जासूसी करने के लिये थे और यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। विमान जो कि कराची एवं कलकत्ता के मार्ग से बेरुत से बैंकौक की अनुसूचित उड़ान पर जा रहा था, बैरकपुर हवाई अड्डे पर इस धारणा से उतरा की वह दम दम का धावन पथ था।

(ख) 15 जून, 1965 को एक दो इंजनों वाले अमरीकी बीचक्राफ्ट को मार्ग में बुरे मौसम तथा विमान के संचार उपस्कर के काम बन्द कर देने के कारण भुवनेश्वर पर मजबूरन उतरना पड़ा। विमान चालक तथा विमान को सुरक्षा की दृष्टि से पूरी छान-बीन कर लेने के बाद 28 जून, 1965 को मुक्त कर दिया गया था।

(ग) जी, हां। सीमा शुल्क एवं आप्रवास प्राधिकारियों से निर्बाधिता (क्लीयरेंस) प्राप्त हो जाने पर विमान को अपने आगे पूर्व के मार्ग पर कलकत्ता जाने दिया गया।

(घ) एक बी० ओ० ए० सी० का कौमेट विमान जो करांची से बम्बई की अनुसूचित यात्री सेवा परिचालित कर रहा था, 16 जुलाई, 1953 को जुहू पर उतरा। छान-बीन करने पर पता चला कि विमान पाइलॉट की समझ में भूल के कारण वहां उतरा। किसी चीज से ऐसा कोई संकेत नहीं प्रात होता था कि वह विमान किसी तस्करी अथवा जासूसी गति विधियों से सम्बद्ध था।

उद्योग आयोग की स्थापना

3311 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने औद्योगिक क्षेत्र में असन्तुलन को दूर करने के लिये हर पांच वर्ष बाद एक उद्योग आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा।

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमान। विकास, नियंत्रण और विनियामक संगठनों पर अध्ययन दल ने प्रशासनिक सुधार आयोग को अपने प्रतिवेदनों में प्रत्येक पांच वर्षों के बाद एक उद्योग आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया है। प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां संसद्-पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) 20–7–68 को सरकार को प्रस्तुत आर्थिक प्रशासन पर आयोग के प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ विकास, नियंत्रण और विनियामक संगठनों पर अध्ययन दल की सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है।

Recommedations of Mathematics Reforms Committee

3312 **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the recommendations of Mathematics Reforms Committee which have been accepted and those which have not been accepted by Government and the reason therefor;

(b) whether it is a fact that top-most Mathematicians have gone abroad by and by during the last ten years; and

(c) if so, the measures being tsken by Government to improve the situation ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The recommendations made by the Mathematics Reforms Committee have been generally accepted by the University Grants Commission.

(b) According to available information 17 Professors, 16 Associate Professors and 34 Assistant Professors in Mathematics from India were working in U. S. Universities on January 1, 1967. It is not possible to say how many of them are top-most mathematicians. Information regarding other countries is not available.

(c) A statement showing the steps taken to facilitate the return of scientific and technical personnel to India, is attached.

Statement

(i) Creation of a Scientists' Pool to provide for temporary placement of well qualified Indian scientists and technologists returning from abroad.

(ii) Maintenance of Special Section of the National Register of Scientific and Technical Personnel for enrolment of Indian scientists and technologists abroad and for the circulation of their names to all Ministries, Departments of the Government of India, State Governments, Union and State Public Service Commissions, Universities, Public Sector Industries and large private sector establishments.

(iii) The Union Public Service Commission and most of the State Public Service Commissions have agreed to treat Indian scientists and technologists whose particulars appear in National Register as 'Personal Contact' candidates for all posts advertised by them. The Union public Service Commission have also made arrangements for interviewing Indian scientists and tecl nologists abroad for posts in India.

(iv) Provision for payment of travel grant to scientists, who, on their selection for appointment in research institutions in India, undertake to serve those institutions for a minimum period of three years.

(v) Creation of supernumerary posts in approved scientific institutions to which temporary appointments can be made quickly from among the scientists working and studying abroad.

Stoppage of Projects in Universities

3313 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that the projects which are under taken in the Universities with the assistance from the Universitiy Grants Commission are stopped by those Universities as soon as grants are discontinued; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Audit of Accounts of Universities

3314 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Education** be pleased to state

(a) whether the Accounts of Universities are not being audited properly; and

(b) whether Government have decided that the accounts of the Universities receiving grants would in future, be audited by the Comptroller and Auditor-General of India?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Government of India is not aware of any such general complaint. The accounts of almost all the State Universities are audited by the Accountant General or Examiner Local Fund Accounts of the State in which the University is located according to the prescribed audit procedures. In the case of the Central Universities, audit is carried out by Accountant General, Central Revenues in Delhi University and by the concerned State Accountant General in others.

(b) No, Sir.

The University Grants Commission has, however, decided that in the case of grants-in-aid sanctioned by the Commission in excess of Rs. 1 lakhs (non-recurring), the relevant accounts of the University/institution concerned would be open to test-check by the Comptroller and Auditor-General of India at his discretion.

Compulsory Teaching by All Teaching Staff

3315 Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government have decided that every teacher will have to do teaching work even if he be a Vice Chancellor; and

(b) if so, the progress made during the last year to implement the aforesaid principle and the steps taken this year ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No such decision has been taken by Government.

(b) Does not arise.

एक अमरीकी कालेज के विद्यार्थी द्वारा भारतीय संस्कृति का अध्ययन

3316 **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी कालेज ने अपनी एक पूरी कक्षा को एक वर्ष के लिये भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिये भारत भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मन्जूर कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : बंगलौर विश्वविद्यालय ने पेसिफिक विश्व विद्यालय, स्टोकटन, केलिफोर्निया, अमरीका के केलीसन कालेज के सहयोग से एक योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत केलीसन कालेज के लगभग 80 विद्यार्थियों को एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में अनियमित विद्यार्थियों के रूप में दाखिल किया जाएगा। वे उनका खाने, रहने, शिक्षा शुल्क आदि का सभी खर्च वहन करेंगे। वे एक भारतीय भाषा, भारतीय सभ्यता, 1900 से बाद की भारत की राजनीति, आर्थिक भूगोल, भारत के धर्म तथा भारत की कलां का अध्ययन करेंगे।

(ग) जी हां।

दिल्ली में बस दुर्घटनाएं

3317 श्री राम सेवक यादव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में दिल्ली परिवहन की बसों की कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) उन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा दिल्ली परिवहन की बसों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Law and Order in Kerala

3318. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received information to the effect that some people in some areas of Kerala are trying to spread anarchy by resorting to subversive and violent activities in an organised way; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government to remedy the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir,

(b) Does not arise.

Tihar Jail, New Delhi

3319 **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steps are being taken to bring the Central Jail, Tihar under the Delhi Administration for better administration and a Committee has been constituted to draft a new Jail Manual; and

(b) if so, whether this Committee has tried to elicit the opinion of the subject of Members of Parliament, various political parties and social leaders also ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Central Jail, Tihar, has been under the control of Delhi Administration since 1st August 1966. A Committee consisting of the following has been consitituted to compile a Jail Manual for Delhi :—

(1) Inspector General of Prisons, Delhi.

(2) Superintendent, Central Jail, Delhi.

(3) Shri Ram Swarup Vidyarthi, M. P.

(4) Shri V. P. Joshi, Advocate.

(5) Professor Ram Singh

(6) Shri Prakash Dutt Bhargava, Advocate.

(b) Not yet. The Committee is free to consult anybody it feels necessary.

Complaints of Shephard, Mulu, from Madhya Pradesh

3320 Shri Sitaram Keshri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken in regard to the assurance given by him to a shephard, Mulu, of village Khimlasa of Saugar District who came to Delhi on foot to get justice in the case of murder of his wife and son; and

(b) the action taken for the safety of the rest of his family ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b): Shri Mulu, a shepherd from Madhya Pradesh, had an interview with the Home Minister and gave a petition requesting for investigation into the case of deaths of his family members. The petition has been sent to the Government of Madhya Pradesh for necessary action.

Hooliganism in Delhi

3321 Shri Sita Ram Kesri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that hooliganism has reached its extreme in Delhi;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the press reports about the complete control by bad elements at Chandranagar Bus stop, Delhi;

(c) if so, the steps being taken by Government to protect the life of the public and honour of women from such persons; and

(d) whether any special measures have been adopted at Chardranagar bus stop ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a), (b), (c)and(d) : Only one case of eveteasing was reported to Delhi Police in the recent past from the vicinity of Chandranagar Bus Stop, Delhi. One person was apprehended on this report and action u/s 107/151 Cr. P. C. was taken by the Delhi Police, No complaints were received by Delhi Police about exterme hooliganism in this area.

Apart from general patrolling done by Police in this area, a Constable has been detailed for duty at Chandranagar bus stop.

Burning Alive of Five Persons in Mahoba (U. P.)

3322. Shri Sitaram Kesri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the press that in Mohala Bandh Village, about 20 miles away from Mohaba (U. P.). five persons who were working on a well were burnt alive for allegedly teasing a girl;

(b) whether Government have obtained information from the State Government about this murder; and

(c) if so, the details thereof and action taken or proposed to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) to (c) : It is reported by the Government of Uttar Pradesh that on 23rd June 1968, a complaint was lodged with the local police in Mahoba, District Hamirpur alleging that 5 persons were killed while working inside a well. It was also alleged that they were killed by two persons who threw boulders on them. The alleged culprits subsequently threw some burning 'thatch and wood' into the well resulting in burns to the bodies of the deceased.

A case u/s 302 IPC was registered by the local police and one of the two persons named was arrested. The other person surrendered to court. The case is under investigation.

केरल में अन्तर्देशीय जल मार्गों का विकास

3323 **श्री अदिचन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में उस राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और,

(ग) क्या केन्द्र ने इन प्रस्तावों की मन्जूरी दे दी है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी नहीं। केरल सरकार ने रिपोर्ट की है कि प्रस्तावों का निरुपण उनके द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

प्रशासनिक सुधार आयोग का पुलिस प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन दल

3324 **श्री अदिचन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा स्थापित किये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने इस सम्बन्ध में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) : कार्यकारी दल की रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों की प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं। कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग के विचार के लिए है। आयोग को विषय पर अपनी सिफारिशें अभी सरकार को देनी हैं। सरकार द्वारा इस अवस्था में कोई निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता :

केरल में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के किए सुन्दर स्थानों का विकास

3325 **श्री अदिचन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आने वाले बहुत थोड़े पर्यटक केरल जाते हैं जबकि उस राज्य बहुत में सुन्दर स्थान आकर्षक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे उस राज्य की ओर और अधिक पर्यटक आकर्षित हों ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : यह सच है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का एक अल्प प्रतिशत ही केरल जाता है, परन्तु बहुत से अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है । वास्तव में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास, आगरा, तथा इनसे दूसरे दर्जे पर बनारस, जयपुर, बंगलौर, श्रीनगर, अहमदाबाद और औरंगाबाद को छोड़ कर कोचीन और त्रिवेंद्रम भारत में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक पर्यटक आकृष्ट करते हैं ।

(ग) हमारे विदेशों में स्थित कार्यालयों द्वारा किये जा रहे प्रचार कार्य में केरल को पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है । अन्य क्षेत्रों के साथ साथ केरल से संबद्ध टूरिस्ट फोल्डर, इन्सर्ट, गाइड-बुकें, पोस्टर, पिक्चर पोस्ट कार्ड तथा डाक्यूमेंटरी फिल्में भी विस्तृत रुप से वितरित की जाती हैं ।

Execution of Three Language Formula

3326 **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have accepted the three language formula proposal at the Secondary standard on the basis of National Educational Policy;

(b) whether efforts are proposed to be made to impart compulsory and free education to the boys and girls of the age of six to fourteen years in all the States and Union Territories;

(c) whether it is proposed that the teachers will be given the status and honorarium in commensurate with their ability and responsibility and their educational liberty will be protected so far as research work and their publication is concerned and they will be allowed to speak and write on National and International teachings;

(d) whether it is proposed to make efforts for the development of fifteen Indian languages and for making them the medium of instruction at University level;

(e) whether it is proposed to take some special steps particularly for girls and for the students of scheduled and other backward classes; and

(f) whether it is proposed to give priority for the development of Agricultural education ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a), to (f) ; Yes, Sir. A copy of the Government Resolution on National Educational Policy is attached. **(Placed in the library. See. No. LT 1672/68)**

बिहार में गंगा के घाटों को जाने वाली सड़कें

3327 **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के सरना मुजफ्फरनगर, दरभंगा पटना, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया तथा अन्य स्थानों पर गंगा पर कई घाटों को मिलाने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कोई उपबन्ध रखा गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या प्रगति की गई थी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कोसी तथा गंडक को राष्ट्रीय जलमार्ग बनाना

3328. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिये कोसी नदी का जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या कोसी तथा गंडक नदियों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये एक कानून बनाने का सरकार का विचार है, ताकि इन जलमार्गों तथा नौवहन के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी बिहार सरकार पर न रहे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गंगा में व्यापारिक परिवहन सेवा

3329. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में व्यापारिक परिवहन सेवा चलाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये राजमहल से इलाहाबाद तक यातायात सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) इलाहाबाद और राजमहल के संभाव्य यातायात के आधार पर उक्त क्षेत्र में गंगा नदी में वाणिज्यिक सेवाएं चलाने की शक्यता बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श में जांच की गयी । इन राज्य सरकारों की राय है कि यह योजना प्रारम्भ में घाटे में चलेगी । अतः इस विषय की फिर जांच की जा रही है ।

दिल्ली में हत्याएं

3330. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-जून, 1968 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आत्महत्या और हत्या के कितने कितने मामले थानों में दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामलों का निपटारा पुलिस द्वारा किया गया अथवा कानून के अनुसार कार्यवाही की गई;

(ग) थानों में कितने मामले बिना निपटाये पड़े हैं; और

(घ) हत्या के मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिलाया गया ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1-1-1968 से 30-6-1968 की अवधि में दिल्ली के संघ राज्य के क्षेत्र में हत्या के 42 मामले सूचित किये गये। इसी अवधि में सूचित की गई 82 मौतों का वर्गीकरण 'आत्महत्या' के रूप में किया गया था।

(ख), (ग) (घ) हत्या के 42 सूचित मामलों में से पांच पर मुकदमा चल रहा है, 33 पर जांच की जा रही है तथा तीन में अभी तक कोई पता नहीं चला। एक मामला रद्द कर दिया गया था।

दिल्ली का उप-राज्यपाल

3331. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने समय से पूर्व ही सेवा निवृत होने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने भारतीय सिविल सेवा से समयपूर्व सेवा निवृत्ति मांगी थी न कि दिल्ली के उप-राज्यपाल के पद से।

(ख) उनके द्वारा इस अनुरोध के कारण नहीं दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी

3332. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सलाहकार परिषद ने यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कर्मचारियों की, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था तथा जिसको इस कारण बर्खास्त किया गया था अथवा नौकरी से निकाला गया था, पुनः नौकरी पर रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Law and Order Situation in Delhi

3333. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has not been any appreciable improvement in the law and order situation in Delhi;

(b) the steps proposed to be taken during the next six months to improve the same;

(c) how many times the Police officers of the rank of the Deputy Superintendent of Police and above personally went on rounds in the streets during the last three months; and

(d) whether they have submitted any report to Government in the matter ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The law and order/crime situation in Delhi during the first six months of 1968 has been under control and a comparison with the corresponding period of 1967 shows that there has been a decrease in the total number of reported crime. A number of schemes to modernise Delhi Police through better means of communications and scientific aids to investigation have been recently sanctioned and are in the process of implementation. This will further improve the operational efficiency of the Delhi Police.

(c) 762 night rounds were made by the Police officers of and above the rank of Dy. Superintendent of police for the period from 1.5.68 to 31.7.68.

(d) Yes, Sir.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या

3334. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें किन-किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या जनसंघ के नेताओं ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई जांच दोषपूर्ण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के सिलसिले में ग्यारह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । इनमें से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अधीन, एक ललिता चमार नामक व्यक्ति जिसका उप नाम मंगली था, छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अभियोग अधिपत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था । जहां तक अन्यों का सम्बन्ध है उन पर जैसा कि निम्नलिखित है, अभियोग चलाये जा रहे हैं:–

1, भरत लाल उपनाम भरत पुत्र चन्ना डोम निवासी मान मन्दिर घाट, पुलिस थाना दशास्वमेध, वाराणसी ।

2. राम अवध पुत्र सूरत निवासी ग्राम गुलेरिया, जिला देवरिया, वर्तमान मकान नं० 44, नया महल मुगलसराय ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के साथ पठित 379,34 के साथ पठित 302,404 तथा 201 धाराओं के अधीन : (राम अवध के मामले में लागू नहीं है)

3. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 411 के अधीन, ललता प्रसाद पुत्र अच्छेबर, 44, नया महल, मुगलसराय ।

4. श्रीमती मुन्नी पत्नी शम्भू डोम निवासी पीताम्बरपुर, पुलिस थाना भेलपुर, वाराणसी ।

5. राधेश्याम पुत्र शम्भू डोम निवासी पीताम्बरपुर, पुलिस थाना भेलपुर, वाराणसी ।

6. मनिक पुत्र चन्ना डोम निवासी मन मन्दिर घाट, पुलिस थाना दशाश्वमेध, वाराणसी ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन :(राधेश्याम के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 भी शामिल करली गई है)

7. मौती पुत्र चेद्दी, निवासी मोहल्ला दशाश्वमेध सत्ती, पुलिस थान दशाश्वमेध, वाराणसी ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन :

8. माल्लू पुत्र केतकू, निवासी नवाबगंज, पुलिस थाना भेलपुर, वाराणसी ।

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन :

9. अब्दुल अजीज, पुत्र लल्लू, निवासी नवाबगंज पुलिस थाना भेलपुर, वाराणसी ।

10. श्रीमती इन्दु पत्नी भगवान डोम, निवासी पीताम्बर पुर, मकान नं० 6193– बी भेलपुर, वाराणसी ।

भारतीय दंड संहिता 411 के अधीन : भरत लाल तथा राम अवध सत्र न्यायालय को सौंप दिये गये हैं । अन्यों के विरुद्ध मामले अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ख) जन संघ के नेताओं ने समय समय पर इस मामले की जांच से सम्बन्धित कुछ प्रश्न अवश्य उठाये थे और उनकी जांच पड़ताल की गई थी ।

(ग) जन संघ के नेताओं द्वारा उठाई गई बातें तथा उनके बारे में की गई कार्यवाही उन मामलों से सम्बन्धित हैं जो न्यायालय में हैं ।

Manuscripts Sent to Press By C. S. T. T.

3335. **Shri Ram Swarup Yidyarthi :** Will the Minister of Education be pleased to state the particulars of the manuscripts sent by the Commission for Scientific and Techni-

cal Terminology to the different presses for printing along with the names of these presses as well as the terms and conditions of printing ?

Minister of State for Education (Shri Sher Singh) : A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in the library. See. No L. T. 1673/68**]

Office for Commission for Scientific and Technical Terminology.

3336. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission for Scientific and Technical Terminology has been allotted full office accommodation in Ramakrishnapuram, New Delhi;

(b) if so, whether it is also a fact that some sections have not so far been shifted from Gurzon Road to Ramakrishnapuram; and

(c) if so, when these sections would be shifted to Ramakrishnapuram ?

The Minister of state in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Only the Publication Unit of the Commission has not yet been shifted from Gurzon Road to the new premises at Ramakrishnapuram. The question of shifting this Unit to the new premises is also under consideration.

आसाम में मारवाड़ी लोग

3337. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में बसे हुए मारवाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों को कोई राहत दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) यह सही नहीं है कि आसाम में मारवाड़ियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तथापि खाद्य आन्दोलनों में मारवाड़ियों सहित व्यापारी समुदाय के वर्ग आक्रमण के लक्ष्य रहे है। गोहाटी में गणतन्त्र दिवस की घटनाओं में भी मारवाड़ियों समेत व्यापारी समुदायों के सदस्यों को हानि पहुँची थी। इन अशान्तियों से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार ने निःशुल्क राहत के रूप में 21,000 रू० तथा पुनर्वास ऋणों के रूप में 24,07,000 रू० स्वीकृत किये।

दिल्ली में अपहरण के मामले

3338. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों में, प्रतिमास, हत्या, अपहरण, तस्करी, चोरी तथा दंगों के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) क्या सरकार ने राजधानी में हत्याओं के सामान्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत तीन महीनों में दिल्ली में रजिस्टर्ड किये गये ऐसे मामलों की संख्या निम्नलिखित है :

मास	हत्या	अपहरण	तस्करी	चोरी	दंगे
मई	5	11	32	712	7
जून	3	19	6	789	5
जुलाई	9	19	8	807	7

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1963 में दिल्ली में हत्याओं का अध्ययन किया गया है;

(ग) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर कानून तथा व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाता है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

नगर में प्रभावशाली ढंग से तथा सुविधापूर्वक गश्त करने और अपराध की योजनाबद्ध तरीके से जाच करने के लिये दिल्ली पुलिस को विज्ञान की सहायता से जांच करने तथा संचार के साधनों से जांच प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिये अनेक योजनाओं की मंजूरी दी गई हैं। इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

कलकत्ता बन्दरगाह से अनाज की चोरी

3339. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह से भारी मात्रा में अनाज हाल ही में चोरी हुआ पाया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। कुछ चोरी और उठाईगीरी के मामलों की रिपोर्ट की गई थी।

(ख) और (ग) चूंकि किसी विशाल पैमाने पर खाद्यान्न की उठाईगिरी नहीं हुई, अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व नरेशों पर मुकदमा चलाने की अनुमति

3340. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व नरेशों पर अदालतों में मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कितने आवेदन पत्र उनके मंत्रालय में अनिर्णीत पड़े हैं तथा कितने कितने समय से;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने की संभावना है, सभी लोगों को सामन्य रूप से अनुमति देने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कानूनों में संशोधन करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सात-पांच मामले एक मास से कम अवधि से, एक $1\frac{1}{2}$ मास से, तथा एक $3\frac{1}{2}$ मास से अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) तथा (ग) किसी भूतपूर्व नरेश पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने के आवेदनों पर वर्तमान विधि तथा नीति के अनुसार विचार किया जाता है तथा वे यथासम्भव शीघ्र निपटाये जाते हैं।

सरकार ने भारतीय रियासतों के भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का सिद्धान्त रूप में एक सामान्य निर्णय लिया है, किन्तु ब्यौरे अभी निर्धारित करने हैं। व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा 87-ख पर अन्य बातों के साथ-साथ विचार किया जायगा।

Ayyar Commission

3341. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to State:

(a) whether the Bihar Government had appointed Ayyar Commission last year to investigate the allegations of corruption and abuse of powers by former Ministers;

(b) if so the names of such of the former Ministers whose movable immovable properties as also allegations of abuse of power have been examined upto the 19th July, 1968; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of state in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The commission has not yet commenced any specific enquiry with regard to the movable and immovable properties of the former Ministers. The commission has given time up to 2nd September, 1968 to the former Ministers to inspect the documents and submit their representation in respect of specific charges, filed on behalf of the State Government, against them.

Use of Taxi as Jeeps in Uttar Pradesh

3342. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:

(a) the number of taxis and the names of the persons who have been permitted by the Transport Department of Uttar Pradesh till June, 1968 to use them as Jeeps region-wise, and District-wise;

(b) the seating capacity fixed for such taxis/jeeps;

(c) whether it is a fact that Government have received complaints that the owners of such taxis/jeeps accommodate more passengers as against their seating capacity or that news to that effect have appeared in the newspapers; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (d) The necessary information is being obtained from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Road Accidents in U. P.

3343. **Shri Molahu Prashad** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the trucks in Uttar Pradesh ply with one light on instead of two lights, thus causing road accidents very often, as has been reported by Aj (Varanasi) of the 20th June, 1968; and

(b) if so, the steps taken by Government to check the occurrence of such accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport & Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a)and(b) The necessary information is being obtained from the Government of U. P. and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Official orders of Uttar Pradesh Government

3344. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to lay a copy each of the official orders issued by the Government of Uttar Pradesh from April, 1967 to June 1968 on the Table; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) Only copies of such statutory Rules and Orders which are required under law to be laid before the State Legislature are laid before Parliament by virtue of the Proclamation, issued by the President on 25th February, 1968 in respect of the State of Uttar Pradesh, declaring that the powers of the State Legislature are exercisable by or under the authority of Parliament.

Gradual Decay of Hindus

3345. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article published on page 9 of Weekly-special issue of Dainik Aj of the 23rd June, 1968 under the heading 'Hinduon ka Kramik Hras Ka Karan' (reasons for the gradual decay of Hindus); and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) Yes, Sir. The article draws attention to what the author believes to be weaknesses in Hindu society. This is a matter of internal social reform for the community to consider, consistently with our national ideals of secularism and democracy.

पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी

3346. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य की पी० एस० सी० परीक्षा में पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारियों ने वहां की न्यायिक तथा पुलिस सेवाओं के अधिकारियों ने वहां की न्यायिक तथा पुलिस सेवाओं के अधिकारीयों से अधिक अंक प्राप्त किये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1962 से अब तक पश्चिम बंगाल राज्य न्यायिक सेवा से उच्चतर न्यायिक सेवा में 21 प्रतिशत पदोन्नतियां तथा पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा में भारतीय पुलिस सेवा में 21 प्रतिशत पदोन्नतियां पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर की गई थी;

(ग) क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में भी वेतन तथा सेवा की शर्तें भारतीय प्रशासनिक सेवा की ही तरह हैं; और

(घ) क्या भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नति के विनियम बिल्कुल इसी तरह के हैं ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अध्यात्मिक सम्मेलन

3347. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टेम्पल आफ अन्डरस्टैंडिंग" वाशिंगटन को अक्टूबर, 1968 में अध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस संस्था को अमरीका की सैंट्रल इंटेलीजैंस एजेंसी का भाग समझा जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में जांच करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी नहीं, श्रीमान् । गैर-सरकारी सम्मेलनों के लिये सामान्यतः ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं है ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में आयुक्त

3348. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में आयुक्तों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं तथा तन्निम्न नियम (नेक्स्ट बिलो रूल) के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को वह वेतनमान मिल रहा है;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा उच्चतर न्यायिक सेवा में "सुपरटाईम" वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति के काल में किसी व्यक्ति का तन्निम्न नियम के अन्तर्गत अधिलंघन नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सिविल सेवा के मामले में भी यही पद्धति लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार से अतिरिक्त राशि देने में राज्य के खजाने से कितना व्यय अधिक करना पड़ेगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) पश्चिम बंगाल में आयुक्तों और समकक्ष पदों के 16 पद हैं। अब कोई अधिकारी तन्निम्न नियम के अन्तर्गत वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है :

(ख) भारतीय प्रसाशनिक सेवा और उच्चन्यायिक सेवा में सुपर-टाईम वेतन मान वाले पद चयन पद है और ऐसे पदों के चयन में कुशलता मुख्य लक्षण है। ऐसे पदों पर केवल वरियता के आधार पर कोई अधिकारी नियुक्ति का अधिकारी नहीं होता। यदि एक अधिकारी कुशलता के आधार पर ऐसे पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। ऐसे मामले में तन्निम्न नियम लागू नहीं होता है।

(ग) राज्य असैनिक सेवा में तन्निम्न नियम लागू करने में कोई बाधा नहीं है। यदि लागू करने की पूर्व शर्तें पूरी की गई हों।

(घ) अतिरिक्त राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसा कोई अधिकारी तन्निम्न नियम के अन्तर्गत वेतन नहीं प्राप्त कर रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय पुनर्विलोकन समिति

3349 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुस्तकालय के प्रशासन तथा अन्य कार्यों के पुनर्विलोकन के लिये एक राष्ट्रीय पुस्तकालय पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष श्री बी० एस० केशवन और वर्तमान पुस्तकालयाध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो समिति में भूतपूर्व और वर्तमान पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस सचाई के अलावा कि उनका राष्ट्रीय पुस्तकालय से गहरा सम्बन्ध है और उसकी समस्याओं से परिचित है, वे दोनों देश के पुस्तकालयों के विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ भी हैं।

बम्बई बन्दरगाह

3350 **श्री यशपाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह के एक न्यासी ने सरकार से कहा है कि बन्दरगाह में भीड़ भाड़ के कारणों का पता लगाने, जिनके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की हानि होती है, एक समिति बनाई जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

Opening of Degree College in Pauri Garhwal District

3351 Shri Ram Charn :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that District Pauri Garhwal of Uttar Pradesh is the most backward area so for as literacy is concerned;

(b) whether it is also a fact that at present there is only one degree college in that District; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government for the advancement of literacy in that area ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Ajad) (a) to (c): The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha when received.

देहाती सड़कों का विकास

3352. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देहाती सड़कों सम्बन्धी एक जोरदार योजना तैयार की है जो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार और संघ-राज्य क्षेत्रवार कितना-कितना धन नियत किया गया है; और

(घ) क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक देहात को शेष देश के साथ किसी सड़क सम्पर्क से लाने का होगा और यदि हां, तो इस उद्देश्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने हेतु देहाती सड़कों के लिए कोई जोरदार योजना नहीं बनाई है। संविधान के अन्तर्गत वह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजपथों से सम्बन्धित है और अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। फिर भी समूचे देश में देहाती सड़कों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व देहाती सड़कों सम्बन्धी एक सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जिसने हाल में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, मुख्य सिफारिशों सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्यों को भेज दी गई हैं।

समिति ने समूचे देश के लिए देहाती सड़कों के बारे में अनुमान लगाया है और किसी राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र के बारे में अनुमान नहीं लगाया है।

समिति द्वारा देहाती सड़कों के जिस कार्यक्रम की सिफारिश की है उसके अन्तर्गत 20 वर्षों में प्रत्येक ग्राम को (1) विकसित तथा कृषि क्षेत्र में, पक्की सड़क के चार मील के अन्तर्गत तथा अन्य सड़क के 1.5 मील के अन्तर्गत।

(2) अर्ध विकसित क्षेत्र में, पक्की सड़क के 8 मील के अन्तर्गत तथा अन्य सड़क के 3 मील के अन्तर्गत।

(3) अविकसित तथा बिना खेती वाले क्षेत्र में पक्की सड़क के 12 मील के अन्तर्गत तथा अन्य सड़क के 5 मील के अन्तर्गत लाना सम्भव होना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की शैक्षणिक पहलुओं सम्बन्धी उप-समिति

3353. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की शैक्षणिक पहलुओं सम्बन्धी उप-समिति ने सुझाव दिया है कि आगामी वर्ष आरम्भ होने से पहले किसी विद्यार्थी का किसी राज्य का अधिवासी न होने के आधार पर उस राज्य की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के दाखिले पर प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को क्या हिदायतें दी हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने सिफारिश की है कि ऐसे प्रतिबन्धों को यथाशीघ्र हटा दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से मिलकर इस प्रश्न को हाथ में ले लिया है।

पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी

355. **श्री वेंगलराया नायडू :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 11 जून, 1968 को गंगानगर जिले में सीमा पर भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करते समय चार पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये पाकिस्तानी नागरिक उत्तर प्रदेश गये थे और अपने रिश्तेदारों से मिले थे और वे पाकिस्तान द्वारा भारत में जासूसी करने के लिये भेजे गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे उत्पन्न किये थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक ठहरे हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(च) उन्हें वापिस भेजने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा आतंक फैलाया जाना

3356. **श्री चगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अं बुचेजियान :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की सीमा के निकट कुछ गांवों में मिजो और कुकी विद्रोहियों के एक बड़े दल ने आतंक फैला रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वचालित हथियारों से लैस विद्रोही लोग ग्रामवासियों को आतंकित कर रहे हैं और जबरदस्ती हथियार और धन इकट्ठा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनको रोकने के लिये सीमा सुरक्षा पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ गांवों से विद्रोहियों द्वारा जबरन धन और राशन इकट्ठा करने की खबरें हैं । जबरन हथियार एकत्रित करने का कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ग) सुरक्षात्मक उपाय मजबूत कर दिये गये हैं और सीमा पर सुरक्षा चौकियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं ।

मिजो लोगों के साथ मुठभेड़

3357. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अं बुचेजियान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 के पहले पखवाड़े में मिज़ो पहाड़ी जिले में मिजो विद्रोहियों तथा सुरक्षा सेना में बहुत-सी मुठभेड़ें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मिज़ो विद्रोही मारे गये तथा कितने पकड़े गये;

(ग) क्या उनसे कुछ विदेशी गोला बारूद बरामद हुआ था; और

(घ) भारतीय सुरक्षा दल को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जुलाई, 1968 के पहले पखवाड़े में मिज़ो पहाड़ियों में सुरक्षा दलों और मिजो विद्रोहियों के बीच दस मुठभेड़ें हुई थीं।

(ख) इस अवधि में 13 विद्रोही मारे गये और 32 पकड़े गये।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) सुरक्षा दलों में कोई हताहत नहीं हुआ।

नई दिल्ली इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के कार्यालय का स्थान परिवर्तन तथा नवीकरण

3358. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर तो प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता करने के लिये कड़े उपाय किये जा रहे हैं, और दूसरी ओर नई दिल्ली में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के कमरे को ऊपरी मंजिल से नीचे की मंजिल पर स्थानान्तरित करने और उसे नया रूप देने पर 60,000 रुपये व्यय किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के फालतू व्यय न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। लेकिन इण्डियन एयरलाइन्स की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध 'फ्लोर स्पेस' में कुछ पुनर्व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था परिवर्तन की अनुमानित लागत लगभग 42,000 रुपया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

3359. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में हड़तालों में भाग लेने के कारण मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था; और

(ग) कितने कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन और भत्ते अभी नहीं दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचनानुसार कर्मचारियों के, उन्हें निलंबित करने के बाद, सात मामले ऐसे हैं जिनमें विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं। इनमें से तीन कर्मचारियों ने लेख्य याचिका दर्ज की है तथा उच्च न्यायालय के आदेशों पर विभागीय कार्यवाही रोक दी गई है। झगड़े एवं सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने के अभियोग में आठ मामलों में जांच या मुकदमा चल रहा है तथा 34 कर्मचारियों पर भी ऐसा अभियोग लगाया गया है।

(ख) औपचारिक कार्यवाहियों के बाद पांच कर्मचारी नौकरी से हटा दिये गये थे।

(ग) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचनानुसार ऐसे केवल दो कर्मचारी हैं। उन्हें वेतन तथा भत्ते इसलिए नहीं दिये गये हैं क्योंकि उन्होंने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देने से तथा आवश्यक शर्तों को पूरा करने से इन्कार कर दिया था।

सड़क विकास योजना

3360. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिये 60 वर्षों की अवधि के लिये एक व्यापक सड़क विकास योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नैपाल की सीमा के साथ लगने वाले जिलों से सड़कों का समुचित विकास करने के कार्यक्रमों की ओर उचित ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नैपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनके लिये, जिलेवार, कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाना

3361. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोध) अधिनियम के अन्तर्गत अब तक किन्हीं संगठनों या पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मीजो नेशनल फ्रन्ट को अधिनियम के अन्तर्गत एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया है।

(ख) मिज़ो नेशनल फ्रन्ट को एक अवैध संस्था घोषित किया गया क्योंकि :—

(i) इसने अपने उद्देश्यों में असम के मिज़ो जिले तथा मनीपुर तथा त्रिपुरा के मिज़ो-कुकी लोगों के रहने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र मिज़ोरम राज्य का गठन स्पष्ट रूप से घोषित किया था।

(ii) इसने एक सशस्त्र सेना बनाई तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा उक्त जिले तथा क्षेत्रों के भारतीय संघ से अलग करने के बारे मे एक संगठन स्थापित किया, और

(iii) यह अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, तथा मणिपुर तथा त्रिपुरा, असम के मिज़ो तथा कछार जिलों के नागरिकों, सिविल सरकार तथा सुरक्षा दलों पर आक्रमण करने के लिए सशस्त्र सेना का नियोजन, तथा सिविल आबादी के विरुद्ध आगजनी लूट तथा डांट डपट के कार्यों में लगे रहता था।

गुजरात में तटीय राजपथ

3362. श्री रा० की० अमीन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में लगभग 1000 मील लंबा तटीय राजपथ बनाने के लिये अनुमानतः 25 करोड़ रुपये खर्च होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर्थिक एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुये पंचवर्षीय योजना में इतनी धनराशि की व्यवस्था करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य के विचार में तटीय सड़क है जो बड़ौदा- कैंबे- भावनगर- वीरावल- पोरबंदर- ओखा- मलिया रोड होती हुई बड़ौदा को मलिया से मिलाती है। चूंकि यह राज्य सड़क है इसके निर्माण का मुख्य दायित्व गुजरात सरकार का है। यह सड़क 588 मील लंबी है और कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी हुई सूचना के अनुसार इसके विकास पर लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है। राज्य सरकार इसके विकास के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये जोर दे रही है, और उसके द्वारा सप्लाई किये गये आंकड़ों की परीक्षा की जा रही है। नये चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जा सकता है, किन्तु इस बीच, बवालियारी और भाटनगर के बीच 22 मील लंबी बड़ौदा–भावनगर सड़क के अनुभाग के निर्माण के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव को और केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य सरकार को दिये आवंटन को 47.23 लाख रुपये के प्राक्कलित व्यय के विकलन को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है।

अजन्ता और एलौरा की गुफायें

3363. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि परिरक्षण उपायों के अपर्याप्त होने के कारण अजन्ता और एलौरा की गुफाओं की दीवारों पर अंकित प्राचीन भित्ति-चित्र बुरी तरह जीर्ण-शीर्ण होकर खराब हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में किसी अज्ञात व्यक्ति ने "काली राजकुमारी" के विख्यात भित्ति-चित्र पर चाकू से गहरा छेद कर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि औरंगाबाद क्षेत्र में कोई परिरक्षण इन्जीनियर नहीं है और अधीक्षक पुरातत्वविद के कार्यालय में कर्मचारी कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है कि अजन्ता और एलोरा की गुफाओं की चित्र-कलाएं जीर्ण-शीर्ण होकर खराब हो रही हैं। चित्रों के सामान्य अनुरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सावधानी बरती जाती है।

(ख) जी हां। चित्रित धरातल की उस तंग पट्टी को भित्ति से हटा दिया गया है, जिसे किसी अज्ञात शरारती व्यक्ति ने किसी औजार से खराब कर दिया था।

(ग) और (घ) इस सर्किल में सहायक अधीक्षक पुरातत्व इन्जीनियर के दो स्थान रिक्त हैं। जैसे ही इन स्थानों की पदोन्नति के लिए उपयुक्त औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, इन्हें पूर्ण कर दिया जायेगा। इस सर्किल के भिन्न-भिन्न श्रेणी के कुल 229 स्थानों में से केवल 19 रिक्त थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 19 रिक्त स्थानों में से 14 को पूरा करने के लिए सर्किल अधीक्षक पुरातत्वविद को अनुदेश पहले ही भेज दिए हैं। बाकी रिक्त स्थानों के भरने पर विचार किया जा रहा है।

Police Medals

3364. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an announcement has recently been made awarding Police Medals by the President to certain Police Officers of Madhya Pradesh who died while on duty;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the arrangements made for the maintenance of the families of those martyr police officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a)and(b) The following Police Officers of Madhya Pradesh have been awarded President's Police and Fire Services Medal and the Police Medal for gallantry posthumously in March and July, 1968, respectively :-

In March :

President's Police & Fire Services Medal

(i) Shri Bhagat Singh, Head Constable.

(ii) Shri Ram Swaroop, Constable.

In July :

Police Medal :

(i) Shri Shanker Singh, Platoon Commander.

(ii) Shri Som Bahadur, Constable.

(iii) Shri Jagpal Singh, Constable.

(c) The widows of the deceased Head Constable and Constable who have been awarded President's Police and Fire Services Medal posthumously are entitled to monetary allowance of Rs. 15 and Rs. 10 per month respectively and the widows of those awarded the Police Medal are entitled to monetary allowance at half the above rates. In addition they would also be entitled to the extraordinary pension/gratuity as admissible under the State Rules.

होटलों में ठहरने की व्यवस्था

3365. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में अच्छे होटलों की बड़ी कमी है और इस कारण पर्यटन को बड़ी हानि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रमुख नगरों में विद्यमान अच्छे होटलों ने अपनी दरें अवमूल्यन से पहले की दरों से अधिक बढ़ा दी हैं;

(ग) भारत में अतिरिक्त लोगों के ठहरने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये चालू वर्ष का कार्यक्रम क्या है और इसके लिये चौथी योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) चौथी योजना में पर्याप्त होटल और पर्यटन की सुविधाओं के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर होटल आवास की अत्यधिक कमी है, तथा इससे पर्यटन के विकास को बड़ी बाधा पहुंचती है।

(ख) कुछ होटलों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं, परन्तु अब भी भारत में होटलों द्वारा दी जाने वाली शुल्क-दरें शुल्क दरों के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीची हैं।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि एक सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यम है, बैंगलोर में एक होटल बना रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों के निर्माण के लिये दस करोड़ रुपये, तथा मोटलों के निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये, की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, होटलों के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं को अग्रिम ऋण देने का भी प्रस्ताव है।

राज्यों में आदर्श स्कूल

3366. श्री न० कु० सांघी :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे आदर्श स्कूल खोलने का सरकार का विचार है जिनमें सभी को समान शर्तों पर शिक्षा दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिन स्कूलों के खोले जाने की संभावना है उनकी संख्या कितनी होगी तथा प्रत्येक राज्य में वे कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) भारत सरकार की आदर्श स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में यह निहित है कि सामान्य स्कूल पद्धति को जैसा कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है, अपना लिये जाने चाहिए। इसे सभी राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें खास कौनसी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यह बताना अभी समय से पहले होगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार

3367. श्री न० कु० सांघी :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार कर्मचारी संघ ने यह आरोप लगाया है कि इस भण्डार के प्रबन्धकों ने वस्तुओं की खरीदारी के मामले में 19 लाख रुपये का गबन किया है और यह मांग की है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार संघ द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

उड़ीसा में कोठारी आयोग की सिफारिशें

3368. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब क्रियान्वित करने का उड़ीसा सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के अध्यापकों को पेंशन का लाभ

3369. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को पेंशन का लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये त्रिसूत्री लाभ योजना कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है, जिसे मद्रास जैसे राज्य ने क्रियान्वित किया है;

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने उड़ीसा राज्य में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने बताया है कि गैर-सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए त्रिलाभ योजना को 1-4-1964 से लागू कर दिया गया है ।

ग) और (घ) राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अंदमान में कर्मचारियों को विशेष वेतन

3370. श्री के० आर० गणेश : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य अंदमान, उत्तरी अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह के व्यक्तियों का वहां के प्रशासन के आदेश से विशेष वेतन पाने का अधिकारी बना दिया गया था ;

(ख) क्या बाद में इस श्रेणी के कर्मचारियों को यह विशेष वेतन देने के आदेश वापस ले लिये गये थे ;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों से इसकी पूरी राशि वापिस लेने के आदेश जारी किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस राशि की वसूली बन्द करने का है क्योंकि इसका भुगतान प्रशासन के आदेशानुसार किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क), (ख), (ग) और (घ) : मध्य अन्दमान, उत्तरी अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह से सम्बन्धित व्यक्ति इस क्षेत्रों में सेवाओं के लिए नियुक्त की गई स्थानीय भर्तियों के लिए स्वीकृत विशेष वेतन पाने के

अधिकारी नहीं हैं । अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने उल्लिखित व्यक्तियों को इस प्रकार के विशेष वेतन पाने का अधिकारी बनाने के बारे में आदेश जारी नहीं किये हैं । तथापि प्रशासन की दृष्टि में यह आया है कि अधीनस्थ प्राधिकारियों ने उपरोक्त क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों को गलती से विशेष वेतन स्वीकृत कर दिया था । बाद में भुगतान बन्द कर दिया गया है और प्रशासन ने गलती से किये गये अधिक भुगतान की वसूली के आदेश दिये हैं ।

अन्दमान द्वीप समूह में मुख्य भारत भूमि के लोग

3371. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये गये "मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्ति" शब्दों के निर्वाचन से सहमत हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इसे ठीक करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री :(श्री विद्याचरण शुक्ल (क) और (ख): सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये गये शब्दों के निर्वाचन से सहमत होने अथवा न होने का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक अधिनस्थ अधिकारियों के निर्णय से पीड़ित कोई सरकारी नौकर अपीलों के लिए नियमों के अनुसार सरकार से ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील न करे ।

अन्दमान प्रशासन के एक अधिकारी के विरुद्ध जांच

3372. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री अन्दमान के सम्बन्ध में 22 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4905 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन द्वारा एक राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध की जा रही जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला हैं; और

(ग) उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में अध्यापकों के लिए समान वेतनमान लागू करना

3373. **श्री देवेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल में गैर–सरकारी कालेजों के अध्यापकों के लिये समान वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी कालेजों के अध्यापकों के लिये समान वेतनमान लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इन प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) मामला पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है।

शिक्षा नीति

3374. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना-अवधि में अपनाई जाने वाली कोई शिक्षा-नीति निर्धारित की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रादेशिक भाषाओं को, जिसमें मैथली भी शामिल है, विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने का विचार है और क्या समूचे देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां, ।

(ख) शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के संबंध में कृपया सरकार के संकल्प की संलग्न प्रति को देखने का कष्ट करें। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल, टी, 1675/68]

(ग) शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के संबंध में सरकारी संकल्प की धारा 4(3) (क) में विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने की व्यवस्था है।

धारा 4(1) में, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शीघ्र अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना निहित है।

शिक्षा पर व्यय

3375. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, रूस, ब्रिटेन और जापान की तुलना में भारत में शिक्षा पर इस समय कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय-व्यय की जाती है;

(ख) देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय आय में से कितने प्रतिशत राशि व्यय करनी पड़ेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय आय की इस प्रतिशतता में वृद्धि करने का है:

(घ) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक : और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) भारत फिलहाल शिक्षा पर खर्च होने वाली राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 2.7 है जिसमें से प्राथमिक शिक्षा (6–14 आयुवर्ग) पर खर्च होने वाला प्रतिशत 1.0 है । अमेरीका, रूस, इंग्लैंड और जापान में शिक्षा पर खर्च होने वाले कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत निम्नलिखित है:-

अमेरीका	1962	–	7%
रूस	1962	–	7.5%
इंग्लैंड	1965	–	5.03%
जापान	1962	–	6.8%

इन सभी देशों में उसके बाद कुल खर्च बढ़ गया है । किन्तु बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) ऐसा अनुमान हैं कि 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को नि:शुल्क तथा व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रीय आय के लगभग 3% खर्च की आवश्यकता होगी । इसी दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां

3376. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गांधी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत में आने के लिये आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो वह भारत में कब आयेंगे तथा कितने समय के लिये: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क), (ख) और (ग) जनवरी, 1965 में, खान अब्दुल गफ्फार खां को एक आमंत्रण-पत्र भेजा गया था कि किसी भी समय, जिसमें उनको सुविधा हो, वे भारत का दौरा करें । इसके उत्तर में, उन्होंने बताया था कि उपयुक्त अवसर पर वे आमंत्रण को मान लेंगे । यह आमंत्रण अभी भी उसी प्रकार है । यह अभी तक नहीं मालूम है कि खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी शताब्दी समारोहों में भाग लेने के लिए भारत के दौरे पर आ सकेंगे ।

बिहार में माओ इश्तिहार

3377. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में हाल में हुई गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल में कर्मचारियों में माओ के कथनों के उद्धरण वाले इश्तिहार बांटे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बिहार में सड़कें

3378. श्री शिवचन्द्र झा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में डामर सड़कों की लंबाई सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस बारें में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावार डामर सड़कों की लंबाई कितनी-कितनी थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुमानतः कितने मील लंबी डामर सड़कें बनाने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Cases of coruption against certain Andhra Pradesh Police Officers

3379. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of corruption against some high Police Officers of Andhra Pradesh were referred to the Central Investigation Bureau by the Government of Andhra Pradesh for investigation;

(b) whether the Central Investigation Bureau have since submitted their Preliminary report;

(c) if so, whether the services of officers concerned belong to Central Government or State Government and their erstwhile posts in State Government service; and

(d) the action taken against them by Central or State Government following thn report of the Central Investigation Bureau ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs :(Shri Vidya Charan Shukla) (a) Yes, Shr.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) : The officers belong to All India Service and were serving with the State Government. Former I. G. of Police was suspended by the Central Government, and two Deputy Inspectors General of Police were suspended by the State Government,

Maintenance of Taj Mahal

3380. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state the amount spent by Government each year on the maintenance of Taj Mahal and the Head under which the expenditure is debited ?

Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh)

The amount spent during the last five years, year-wise and Headwise on Taj Mah.l, Agra is given below. The expenditure is debitable to "27-Scientific Deprartments, Archaeological Survey of India" :

Year	B-4 (Special Repairs)	B-5 (Annual Repairs)
1963-64	Rs. 47, 872/-	Rs. 1, 07, 619/-
1964-65	Rs. 23, 773/-	Rs. 1, 32, 513/-
1965-66	Rs. 57, 265/-	Rs. 1, 43, 468/-
1966-67	Rs. 11, 100/-	Rs. 1, 42, 392/-
1967-68	Rs. 21, 550/-	Rs. 1, 62, 952/-

राष्ट्रपति की विदेश यात्रा के लिए विमान

3381. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1968 में राष्ट्रपति जिस विशेष विमान से हंगरी तथा यूगोस्लाविया गये थे उसे इंडियन एयरलाइन्स के बंबई स्थित एक वर्कशाप में विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था : और

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान में आमतौर पर क्या सुविधाएं होती हैं और क्या उक्त विमान को सुसज्जित करने पर जो खर्च आया उसे सरकार ने वहन किया था अथवा इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने और यदि सरकार ने उसे वहन किया था तो उसकी राशि कितनी थी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) आमतौर पर, इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों में सोने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति के उपयोग के लिए विमान के अन्दरुनी भाग को उसमें सोफा-व-शय्या सहित एक छोटे कमरे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बदला गया था। इस परिवर्तन की लागत 5.000 रुपया थी और यह रकम विमान को चार्टर करने के प्रभारों में सम्मिलित थी।

Encounters with Nagas

3382. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of encounters which took place in Nagaland, Mizoland and Assam between the Naga rebels, Mizo rebels and Border Security Force, Assam Rifles and Defence Forces since January, 1967 till date;

(b) the number of Naga and Mizo rebels killed and those arrested in the said areas as a result of these encounters; and

(c) the quantum and details of foreign arms recovered during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy (a) and (b) : During the period from 1st January, 1967 to 31st July, 1968 there were 515 encounters between Mizo and Naga hostiles and our Security Forces. In these encounters 422 hostiles were killed and 5440 were arrested.

(c) 21 foreign arms of various types including rifles, bren guns, rocket launchers, etc. were recovered.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा माल का यातायात

3383. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1957–58 तथा 1966–67 की अवधि में इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन का माल यातायात 54,700 टन से 19,450 टन कम हो गया है अर्थात् 40 प्रतिशत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के भाड़ा व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा उसको एयर इण्डिया की व्यापार पद्धति के अनुसार बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है। क्योंकि इसी अवधि में एयर इण्डिया का ये व्यापार 22 प्रतिशत बढ़ गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वहन किये गये माल–भार की मात्रा 1957-58 में 44,917 टन से गिर कर 1966-67 में 19,454 टन रह गयी।

(ख) कारपोरेशन के अनुमान के अनुसार इतनी अधिक कमी इसलिए आयी कि बंगाल–आसाम क्षेत्र में भूमि संचार साधनों में काफी सुधार हो जाने के कारण उस क्षेत्र में विमानों द्वारा माल का यातायात बहुत कम हो गया।

(ग) कारपोरेशन माल यातायात का विकास एक वैज्ञानिक आधार पर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस विषय में आवश्यक अध्ययन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर पुल

3384. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर हरवाड़ा के निकट डोकड़ी नाला पर पुल का निर्माण–कार्य अब तक आरम्भ न किये जाने के क्या कारण है;

(ख) कब तक इसके आरम्भ हो जाने तथा बन कर तैयार हो जाने की संभावना है;

(ग) इस राजपथ पर झुनकू तथा बिजौरा नालों पर पुल बनाने का काम कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त राजपथ पर सोनार नदी तथा कारेंजुआ नाले पर पुलों के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक डिजाइन को अंतिम रूप देने में और संशोधन के कारण ठेके की शर्तें तय करने में कुछ समय लगा।

(ख) 1968 की वर्षा ऋतु के बाद निर्माण-कार्य के शुरू किये जाने की संभावना है। उसके बाद इसके पूरा होने में 18 मास लगने की आशा है जिसमें वर्षा ऋतु की अवधियां शामिल नहीं है।

(ग) अनुमानतः माननीय सदस्य झुनकू नाला और सुखचैन नाला के संगम के नीचे निर्माणाधीन पुल का उल्लेख कर रहे हैं। पुल के आठ पायों में से 5 पाये पूरे हो गये हैं। बिजौरा पुल का निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

(घ) जून 1969 के लगभग।

दिल्ली में कालेजों में दाखिले

3385. **श्री शशि भूषण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बी० एस० सी० और बी० ए० (पास) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विभिन्न कालेजों में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया है;

(ग) शेष विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए, जो नियमों के अनुसार दाखिले के लिए हकदार तो हैं परन्तु जिनको दाखिल नहीं किया जा सका है, क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन विद्यार्थियों को भी जो कि नौकरी में नहीं है, विभिन्न सायंकालीन, कालेजों में दाखिला देने की सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन कालेजों में कितने अतिरिक्त विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) बी० एस० सी० के लिए 2593 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए थे। इस वर्ष बी०ए० पास पाठ्यक्रम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुवा था और कालेजों को विद्यार्थियों को सीधे दाखिला देने की अनुमति दी गई थी।

(ख) बी० एस० सी० और बी० ए० (पास) पाठ्यक्रमों के लिए सभी पास विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Delhi Flying Club

3386. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Secretary, Delhi Flying Club that the Club is lying closed due to non-receipt of money in time from Government in respect of accounts for the year 1966-67;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether it is a fact that there is an allegation of misappropriation of accounts by the club; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Government are not aware that the Delhi Flying Club is still lying closed. On informal enquiry, however, it has been ascertained that the Club suspended its flying activities from the 2nd to the 24th July, 1968.

The draft Annual Accounts of the Delhi Flying Club for 1966-67 which should have been submitted to the Director General of Civil Aviation in the prescribed from by July, 1967, were not actually so submitted till March, 1968. Even on that date, the accounts did not conform to the form prescribed. This was pointed out by Director General of Civil Aviation and the Club advised to recast its accounts. The Delhi Flying Club, thereupon, on the 3rd July, 1968, asked for certain relaxations which are still under consideration in consultation with the Accountant General. In these circumstances, the Flying Club's Bill for March, 1968 had to be kept pending till July, 1968.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Non-Disbursement of Salaries to Delhi Teachers

3387. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the nev.sitem that about 10 000 teachers of Delhi Municipai Corporation have not been paid their salaries for June 1968 so far;

(b) whether it is a fact that the teachers of many Corporation aided schools have not been paid for the last 6 months; and

(c) if so, the steps taken by Government to ensure payment of salaries to the teachers and the action taken against the officers responsible for this ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The requisite information is being collected from the Delhi Municipal Corporation and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Admission to B. Sc. (Hons.) in Delhi University

3388. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1,000 students who have passed Higher Secondary Examination in the First Division from Delhi would not be able to get admission in B. Sc. (Honours) this year and their applications would be rejected;

(b) whether it is also a fact that similar number of students who should have been admitted on the basis of merit would be refused admission; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

आनन्द मार्ग

3389. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री नरसिम्हा राव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'आनन्द मार्ग' की गतिविधियों पर 13 जुलाई, 1968 को साप्ताहिक पत्रिका 'एनलाइट' में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या कितनी है और बंगाल तथा बिहार की सीमा पर स्थित इसके आश्रम में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आनन्द मार्गी लोग नक्सलबाड़ी भूमि के सिद्धान्त के आधार पर कार्य कर रहें हैं; और

(घ) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने अपने आपको अल्पसंख्यक जाति होने का दावा किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करने के लिये कहा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 590 व्यक्ति, जिनमें इस सम्प्रदाय के अनुयायी और अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिला पुरुलिया, थाना जयपुर, बगलाता में स्थित आनन्द मार्ग आश्रम में रह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों की सीमा पर स्थित है । इस सम्प्रदाय के अनुयायिओं की संख्या के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) आचार्य चन्द्रेश्वरमंद अवधूत, जन सम्पर्क मंत्री, केन्द्रीय आनन्द मार्ग प्रचारक संघ, आनन्द मार्ग, जिला पुरुलिया ने 28 मई, 1968 को राज्यपाल को, स्वयं को एक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय बतलाते हुए एक तार दिया था, जिसकी प्रतिलिपि महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संगठन, न्यूयार्क को भेजी थी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री राकेश कुमार को दाखिला

3390. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्चतर माध्यम परीक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी श्री राकेश कुमार को दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन दिल्ली में किसी भी कालेज में दाखिला नहीं मिल सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) उसकी आयु कम थी।

(ग) विश्वविद्यालय चूंकि एक स्वायत्त निकाय है, अतः उसको दाखिले के लिए शर्तें निर्धारित करने का पूरा अधिकार है।

मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र

3391. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में हाल में ऐसे प्रागैतिहासिक चित्र पाये गये हैं जिनसे राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ के निकट रहने वाले प्राचीन लोगों के जीवन का पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तथा उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उपर्युक्त चित्रों को बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) इस खोज के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी पूछताछ की जा रही है और निष्कर्षों के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश को पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ निधियों का नियतन

3392. **श्री स० अ० अगडी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश को पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालयों के लिये कितना धन दिया गया तथा कितने धन का उपयोग किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सरकारों को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों के लिये कुछ धन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार कितना धन दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। किन्तु 'स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता' की योजना के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए उन स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सहायक-अनुदान दिये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेथुसमुद्रम परियोजना

3393. **श्री स० अ० अगडी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेथुसमुद्रम् परियोजना सम्बन्धी परियोजना सलाहकार ने अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) परियोजना कार्य कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) सेतुसमुद्रम परियोजना पर सलाहाकार की रिपोर्ट 2–7–1968 को प्राप्त हो गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में लगभग 37.50 करोड़ रुपये (लगभग 16.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित) की लागत प्राक्कलित की जाती है, जिसका 50 प्रतिशत से अधिक केवल निकर्षण पर व्यय होगा। प्राक्कलन में शुरू में 30 फीट डुबाब के पोतों के लिए जल-मार्ग बनाने की व्यवस्था है, जिसमें आगे चल कर सरलता से सुधार करने पर 35 फीट तक के पोत आ सकेंगे।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

मैसूर राज्य के लिये पुरातत्वीय विभाग

3394. **श्री स०अ० अगड़ी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के लिये पुरातत्वीय विभाग का एक अलग 'सर्किल' बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय जलमार्गों के सम्बन्ध में कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन का प्रतिवेदन

3395. श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 26 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में अन्तर्देशीय जलमार्गों के बारे में कलकत्ता महानगर योजना संगठन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बीच विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनके मुख्य इन्जीनियर, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, प्रतिवेदन की जांच कर रहे हैं और उनके विचार लगभग एक मास के अन्दर प्राप्त हो जाएंगे । उसके बाद राज्य सरकार सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर अपने विचार निश्चित करेगी ।

सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के संवर्गों में रिक्त पदों को भरना

3396. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों के कितने पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

पद	पिछले एक वर्ष में भरी गई रिक्तियों की संख्या
अनुभाग अधिकारी	10
सहायक	20

मार्क्सवादियों द्वारा प्रायोजित संघर्ष

3397. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्क्सवादियों द्वारा केन्द्र के विरुद्ध प्रायोजित संघर्ष की योजनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जो दर्शाती हैं कि केरल में साम्यवादी मार्क्सवादी दल केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध एक अभियान का आयोजन कर रहा है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही राज्य सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 के अन्तर्गत उनके संवैधानिक दायित्व की ओर आकर्षित किया है ।

कलकत्ता में चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध

3398. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चीनी दूतावास के कर्मचारियों की गतिविधियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिये जाने के बाद पश्चिम बंगाल में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुनः वह प्रतिबन्ध लागू करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) चीनी दूतावास की गतिविधियों पर लगे प्रतिबन्ध लागू रहेंगे । चीनी दूतावास के कर्मचारी केवल विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति से दिल्ली से बाहर जा सकते हैं । कलकत्ता में शान्ति और व्यवस्था में कोई गिरावट नहीं है ।

छोटानागपुर में आन्दोलन

3399. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी लोगों के आन्दोलन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Dacoities around Delhi

3400. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that armed dacoits raided the colonies of labourers in Delhi and adjacent villages last month;

(b) if so, number of persons killed and the extent of property looted; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) It was reported to Delhi Police that on the night of 29/30th June, 1968 some

persons entered the Jhuggi-Military Camp Mehrauli and committed dacoity. They had forcibly removed two silver 'Hanslies, from the person of two women and a gold ear ring from another man.

The Delhi Police registered a case Under Section 395/323 I. P. C. and the case is under investigation. 3 persons have been arrested so for during investigation.

Dacolties by Pakistanis

3401. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Pak. Military personnel committed dacoities in some border villages of West Bengal in the months of may and June, 1968;

(b) if so, the loss of life and the value of property involved therein;

(c) the action taken by Government in the matter; and

(d) the steps proposed to be taken to avoid the recurrerce of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

कोचीन जहाज निर्माण कारखाना

3402. श्री नायनार :
श्री चित्ति बाबू :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन जहाज निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिये मितुसुबिशी हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने सर्वेक्षण दल भारत भेजे;

(ख) क्या सरकार ने उन रूपरेखाओं पर विचार कर लिया है, और यदि हां, तो प्रत्येक के बारे में क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार और मितुसुबिशी के बीच डेके को अन्तिम रूप दिये जाने में राजनैतिक और वित्तीय दशाओं के कारण विलम्ब हुआ था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) मित्सुविशी ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज जापान ने चार दल भेजे थे, एक 1962 में, दूसरा 1963 में और शेष दो 1965 में। प्रथम दो दलों ने रूपरेखा रिपोर्टें भेजी थी। 1965 में प्रतिनियुक्त दलों द्वारा विस्तृत जांच और आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों ने 1966 में मैसर्स मित्सुविशी हैवी इन्डस्ट्रीज लि० द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिये आधार निर्माण किया था। परियोजना रिपोर्ट पर भारत सरकार ने विचार किया था और 66,000 डी० डब्लू० टी० के मालवाहकों के निर्माण के लिये भवन गोदी और 85,000 डी० डब्लू० टी० तक के पोतों की मरम्मत के लिये पोत मरम्मत गोदी की संशोधित परियोजना अनुमोदित कर ली गई थी।

(ग) जी नहीं।

पाठ्य-पुस्तकों में परिवर्तन

3403. श्री अब्दुल गनीदार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) स्कूल स्तर पर पाठ्य-पुस्तकें राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फिर भी आदर्श पाठ्य-पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किए जाने या अपनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की ओर से तैयार की जा रही हैं। आदर्श पाठ्य-पुस्तकों का लक्ष्य सम्बन्धित विषय-क्षेत्रों के पूरा करने में उच्चतर स्तरों का लाना तथा नई कार्यपद्धति का अनुसरण करना है।

Administration of Banda District

3404. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Administration, Banda (Uttar Pradesh) do not pay any attention to the genuine demands of the public, put forth by an M. P. representing that area; and

(b) if so, the reasons therefor and the action which Government propose to make in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में बेरोजगार इंजीनियर

3405. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से कहा है कि उस राज्य में बेरोजगार इन्जीनियरों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जाये;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में इस समय कुल कितने बेरोजगार इन्जीनियर हैं; और

(ग) उन्हें तुरन्त रोजगार देने अथवा जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता तब तक बेरोजगारी भत्ता देने के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) योजना आयोग ने हाल में इन्जीनियरों के नियोजन के लिए अवसर पैदा करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया था जिनका सामान्यतः सरकार ने अनुमोदन किया था। सभी राज्य सरकारों से यथा-सम्भव इन उपायों के कार्यान्वयन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) उड़ीसा में इन्जीनियरों में किस सीमा तक बेरोजगारी है इसके निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार कार्यालय की सामग्री से जो बेरोजगारी के बारे में केवल सरसरी

स्थिति व्यक्त करता है, प्रतीत होता है कि दिसम्बर, 1967 के अन्त में उड़ीसा में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों पर 788 इन्जीनियर दर्ज थे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का कोई ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी

3406. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1966, 1967 और 1968 को चारों वर्गों/श्रेणियों की सेवाओं/पदों में से प्रत्येक के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिये हाल के वर्षों में क्या विशेष कार्यवाही की है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) मार्च, 1966 तथा मार्च, 1967 की सूचना दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। 31 मार्च, 1968 की सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य प्रशासन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) सन् 1953 से सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले कुछ नियम पदों तथा सेवाओं में रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15% तथा 5% तक आरक्षित की गई थीं।

(ii) 1957 में आरक्षण बड़ी राज्य सेवाओं तक, नामतः पश्चिम बंगाल असैनिक सेवा तथा सभी राज्य सेवाएं, श्रेणी–II, जिसके वेतन-मान में अधिकतम वेतन 650 रु० से अधिक न हों, बढ़ा दिया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा तथा पदों के लिए प्रवेश शुल्क सामान्य दर से घटाकर एक चौथाई कर दिया गया था।

(iii) चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल असैनिक सेवा (कार्यपालक) तथा सभी राज्य सेवाए II, III और IV आरक्षण आदेशों के अधीन लाई गई हैं। उपरोक्त शुल्क रियायत भी सभी मामलों तक बढ़ा दी गई है।

(IV) नई नियुक्तियों के विरुद्ध वर्तमान रोक को भी ढीला कर दिया गया है ताकि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी रिक्तियों के अपेक्षित प्रतिशत को अनुसूचित जाति

तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की, बशर्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के फालतू कर्मचारी उपलब्ध न हों, नई नियुक्तियों द्वारा भर सकें।

उर्दू

3407. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सब कांग्रेस मंत्रिमण्डलों को अनुदेश भेजे हैं कि वे अपनी दस वर्ष की नीति को बदल कर उर्दू भाषा के प्रति उपयुक्त तथा सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनवरी, 1967 में प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्रियों को, सरकार द्वारा उर्दू के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने तथा प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त उपाय अपनाने की प्रार्थना करते हुए लिखा था। अप्रेल, 1967 में, प्रधान मंत्री ने इस विषय पर बिहार के नये मुख्य मंत्री को फिर लिखा।

(ख) मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया था कि वे इन आश्वासनों को कार्यान्वित करने के इच्छुक हैं और उस दिशा में कार्यवाही की जायेगी।

कलकत्ता में सैटरडे क्लब लिमिटेड में धोती-कुर्ते पर प्रतिबन्ध

3408. श्री मृत्युजंय प्रसाद : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोती और कुर्ते को हमारी राष्ट्रीय/शासकीय पोशाक माना जाता है। भारत सरकार के सभी सरकारी उत्सवों में धोती तथा कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को पर्याप्त तथा समुचित पोशाक पहना व्यक्ति समझा जाता है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिमी बंगाल में सभी सरकारी उत्सवों के लिये धोती और कुर्ते को राष्ट्रीय/शासकीय पोशाक घोषित किया है अथवा इसे मान्यता दी है;

(ग) क्या यह सच है कि 'सटरडे क्लब लिमिटेड', 7-बुड स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ने क्लब में आने वाले व्यक्तियों के लिये पोशाक सम्बन्धी न्यूनतम मानक निर्धारित किये हैं और वह धोती और कुर्ते को अनुचित पोशाक समझता है और केवल इसी आधार पर गणमान्य व्यक्तियों को वह क्लब अपने स्थान में प्रवेश करने से मना कर देता है या कभी-कभी तो उन्हें धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो हमारी राष्ट्रीय पोशाक के इस अपमान के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) न तो भारत सरकार ने और न पश्चिम बंगाल सरकार ने ही किसी विशेष प्रकार की पोशाक को राष्ट्रीय/शासकीय पोशाक घोषित करने के कोई आदेश जारी किये हैं। फिर भी औपचारिक

या समारोह से अवसरों और कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा कुछ विशेष प्रकार की पोशाकों को पहनने की सिफारिशों के रूप में हिदायतें हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों-में भी व्यवस्था की गई है कि कार्यालयों में धोती के साथ कमीज और कोट या पंजाबी पहनी जाये।

(ग) और (घ) क्लब ने क्लब-अहाते के भीतर पहनने के लिये पोशाकों के न्यूनतम स्तर नियत किया है। क्लब के पोशाक विनियमन को लागू करना क्लब और क्लब के सदस्यों का मामला है।

Entry of Police into Delhi University Premises

3409. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police personnel entered the premises of the Delhi University on the 21st July, 1968 and harassed the students;

(b) whether it is also a fact that the police personnel misbehaved with the journalists;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government propose to hold an enquiry in the matter and punish the persons found guilty; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. On 21-7-1968 the Control Room van of Delhi Police strayed into University Campus by mistake, but left the Campus as soon as the mistake was pointed out by the University authorities. No student was harassed by the Police.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Because the entry of the Police Van to the University Campus was a bonafide error.

पश्चिमी जर्मनी से मालवाही जहाज प्राप्त करना

3410. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी निगम ने पश्चिम जर्मनी से मालवाही जहाज खरीदे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ नये मार्ग खोलने का निगम का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। निगम ने हाल ही में 7 पुराने जहाज पश्चिम जर्मनी से खरीदे हैं।

(ख) और (ग) कुछ समय पहले निगम ने निम्न नियमित सेवाएं चलाई हैं :—

भारत/यू० एस० ए० कनाडा प्रशान्त तट कलकत्ता/पश्चिम एशिया (गल्फ) कलकत्ता/पश्चिम एशिया (लाल सागर)	20–5–1968 से
भारत का पश्चिम तट/आस्ट्रेलिया	5–8–1968 से

निगम शीघ्र ही बम्बई से पश्चिम एशिया (गल्फ) को भी एक नियमित सेवा चलाएगी और कलकत्ता/पश्चिम एशिया (लाल सागर) सेवा में दो और जहाज मिलाकर उसे भी सुदृढ़ करेगा।

निर्माण के ठेके

3411. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री निर्माण ठेकों के बारे में 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फर्मों को दिये गये ठेकों, नियत की गई विदेशी मुद्रा तथा प्रदान की गई अन्य सुविधाओं की जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय के आधीन विभिन्न कार्यालयों/क्षेत्र संगठनों से सूचना एकत्रित की गई है। चूंकि केन्द्रीय सड़क कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं। अतः यह सूचना राज्य सरकारों से भी एकत्रित करनी थी। कुछ राज्य सरकारों से उत्तर आने शेष हैं।

कूच बिहार के स्कूल में धोखाधड़ी का मामला

3412. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार के स्कूल में धोखाधड़ी के मामले से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार को पहले ही स्मरण कराया जा चुका है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला

3413. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 87.9 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले किसी विद्यार्थी को एक छोटे से तकनीकी आधार पर विश्व-विद्यालयों में दाखिला नहीं मिल सका है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने तथा ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा नियमों का उचित विवेचन किये जाने की अनुमति देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। विद्यार्थी को इसलिए प्रवेश से वंचित किया गया क्योंकि वह निर्धारित आयु से कम था और विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी हालत में ढील नहीं दी जा सकती।

(ख) एक स्वायत्त निकाय होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नियम निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है।

पालम, डमडम, सांताक्रुज और मद्रास के हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों पर यात्री सेवा शुल्क लगाना

3415. **श्री गाडिलिंगन गौड** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालम, डमडम, सांताक्रुज तथा मद्रास हवाई अड्डों से चढ़ने वाले प्रत्येक विमान यात्री पर 15 रुपये यात्री सेवा शुल्क लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को प्रति-वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) क्या ऐसा शुल्क लगाने से पहले सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और यात्री एजेन्टों से परामर्श किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली (पालम), कलकत्ता (दमदम), बम्बई (सान्ताक्रुज) और मद्रास में से किसी भी हवाई अड्डे से भारत से बाहर किसी स्थान को जाने के लिए विमान पर चढ़ने वाले प्रत्येक यात्री से 15/– रुपये यात्री सेवा शुल्क का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित शुल्क से वार्षिक 45 लाख रुपये की आय होने की आशा है।

(ग) इस स्कीम को भारत-राजपत्र में जून, 1968 में अधिसूचित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनें, यात्रा एजेन्ट तथा अन्य संबद्ध लोग 25 सितम्बर, 1968 तक इस

सम्बन्ध में अपने सुझाव स्वतन्त्रतापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं; जिन पर कि स्कीम को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले विचार किया जायेगा ।

Illiteracy in the Country

3416 **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of major and adult persons in the country who are still illiterate and the extent to which this percentage has been reduced as compared to 1947; and

(b) the details of the programme proposed to be implemented and the target for making the illiterate persons literate during the Fourth Five Year Plan period ?

Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) The percentage of adult persons in the age-group 20 and above, who were illiterate in 1961, was 73.96, The percentage of illiteracy has, however, been on the decrease since 1947 as the overall percentage of illiteracy has decreased from 83.4 % in 1951 to 76% in 1961,

(b) The proposals for the Fourth Plan are still in the stage of formation.

Police Force

3417 **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) the various categories of Police force and the names thereof under the various State Governments and Central Government;

(b) the strength of Police of each category under the Central Government and the amount of expenditure being incurred on them annually; and

(c) the strength of additional Police force likely to be set up as a new step in this direction and the amount of expenditure likely to be incurred thereon annually ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs :(Shri Vidya Charan Shukla):(a) The State Governments and Union Territories have a civil police force with an armed and an unarmed wing. Police forces under the Central Government are the Central Reserve Police forc', the Assam Rifles the Indo-Tibetan border police force and the Border Security Force.

(b and(c) : It is not in the public interest to give the strength. The estimated expenditure on these forces during 1968-69 has already been laid on the Table of the House in the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs for 1968-69.

Arms Factory in Itawah (Uttar Pradesh)

3418 **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Ordnance factory has been unearthed recently in a so called "Sadhu Ashram" in Kasba Bakewar of District Itawah in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) No Ordnance factory was unearthed at the place called "Sadhu Ashram" in Kesba Bakewar but one small workshop for manufacturing 12 bore pistols was unearthed at adda

Santokhi P. S. Ajitmal in District Etawah, Three C. M. pistols 12 Bors in working order, one body of CM pistol with trigger but without barrel and butt, some components of pistols and manufacturing tools were recovered. One person was arrested and a case under section 25 of the Arms Act has been registered against him which is under investigation.

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कौर)

3419 **श्री देवेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दक्षता दल विकेन्द्रीकरण पर इस संगठन के प्रशासनिक, अधीक्षक, अनुसचिवीय विधि तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा को जारी रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है, और

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 20 एल० टी० 1677/68**]

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कौर)

3420 **श्री देवेन सेन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दक्षता दल कार्यक्रम तथा इस दल के विकेन्द्री करण के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा राज्यों को कितनी कितनी सहायता दी जाती हैं,

(ख) राष्ट्रीय दक्षता दल कार्यक्रम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भाषाओं में विशेषता पूर्ण लोक प्रिय साहित्य प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) राष्ट्रीय दक्षता दल पाठ्यक्रम के अनुसार शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिये समान आधार पर सामयिक पुनशचर्या सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) स्कूलों में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर की पाठ्यचर्या पर चित्रात्मक पुस्तिका की हिन्दी में 20,000 प्रतियां, हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में वितरण के लिए छप रही हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वस्थता कौर पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक विवरणिका प्रकाशित की जा चुकी है और उसे राष्ट्रीय स्वस्थता कौर के बारे में आम जनता को सूचना देने के लिए सरकार द्वारा परिचालित किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भविष्य में अपने-अपने शारीरिक शिक्षा कालेजों में नये शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पुनरनुस्थापन की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ मन्दिर में इमारतों के निर्माण के लिये धन

3421 **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो बद्रीनाथ मन्दिर में स्वच्छता की स्थिति, परिवहन तथा संचार व्यवस्था को सुधारने के लिये प्रयत्न कर रही हैं, वहां कुछ रिहायशी कमरों के निर्माण हेतु धन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग); सम्भवतः माननीय सदस्य बद्रीनाथ में रु० 6.50 लाख की लागत का एक 40 बिस्तर वाला पर्यटक होटल बनाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा, 1968-69 में कार्यान्वित करने के लिए पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है।

मोटर गाड़ियों की प्लेटें

3422 **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री जी० एस० रेड्डी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई मोटर गाड़ियों पर निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय लिपि का उल्लंघन करके प्रादेशिक भाषाओं में नम्बर प्लेटें लगाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार 19?0 के मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन करने का है; और

(ग) सरकार का वर्तमान नियमों को किस प्रकार लागू करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) और (ग) : मौजूदा मोटर वेहिकल एक्ट के अनुसार मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटें रोमन अक्षरों और भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में होनी चाहिये। इस व्यवस्था को किसी प्रकार संशोधित किये जाने का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

कोयना भूकम्प में क्षति

3423 **श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कोयना भूकम्प से पीड़ित गोआ में रहने वाले व्यक्तियों को सहायता देने के बारे में गोआ सरकार के प्रस्ताव को सरकार से उसी आधार पर अस्वीकार कर दिया है जिस आधार पर महाराष्ट्र ने अस्वीकार किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गोआ सरकार को कितने और कितने मूल्य के दावे प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन दावों को कैसे निपटाने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : गोआ में मकानों को पहुँची क्षति महाराष्ट्र में हुई क्षति के सदृश नहीं थी । तथापि प्रधान मंत्री की सहायता निधि से दिये गये 25,000 रुपयों में से 107 प्रार्थियों को सहायता के रूप में 24,160 रुपये बांटे गये हैं । उसके अतिरिक्त उप राज्यपाल ने पहले ही भूकम्प, बाढ़, आग आदि जैसी प्राकृतिक प्रकोपों से ग्रस्तों को 100 रुपये तक मुफ्त सहायता स्वीकृत करने के अधिकार दे दिये हैं बशर्ते कि किसी वित्तीय सहायता में इस बारे में 20,000 रुपये से अधिक व्यय न होते पाये। इन परिस्थितियों में सरकार ने किसी अन्य सहायता को न्यायोचित नहीं समझा ।

(ग) प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या 524 है तथा दावों का मूल्य 3,11,384 रुपये बताया गया है ।

(घ) यदि गोआ प्रशासन किन्हीं विशिष्ट मामलों से पात्रता के आधार पर नियम के अधीन की गई व्यवस्था की अपेक्षा भूकम्प से ग्रस्त व्यक्ति को अधिक उदार सहायता देना आवश्यक समझे तो वे प्रत्येक मामले में विशिष्ट स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास आ सकते हैं ।

उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा

3424 श्री क० प्र० सिंह देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को 5वीं कक्षा से बढ़ा कर 7वीं कक्षा तक कर दिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता मांगी है,

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता मांगी गई है,

(घ) केन्द्र का कितनी सहायता देने का विचार है, और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नरेला (दिल्ली) के निकट रेल पटरी पर लड़के की मृत्यु

3425. श्री क०प्र० सिंह देव : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पश्चात ही पुलिस ने 20 जून, 1968 को नरेला गांव के निकट रेल की पटरी पर पाये गये बुरी तरह से घायल लड़के की मृत्यु के 20 दिन बाद हत्या का मामला दर्ज किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में पुलिस के उदासीन दृष्टिकोण के बारे में जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : 20 जून, 1968 को नरेला गांव के निकट रेल पटरी से एक बुरी तरह से घायल लड़के का शरीर बरामद किया गया था। लड़के को इरविन अस्पताल लाया गया था जहां पर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उस लड़के की पहचान न की जा सकी थी। इस लड़के के पिता ने 22 जून, 1968 को अपने पुत्र के गुम होने के बारे में स्थानीय पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी। इस रिपोर्ट पर पहले एक अपहरण का मामला दर्ज किया गया था इसके बाद अनुचित कार्य के सन्देह में, कानून की धारा, भारतीय दंड संहिता 363 से भारतीय दंड संहिता 302 में बदल दी गई थी। मामले की जांच की जा रही है। लड़के की मृत्यु की परिस्थितियों की तथा मामले के पंजीकरण की जांच की जा रही है।

विधि उप-मन्त्री के पत्र लिखने के कागजों की चोरी

3426 **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री मंगलाथुमा डोम :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक महीना पहले विधि उप-मन्त्री के सरकारी पत्र लिखने के कागजों को किसी व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी व्यक्ति ने उस में संशोधन करके उसका दुरुपयोग किया था;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (घ) विधि उपमंत्री के ध्यान में एक जाली पत्र आया है जो तथाकथित उनके द्वारा उनके शीर्षनामे पर लिखा गया है। शीर्षनामा और लिफाफा, ऐसा प्रतीत होता है, उनके कार्यालय में चुराये गये हैं। चूंकि ऐसा कोई पत्र उनके द्वारा या उनके कार्यालय से नहीं लिखा गया था, एक रिपोर्ट पुलिस में करायी गई थी। पुलिस ने इस सम्बन्ध में एक मामला दर्ज कर लिया है जिस की जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

औरतों द्वारा आत्म हत्याएं

3427 **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल औरतों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही

(ख) क्या यह भी सच है कि इन आत्महत्याओं का कारण घरेलू झगड़ा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन घरेलू झगड़ों की जड़ मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों में धन का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है और उनका ब्योरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पारादीप पत्तन

3428 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पारादीप पत्तन के तल में बहुत तेजी से मिट्टी जमा होती जा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त की है और सरकार से तुरन्त उपचारात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तल से निरंतर मिट्टी निकालते रहने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं और वहां कितनी मिट्टी जमा होती जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) फरवरी, 1966 में पत्तन में ठेके के आधार पर संधृत निकर्षण किया गया था । बाद में कलकत्ता पोर्ट कमीश्नर से पत्तन में संधृत निकर्षण के लिये दो बार निकर्षण किराये पर लिया गया-एक बार नवम्बर, 1966 में और दूसरी बार मार्च, 1967 में । पारादीप पत्तन के अपने निकर्षक जो जनवरी, 1968 में प्राप्त हुआ था, को पत्तन में काम में लगाया जा चुका है । इसके अलावा पत्तन के अपने निकर्षक के साथ साथ जनवरी से मई, 1968 तक पारादीप पत्तन में काम के लिये भारत सरकार के लघुपत्तन निकर्षण और सर्वेक्षक संगठन के कटर-सकशन निकर्षक को भी काम में लगाया गया । इस दृष्टि से कि अभी भी रखरखाव का पर्याप्त कार्य शेष है वहां पर रेग की तुरन्त समस्या को ठीक करने के लिये कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के निकर्षक को फिर से भेजने का प्रबन्ध किया गया है । पारादीप में रेग की समस्या की जांच के लिये और उसके दूर करने के उपायों के सुझाव के लिये अभी हाल ही में एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है ।

बड़ी बन्दरगाहों का विकास

3430 श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन जहाज बनाने तथा बन्दरगाहों से सम्बन्धित राष्ट्रीय सम्मेलन की बन्दरगाहों सम्बन्धी समिति ने हाल में एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें सरकार से भारत में बड़ी बन्दरगाहों के विकास के लिये शीघ्र देने वाला कार्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये कुल कितनी पुंजी परिव्यय किया जायेगा;

(ग) भारतीय बन्दरगाहों पर यातायात में वृद्धि करने तथा कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) बन्दरगाहों पर से माल की चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) : नौवहन, पोत निर्माण और पत्तन के राष्ट्रीय सम्मेलन जो दिसम्बर, 1967 में हुआ था, की पत्तन समिति ने भारतीय पत्तनों पर की संविधाओं के विकास के लिए और उनकी चालन दक्षता में सुधार करने के लिये कई सिफारिशें की। पत्तन अधिकारियों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान के अपने विकास कार्यक्रमों को बनाते समय इन सिफारिशों को दृष्टि में रखा।

(ख) इन सिफारिशों के वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान के लिए बनाये जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रकाश में किया जा सकता है।

(ग) पत्तन स्वयं यातायात पैदा नही कर सकते हैं परन्तु यातायात की धरा उठाई के लिये सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते है और यातायात में परिवर्तन होने के अनुसार उनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य-क्रम बनाने में पत्तन अधिकारी महत्वपूर्ण माल के भविष्य में प्रत्याशित वृद्धि को दृष्टि में रख रहे हैं और आवश्यकता से आगे रहने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं ताकि आपातित आवश्यकताओं के लिए आरक्षिता क्षमता उपलब्ध रहे।

अधिकांश बड़ें पत्तनों पर कार्य दर योजना दोनों जगह तट पर और नौभरण पर, ताकि अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले। बड़ें पत्तन आयोग का विचारार्थ विषय, बड़ें पत्तनों की चालन क्षमता को सुधारने की दृष्टि से उनके चालन तरीकों की जांच करना है। इस संबंध में आयोग निसंदेह उचित सिफारिशें करेगा।

(घ) चोरी के मामलों को कम करने की दृष्टि से बड़ें पत्तन अधिकारी अपने सुरक्षा प्रबन्धों का लगातार सुदृढ़ कर रहे हैं। पत्तन पुलिस और वाच और वार्ड कर्मचारी उठाई गिरी निवारण उपायों की निगरानी करती है। उठाई गिरी उपायों में ये शामिल है--

पत्तन क्षेत्र में प्रवेशार्थ के विनियमन के लिए परमिट प्रणाली. बाहर दीवारी की ऊंचाई बढ़ाना, ट्रांजिट शेडों में लाक फास्टों को दृढ़ करना, डाकों जैटियों और याडों में प्रकाश में सुधार करना और चल दस्ते का चालन इत्यादि ।

उठाई गिरी निवारण समितियां नियमित रूप से अधिकांश पत्तनों पर काम रही हैं ताकि स्थिति पर नजर रख सकें और आवश्यकतानुसार नये उपाय निकाले जायें ।

बम्बई में 1–2–66 से डाकों के निकट एक मजिस्ट्रेट की अदालत पत्तन क्षेत्र के मामलों को निपटाने के लिए काम करती है, ताकि उठाई गिरी के मामले शीघ्रता से निपटाए जाएं । 1–2–68 से वादाला में एक प्रथक पुलिस चौकी स्थापित की गयी है और वादाला और डाकों के बीच रेल गाड़ियों में सुरक्षा के लिए आर्मड पुलिस लगाई जाती है और पत्तन रेलवे में पुलिस की निगरानी सुदृढ़ करदी गई है ।

केरल में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज

3431 श्री मंगलाथुमाडोम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन, : (क) और (ख) : इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये केरल में एक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज पहले ही स्थापित किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार उपकरण, भवनों वगैरहा पर सभी अनावर्ती तथा आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत दे रही है ।

कालेज प्रतिवर्ष 250 छात्रों को दाखिल करने के लिए बनाया गया है ।

भारत में हिंसा की प्रवृत्ति

3432 श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग पिछले एक वर्ष से देश में बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : हाल के आन्दोलनों में विधि और व्यवस्था के अनेक उल्लंघनों को सरकार चिन्ता की दृष्टि से देखती है सविधान के अधीन राज्य सरकारों को लोक व्यवस्था, पुलिस और न्याय-प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है : हिंसात्मक आन्दोलनों को रोकने और हिंसा की किसी उत्पत्ति से कड़े रूप में निपटने के लिए उनके द्वारा आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाहियां की जाती हैं। फिर

भी, भारत सरकार इन मामलों में राज्य सरकारों के साथ सतत सम्बन्ध बनाये रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्रदान करती है ।

भारत द्वीप

3433 श्री क० कृ० नायर : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारत संघ में कौन कौन से द्वीप हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है तथा वहां की जन संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक द्वीप में पुलिस की चौकियां कितनी हैं;

(ग) इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि गैर भारतीय वहां पर कब्जा न कर सकें; और

(घ) इन द्वीपों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय संघ के द्वीप क्षेत्राधिकार में (i) अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह, (ii) लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमिनदिवी द्वीप समूह तथा (iii) बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में तटीय तथा समीपस्थ द्वीप शामिल हैं। (i) और (ii) द्वीपों की जनसंख्या, जैसा 1961 की जनगणना रिपोर्ट में दी गई है, 87656 है। अन्य द्वीपों की जनसंख्या, जिनमें अधिकतर कोई आबादी नहीं है या चलायमान आबादी है, लगभग 4000 है। इन द्वीपों के क्षेत्रफल के बारे में सूचना आधुनिकतम मापने के साधनों की सहायता से दुबारा गणना की जा रही है ।

(ख) पहले अनुच्छेद में (i) तथा (ii) पर दर्शाये द्विपों में 74 पुलिस थाने तथा बाहरी चौकियां हैं । अन्य द्वीपों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) इन द्वीपों की सुरक्षा आवश्यकतानुसार पुलिस, नौसेना तथा वायुसेना द्वारा गश्त लगाकर सुनिश्चित की जाती है ।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की विकास योजनाओं में इन द्वीपों की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाता है ।

बेरोजगार वैज्ञानिक तथा तकनीशन

3434 श्री क० कृ० नायर : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों के लिये जो सहायता देने का विचार है उसी तरह की सहायता बेरोजगार वैज्ञानिकों और तकनीशनों को देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इंजीनियरों और अन्य तकनीशनों के बीच भेद-भाव करने का कोई आधार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार ने अभी हाल में इंजीनियरों (स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों) के लिये नियोजन के अवसर पैदा करने

के लिये योजना आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों का सामान्य रूप में अनुमोदन किया था अनुमोदित उपायों का एक विवरण 26 जुलाई, 1968 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 138 के दिये गये उत्तर में सदन के सभा पटल पर रखा गया था। वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों के अन्य वर्गों के लिये नियोजन के अवसर उत्पन्न करने के लिये कोई समान उपाय विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) इंजीनियरों तथा अन्य योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के बीच कोई भेद-भाव करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी इंजीनियरों का शीघ्र नियोजन औद्योगिक तथा विकासशील गतिविधियां बढ़ाने के लिये अनिवार्य है, जिससे यथा समय योग्यता प्राप्त अन्य व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप ये नियोजन के अवसर उत्पन्न होंगे।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हुई हानि

3435 श्री क० कृ० नायर : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965, 1966 और 1967 में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या कारपोरेशन का विचार हवाई अड्डों पर होटलों का निर्माण करने तथा उन्हें चलाने का है;

(ग) क्या इस परियोजना के वित्तीय पहलुओं पर विचार कर लिया गया है और यदि हां तो किस अधिकारी द्वारा और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इस नई परियोजना से कारपोरेशन को पहले से हुआ घाटा पूरा हो सकेगा अथवा इससे और अधिक घाटा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1964-65 और 1965-66 के दौरान कारपोरेशन ने क्रमशः 133.01 लाख रुपये और 32.33 लाख रुपये का लाभ कमाया। 1966-67 के दौरान कारपोरेशन को 423.50 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये धन का नियतन

3436 श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1967-68 में उन्होंने ग्रामीण सड़कों पर 9.85 लाख रुपये का व्यय किया था और उस वर्ष की राज्य योजना के लिये उन्हें दी जाने वाली सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता के अंश के रूप में राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान की स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जा रही है। 1968-69 के लिये केन्द्रीय सहायता अनुदान पर उस वर्ष में ग्रामीण सड़कों पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के ब्यौरे के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) चूंकि नई चतुर्थ पंच वर्षीय योजना अभी निर्माण ही में हैं । अतः चतुर्थ योजना काल में इस प्रयोजन के लिये प्रस्तावित आवंटन सूचित रना सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की नेरगुंडी कटक शाखा के कर्मचारियों की हड़ताल

3437 **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की नरमुंडी कटक शाखा के कर्मचारियों ने 13 जून, 1968 से हड़ताल की हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार की कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

डिप्टी कलेक्टरों और असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति

3438 **श्री केदार पस्वान** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में डिप्टी कलेक्टरों और असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एक ही परीक्षाएं के परिणाम के आधार पर दो पृथक संवर्ग बनाकर की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर की पदोन्नति के समय उसे उसकी नियुक्ति की तारीख से डिप्टी कलेक्टर के वेतन के आधार पर पूरी राशि दी जाती है, परन्तु वह डिप्टी कलेक्टर से कनिष्ट (जूनियर) हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : बिहार असैनिक सेवा में दो सवर्ग हैं, नामतः बिहार असैनिक सेवा (कार्यकारी शाखा) और

बिहार कनिष्ट असैनिक सेवा। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों में भरती के लिये परीक्षा लेता है और डिप्टी कलेक्टरों और सब डिप्टी कलेक्टरों के पदों पर नियुक्ति के लिये गुण-दोष आधार पर पृथक से नामों की सिफारिश करता है। जब एक सब-डिप्टी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति होता है, उसका वेतन डिप्टी कलेक्टर के पद में ऐसे स्तर पर निश्चित किया जाता है जिसको वह प्राप्त कर लेता यदि उस पद पर मूलतः उसकी नियुक्ति की गई होती। उसको वेतन की कोई बकाया रकम प्राप्त नही होती है। उसकी पदोन्नति की तिथि से उसकी वरीयता समझी जाती हैं। उपरोक्त व्यवस्था भरती नियमों और बिहार सेवा संहिता के अनुसार है।

सैनिक स्कूल

3439 **श्री श्रीधरन** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न सैनिक स्कूलों में दाखिला पाने वाले संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां दी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह छात्रवृतियां उन छात्रों को दी जाती हैं कि जिनके माता पिता की मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं होती और इन 500 रुपयों में मंहगांई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले इस प्रकार के अल्प भत्ते शामिल नहीं किये जाते;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में सैनिक स्कूल सोसाइटी के बोर्ड और देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अभी भी कुछ सैनिक स्कूल उन छात्रों को दाखिल नहीं करते जिनके संरक्षकों की प्रतिमास आय महंगाई भत्ते आदि के साथ 500 रु० से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संशोधित आय जांच ने, जो कि चालू सैक्षिक सूत्र से लागू की गई हैं, बतलाया है कि नगर पूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता, मकान किराया भत्ता, किरायामुक्त आवास का मूल्य, सवारी भत्ता, इत्यादि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आय परीक्षा के उद्देश्य के लिये आय में शामिल नहीं किये जायेंगे। किन्तु प्रतिनियुक्ति भत्ता, पारिश्रमिक, विशेष वेतन तथा बोनस इन योजनाओं के उद्देश्य के लिये आय के रूप में माने जायेंगे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) : संशोधित आय जांच वर्तमान आकार में 1 जनवरी, 1968 से अनुदर्शी 12 जुलाई 1968 को अधिसूचित की गई थी। इस अन्तर्कालावधि में स्पष्टीकरण होने तक कुछ बालक पूरी फीस देने पर दाखिल कर लिये गये थे। बाद में अब स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है और मामला नियमित कर दिया जायेगा।

सैनिक स्कूल

3440. श्री श्रीधरन : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से चुने गये छात्रों को योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्ति देने के प्रयोजन के लिये सरकार ने वर्ष 1968 से तथा भविष्य के लिए आय-सीमा को 1200 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई योजना के अन्तर्गत एक बार किसी छात्र को दी गई छात्रवृत्ति उसे मिलती रहेगी, चाहे बाद में उसके माता-पिता की आय में वृद्धि क्यों न हो जाये या उसके माता-पिता की आय 500 रुपये से एक रुपया भी अधिक हो जाने पर, यह छात्रवृत्ति तुरन्त बन्द कर दी जायेगी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् । जनवरी, 1968 से आरम्भ होने वाले सत्र में दाखिल हुए लड़कों की एक बार स्वीकृत छात्रवृत्ति शिक्षा की सम्पूर्ण अवधि तक चलती रहेगी और आय में बाद में हुए अन्तर के कारण इसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा ।

Demarcation of Assam Nagaland Border

3441. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chief Minister of Nagaland has made a demand to Government to appoint a Commission for the demarcation of borders of Assam and Nagaland; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under examination.

Lachit Sena in Assam

3442. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lachit Sena organised in Assam is having connections with enemy countries of India;

(b) whether it is also a fact that the persons arrested by the local police during the disturbances in Jayanagar and Gauhati were the members of Lachit Sena and had incited the riots on the occasion of the Republic Day ; and

(c) if so, whether Government have made any enquiry in this connection and if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no reliable information.

(b) and (c) A Commission of Inquiry has been constituted to inquire into the Gauhati disturbances. The Commission is conducting its inquiry. Its term has been extended upto 12th September, 1968.

"एशियन पीपल्स एन्टी-कम्युनिस्ट लीग"

3443. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एशिया पीपल्स एन्टी-कम्युनिस्ट लीग" नाम की एक संस्था राजधानी में कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के पदाधिकारियों का विवरण क्या है तथा उसकी आय का साधन क्या है ;

(ग) क्या इस संस्था को कुछ विदेशी दूतावास वित्तीय सहायता दे रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह संस्था एक रूपक (फीचर) समाचार सेवा भी चला रही है और यदि हां, तो उसके सम्पादक का नाम क्या है तथा इस समाचार पत्र को किस स्रोत से वित्त प्राप्त हो रहा है; और

(ङ) क्या इस समाचार पत्र का सम्पादक अथवा उपरोक्त लीग का मंत्री कुछ विदेशी दूतावासों, अमरीका की सेंट्रल इंटैलीजेन्स एजेन्सी तथा अन्य (संस्थाओं) के लिये कार्य कर रहे हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) श्री रामस्वरूप सबरवाल एशिया पीपल्स एन्टी-कम्युनिष्ट लीग के भारत खण्ड के लिये समिति के संयोजक हैं।

(घ) श्री रामस्वरूप सबरवाल स्वयं 'फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस' के सम्पादक हैं। सरकार के पास 'फ्री न्यूज एण्ड फीचर सर्विस' की आय के साधन के बारे में कोई विश्वासनीय सूचना नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

3444. श्री अ० दीपा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की पदालि में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस वर्ष ली गयी परीक्षा के आधार पर उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुछ नहीं।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है न कि राज्यवार। इस वर्ष उड़ीसा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का कोई उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिये सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सका।

Scholarships to Polytechnic Students

3445. Shri T. P. Shah :
Shri J. B. Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Onkar Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1157 on the 26th July, 1968 and state :

(a) the names of those 22 students of Polytechnics in Delhi with names of Polytechnics with which they are connected;

(b) the number of students studying Mechanical, Civil Electrical and Automobile Engineering out of the above;

(c) the last date for receipt of applications for grant of scholarships and the time by which a final decision would be taken thereon; and

(d) whether they would be granted Scholarships for the last Session (1967-68) and the next Session (1969-70) and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) According to the information now furnished by Delhi Administration 28 and not 22 students have secured marks between 55 and 60 per cent. The names of the students are given in the attached statement, **[Placed in the Library. See. No. L. T. 1678/68]**

(b)	Civil	—	6
	Electrical	—	5
	Mechanical	—	9
	Automobile	—	3
			23

(c) The last date for receipt of applications for the G. B. Pant Polytechnic and K. G. Polytechnic is 14-8-1968, and that for the Pausa Polytechnic was 25-7-1968. A decision regarding award of scholarships is expected to be taken towards the end fo August, 1968.

(d) These students were granted scholarships during 1967-68. The students whose scholarships are renewed during the 1968-69 session will continue to get the scholarships during the 1969-70 session provided that they secure the prescribed qualifying marks at the annual examination.

Engineers From Abroad

3446. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the number of engineers who have come to India from abroad to render service during the last three years and the countries to which they belong; and

(b) the number of Indian engineers sent abroad by Government during the last three years and their particulars ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) The required information as for the Education Ministry and its organisations is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Bridge Over Jamuna at Mathura

3447. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8663 on the 26th April, 1968 and state:

(a) whether the information in regard to the bridge over River Jamuna in Mathura District has since been collected;

(b) if so, the details thereof: and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached, [Placed in the Library See. L. T. No. 1679/68]

(c) Does not arise.

Hindi Assistants

3448. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have framed a rule whereby only employees who have passed M. A (Hindi) would be promoted to higher posts involving work in Hindi.

(b) whether it is also a fact that during the Hindi Assistants Examination held by the U. P. S. C. in 1959, some such persons passed the examination obtaining more marks than those persons who had passed M. A. (Hindi) before 1959;

(c) whether it is proper to impose M. A. (Hindi) qualification on those who obtained high position in U. P. S. C. examination for higher posts in view of part (b) above; and

(d) whether Government propose to look into the matter and dispense justice to those Hindi Assistants who are not M. A. (Hindi) but have obtained higher positions in the said U. P. S. C. Examination than these Hindi Assistants having M. A. (Hindi) qualifications ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (b) Various posts created for Hindi work by Ministries Departments according to their needs are isolated posts and the recruitment rules for such posts are also framed by the respective Ministry/Department, laying down therein educational qualifications. experience etc. in keeping with the nature of duties and responsibilities attached to each such post. Hence, only those persons would be eligible for consideration for these posts who possess the requisite qualifications.

2. For the Hindi Assistants' Examination, June 1959 the minimum educational qualification was a degree with Hindi as one of the subjects. Members of the C. S. C. S. who were otherwise eligible and who possessed the minimum or higher educational qualifications could appear at the examination. No information is available about the marks obtained by each person at the Examination. However, as the examination was held for making recruitment to specific posts, namely the posts of Hindi Assistants, the marks obtained at that examination by the candidates cannot be the basis for deciding whether or not any of these candidates would be educationally qualified for any of the higher posts created for Hindi work, when specific educational qualifications for these higher

posts have been separately prescribed. As already stated, all posts for Hindi work are ex-cadre posts and recruitment to these posts is regulated by independent rules framed by the respective Ministry/Department and only those persons would be eligible for consideration who fulfil the conditions laid down in those rules.

भारतीय वन सेवा

3449. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन सेवा संवर्ग में कार्य करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और वे किन किन राज्यों के हैं; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अनुसूचित आदिम जातियों के हैं और वे किन किन राज्यों के हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) वांछनीय सूचना निम्न विवरण में समाविष्ट है: –

विवरण

राज्य संवर्ग का नाम	भारतीय वन सेवा के राज्य संवर्गों में अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित आदिम जाति के भारतीय अधिकारियों की कुल संख्या
आन्ध्र प्रदेश	51	1
असम	29	4
बिहार	56	1
गुजरात	30	–
हरयाना	8	–
जम्मू तथा काश्मीर	32	–
केरल	22	–
मध्य प्रदेश	121	1
मद्रास	31	–
महाराष्ट्र	59	–
मैसूर	45	–
नागालैंड	*3	–
उड़ीसा	44	–
पंजाब	10	–

* सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजस्थान	27	–
उत्तर प्रदेश	88	–
संघ राज्य क्षेत्र	79	3
पश्चिम बंगाल	40	–
योग	775	10

बिहार में माओ समर्थक पुस्तकें

3450. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची (बिहार) में माओ-त्से-तुंग के सिद्धान्तों और लेखों का प्रचार करने के लिये बिरसा सेवा दल के सदस्यों में तथा इनके द्वारा कई पुस्तकें बांटी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) अपराधियों को पकड़ने तथा उन्हें दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

अनुसूचित जातियों के स्नातक

3451. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में संकायवार कुल कितने स्नातक हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संकायवार कुल कितने स्नातक हैं; और

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों में संकायवार कुल कितने विद्यार्थी हैं तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों तथा संघीय-क्षेत्रों में संकायवार स्नातकों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1961 की जनगणना के अनुसार शहरी इलाकों की स्नातकों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः अनुबन्ध I और II में दी गई है ।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार (31-3-1965) को विश्वविद्यालयों में (समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों समेत) संकायवार विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के विद्यार्थियों की संख्या अनुबन्ध III मे दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1680/68] ।

राज्यों का पुनर्गठन

3452. श्री कार्तिक उरांव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषाई तथा जातीय दृष्टिकोण की पर्वाह न करते हुए राज्यों के पुनर्गठन के लिये कोई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय एकता की नीतियां लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में सरकार का लोक मत प्राप्त करने के बाद इस समस्या पर विचार करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं श्रीमान ।

Revision of Pay Scales of Librarians in Uttar Pradesh

3453. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the pay scales of the Librarians in Degree and Post-graduate Colleges of Uttar Pradesh have been revised and converted into two pay scales in which the higher pay scale is given to Librarians who have passed M. A. in first/second Division and the lower pay scale is given to Librarians who have passed M. A. in third Division;

(b) whether Agra University received a letter on 24th June, 1963 from Uttar Pradesh Degree College Librarians' Association, Shikohabad and Senate of said University, in their Resolution No. 155 dated 30th August, 1963 accepted demand of the said Association that those Librarians who possess ten years or more experience as Librarians should be exempted from the condition of M. A. in first second Division;

(c) if so, whether Librarians who possess ten years or more experience would be exempted from the condition of first/second Division M.As. for being given higher pay-scale; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The following pay-scales and qualifications have been prescribed by the U. P. Government for Librarians in Degree and Post-Graduate colleges in the State:

(I) Colleges having 500 or more students :

Scale: Rs. 300-600

Qualifications:

(i) B. A./B. Sc./B. Com. second class with M. Lib, Degree (two years' course) second class. or

(ii) M. A./M. Sc. second class with B. Lib. Science (one years' course) second class.

Those not possessing the above qualification will be given the scale of Rs. 200-400,

(II) **Other Colleges:**

Scale: Rs. 200-400

Qualifications:

B. A /B. Sc./B. Com. with Dip/Certificate in Lib. Science.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) This has been done in order to provide efficient library services in the institutions.

Aeroplanes and Spare Parts Lying at Safdarjang Aerodrome

3454. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Nihal Singh :

Will the Minieter of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that unused parts of the aeroplanes, which the country have been importing from foreign countries for the last many years, have been thrown in the junk yard at Safdarjang Aerodrome and if so, the value thereof;

(b) whether it is also a fact that certain unused 'Avons' have also been thrown alongwith the parts of the aeroplanes, and one Ayon costs Rs. 17,000; and

(c) if so, the action taken by Government against the officials responsible for this loss ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. Only scrapped spares whice have been used and cannot be repaired are deposited in the Indian Airlines junk yard at Safdarjung. These are sold as scrap through auction.

(b) No, Sir. The cost of a new R. R. Avon 531 engine is approximately 81,000/-

(c) Does not arise,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम लागू करना

3456. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेतन-क्रमों संबंधी योजना लागू की गयी है और क्रियान्वित की जा चुकी है ;

(ख) करनाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (मैसूर राज्य) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम न लागू करने के क्या कारण हैं और इनको लागू करने में विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ कर अभी तक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाना तथा बिहार की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिये आदेश जारी किये हैं ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उस राज्य के विश्वविद्यालयों में संशोधित वेतनमानों के लागू करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालयों के परामर्श से राज्य सरकार में जांच की जा रही है।

आंध्र और तेलंगाना प्रदेशों के इंजीनियरों की सांझी श्रेणीकरण सूची

3457. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के दिनांक 24-12-1965 और 14-6-1966 के उन निर्णयों में, जिनमें आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा जी० ओ० एम० एस० संख्या 1414 जी० ए० डी० (एस० आर०) दिनांक 9-11-1961 के द्वारा प्रकाशित आंध्र और तेलंगाना प्रदेशों के इंजीनियरों की 1-11-1956 की अस्थायी सांझी श्रेणीकरण सूची के विरुद्ध तेलंगाना प्रदेश के इंजीनियरों की अपील की अनुमति थी, दिनांक 21/24-12-1966 को केन्द्रीय सरकार के निर्णय द्वारा संशोधन किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि यह संशोधन आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर किया गया है।

(ग) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के पहले दो निर्णयों की पुष्टि करते हुए उनके बाद वाले निर्णय को अस्वीकार किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार सांझी श्रेणीकरण सूची को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बताये गये तथ्यों समेत सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद यह संशोधन किया गया था।

(ग) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के दिनांक 22/24-12-1966 के निर्णय को रद्द कर दिया है तथा निर्देश दिया है कि आन्ध्र एव तेलंगाना क्षेत्रों से अधिकारियों के सम्बन्धित दावों पर न्यायालय द्वारा बताई गई रूपरेखा पर आगे विचार किया जाय।

(घ) (ङ) तथा (च) उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन दो क्षेत्रों के अधिकारियों के सम्बन्धित दावों की और आगे परीक्षा करने से पहले इस श्रेणीकरण सूची को अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं होगा।

आंध्र और तेलंगाना प्रदेशों के कर्मचारियों की सांझी श्रेणीकरण सूचियां

3458. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भारत सरकार ने 1 नवम्बर, 1956 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग को छोड़ कर सभी विभागों में आंध्र और तेलंगाना के कर्मचारियों की अन्तिम सांझी श्रेणीकरण सूचियों को अनुमोदित कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। उपलब्ध सूचना के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के अतिरिक्त 835 (कुल 3,556 में से) राजपत्रित अधिकारियों तथा 798 (कुल 16,081 में से) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये सूचियों को अभी अन्तिम रूप देना है।

(ख) कुछ मामलों में अभ्यावेदनों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अन्तिम श्रेणीकरण सूचियों के प्रारूप तैयार किये जा रहे हैं और कुछ अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अन्तिम सूचियों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों को अभी निपटाना है।

आंध्र प्रदेश सरकारी नौकरी (निवास स्थान संबंधी शर्त) अधिनियम, 1957

3459. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी नौकरी (निवास स्थान सम्बन्धी शर्त) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये आंध्र प्रदेश सरकारी नौकरी (निवास स्थान सम्बन्धी शर्त) नियमों, 1959 की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है और उसकी क्रियान्विति में केन्द्रीय अधिनियम का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उल्लंघनों को ठीक करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में हत्यायें

3460. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ पुलिस थाना (दिल्ली) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में हाल ही में लगभग 9 हत्याएं हुई थीं;

(ख) क्या इन हत्याओं के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) इस प्रकार के अपराधों के बड़ी संख्या में होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या वहां स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कोई न्यायिक जांच की गई थी, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जनवरी, 1968 से चालू वर्ष के दौरान, नजफगढ़ पुलिस थाना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में, हत्या के तीन मामले दर्ज कराये थे।

(ख) दो मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और एक मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) और (घ) नजफगढ़ पुलिस थाने में बड़ी संख्या में हत्या के मामले दर्ज नहीं कराये गये थे। स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कोई न्यायिक जांच नहीं की गई थी।

केन्द्रीय ड्रेजिंग संस्था

3461. श्री जो० ना० हजारिका : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी बन्दरगाहों में से मिट्टी आदि निकालने के लिये एक केन्द्रीय ड्रेजिंग संस्था स्थापित की गई है,

(ख) क्या यह संस्था ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों की अन्तर्देशीय बन्दरगाहों से भी गाद और मिट्टी निकालने का कार्य करेंगी; और

(ग) मिट्टी निकालने की योजना पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान और इस प्रयोजन के लिये कितने आयातित और देशीय ड्रेजरों की आवश्यकता होगी।

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) बड़े पत्तन परियोजनाओं में बड़े निकर्षण के लिये, और पत्तनों में निकर्षण के बैकलाग की सफाई के लिये एक केन्द्रीय निकर्षक संगठन स्थापित करने का विचार है। छोटे पत्तनों में निकर्षण के लिये एक लघुपत्तन निकर्षण संगठन दो निकर्षकों के साथ स्थापित किया जा चुका है जो 215 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर देश में प्राप्त किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनुमानित किया जाता है कि प्रस्तावित केन्द्रीय निकर्षण संगठन के लिये सहायक उपस्करों सहित दस निकर्षकों की जरुरत पड़ेगी। अभी लौह धातुक के आयात के लिये विदेश से दो निकर्षक तुरन्त प्राप्त कर प्रारंभिक कार्य शुरु करने का प्रस्ताव है।

साहरनपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'हक नवाज'

3462. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में साहरनपुर से प्रकाशित होने वाले 'हक नवाज' नामक साप्ताहिक पत्र ने 17 जून, 1968 के अपने संस्करण में हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है तथा इस प्रकार अपने पाठकों के मन में घृणा के बीज बोने का प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस समाचार पत्र के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

काश्मीर में जाकर प्रत्यक्ष अध्ययन

3463. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की स्थानीय शिकायतों की वास्तविकता को समझने तथा उनके सहानुभूतिपूर्वक और कल्पना के साथ विचार करने के लिये कुछ जिम्मेदार लोगों को, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हों, वहां जाकर उनकी शिकायतों का प्रत्यक्ष अध्ययन करना चाहिये ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान सदन में 29 मार्च, 1968 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5733 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

कलकत्ता-अगरतला उड़ान में जल-पान व्यवस्था

3464. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच एक फ्रेंडशिप सर्विस यात्री को जलपान की सप्लाई के लिये 3 रुपये की व्यवस्था थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस मार्ग पर केवल चाय या काफी और बिस्कुट दिये जा रहे थे;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कलकत्ता-अगरतला फ्रेण्डशिप उड़ानों पर कोई खाने नहीं परोसे जाते, क्योंकि इन उड़ानों का समय सामान्य खानों के घन्टों के अन्तर्गत नहीं आता।

सभी उड़ानों पर खानों के समय से इतर समय में यात्रियों को दिये जाने के लिए चाय या काफी या ठण्डे पेय पदार्थ और बिस्कुट उपलब्ध रहते हैं।

(ग) और (घ) जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशों की क्रियान्विति

3465. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि मेरी सिफारिशों पर भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौकरशाही वाले अधिकारियों द्वारा विचार अथवा विश्लेषण किया गया तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित किये जाने की तनिक भी आशा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का सोच उनके निजी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि आयोग का।

पारादीप बन्दरगाह

3466. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा नौहवन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप बन्दरगाह पर कर्मचारियों के स्थायी क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है तथा कर्मचारी अब भी बन्दरगाह के निर्माण के समय बनाये गये स्थायी शैडों में रह रहे हैं;

(ख) पारादीप में कर्मचारियों के स्थायी क्वार्टरों के निर्माण के लिये इस वर्ष कितनी राशि मंजूर की गई है तथा निर्माण कार्य के लिये बन्दरगाह न्यास प्राधिकारियों को यह राशि दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

परिवहन तथा नौहवन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) (ख) और (ग) : पत्तन के विकास कार्यक्रम की पहली अवस्था के अंश के रूप में पारादीप पत्तन में 48 स्थायी और 284 अस्थायी कर्मचारी क्वार्टर बनाये गये। जनवरी, 1968 में पत्तन में 35.32 लाख रुपये की प्राक्कलित लागत पर 213 अतिरिक्त स्थायी कर्मचारी क्वार्टर बनाये जाने की स्वीकृति दे दी गई है।

कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण सहित पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में पारादीप पत्तन के लिये 200 लाख रुपये की एक मुश्ती बजट व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर इस व्यवस्था के विपरीत पत्तन के लिये धन दिया जा रहा है।

रूरकेला में प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज

3467. **श्री दे० अमात :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गु० चं० नायक :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम है और उनके सर्वोतमुखी विकास हेतु पूरी स्वतन्त्रता देने के लिये उन्हें स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रीजनल इंजीनियरिंग कालिज, रुरकेला की स्थापना के समय यह कल्पना की गई थी कि इसे खड़गपुर, कानपुर, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में स्थापित किये गये भारतीय तकनीकी संस्थानों का दर्जा दिया जायेगा;

(ग) क्या एम० एस० सी० परीक्षा के प्रथम बैंच के दो विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र और भौतिकी में विश्वविद्यालय के स्वर्णपदक जीते थे; और

(घ) क्या रुरकेला रिजनल इंजीनियरिंग कालिज के विकास के लिये प्रबन्धक बोर्ड ने एक वृहत योजना का अनुमोदन किया था, यदि हां, तो कब और क्या कालिज का दर्जा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री डा० त्रिगुण सेन : (क) जी हां।

(ख) योजना से यह बात निहित नहीं थी कि प्रादेशिक कालेजों को आखिरकार टेक्नोलोजी संस्थानों के स्तर तक उन्नत कर दिया जाएगा। किन्तु इसमें उपयुक्त स्तरों पर और चुने हुए कालेजों में उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय, जो कि उपलब्ध साधनों और आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

(ग) रुरकेला कालेज से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय परीक्षा में एम० एस० सी० की भौतिकी और रसायन में प्रथम समूह के दो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में प्रथम आए थे।

(घ) जी हां, रुरकेला कालेज के और आगे विकास के प्रश्न पर आवश्यकतानुसार और पुनरीक्षित चौथी आयोजना में की गई व्यवस्था के अनुसार विचार किया जाएगा।

मनीपुर के वित्त सचिव की नियुक्ति

3468. श्री एस० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने वर्ष 1967 में किसी समय मनीपुर सरकार के वित्त सचिव के पद पर आसीन वर्तमान पदाधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी दी जाने के लिये उनके मंत्रालय से अनुरोध किया था और उनके मंत्रालय ने 26 अक्तूबर, 1967 को अपने पत्र संख्या 1-25-67 एच० एम० टी० द्वारा इसकी मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित भर्ती नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का अवसर दिये बिना प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्ति की मंजूरी मांगे जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या मनीपुर सरकार के वर्तमान वित्त सचिव का पूर्वाधिकारी वित्त सचिव अक्तूबर, 1963 में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था और उसके सेवा काल को एक बार से अधिक बढ़ाया गया था;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय के निश्चित अनुदेशों के विरूद्ध जाकर उसके सेवाकाल को तीन वर्ष की सीमा से अधिक बढ़ाने के क्या कारण थे; और

(ङ) वर्ष 1966 की समाप्ति के आसपास प्रतिनियुक्ति के पहले तीन वर्ष पूरे हो जाने पर जब यह पद रिक्त हुआ था और पुनः 1967 की समाप्ति के पास उसके सेवाकाल की पहली वृद्धि की अवधि पूरी हुई थी; तो उस पद पर पदोन्नति करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की एक बार भी बैठक न बुलाई जाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) : 1 जनवरी, 1964 से पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक था कि वित्त मन्त्री, मनीपुर, का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाये और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 1963 में विभागीय पदोन्नति समिति को इस पद के लिये कोई स्थानीय उपयुक्त अधिकारी नहीं मिला और प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो लोक हित में दिसम्बर, 1967 तक इसी रूप में चलता रहा । 1 जनवरी, 1968 को यह पद संघ-राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में शामिल कर लिया गया और पिछले भर्ती नियम निरर्थक हो गये । पहली प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष के लिये थी और लोक हित में दिसम्बर, 1967 तक बढ़ायी गई थी, इन नियतकालिक समय-वृद्धियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था । अब चूंकि यह पद संघ-राज्य क्षेत्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में शामिल कर लिया गया है, अतः संवर्ग नियमों के अनुसार एक नियुक्ति कर दी गई है ।

मनीपुर में खेल-कूद परिषद्

3469. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सहित सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में खेल-कूद परिषद् स्थापित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे ठीक प्रकार कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मनीपुर राज्य खेल-कूद परिषद कार्य नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा परिषद को सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मनीपुर सहित कुछ संघीय-क्षेत्रों में खेल-कूद परिषदें अभी स्थापित की जानी हैं ।

(ख) वे सभी एक जैसे उत्साह से काम नहीं कर रही हैं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों को खेल-कूद परिषदें स्थापन करने की जरूरत और उनके सक्रिय रूप से कार्य करने के बारे में समय समय पर जोर देती रहती है ।

भारतीय प्रशासन सेवा में मनीपुर के अधिकारी

3470. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम क्या है जो मारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियम 1955 के विनियम 4 के अधीन वर्ष 1966 और 1967 में 31 दिसम्बर, 1967 को अथवा इससे पहले मनीपुर से भारतीय प्रशासन सेवा पदालि में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र थे और क्या उक्त विनियम के अधीन मारतीय प्रशासन सेवा पदालि में पदोन्नति के लिये पात्रता पर कोई समिति निरन्तर विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो 1966 और 1967 में भारतीय प्रशासन सेवा पदालि में नियुक्ति के लिये मनीपुर सरकार ने जिन अधिकारियों की सिफारिश की थी उनमें उपयुक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने मनीपुर सरकार द्वारा इस प्रकार भेजे गये सभी अधिकारियों की चरित्र-पंजियां मंगाई थीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त विनियम के अधीन मनीपुर सरकार ने सभी उपयुक्त अधिकारियों की चरित्र-पंजियां भेजी थीं और यदि नहीं, तो अधिकांश अधिकारियों के मामले में चरित्र-पंजियां न भेजने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) : 1 जनवरी, 1968 से पहले मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र का कोई पृथक या एक संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नहीं था। अतः मनीपुर सरकार का कोई अधिकारी 1 जनवरी, 1968 से पहले भारतीय प्रसाननिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 4 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का पात्र नहीं था।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों को पुस्तकों की भेंट

3471. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में उनके मंत्रालय द्वारा विदेशों को भेंट की गई प्रत्येक पुस्तक का नाम क्या है तथा उनका मूल्य कितना था; और

(ख) ये पुस्तकें किन किन देशों तथा संस्थाओं को भेंट की गई हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) और (ख): अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान और उड़ीसा में संस्कृत के विकास के लिये सहायता

3472. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1967-68 के दौरान संस्कृत के विकास के लिए उड़ीसा तथा राजस्थान को अलग अलग कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) किन-किन संस्थानों को ऐसी मदद दी गई; तथा कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(ग) 1968-69 में इस प्रयोजन के लिये उन राज्यों को कितनी कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : संस्कृत के विकास के लिये उड़ीसा और राजस्थान सरकारों को 1967-68 के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :-

उड़ीसा	(i)	स्वैच्छिक संगठन	–	3,500 रुपये
	(ii)	राज्य सरकार	–	28,100 रुपये
राजस्थान	(i)	स्वैच्छिक संगठन	–	30,140 रुपये
	(ii)	राज्य सरकार	–	22,457 रुपये

उड़ीसा और राजस्थान की उन स्वैच्छिक संगठनों की सूची संलग्न है, जिन्हें 1967-68 में अनुदान दिये गये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1681/68]**।

(ग) इन दोनों राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदान दिये जा चुके हैं।

(i)	उड़ीसा सरकार	--	28,702 रुपये
(ii)	राजस्थान सरकार	--	23,702 रुपये

राज्य सरकारों को और आगे अनुदान दिया जाना उनकी आवश्यकताओं और पैसे की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इन राज्यों के स्वैच्छिक संगठनों को 1968-69 के दौरान अनुदान उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने और केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड से परामर्श करने के बाद दिया जायेगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग का कृषि सम्बन्धी अध्ययन दल

3473. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के कृषि सम्बन्धी अध्ययन दल ने इस बीच अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) अध्ययन दल की रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों की प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई है । अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग के विचार के लिये है । आयोग को विषय पर अपनी सिफारिशें अभी सरकार को देनी है । सरकार द्वारा इस अवस्था में कोई निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजो विद्रोही

3474. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन महीनों में मिजो पहाड़ी जिले में सुरक्षा सेना द्वारा कितने मिजो विद्रोही पकड़े गये;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मिजो विद्रोहियों द्वारा कितने भारतीय अधिकारी गिरफ्तार किये गये; और

(घ) अब तक उन्होंने कितने व्यक्ति मारे हैं या रिहा किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : 1 मई से 31 जुलाई, 1968 तक की अवधि में सुरक्षादलों ने 404 मिज़ो विद्रोहियों को पकड़ा । इन बन्दियों को असैनिक प्राधिकारियों को विधि के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिये सौंप दिया है ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्रोही मिजो लोगों का पूर्वी पाकिस्तान चले जाना

3475. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने विद्रोही मिजो पाकिस्तान चले गये ;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले तीन महिनों में मिजो विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में घुसने के बारे में कोई पुष्ट सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नाहरा तथा चौकी में राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) प्रशिक्षण केन्द्रों का बन्द होना

3476. श्री नंजा गाडर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहरा तथा चौकी स्थित राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द किये जाने पर अनेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है ।

(ख) क्या इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दे दिया गया है;

(ग) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों में से कई लोग अभी तक बेरोजगार हैं, और यदि हां, तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) छंटनी किये गये कर्मचारियों को उनकी बेरोजगारी की अवधि में कितनी और क्या सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (ख) (ग) और (घ): नाहरा तथा चौकी में राष्ट्रीय दक्षतादल (नेशनल फिटनेस कोर) के प्रशिक्षण केन्द्रों के बन्द होने के फलस्वरुप ग्यारह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फालतू हो गए थे । इन कर्मचारियों के नाम वैकल्पिक रोजगार के लिये रोजगार के कार्यालयों तथा कलकत्ता और अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न दफ्तरों में लिखवा दिए थे । इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में एक (स्वीपर) को, जो जूनागढ़ जिले का रहने वाला था, अहमदाबाद में रोजगार दिया गया था, परन्तु उसने वहां काम करने से इन्कार कर दिया ।

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) की प्रशिक्षण संस्थायें

3477. श्री नंजा गाडर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेनिसका तथा बरवाह स्थित राष्ट्रीय दक्षता (नेशनल फिटनेस कोर) की प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, इन संस्थाओं के कर्मचारियों को समकक्ष दर्जे और उपलब्धियों वाले अन्य पदों पर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) ये प्रशिक्षण संस्थाएं बन्द कर दी गई हैं ।

(ख) कुछ कर्मचारियों को सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस द्वारा खपाए जाने की सम्भावना है और बाकी के लिए वैकल्पिक रोजगार दिलाने के वास्ते कोशिशें की जा रही हैं ।

Post-Matric Scholarship Scheme

3478. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government awards scholarships to students studying in classes higher than the Higher Secondary Standard in Delhi, under the Post-matric scholarship scheme;

(b) if so, the criteria for the same:

(c) whether low income is one of criteria and if so, the level of income considered for scholarship;

(d) whether dearness allowance of Government employees and Bonus of Private Individuals, etc. are also included in the income for this purpose; and

(e) whether Government propose to revise this ceiling of income scale and rate of scholarship in view of the rise in living cost and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. Scholarships are awarded under the National Scholarships Scheme to students belonging to all State Union Territories including Delhi for post-matriculation studies.

(b) Awards to eligible scholars are made on the basis of merit, subject to the fulfilment of prescribed means Test,

(c) Yes, Sir, only in the case of under-graduate studies; only those whose parents have an income of Rs. 500/- or below per month are eligible for scholarships. In the case of students whose parents income exceeds Rs. 500 per month a notional prize of Rs. 100 and a certificate of merit is awarded in lieu of scholarship.

(d) In the case of the salaried class dearness allowance does not count towards income. Bonus is regarded as part of income for the purpose of the scheme.

(e) No, Sir.

कलकत्ता–पोर्ट ब्लेर सेवा से स्काई मास्टर विमान को बदलना

3479. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-पोर्ट ब्लेर सेवा से इण्डियन एयरलाइन्स के स्काई-मास्टर विमान को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई योजना के अन्तर्गत उड़ान रंगून के रास्ते से होगी; और

(घ) क्या भार के प्रश्न को भी ध्यान में रखा गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) (ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने अपने डी० सी० 4 स्काईमास्टर विमानों को बेच देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इन विमानों का संधारण एवं परिचालन नितांत अलाभप्रद हो गया है। परिणामतः कारपोरेशन ने 1968-69 की शीतकालीन समय अनुसूची के लागू होने के समय से कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर सेवा वाइकाउन्ट विमान द्वारा परिचालित करने की योजना बनाई है। परिचालन की दृष्टि से एक वाइकाउन्ट विमान के लिये कलकत्ता से सीधा पोर्ट ब्लेयर तक परिचालन संभव नहीं, इसलिये दोनों दिशाओं में पुनः ईंधन ग्रहण करने के लिए रंगून में तकनीकी दृष्टि से विराम आवश्यक है।

(घ) जी, हां। स्काईमास्टर द्वारा इस समय सप्ताह में एक बार किये जा रहे परिचालन के स्थान पर वाइकाउन्ट सप्ताह में दो बार परिचालन करेगा।

अन्दमान में संचार सुविधाए

3480. श्री के० आर० गणेश : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में दुगरपुर गांव का मायाबन्दर से सम्पर्क जोड़ने वाली कोई संचार सुविधाएं हैं।

(ख) वहां के निवासियों के लिये परिवहन का वर्तमान साधन क्या है और इस बस्ती को किस वर्ष में बसाना आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या वहां पर किसी छोटी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क और पुल का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) दूगापुर खण्ड संख्या 1, जिसे पहलगांव गांव कहते हैं, मायाबन्दर के साथ. हर मौसम में खुली पत्थर कुटी सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। मायाबन्दर तथा पहलगांव के बीच राजकीय बस सेवा निरन्तर चलती रहती है। अन्य खण्डों के साथ कोई सड़क सम्बन्ध अथवा नौका सेवा नहीं है। लोगों को अन्य खण्डों तक पैदल चलकर अथवा नावों-डौंगियों से यात्रा करनी पड़ती है।

बस्ती सन् 1955 में स्थापित की गई थी।

(ग) लगभग 60 से 80 फीट चौड़ी एक आड़ी-तिरछी नदी है जो 6 तथा 7 (क) खण्डों के बीच संचार में बाधा पहुंचाती है और इस पर एक पुल निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) दूगापुर में पुल तथा जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है तथा निर्माण कार्य 1969-70 के दौरान हाथ में लिये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में विकास के लिये धन का नियतन

3481. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने यह कहा है कि दिल्ली के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये पर्याप्त धन नियत नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के विकास के लिये सरकार द्वारा नियत की गई कुल राशि की तुलना में दिल्ली में राजस्व से प्राप्त होने वाली कुल आय अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली के विकास के लिये धन के नियतन बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिये दिल्ली प्रशासन की राजस्व प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन उसके विकासशील व्यय के प्राक्कलन से अधिक है ।

(ग) दिल्ली में विकास के लिये धन व्यवस्था देश के कुल वित्तीय साधनों के तथा वार्षिक योजना में सम्मिलित स्वीकृत स्कीमों के आधार पर की जाती है । फिर भी निर्णय किया गया है कि स्वीकृत स्कीमों के लिए योजना व्यय उस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जहां तक अतिरिक्त साधन वर्तमान स्तर से ऊपर अतिरिक्त काराधान कर के तथा योजनेत्तर व्यय में बचत करके जुटाये जा सकते हैं ।

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के कर्मचारियों का सम्मेलन

3483. **श्री नंजा गोडर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दक्षता दल के महानिदेशक की इस आशय की कथित टिप्पणी के सम्बन्ध में, कि राष्ट्रीय दक्षता दल की प्रशिक्षण संस्थायें 'आयाशी के अड्डे' अथवा 'वैश्यालय' हैं, और सरकार द्वारा राष्ट्रीय दक्षता दल के कार्यक्रम के संचालन तथा उसकी क्रियान्वित और उससे सम्बन्धित सरकारी नीतियों के बारे में महानिदेशक द्वारा की गई निर्बाध आलोचना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय दक्षता दल के कर्मचारियों के लखनऊ में हुए सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार ने महानिदेशक को कथित विचार प्रकट करने की अनुमति दी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो महानिदेशक के विरुद्ध तथा कर्मचारियों की भावनाओं को लगी हुई ठेस को शान्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) महानिदेशक ने बताया है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कांग्रेस के लिये धन संग्रह

3484. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1968 को 'पेट्रियट' नामक दैनिक समाचार पत्र में 'कांग्रेस के लिये धन संग्रह' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित मन्त्रियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रकाशित समाचार से यह स्पष्ट नहीं है कि सम्बन्धित मन्त्री कौन हैं ।

सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी के एजेन्ट

3485. श्री जे० एच० पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजदूर संघों तथा आदिवासियों के संगठनों के माध्यम से सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेन्सी के एजेन्ट छोटा नागपुर के आदिम जाति क्षेत्र में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में वे कुछ ईसाई मिशनों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मुख्यालय कलकत्ता में है; और

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) (ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अहाते में पुलिस द्वारा प्रवेश

3486. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जुलाई, 1968 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में उस समय पुलिस को बुलाया गया था जबकि हिन्दी विभाग के कुछ अध्यापकों तथा छात्रों में झगड़ा हो गया था;

(ख) क्या छात्रों ने विश्वविद्यालय में पुलिस की उपस्थिति का विरोध किया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई छानबीन की गई है कि पुलिस को किसने बुलाया था; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी नहीं, 21.7.1968 को यह सूचना मिलने पर कि विश्वविद्यालय में कुछ झगड़ा हो गया है दिल्ली पुलिस की एक कन्ट्रोल वेन गलती से अन्दर चली गई थी, परन्तु जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा गलती बताई गई वह वहां से बाहर आ गई ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अधिकारियों ने इस मामले की जांच कराने के लिए प्रतिम अधिकारियों से निवेदन किया है ।

रांची जिले (बिहार) में आदिवासियों पर गोलियां चलाया जाना

3487. श्री कार्तिक उरांव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री शिवचन्द्रिका प्रसाद :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पुलिस ने बिहार के रांची जिले में 2 जून, 1968 को चिड़ी में और 21 जुलाई, 1968 के रायदीह में गोलियां चलाई थीं, जिसके परिणामस्वरूप कई आदिवासी मारे गये थे और कई घायल हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2 जून, 1968 को ग्राम चीरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी जब आदिवासियों की एक हिंसक भीड़ ने पुलिस के द्वारा तितर-बितर हो जाने के लिये कहने पर इन्कार कर दिया और लोगों की जान को एक खतरा हो गया। गोली चलाने के परिणामस्वरूप स्थल पर पांच व्यक्ति मारे गये और बाद में चोटों के कारण एक और मर गया। आयोग के जांच अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच आयोग, गोली चलाये जाने की जांच करने के लिये स्थापित किया जा रहा हैं।

रायदीह की घटना के बारे में राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

---

23 अप्रेल, 1968 के अतरांकित प्रश्न सं० 8249 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U. S. Q. No 8249 DATED 23, APRIL, 1968

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : लोक सभा में 23 अप्रैल, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8249 के भाग (ख) के अपने उत्तर में मैंने यह कहा था:-

(ख) संघ में शामिल 13 सदस्य समितियों में से छः ने ग्रामीण तेल सम्बन्धी कारोबार बंद कर दिया है। अभी तक काम कर रही सात समितियों में से पांच को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा सहायता दी जाती रही है, जिसमें सूचित किया है कि उसे अभी तक किसी भी समिति के बारे में ऐसी सूचना नहीं मिली है कि उसने झूठी बिक्री दिखा कर राज सहायता प्राप्त की है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा अब संशोधित जानकारी दी गयी है जिससे प्रश्न के उस भाग के उत्तर में निम्नोक्त संशोधन करना अपेक्षित हो गया है।

(ख) संघ में शामिल तेरह सदस्य समितियों में से तीन ने ग्रामीण तेल संबन्धी कारोबार बन्द कर दिया है। अभी तक काम कर रही दस समितियों में से छः को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा सहायता दी जाती रही है, जिसने सूचित किया है कि उसे अभी तक किसी भी समिति के बारे में ऐसी सूचना नहीं मिली है कि उसने झूठी बिक्री दिखा कर राज-सहायता प्राप्त की है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मोलवी फारूक द्वारा अनन्तनाग में पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया भाषण

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importence and I request that he may make a statement thereon :

"A Pro-Pakistan Speech made by the Chairman of Awami League Action Committee, Moulvi Farooq at a Public metting at Anantnag on the 1st August, 1968".

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 31 जुलाई, 1968 को अनन्तनाग में अपने भाषण के दौरान मौलवी फारूक ने कहा था कि 1947 में विभाजन के समय काश्मीर के लोगों का बहुमत काश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना चाहता था परन्तु उनको अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि काश्मीर के लोग अब तक न तो भारत में मिले हैं और न ही पाकिस्तान में मिले हैं और इस मामले के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान भी विवाद में एक पक्ष है और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर की समस्या हल नहीं होती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच निश्चित रूप में एक तीसरा युद्ध होगा जिसमें पहले से भी अधिक रक्तपात होगा ; मौलवी फारूक ने विलय की परिस्थितियों के बारे में जो कुछ कहा वह भी सच्चाई के बिलकुल विपरीत है। उनका भाषण वैसे भी अपात्तिजनक तथा गैर-जिम्मेदाराना है।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार सतर्क है कि राष्ट्र विरोधी भावना उत्पन्न करने और तोड़फोड़ की कार्यवाही करने के प्रयास न हो और इसीलिए राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। विधि व्यवस्था तथा भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता सम्बन्धी किसी भी खतरे से दृढ़ता से तथा प्रभावशाली ढंग से निपटाया जायेगा।

Shri Rabi Ray : Is the Government aware of the fact that Moulvi Farooq, Sheikh Abdullah, Mirza Afzal Beig and other Moulvies are carrying on a compaign against Indian to the fact that people should not cast their votes with By-election to be held on 18th instant.

Keeping in view the anti-India propaganda being carried out by Moulvi Farooq and his plebicite Front Organisation. Will the hon. Minister assure the House that the by-election to be held on the 18th will be free and fair ? In reply to a question in Rajya Sabha Shri Vihya Charan Shukla had stated that Sheikh Abdullah is getting money from foreign sources for carrying on anti-India propaganda. The hon. Minister also stated that this matter is being investigated. May I know whether the said investigation has since been completed ? May I also know about the action being taken by the hon. Home Minister in this regard ?

श्री यशवन्तराव चौहान : मैं माननीय सदस्य के समान ही इससे सहमत हूँ कि यह चिन्ता का विषय है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है और मैं सभा को आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम स्थिति पर पूरी सावधानी से तथा सतर्कता से ध्यान दें रहे हैं। इस संबंध

में क्या कार्यवाही की जाये। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की राजनैतिक स्थिति कैसी है। परन्तु हमें आवश्यकता से अधिक शीघ्रता से कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। हमें समझना चाहिए के ये सभी लोग कुछ महीने पहले जेलों में बन्द थे। हमारी शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। हमें उनकी विचार धारा समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमें वहां पर कार्यवाही निश्चित नीति के अनुसार ही करनी है जैसा मैंने अभी बताया उनका भाषण निश्चितरूप से आपत्ति जनक था और गैर जिम्मेदाराना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका भाषण राष्ट्र विरोधी था। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वे राष्ट्र-विरोधी भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ साथ काश्मीर में अन्य लोग भी हैं अर्थात काश्मीर की सरकार तथा उसमें काम कर रहे नेता जो लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं और जनता के समक्ष अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं।

मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग उप-चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अभियान कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में विधि तथा व्यवस्था बनाई रखी जायेगी जिससे उप चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में हो सके।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली सदर) : गत दो महिनों से काश्मीर घाटी में जो घटनाए हो रही हैं वे बहुत चिन्ता जनक है। अतः मौलवी फारूक के भाषण को इनसे पृथक करके नहीं देखा जा सकता। शेख अब्दुल्ला ने भारत के विरुद्ध अभियान आरम्भ कर दिया है और इस कार्य में उनको मिर्जा अफजल बेग प्लैबिसादर फ्रन्ट के नेता तथा मौलवी फारुक अवामी पार्टी के नेता से सहायता मिल रही है। इन तीनों व्यक्तियों की विचार धारा एक है यद्यपि इन्होंने पृथक-पृथक मोर्चे लगा रखे हैं।

रूस की नीति में परिवर्तन आने से इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इन लोगों को पाकिस्तान के नये विदेश मंत्री मि० अर्शाद हुसैन के वक्तव्यों से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिल रहा है। यह भी सच है कि भारत से जाने से पूर्व मि० अर्शाद हुसैन ने शेख अब्दुल्ला के साथ बन्द कमरे में छः घंटे तक बातचीत की थी। मि० अर्शाद हुसैन ने जब से पेकिंग का दौरा किया है वहां के तथा पाकिस्तान के प्रचार अभिकरणों ने भारत के विरुद्ध अपना प्रचार तेज कर दिया है। पन्द्रह वर्ष के पश्चात आज भी 9 अगस्त को वहां पर पूर्ण हड़ताल कराई जा रही है दुकानें बन्द कराई जा रही हैं और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। 9 अगस्त 1965 को भी ऐसा ही किया गया था और उसके तुरन्त बाद सितम्बर, 1965 में युद्ध शुरू हो गया था।

उन लोगों को अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। जितना अधिक समय हम उन लोगों को देंगे उतना ही अधिक समय वे लोगों को भड़काने में लगायेंगे।

शेख अब्दुल्ला ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री लंका जाने हेतु पासपोर्ट मांगा है। आज 'नार्थग्न इन्डिया पत्रिका' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार शेख अब्दुल्ला ने अपने पासपोर्ट मांगे जाने के आवेदन पत्र में अपनी राष्ट्रीयता भारतीय नहीं बल्कि काश्मीरी लिखी है, इस आधार पर मैं कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहला प्रश्न यह है कि क्या आनन्तनाग की इस सभा के पश्चात और भी ऐसी सभाएं की जा रही हैं जिनमें मौलवी फारुक, शेख़ अब्दुल्ला, मौलवी यासीन तथा मौलवी इसतिखार संयुक्तरूप से भाग ले रहे हैं और उनमें पाकिस्तान समर्थक एजेन्ट होते हैं जो लोगों को धमकाते हैं तथा मजबूर करते हैं कि वे इन उप चुनाओं का बहिष्कार करें और वे एजेन्ट यह भी कह रहें है कि यदि लोगों ने मतदान किया तो उनको गद्दार समझा जायेगा और दण्ड दिया जायेगा ? दूसरे वे लोग गैर-कानूनी गतिविधियां भी कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे अपनी दुकाने न खोलें, टैक्सियां न चलायें और श्रीनगर में सामान्य काम काज रुक गया है ।

क्या यह भी सच है कि 3 अगस्त, 1968 को हथियारों के कुछ भण्डार पकड़े गये थे जिनमें पिस्तौल, बम तथा अन्य चीजें थी। अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और जिनमें एक प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र भी था। जिसको बाद में छोड़ दिया गया था और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। क्या यह भी सच है कि स्थिति को देखते हुए शेख अब्दुल्ला काश्मीर घाटी में जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं और इस प्रयोजन हेतु उन्होंने पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन पत्र में अपनी राष्ट्रीयता भारतीय नहीं बल्कि काश्मीरी दिखाई है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन को देखते हुए क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र से मामले को वापिस लेने का विचार करेगी क्योंकि ऐसा समाचार मिला है कि पाकिस्तान इस मामले को सयुक्त राष्ट्र में उठायेगा और इसके साथ-साथ काश्मीर घाटी में गड़बड़ भी की जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक उप चुनावों तथा उसके बहिष्कार के बारे में किये जा रहे प्रचार का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में जानकारी है और मैंने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है।

जहां तक आज की हड़ताल का सम्बन्ध है हमें स्थिति पर निगाह रखनी होगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि उनका इरादा आज एक जलूस निकालने का था। उनको परामर्श दिया गया कि वे ऐसा न करें अन्यथा उसके विरुद्ध बडी कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने हमारा परामर्श स्वीकार कर लिया है। परन्तु इस बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

जहां तक पासपोर्ट का सम्बन्ध है मेरे पास जानकारी नहीं है और मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

जहां तक हथियारों के पकड़े जाने का सम्बन्ध है मुझे जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि गिरफ्तार व्यक्तियों में एक प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र भी है। मुझे इसका पता नहीं था। मैं इसका पता लगाने का प्रयास करूंगा।

श्री मनु भाई पटेल (डभाई) : बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए केवल तीन घंटे का समय दिया गया है। केवल गुजरात में ही बाढ़ के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

श्री बक्शी गुलाम मोहम्मद (श्रीनगर) : क्या मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना के विषय पर प्रश्न पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जिनका सूची में है केवल उन्हीं को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित **पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :**

1 व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप धारा (3) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि (ऋण) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 7 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 665 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1046/68[**

(2) व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) व्यापारिक नौवहन (सुरक्षा सम्बन्धी अभिसमय प्रमाणपत्र) नियम, 1968 जो दिनांक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 8।4 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) व्यापारिक नौवहन (रेडियो द्वारा दिशा-निर्धारक) नियम, 1968 जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1283 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1656/68]**

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत विमान (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 27 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1392 में प्रकाशित हुए थे, और एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा-पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1657/68]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डा० एरिंग) मैं श्री शिन्दे की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल कृषि सम्बन्धी कृमि

और बीमारियां अधिनियम, 1968 (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम संख्या 22) की एक प्रति जो दिनांक 8 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1958/68]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 60/एल० आर० ओ०/67 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ० 60/एल० आर० ओ०/67, जो दिनांक 4 जुलाई, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1967 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(2) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1959/68]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं सालार जंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1334 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० संख्या 1335 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। सभापटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 1960/68]

प्रतिरक्षा मन्त्रालय (प्रतिरक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं नौसेना, अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 17 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 11–डी० में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1961/68]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(1) कि 29 जुलाई, 1968 को लोक सभा द्वारा पास किये गए आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्यक्षेत्र का हस्तांतरण) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 5 अगस्त, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(2) कि 31 जुलाई, 1968 को लोक सभा द्वारा पास किये गए शत्रु सम्पत्ति विधेयक 1968 से राज्य सभा अपनी 5 अगस्त, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त धान कुटाई उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1968 सभापटल पर रखता हूँ।

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे भटिण्डा के सुपरिंटैण्डेंट जेल से 7 अगस्त, 1968 का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है "कि लोक सभा के सदस्य श्री किकर सिंह को भटिण्डा जिला जेल से 7 अगस्त, 1968 को 7.15 बजे म० प० पर रिहा कर दिया गया है।"

श्री सी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : नियम 229 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किस सम्बन्ध में ? व्यवस्था का प्रश्न उसी विषय पर उठाया जा सकता है जिस पर सभा में विचार किया जा रहा हो। मैंने श्री किकर सिंह की रिहाई की सूचना दी है। उनकी रिहाई पर क्या व्यवस्था हो सकती है। अब जब तक कोई सदस्य कोई मामला नहीं उठाता तब तक सभा के समक्ष कोई विषय नहीं है।

श्री सी० श्री कान्तन नायर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 229 के अधीन है। इस सभा के तीन सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ।

श्री सी० श्री कान्तन नायर : इन सदस्यों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। आप को इस बारे में सूचना मिलनी चाहिए थी। प्राधिकारियों ने इस मामले में कार्यवाही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली है।

श्री कन्डप्पन (मेंटूर) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको इस बारे में अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें मुझे आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए थी। अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

---

7 अगस्त, 1968 को मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच सवारी गाड़ी में आग लग जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT FIRE ACCIDENT TO PASSENGER TRAIN BETWEEN MARIPAT AND DADRI STATIONS ON 7.8.1968

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : On a point of order, Sir. Many hon. Members have given Calling attention Notice on this subject.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। क्या आप यह चाहते हैं कि मन्त्री महोदय ध्यान दिलाने वाली सूचना अथवा अल्प सूचना प्रश्नों की प्रतीक्षा करें ? यह एक गम्भीर मामला है। अत: मैं माननीय मन्त्री को पहले अवसर प्रदान करूंगा।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 2 एफ टी० डी० दिल्ली-टूण्डला-फरुखाबाद सवारी गाड़ी, जो 7.8.1968 को मारीपत से 2.51 म० प० पर चली थी, के इंजन से तीसरे डिब्बे में उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-टूण्डला सेक्शन पर मारीपत और दादरी स्टेशनों के बीच मारीपत स्टेशन के बाह्य सिगनल के समीप लगभग 3 बजे म० प० आग लगने का पता लगा था।

इस आग के फलस्वरूप दस व्यक्ति मारे गये, 51 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें 28 साधारण रूप से तथा 23 गम्भीर रूप से घायल हुए। 9 व्यक्तियों को गाजियाबाद अस्पताल में ले जाया गया और 42 व्यक्तियों को दिल्ली लाया गया। इनमें से दस व्यक्तियों को रेलवे अस्पताल में तथा 32 व्यक्तियों को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल किया गया। उन लोगों को अस्पतालों में सभी सम्भव चिकित्सा दी जा रही है।

सम्बन्धित डिब्बे की अलार्म चेन काम कर रही थी। डिब्बे को जुलाई, 1968 में ओवरहाल किया गया था। इंजन का 'स्पॉर्क अरेस्टर' भी काम कर रहा था। सम्बन्धित डिब्बे के बैटरी बक्स ढके हुए पाये गये थे और 'कैन्ट कपलर्स' तथा जंक्शन बक्स भी सुरक्षित थे।

डिब्बे के जले हुए भाग से दो कनस्तर प्राप्त हुए थे जिनमें आमतौर पर मोटर गाड़ियों के लिए पैट्रोल अथवा अन्य हाई स्पीड आयल ले जाया जाता है। जिला बुलन्दशहर के जिला मजिस्ट्रेट ने इन्डियन पैट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक जांच का आदेश दिया है। रेलवे

सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त दुर्घटना की कानूनी जांच कर रहे हैं जो गाजियाबाद मे 10.8.1968 को आरम्भ होगी। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
Re : CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूं कि ध्यान दिलाने वाली सूचना आज प्राप्त हुई थी परन्तु आमतौर पर जब कोई गम्भीर घटना घटती है और जानमाल की हानि होती है तो मन्त्री महोदय स्वयं वक्तव्य देते हैं। कल छुट्टी हैं अतः मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार नहीं कर सकता था।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हमने ध्यान दिलाने वाली सूचना शनिवार को दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैने विचार किया कि वक्तव्य तुरन्त हो जाना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता तो मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना कल ले लेता। यह एक गम्भीर दुघर्टना है और इसमें अनेक लोगों की जाने गई है। अतः हमें इस पर बहुत दुख है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : गुजरात के बारे में भी ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी गई थी। वहां अनेक लोग मारे गये हैं तथा संचार व्यवस्था भंग हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सम्बन्धित सदस्य के साथ इस बारे में चैम्बर में चर्चा की थी। वह इस प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति के बारे में हम सोमवार को चर्चा कर रहे हैं। केवल गुजरात में ही नहीं अपितु उड़ीसा, आसाम तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी बाढ़ आई है।

श्री छ० म० बवेरीया (मांडवी) : तीन घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कांग्रेस के सदस्य हैं। आप सरकार को कह सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप तीन दिन तक चर्चा कर सकते हैं।

एयर लाइन्स की टिकटों में 'मूल्य कटौती' व्यापार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No 124 Re: CUT PRICE AIRLINES TICKETS

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 26 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 124 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था

और कहा था कि हम भारत और इंगलैंड के बीच विशेष अप्रवासी किराया निर्धारित करने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि इसी रास्ते पर अधिकांशतः भ्रष्टाचार होता है। हमने बी० ओ० ए० सी० से अप्रवासी किराये को तय कर लिया है और हमें आशा है कि हम इसके द्वारा इस भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ होंगे। इससे यह गलत धारणा होगी कि नये किराये बी० ओ० ए० सी० से मिल कर तय किये गये हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच, दो राष्ट्रीय विमान सेवाओं-एयर-इंडिया और बी० ओ० ए० सी० के बारे में यह समझौता हुआ था कि भारत और ब्रिटेन के बीच के यातायात के लिये तब ही अप्रवासी किराया लागू होगा जबकि कोई अप्रवासी इन दो एयर-लाइनों द्वारा यात्रा करेगा। इसके अतिरिक्त कोई और विशेष किराया तय नहीं किया गया है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 12 अगस्त, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :-

1. आज की कार्य सूची से बचे किसी सरकारी कार्य पर विचार।

2. राज्य सभा द्वारा पारित रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968 पर विचार तथा उसका पारित किया जाना।

3, 12 अगस्त, 1968 को 3.30 म० प० देश की बाढ़ स्थिति के बारे में चर्चा।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : कुछ सदस्यों ने तिब्बत में मानवीय अधिकारों के दमन किये जाने के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं। मैं माननीय संसद कार्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा के लिए समय निकाले। क्या सरकार इस विषय को संयुक्त राष्ट्र सभा में उठायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : कल या परसों कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें हम इस पर विचार करेंगे कि इस विषय के बारे में हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दानों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में प्रस्तुत किये गये विधेयक का क्या बना। इस बारे में समाचार पत्रों में विपरीत रिपोर्ट आ रही हैं।

समाचार पत्रों की हड़ताल के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया और कर्मचारी 18 या 19 दिन से भूखे है। उनके पास अनाज आदि खरीदने के लिये धन नहीं हैं।

तीसरे विलिंग्डन अस्पताल में हड़ताल जारी हैं। मंत्री महोदय यदि एक शब्द भी इस मामले में कह दें तो मामला सुलझ सकता है। यदि इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है तो सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : There should be sound settlement in regard to the Press strike. Secondly the Harijans from Rajasthan are an Satiyagrah before Parliament. I would like that the Minister of Social Welfare may make a Statement in this regard. Thirdly there is report in the Paper that a passenger was beaten by Policemen on the station.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): मैंने श्री अर्शाद हुसेन के वक्तव्य के बारे में तथा काश्मीर के बारे में पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। परन्तु आपने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मैंने इसी संबन्ध में एक अन्य सूचना प्रश्न दिया उसको भी आपने अस्वीकार कर दिया। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में हमें बड़ी चिन्ता है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को भी अभ्यावेदन भेजा गया है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कारण है कि सरकार प्रेस के मालिकों के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है जिससे कि वह मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त लागू करदें।

Shri Prakash Vir Shastri : (Hapur) : Sir, on last Fridey also I said that we should discuss the incidents occruing in the Border States of Assam and J and K. Now also I want to draw the attention of the Minister of Parlimentry Affairs that he should try to find time and take a decision for a discussion in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों का यहां उत्तर नहीं दे सकता हूं। हमने इसी काम के लिए कार्य मन्त्रणा समिति बनाई हुई है। इन सब बातों पर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में ही विचार किया जायेगा।

सदस्यों की गिरफतारी

ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से 9 तारीख, 1968 को निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :

"मुझे इस बात की सूचना सभा को देनी है कि लोक सभा के सदस्यों सर्वश्री पी० विश्वम्भरन, श्री श्रीधरन और श्री मंगलाथुमाडोम को चर्च रोड, ब्रासी एवेन्यु, नई दिल्ली के संगम पर निषेधाघेश का उल्लंघन करते हुए जलूस निकालने और नारे लगाने के कारण भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अधीन 9 अगस्त, 1968 को 11.10 म० पू० पर गिरफ्तार किया गया और आज विचारण के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के सामने पेश किया जा रहा है"

स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक
GOLD CONTROL BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पुरस्थापित करने के लिये नियत समय में बढ़ोतरी

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) मैं प्रस्ताव करता हूं:–"कि यह सभा लोक समाज के आर्थिक और वित्तीय हित में, सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग और इन्हें रखने तथा इनके व्यापार के नियन्त्रण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 13 अगस्त, 1968 तक बढ़ाती है"

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सभा में मत-दान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश) 1968–69
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (UTTTAR PRADESH) 1968-69

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं वर्ष 1968–69 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

बिहार आय–व्ययक 1968–69
BIHAR BUDGET, 1968--69

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): सदन को बिहार राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 29 जून, 1968 को राष्ट्रपति द्वारा की गयी घोषणा पर विचार करने और उसका अनुमोदन करने का अवसर मिला था । इस घोषणा के आधार पर राज्य के विधान-मण्डल के अधिकारों का प्रयोग अब संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार से किया जा सकता है । राज्य विधान-मंडल भंग होने से पहले उसने, जो लेखानुदान मंजूर किया था, उसकी अवधि 30 जून, 1968 को समाप्त हो गयी और राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे संविधान के अनुच्छेद 357 के अधीन एक आदेश जारी करें जिससे संसद् की स्वीकृति मिलने तक 31 अगस्त, 1968 तक खर्च किया जा सके । इसलिए अब चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार का बजट संसद् के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जा रहा है, जिससे वर्ष के अंत तक बिहार की समेकित निधि से खर्च करने के लिए संसद् की स्वीकृति प्राप्त हो ।

महोदय, कुछ समय से बिहार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गयी है । यद्यपि राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से नियत रकम से अधिक निकाली गयी रकम चुकाने के लिए उसे 1967--68 के अन्तिम दिनों में 30 करोड़ रुपये का तदर्थ ऋण दिया गया था, तो भी वर्ष के अंत में राज्य सरकार के नाम ऐसी काफी रकम बकाया थी जो उसने नियत रकम से अधिक निकाली थी । भूतपूर्व राज्य सरकार ने राज्य विधान-मण्डल के सम्मुख जो बजट पेश किया था उसमें भी 26.33 करोड़ रुपये का ऐसा घाटा दिखाया गया था जिसकी पूर्ति नहीं की गयी थी । यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे भारत सरकार चुप-चाप स्वीकार नहीं कर सकती थी । इसलिए इस अवसर से लाभ उठाकर संसद् के सम्मुख बजट पेश करने से पहले, उसे, घाटे की रकम कम करने के लिए, नये सिरे से तैयार किया गया है । मैं अब उन्हीं परिवर्तनों का उल्लेख करता हूं जो बजट में किये गये हैं ।

अब जो बजट पेश किया गया है उसमें राजस्व-प्राप्तियां 163.4 करोड़ रुपया आंकी गयी है जबकि राज्य विधान-मण्डल में पेश किये गये बजट में वे 152.85 करोड़ रुपया आंकी गयी थीं । कुल 10.55 करोड़ रुपये की इस वृद्धि में से 6.66 करोड़ रुपया भू-राजस्व के अन्तर्गत, 2.5 करोड़ रुपया खान-खुदाई-सम्बन्धी प्राप्तियों के अन्तर्गत और 1.36 करोड़ रुपया केन्द्रीय करों और शुल्कों में से राज्य के हिस्से के अन्तर्गत है । केन्द्रीय करों और शुल्कों के अन्तर्गत वृद्धि होने का कारण यह है कि केन्द्र द्वारा इस वर्ष जुटाये जाने वाले अतिरिक्त साधनों में से राज्य का हिस्सा राज्य के बजट में नहीं दिखाया गया था; खान-खुदाई-संबंधी प्राप्तियों के अन्तर्गत वृद्धि होने का कारण यह है कि अधिकार-शुल्कों (रायल्टी) की दरें बढ़ा दी गयी हैं । भू-राजस्व के अन्तर्गत मूल बजट में 5.34 करोड़ रुपये की रकम दिखायी गयी थी, मौजूदा बजट में इसे बढ़ाकर 12 करोड़ रुपया कर दिया गया है । यह इस बात का सूचक है कि सरकार का निश्चय न केवल चालू वर्ष के कर की बकाया रकम वसूल करने का है, बल्कि 13 करोड़ रुपये से अधिक की वह बकाया रकम भी वसूल करने का है जो पिछले दो वर्षों में इकट्ठी हो गयी है । वास्तव में यदि उचित संगठानात्मक प्रयत्न किया जाय, तो मुझे ऐसा कोई कारण नही दिखाई देता जिससे 12 करोड़ रुपये के मौजूदा अनुमान से काफी अधिक रकम वसूल न की जा सके ।

मूल बजट में, राजस्व खाते के अन्तर्गत कुल 155.34 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया था । अब 160.35 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है । इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार के कुछ निश्चयों के परिणामस्वरूप होने वाले उस खर्च के लिए व्यवस्था करनी पड़ी है जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गयी थी । इसमें अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए 3.2 करोड़ रुपये की रकम शामिल है । साथ ही ,मूल बजट में ऋणों तथा अग्रिमों के लिए की गयी व्यवस्था सहित, पूंजीगत व्यय के लिए 180.34 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें साधनों की तंगी को देखते हुए, मुख्य रूप से आयोजना-सम्बन्धी मदों के अंतर्गत 4.77 करोड़ रुपये की कमी कर दी गयी है । बजट में अब आयोजना-संबंधी परिव्यय के लिए 70.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी हैं जिसमें गण्डक और सोन प्रायोजनाओं के अतिरिक्त परिव्यय की 6.7 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है । आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय की यह रकम योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 71.7 करोड़ रुपये के परिव्यय के लगभग बराबर है ।

जहां तक पूंजीगत प्राप्तियों का सम्बन्ध है बाजार-ऋणों से 3.5 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है और गण्डक तथा सोन प्रायोजनाओं के लिए निर्धारित 6.7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की रकम भी जमा के रूप में मान ली गयी है जिसमें गण्डक प्रायोजना के सम्बन्ध में संयुक्त कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को अदा की जाने वाली एक करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। मूल बजट में, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों में से होने वाली जितनी वसूली का अनुमान लगाया गया था उससे अधिक 2.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का अनुमान अब किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकम अब 55 करोड़ रुपया निकलती है जिसमें किसानों को थोड़ी अवधि के लिए दिये गये और इस वर्ष वसूली-योग्य होने वाले ऋणों की 47 करोड़ रूपये की रकम शामिल है। पर फिलहाल कुल 22.66 करोड़ रुपये की ही वसूली आंकी गयी है, लेकिन उचित संगठनात्मक प्रयत्न करने पर और अधिक रकम वसूल करना सम्भव होगा। बजट में अब कुल 1.5 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, लेकिन आशा है कि बकाया रकमों की वसूली से वर्ष के दौरान यह घाटा सम्भवतः पूरा हो जायगा।

बजट में आयोजना के लिए कुल 65.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि 1967–68 में आयोजना–परिव्यय 62.75 करोड़ रुपया था। इसके अलावा, राज्य बिजली बोर्ड आयोजना-सम्बन्धी अपने खर्च के लिए 5 करोड़ रुपया अपने साधनों से जुटायेगा। आयोजना तैयार करते समय, कृषि, सिंचाई और बिजली के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है। कृषि-उत्पादन के लिए 3.23 करोड़ रुपये और सिंचाई के छोटे कार्यों के लिए 10.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बहुप्रयोजनी नदी घाटी योजनाओं सहित सिंचाई के लिए 18.26 करोड़ रुपये, बाढ़-नियन्त्रण के लिए 1.5 करोड़ रुपये और बिजली के लिए 10.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 70.76 करोड़ रुपये के कुल आयोजना-परिव्यय में से 53.50 करोड़ रुपये तक की रकम केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरी की जायगी।

यहां इस बात का भी उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 1967–68 में किये गये विशेष उपायों के कारण इस वर्ष राज्य में कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में काफी अधिक सफलता प्राप्त हुई है। यदि मौसम अनुकूल रहा, तो इस क्षेत्र में, 1968–69 में और अधिक प्रगति होने की आशा है। इस वर्ष कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में मुख्य नीति यह है कि और अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाय और सींचे गये क्षेत्रों में अधिक उपज वाले बीजों से और अधिक फसलों द्वारा अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाय, ताकि 1968–69 के अन्त तक 89.51 लाख मेट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। नदी एवं झरनों से पानी उठा कर सिंचाई करने (लिफ्ट इरीगेशन) पर भी, खास तौर से जमीन के अन्दर के पानी को काम में लाकर इस प्रकार की सिंचाई करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है और आशा है कि इस वर्ष 4.5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। ज्यादा उपज देने वाले बीज बोने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1967-68 में 11.38 लाख एकड़ जमीन में खेती की गयी थी, इस सम्बन्ध में 1968--69 के लिए लक्ष्य 15.31 लाख एकड़ का है। रासायनिक खादों की खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अनुमान है कि 1968--69 में इनकी खपत 5 लाख मेट्रिक टन हो जायगी। पिछले वर्ष 15,000 से अधिक

कृषि-सम्बन्धी पम्पों को बिजली आदि से चलाने का प्रबन्ध किया गया था। यह संख्या पिछले पन्द्रह वर्षों में बिजली आदि से चालाये जाने वाले पम्पों की कुल संख्या से अधिक है। चालू वर्ष में 15,000 और पम्पों को बिजली आदि से चलाने का प्रबन्ध किया जायगा। सिंचाई की उन बड़ी योजनाओं को पूरा करने के काम को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है जो इस समय क्रियान्वित की जा रही है। गण्डक प्रायोजना के लिए जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है उससे प्रायोजना का काम जल्दी पूरा हो जायगा।

महोदय, पिछले वर्षों में राज्य में लगातार सूखा पड़ने के कारण बिहार को जिस कठिन स्थिति में से गुजरना पड़ा है वह सदन को मालूम है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सहायता-कार्य करना पड़ा और इस के लिए भारत सरकार ने राज्य को 1966--67 में 18.5 करोड़ रुपये की और 1967--68 में 41.74 करोड़ रुपये की सहायता दी। पिछले वर्ष अच्छी वर्षा होने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था और लोगों की हालत में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी, यदि अर्थ-व्यवस्था को ऐसे ठोस आधार पर स्थापित करना है कि पिछले दो वर्षों के कष्टों की पुनरावृति न हो, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि राज्य की हालत में स्थिरता आ जाय तो बिहार की जनता स्वावलम्बन और दृढ़ निश्चय से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में समर्थ हो जायगी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक-सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प, भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) विधेयक तथा पेटेंट विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) ORDINANCE ; INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENMDENT) BILL AND PATENTS BILL.

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 8) का जो राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय दोनों प्रस्ताव साथ साथ प्रस्तुत करें ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय पेटेंट तथा डिज़ाइन अधिनियम, 1911 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।" कि पेटेंटों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा **पेटेन्ट विधेयक** समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात :—

श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ
श्री चं० चु० देसाई
श्री भा० दा० देशमुख
श्री कंवर लाल गुप्त
श्री हरि कृष्ण
श्री अ० कु० किस्कू
श्री मधु लिमये
श्री मी० रु० मसानी
श्री गा० शं० मिश्र
श्री श्रीनिवास मिश्र
श्री जुगल मंडल
श्री नम्बियार
डा० सुशीला नायर
श्री सूरज पाण्डेय
श्री पी० पार्थसारथी
श्री तु० राम
श्री ईरा सेझियान
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री म० सुदर्शनम
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री रमेश चन्द्र व्यास
श्री फखरुद्दीन अली अहमद

और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा **उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा** संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।

मैं बताना चाहता हूं कि यह विधेयक 6 जुलाई, 1968 को जारी किये गये अध्यादेश के स्थान पर लागू किये जाने के लिये लगाया गया है । अध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का उल्लेख 22 जुलाई, 1968 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में किया जा चुका है ।

भारत रक्षा नियम, 1962 जिसको मई, 1963 में सन्शोधन किया गया था, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने पेटेंट तथा डिजाइन के नियन्त्रक को खाद्य, दवाइयों के बारे में आविष्कारों

के पेटेंट के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और उन पर आगे कोई कार्यवाही न करने के लिये निर्देश दिया था। इन अधिकारों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने निदेशक को आदेश दिये कि वह अनिर्णित आवेदन पत्रों को निपटायें

1 जुलाई, 1968 को पेटेंट के लिए 5600 आवेदन पत्र विचाराधीन थे, जिनपर सरकार द्वारा दिये गये निदेश लागू होते थे। इस अधिनियम में निर्धारित अधिकांश आवेदन पत्रों को मन्जूर करने की समय सीमा 10 जुलाई, 1968 को समाप्त हो गई थी। अतः ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक था।

भारतीय नये पेटेंट अधिनियम के लागू होने तक खाद्य पदार्थों, दवाइयों के क्षेत्र में पेटेंट न देने का उद्देश्य यह है कि जब ऐसे पेटेंट दे दिये जायेंगे तो उन पर लोक हित में उनके प्रयोग या अर्जन के बारे में सरकार के अधिकार तथा लाइसेंस लेने की इच्छुक पक्षों को लाइसेंस देने सम्बन्धी अधिकार आदि के सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध लागू होंगे।

पेटेंट विधेयक, 1967 को 12 अगस्त, 1967 को सभा में पुरः स्थापित किया गया और इसमें यह विशेष उपबन्ध निहित है कि जब तक पेटेन्ट विधेयक, 1967 लागू किया जाये, भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम 1966 में संशोधन करना आवश्यक है।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911 में अनुच्छेद 78 डी से 78 ई तक जोड कर, उसमें संशोधन करने का है।

आविष्कारों के लिए पेटेन्ट का दिया जाना भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1911 में पहली बार चालू किया गया और इसे 2 मार्च, 1911 को कानून का रूप दिया गया। इस अधिनियम में भी बहुत से परिवर्तन हुए और उनमें से सबसे अन्तिम भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1953 है।

1948 में भारतीय पेटेन्ट कानून के कार्य के पुर्नविलोकन और इस पद्धति में सुधार करने के लिये सिफारिशें देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने अपना प्रतिवेदन 1950 में प्रस्तुत किया और 7 दिसम्बर, 1953 को पेटेन्ट विधेयक पुनः स्थापित कर दिया गया।

1957 में भारत सरकार ने न्यायाधीश एन० राजागोपाल आयंगार से अनुरोध किया कि वह इस बात की जांच करें कि पेटेन्ट कानून में क्या संशोधन किया जाये जिससे देश को पेटेन्ट प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने इस सम्बन्ध में सितम्बर, 1959 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

पेटेन्ट विधेयक, 1965 मुख्य रुप से उनकी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर आधारित था। उक्त विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने 1 नवम्बर, 1966 को लोक सभा को संशोधित विधेयक के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को संयुक्त-समिति को इस पर फिर विचार करने के लिए सौंपा गया।

पेटेन्ट विधेयक, 1965 को 5 दिसम्बर, 1967 को लोक सभा में औपचारिक रूप से विचार के लिये प्रस्तुत किया गया था लेकिन समय के अभाव के कारण इस पर और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, इसके परिणाम स्वरुप 3 मार्च, 1967 को तीसरी लोक सभा के विघटन के साथ-साथ वह समाप्त हो गया। इसके पश्चात यह विधेयक 12 अगस्त, 1967 को पेश किया गया। विधेयक को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया था उसके परिणामस्वरूप औषध उद्योग में गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई हैं और भारत के औषध निर्माताओं के संगठनों तथा अन्य व्यक्तियों ने बहुत से अभ्यावेदन भेजे। इस विधेयक पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने यह अनुभव किया कि यह विधेयक औषध उद्योग तथा अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि इसके विभिन्न खण्ड चरणवार लागू किये जायेंगे। इसका कारण यह है कि भारतीय पेटेन्टों का मूल्य बढ़ जायेगा और उन्हें किसी भी उन्नतिशील देश के पेटेन्टों के समकक्ष लाया जायेगा।

इस विधेयक में उन आविष्कारों को जो पेटेन्ट के योग्य नहीं हैं, संहिताबद्ध करने का प्रयास किया है।

इस विधेयक की दूसरी विशेषता खाद्य, औषधि या रसायन सम्बन्धी आविष्कारों को पेटेन्ट योग्य बनाने के बारे में हैं। पेटेन्ट केवल निर्माण क्रिया के लिए दिये जायेंगे लेकिन केवल उत्पादित वस्तुओं के लिये नहीं दिये जायेंगे। आविष्कारों के और विकास के उद्देश्य से खाद्य, औषधियों और रसायनों के क्षेत्र से सम्बन्धित वस्तुओं के लिये पेटेन्ट देना उचित नहीं समझा गया है।

हमारा पहला अनुभव यह रहा है कि वर्तमान विधेयक में अनिवार्य लाइसेंस से सम्बद्ध उपबन्धों के कारण पेटेन्टों पर आधारित नये उद्योग नहीं बनाये गये हैं। अनिवार्य लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों को व्यवहारिक रुप से प्रभावशाली बनाने के लिए विधेयक में उन आधारों का विस्तार किया गया है जिनके सम्बन्ध में पेटेन्ट नियन्त्रक अनिवार्य लाइसेंस के लिये आदेश जारी कर सकता था।

विधेयक में और महत्वपूर्ण नया उपबन्ध, काम न करने की अवस्था में पेटेन्ट रद्द किये जाने के बारे में है। इस उपबन्ध का उद्देश्य पेटेन्ट-धारियों को इस बात के लिये प्रेरित करना है कि वह भारत में अपने पेटेंटों को स्वयं या दूसरों को लाइसेंस देकर शीघ्र चलाने के लिये कार्यवाही करें भारतीय पेटेंटों के मालिक अधिकतर गैर-भारतीय हैं और यह तथ्य कि इनमें से अधिकांश पेटेन्ट भारत में नहीं चलाये जाते हैं, वास्तव में भारतीय पेटेंट प्रणाली की यह एक बहुत बड़ी त्रुटि है।

विधेयक में यह उपबन्ध शामिल किया गया है जिसके द्वारा विदेशों के साथ आविष्कारों के पारस्परिक संरक्षण के लिये बड़े पैमाने पर किये गये पारस्परिक द्विपक्षीय प्रबन्ध समाप्त किये जा स ते है

विधेयक द्वारा सरकार को यह अधिकार दिये गये हैं कि वह पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति को प्रतिकार का भुगतान कर उसके बारे में अपना आशय अधिसूचित करके सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आविष्कार कर सकें।

सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि अनिवार्य लाइसेंसों सहित सभी मामलों में पेटेन्ट नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। इसमें यह संतोष होना चाहिये कि अपील सम्बन्धी सामान्य न्यायिक अधिकार सुरक्षित रखे गये हैं।

विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि ऐसी अपीलों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाना चाहिये तथा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उन पर बारह महीने की अवधि में निर्णय ले लिया जाये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के उपबन्धों पर बहुत विचार करने के बाद ही उनको विधेयक में शामिल किया गया है मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने औद्योगिक विकास में पेटेन्ट प्रणाली निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 8 का, जो राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि भारतीय पेटेन्ट तथा डिजाइन अधिनियम, 1911 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात :–

श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ	**श्री नम्बियार**
श्री चं० चु० देसाई	**डा० सुशीला नायर**
श्री भा० दा० देशमुख	**श्री सरजू पांडेय**
श्री कंवर लाल गुप्त	**श्री पी० पार्थसारथी**
श्री हरि कृष्ण	**श्री तु० राम**
श्री प्र० कु० किस्कू	**श्री ईरा सेझियान**
श्री मधु लिमये	**श्री दी० चं० शर्मा**
श्री मी० रु० मसानी	**श्री म० सुदर्शनम**
श्री गा० शं० मिश्र	**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री श्रीनिवास मिश्र	**श्री रमेशचन्द्र व्यास**
श्री जुगल मंडल	**श्री फखरुद्दीन अली अहमद, और**

राज्य सभा के 11 सदस्य हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : इस मामले में इतिहास को देखने से पता चलता है कि भारतीय रक्षा नियमों के अधीन खाद्य पदार्थों, औषधियों तथा दवाइयों के सम्बन्ध में पेटेन्ट में लिये आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने में विलम्ब से कार्यवाही आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की जो शक्तियां बढ़ाई गई थी, वह भारत रक्षा नियमों के अधीन शक्तियों का एक मनमाना दुरुपयोग था तथा अध्यादेश में उन शक्तियों को शामिल करना और एक संशोधन करने वाले विधेयक में शक्तियों का दुरुपयोग करते रहने के उपबन्ध करना ठीक नहीं है और मेरी इसी लिए इनको पेश किये जाने पर आपत्ति है

मूलतः जब भारत रक्षा नियम संख्या 47 लागू किया गया था, उस समय यही उपबन्ध किया गया था कि पेटेन्ट नियंत्रक अथवा केन्द्रीय सरकार देश की प्रतिरक्षा के मामलों में हर सम्बन्ध में हस्तक्षेप करेंगे और इसीलिए सम्भवतः किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं थी । परन्तु 1963 में भारत रक्षा नियमों के अधीन खाद्य पदार्थों, औषधियों तथा दवाइयों में पेटेन्ट के बारे में ली गई शक्तियों का उद्देश्य केवल इन तीन विषयों के बारे में पेटेन्ट के सभी आवेदन पत्रों को देर से निपटाना ही मैं समझता हूं आज भारत रक्षा नियम समाप्त हो जाने पर तथा एक अध्यादेश, जारी करते समय खाद्य औषधियों तथा दवाइयों के पेटेन्ट के छः हजार आवेदन-पत्र जिनका प्रतिरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है, अनिर्णीत पड़े है ।

जब भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत शक्तियों के दुरुपयोग के मामले औषधि, खाद्य तथा अन्य उद्योगों के सामने आये तो 1967 में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को अभ्यावेदन भेजे गये थे कि इन आवेदन पत्रों को इस प्रकार रोक रखना बेकार है तथा जो पेटेन्ट स्वीकार किये जाने है उनको सील करने से सारा काम जमा हो जायेगा जिससे सभी वस्तुएं रुक जायेंगी तथा इस बीच प्रगति असम्भव हो जायेगी । श्री शास्त्री द्वारा विदेशों में की गई बातचीत के परिणामस्वरूप कार्यपालिका अनुदेश जारी किये गये थे कि उन आवेदन-पत्रों की जांच की जाये तथा जो पेटेन्ट दिये जाने है उनको सील करने के कार्य के अतिरिक्त शेष सभी सम्भव कार्य किये जाये, अर्थात यह साफ मान लिया गया कि सभी उपबन्धों का दुरुपयोग किया गया तथा यह दुरुपयोग कम किया जाये । अब इसे पूर्णतया समाप्त करने

का अवसर है, परन्तु इस अध्यादेश द्वारा उसका समय और बढ़ा दिया गया है। सभा को ऐसे अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करना चाहिये। इसके परिणाम स्वरुप यह संशोधनकारी विधेयक भी समाप्त हो जायेगा।

पेटेन्ट विधेयक में पेटेन्ट सम्बन्धी विधि के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को पूर्णतया गलत समझा गया है। बहुत धन व्यय करने के पश्चात उत्पादन अथवा क्रिया सम्बन्धी एक अथवा दो आविष्कार किये जाते है। उन सभी देशों में जहां वैज्ञानिक उन्नति हुई है, उन दोनों मामलों में पेटेन्ट लेना सम्भव है, जिन क्षेत्रों में अर्थात खाद्य पदार्थ, औषधियों तथा दवाइयों के क्षेत्र में हम अधिक अनुसन्धान चाहते हैं। उनमें हम उत्पादन के नमूनों की अनुमति नहीं दे रहे है बल्कि केवल क्रिया सम्बन्धी पेटेन्ट देने जा रहे हैं। यह तर्क विचित्र है कि यदि उत्पादन के लिये पेटेन्ट न दिया जाये और केवल क्रिया के लिये पेटेन्ट दिया जाये तो इस देश में बहुत अधिक आविष्कार होंगे। अनुसन्धान पर बहुत व्यय होता है, अनुसन्धान के 20 विभिन्न क्षेत्रों में से केवल 2 अथवा 3 का ही कोई व्यापारिक महत्व हो सकता है। यदि यह कहा जाये कि केवल तरीके पर ही पेटेन्ट दिया जा सकता है, उत्पादन पर नहीं तो कोई व्यक्ति नई वस्तु तैयार करने के लिये अनुसन्धान पर खर्च नहीं करेगा।

मैं चाहता हूं कि एक और मामले की ओर मन्त्रालय ध्यान दे। उन मामलों में, जिनमें पेटेन्ट की अनुमति दी जा रही है, उसकी अवधि कम करने के प्रश्न पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये। उत्पादन के वाणिज्यिक स्तर पर अपेक्षित मानक पर पहुँचने तथा उत्पाद के विक्रय से पूर्व प्रायोगिक संयंत्र में बहुत अधिक धन लगाना पड़ता है। अत: खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। इस विधेयक में इस अवधि को इतना कम करने का प्रस्ताव है कि आगे बढ़ने तथा नये उत्पाद अथवा नई प्रक्रियाओं का आविष्कार करने की इच्छा से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जहां किसी उत्पाद अथवा प्रक्रिया की किसी राष्ट्रीय प्रयोजना के लिये उदाहरणार्थ प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये, आवश्यकता हो वहां सरकार को यह कहने की छूट होनी चाहिये कि वह उसका उपयोग करेगी तथा उसके लिए उचित स्वामित्व देगी। परन्तु इस आधार पर अनिवार्य लाइसेन्स की अनुमति देना कि दो वर्ष बीत जाने के पश्चात वह पेटेन्ट देश में उपलब्ध नहीं होगा और वह भी इस आधार पर कि उसे अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है तथा कोई यह दावा करता है कि वह इसका निर्माण कर सकता हैं और उसे कम दाम पर बेच सकता हैं, एक खतरनाक बात है, सयत्र स्थापित करने तथा कोई वस्तु तैयार करने के निश्चय में भारी जोखिम लेना पड़ता है, यदि यह वस्तु तैयार नहीं होती तो वह समूचा व्यय व्यर्थ हो जाता है।

मेरा सुझाव यह है कि उत्पाद के लिये तथा प्रक्रिया के लिये दोनों के लिये पेटेन्ट होने चाहिये। पेटेन्ट की वैद्यता की अवधि काफी लम्बी होनी चाहिये तथा किसी व्यक्ति के पेटेन्ट के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को अनिवार्य पेटेंट देने के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिये।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : ऐसे मामलों में जिनमें विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हों, मुझे भारत की आम जनता का पक्ष लेने में कोई हिचकचाहट नहीं है और उनके हित

में यह आवश्यक है कि औषधियों के मामले में मुनाफाखोरी की अनुमति न दी जाये, परन्तु हम देखते हैं कि विदेशी एकाधिकारी, जिनके पास हमारे देश में औषधियों का निर्माण करने के लिये पेटेन्ट हैं, भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अतः पेटेंट प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। प्रस्तुत विधेयक इसी उद्देश्य से पेश किया गया है और इसलिए इसका स्वागत है।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन वस्तुओं का उचित मूल्यों पर निर्माण करने के बारे में हमारे देशवासियों में दावों की अपेक्षा पेटेंट सम्बन्धी व्यक्तिगत अधिकारों से प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आज भी सरकारी क्षेत्र में इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटीकलस लिमिटेड द्वारा औषधियों का निर्माण किये जाने के बावजूद भी गैर-सरकारी क्षेत्र में औषधियों को अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फारमेस्यूटीकलस लिमिटेड अच्छा काम कर रहा है तथा उसने नई औषधियों का आविष्कार किया है तथा नई औषधियां बनाई हैं। वे देश में गैर सरकारी औषधि निर्माताओं की अपेक्षा 30 अथवा 25 प्रतिशत कम मूल्य पर औषधियां बेच सकते है, अतः कुछ एकाधिकारी संस्थाओं को सदा के लिये मनमाने मूल्यों पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति देने की बजाय हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वह इससे भी कम मूल्यों पर और अधिक औषधियां बना सके।

जहां तक सार्तों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, सार्वजनिक नीति के आधार पर उनका समर्थन किया जा सकता है। सरकार को प्रतिकर देने के पश्चात एकाधिकारों का अर्जन करने की शक्ति होनी चाहिये। औषधियों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत रक्षा विधि को भी लागू किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The hon. Minister has just now stated that the purpose of Patents Bill is to encourage industrial development and research activities and to meet the requirements of the common man. The Patents enquiry committee has on page 165 of its report clearly stated that the Indian Patents Bill had failed in its main purpose, namely to stimulate invention among Indians and to encourage the development and exploitation of new inventions for industrial purposes in the country so as to secure the benefits thereof to the largest section of the public.

The same view was expressed by I Iyenger Committee that no benefit has accrued to our country by the Patents Bill. It is distressing that the attitude of the Government is very in different in this matter. Our expectations are not being fulfilled even by the present Bill. A more comprehensive Bill should be brought forward so that more benefit may accrue to our country.

The Patents registered in our country, only 10 percent belong to Indians and nearly 90 percent patents belong to foreigners. 21177 patents belong to them in our country whereas only 2,000 patents belong to our countrymen in other countries. This monopoly of foreigners should be done away with.

Shri Dandeker has pointed out that patents should be given not only for processing but also for patents. I am not in favour of patents being given for products as well. If such patents are given, our people will not be able to get employment. Hence, on patent should be issued for a product which is not produced in our country.

The foreigners having patents in our country have a monopoly and, therefore, they charge very heavy prices for them. As a result, the prices of medicines in our country are higher than the international prices. It is necessary to give more and more patents to our countrymen and discourage the foreigners in order to reduce the prices.

The provision regarding compulsory licensing is a welcome provision. In fact a more revolutionary step is needed. An hon. Member has just now questioned the desirability of reducing the period of patents for the medicines. I am in favour of the period being curtailed further. The persons having patents in this country are earning huge profits. Therefore, a period of 10 years is also sufficient. A comprehensive Bill from the consumers' point of view should be introduced.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन के साथ, जो 7 अगस्त, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन के साथ, जो 7 अगस्त, 1968 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक-जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL--Contd

अनुच्छेद 120 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सेझियान द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर अग्रेतर चर्चा होगी ।

Shri Sheo Narain (Basti) : It has been provided in Article 120 of the Constitution that Hindi and English would be the languages for carrying on the work in this House. Hindi is spoken throughout India. Therefore, there is no question of embitterment on the language question

Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not correct to amend the Constitution very often. I have respect for all the 14 languages embodied in our Constitution. I have already stated

that the people from U.P. should learn Malayalm. so that the hon. Members belonging to D.M.K. may not think that South Indian languages are being ignored. But at the same time I would like to say that the present arrangements of transacting the business of the House in two languages-English and Hindi is quite correct and it should not be changed. So I oppose the amendment that the business of the House should be transacted in 14 language. By doing so we will be under mining our Constitution. I would appeal to my South Indian friends that we should continue the present arrangement of three languages i. e. Hindi, Urdu and English, because this arrangement serves the purpose of all. Urdu is spoken from Kashmir to Hyderabad

Shri Lobo Parbhu : That language is Hindustani and not Urdu.

Shri Sheo Narain (Basti) : Every country has its national language. Japanese is spoken in Japan and Russian is spoken in Russia. It is a matter of great shame to us that we are still after English, which is a foreign language and we do not have our national language.

I support the view point expressed by Shri Lobo Parbhu that we must evolve a language i.e. Hindustani with the combination of Hindi and Urdu. I must say that Urdu is our language and it is wrong to say that it is spoken by Muslims only. We must learn Malayalam also, so that our South Indian friends may not feel that their language is being ignored. We must also encourage the learning of Sanskrit. Sanskrit is an ancient language and ancient knowledge is treasured in it.

I have very high regards for the Constitution of the country and I wish that there should be no bitterness in the country in regard to language and the Constitution provision should be respected. I, therefore, oppose this Bill and request the mover to withdraw it.

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले सदस्य को बोलने को कहूँ मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री शिव नारायण ने वाद-विवाद के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। सभा के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि सभा में माननीय सदस्य किन-किन भाषाओं में बोल सकते हैं। यद्यपि संविधान के अनुसार सब भाषाओं में बोलने की अनुमति है, तथापि इस समय प्रश्न यह है कि कम से कम हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सब भाषाओं का साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Mr. Deputy Speaker, Sir, as you have just now said the bill is not a controversial one. There is no question of showing dis-respect to the Constitution if we adopt this Bill. It has been permitted in the Constitution itself that if an hon. Member is unable to express his ideas adequately either in Engiish or in Hindi, he can speak in his mother tongue with the permission of the Chair. So there is no question of violating the Constitution. This provision is already there in the Constitution itself.

Our Constitution has given right to every one to seek election irrespective of the fact whether he knows English or Hindi or whether he does not know any of these language. Moreover every hon. Member is expected to take part in the proceedings of this House. Now the question is if any hon. Member does not know either Hindi or English and if there is no arrangement of translation from other languages then how will he be able to take part in the proceedings of the House. So only difficulty is with regard to translation in so many different languages. In the beginning we had no arrangement of translation in Parliament. Now arrangement has been made for translation from Hindi to English and

vice versa. The question now is only to extend this facility of translation into other languages. In U. N. O. there is arrangement of translation into 5 languages. In international conferences also we have to make arrangement for translation. So this arrangement can gradually be extended to other languages. If it is felt that the arrangement of translation into 14 languages will involve heavy expenditure in that case to start with we can have arrangement for translation in four languages including Bangla and one south Indian language. I agree with Shri Sheo Narain that it is not difficult to learn Hindi. So this arrangement should continue till all members acquire working knowledge of Hindi. I support this Bill.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. There is some wrong impression about me that I support Hindi only. This is, however, contrary to the fact. The fact is that I am in favour of all Indian languages included in our Constitution. I respect all of them. That is not all. I also want that even those Indian languages which have not so far been included in or Constitution or which have just been included like Sindi should get their due place. As President of the Hindi Sahitya Sammelan I have always been advocating that we should respect all the languages. I am of the view that the non-Hindi States should conduct all their official work in their regional languages. I feel that not only their Secretariats but even the Courts including the High Courts should use the language of their region and that language should also be the medium of education even at University stage,

I do not subscribe to the view that the cost of making arrangement in Lok Sabha and Rajya Sabha for translation in 14 languages will be exceptionally high. Crores and Crores of rupees are being spent by Government. Therefore, Government should not hesitate in spending this amount if it can give satisfaction to the people speaking different languages.

However there is one thing in this Bill with which I cannot agree and that is the provision for English. I remember that in Constituent Assembly an all out effort was made to include English in our Constitution,but that suggestions was not agreed to English is a foreign language and it can not be our language. I agree that English is a very rich language but at the same time I strongly feel that it is very wrong that even after so many years of independence our official work is being tranacted in a foreign languago. The coming generation will laugh at us. I strongly advocate that the business in parliament should be transacted in Indian languages alone and not in English, which is a foreign language. We must get rid of English imperialism as early as possible.

श्री कन्डप्पन (मेट्टूर) : कांग्रेस दल के भी एक माननीय मंत्री ने कहा है कि हमें भी अन्य देशवासियों की तरह इस बात का गर्व होना चाहिये कि हम भारतीय हैं और हम अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में अन्य देशों की भांति एक भाषा रखना संभव नहीं है। तथ्य यह है कि हमारे देश के भिन्न-भिन्न वर्गों के लोग भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं। हम इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकते और हमें इसे सहन करना होगा।

मैं अपना भाषण इस विधेयक के उद्देश्यों तक ही सीमित रखूंगा। आरम्भ में साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था का बहुत विरोध किया गया था। वास्तव में श्री मावलंकर के अध्ययन काल में डा० लंकास्वामी मुदलियार द्वारा सर्वप्रथम मद्रास से पत्र लिख कर यह मांग की गई थी कि संसद में साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु उनके इस

अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके उपरांत श्री हुकम सिंह के अध्यक्षकाल में जब सभा में यह मामला उठाया गया तो उन्होंने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्यों की ओर से हमने यह मांग की थी कि सभी भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु अध्यक्ष महोदय सहित हमारे मित्रों ने इस पर जोर न देने तथा अस्थायी तौर पर हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था से संतोष करने की सलाह दी थी और हमने इस सलाह को स्वीकार कर लिया था।

इस समय स्थिति यह है कि यद्यपि संसद सदस्यों की संख्या 500 से अधिक है, तथापि हम कह सकते हैं कि संसद सदस्यों की संख्या केवल 400 अथवा इससे भी कम है, क्योंकि 100 से अधिक सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें न तो हिन्दी का ज्ञान है और न ही अंग्रेज़ी का। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि उन्हें सभा में आने की अनुमति दी जाये, परन्तु चर्चा में भाग लेने से रोका जाये। यह उनके साथ घोर अन्याय है। इसलिये हमें संविधान में अवश्य संशोधन करना चाहिये।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि संसद सदस्यों की जिन जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन पर ध्यान दिये बिना ही सरकार हिन्दी को बढ़ाने के लिये बहुत चिन्तित दिखाई देती है।

आज कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें हिन्दी सीखनी चाहिये। जहां तक मेरे दल के सदस्यों का सम्बन्ध है, मेरे दल के 25 सदस्य हैं और हम हिन्दी नहीं जानते है। यदि हम हिन्दी सीखना भी आरम्भ करें तो हमें हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त करने में जिससे हम सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें काफी समय लगेगा। फिर भी क्या गारंटी है कि हम 19-72 के चुनाव में पुनः निर्वाचित हो जायेंगे।

इस प्रश्न के बारे में जहां तक सरकार के रवैये का सम्बन्ध है, मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। सभा की कार्यवाही के दर्ज किये जाने की वर्तमान व्यवस्था यह हैं कि हिन्दी में दिये गये भाषण हिन्दी में और अंग्रेजी में दिये गये भाषण अंग्रेजी में दर्ज किये जाते हैं। इसलिये हम में से उन सदस्यों को जो हिन्दी नहीं समझते हैं, उन्हें अंग्रेजी के संक्षिप्त अनुवाद पर निर्भर रहना पड़ता हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष को लिखा था कि हमें एक भाषा वाली प्रति मिलनी चाहिये। यदि हम अंग्रेजी संस्करण चाहते हैं, जो कि वही एक ऐसी भाषा है, जिसे हममें से अधिकांश समझते हैं तो हमें वही संस्करण दिया जाना चाहिये। जो हिन्दी संस्करण चाहते हैं उन्हें हिन्दी संस्करण दिया जाना चाहिये। यह एक सरल बात है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। इस सम्बन्ध में फरवरी में मैंने प्रधान मंत्री को भी लिखा था तथा उन्होंने उत्तर दिया है कि इस मामले को संसद कार्य मंत्री को सौंप दिया गया है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार के इस रुख से पता चलता है कि वह इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है और इस रवैये से हिन्दी विरोधी भावनाओं को, जो पहले से ही विद्यमान है, बढ़ावा मिलेगा। इसलिये सरकार को जल्दी से जल्दी सभा में सब भारतीय भाषाओं के साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था करनी चाहिये। हमने इस सम्बन्ध में बहुत संतोष से काम लिया है, सरकार को उसका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाये।

Shri Onkar Lal Bohra (Chitorgarh): Mr. Speaker, Sir, I would like to congratulate Shri Sezhian that at last he has felt the necessity that all the Indian languages included in the Eight scheduled of the Constitution should be allowed to be spoken on the floor of the House. Henceforth the practice has been either to speak in Hindi or in English, I would have been very happy if I would have been able to support this Bill whole heartedly. I fully agree that in democracy we are supposed to represent the views of the people here and as such all the languages included in the eight schedule of the Constitution should find place in the proceedings of Parliament. There are many hon. Members who neither know Hindhi nor English and as such it will be in the fitness of things to allow them to speak in their mother tongue.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

But at the same time I would like to point out the practical difficulty in this regard. Suppose an hon. Member speakes in Tamil which is his mother tougue and it is a necessary to translate his speech simultareously in English and Hindi and if an hon. Member in Kannada then it is necessary to translate his speech in English and Hindi and also in Tamil for the hon. Member who does not either understand either Hindi or English. In this way we have to see as to in how many languages the simultaneous has station of an hon. Members' speech will be required to be done.

I would like to submit that in our Constitution Hindi has been accepted as our national language. This status has been given to Hindi no only with the support of Hindi speaking people, but with the support of millions of those people whose language is Bangla, Gujrati and Marathi or any other South Indian language. Hindi was declared as national language with the support of non-Hindi Speaking people. As such Hindi is a language of all the pepole of the Cauntry. There is no question of imposing Hindi on any one. We should further streng then the spirit of brotherhood with which Hindi was accepted as our national language.

Now to question is whether all the languages inc'uding in the Constitution should be spoke on the floor of the Parliament. No doubt it is a very good suggestion, but we think over it seriously. I will involve lot of difficulties in making translation available in all the languages. Of course this does not mean that because of this difficulty we should not accept this bill. The Government should consider this question very seriously and try to find out a solution.

While agreeing to the suggestion made in the bill that all the languages accepted in our Constitution should be allowed to be spoken in Parliament I would like to request the hon. Mover of the Bill to remove the word "English" from the Bill. There is no need of retaining English. We should have only those 14 languages which are included in the Constitution and translation should be done in Hindi. We should accept Hindi because it is our national languages and national honour requrires that we should have a national language. It is not good for the national honour to retain English.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, यद्यपि यह एक सरल विधेयक है, तथापि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार को इसे सिद्धान्त रूप में तो अवश्य स्वीकार करना चाहिये। इस विधेयक की क्रियान्विति में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हो सकती हैं, परन्तु उन्हें भविष्य के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये और सरकार को इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई है कि इस

विधेयक को सभा के सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे माननीय मित्र सेठ गोबिन्द दास ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है, यद्यपि उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी को हटा लिया जाना चाहिये।

सरकार को इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। यदि हमारे लोकतन्त्र का कोई अर्थ है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद में चर्चा हमारी सब भारतीय भाषाओं में होनी चाहिये। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि संसद में सब भारतीय भाषाओं में चर्चा की सुविधा न दी गई, तो निकट भविष्य में हमारे संसद का कार्य बिल्कुल असम्भव हो जायेगा, क्योंकि अब ऐसे सदस्य आने लगे हैं, जो न तो हिन्दी ही जानते हैं और न ही अंगेजी। यद्यपि अध्यक्षपीठ समय समय पर ऐसे माननीय सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे देती है, जो हिन्दी अथवा अंगेजी नहीं जानते, तथापि इसे संविधान के एक न एक अनुच्छेद का तकनीकी उल्लंघन समझा जाता है। अतः सरकार को इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयक को स्वीकार किये जाने में केवल एक कठिनाई पेश आयेगी और वह है साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था के बारे में। परन्तु यदि थोड़े समय के लिये उड़ीया तथा मलयालम भाषाओं में दिये जाने वाले भाषणों का साथ साथ अनुवाद केवल हिन्दी और अंग्रेजी में दिया जाता है, तो केवल एक अतिरिक्त प्रयत्न रह जाता है और इसे बिना किसी कठिनाई के हल किया जा सकता है। हमारे तकनीकी लोग इस मामले की और ब्योरेवार छानबीन कर सकते हैं।

हम में से कुछ सदस्यों का एक शिष्ट मंडल हाल ही में माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में रूस गया था। हमने वहां यह जानने का प्रयत्न किया था कि वहां किस प्रकार साथ साथ अनुवाद किया जाता है तो हमें पता लगा कि वहां सुपरियम सोवियत की कार्यवाही का 13 भाषाओं में साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था है। यह दूसरी बात है कि वहां सामान्य रूप से यह अनुवाद नहीं किया जाता, क्योंकि अधिकांश लोग रूसी भाषा समझते हैं।

हमारा देश एक बहुभाषी देश है तथा यह जरूरी नहीं है कि हम सब हिन्दी समझें। हम अपनी मातृ भाषा सीखते हैं और हमें अपनी मातृ भाषा में बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। श्री शिव नारायण ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि यह शर्म की बात है कि विदेशों में जा कर हम अपनी राष्ट्रीय भाषा में नहीं बोल सकते। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमारा देश एक बहुभाषी देश है।

इसके अतिरिक्त यदि हम पुरानी बातों को उठाते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा तथा उससे भाषा समस्या सुलझ नहीं सकेगी। गांधी ने एक सुझाव दिया था कि हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी बनाई जाये तथा उसे देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखा जाये। यदि वर्ष 1947 से ही इस को क्रियान्वित किया गया होता तो भाषा समस्या अब तक सुलझ गई होती, परन्तु अब बीस वर्ष बीत चुके हैं। अब उस सुझाव से कोई लाभ नहीं हो सकता। अब इस सम्बन्ध में विचार करना व्यर्थ है।

जहां तक अंगेजी का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजी को हटाना चाहिये। हम जितनी जल्दी अंगेजी को हटा सकेंगे उतना ही अच्छा होगा

परन्तु यह एक व्यावहारिक समस्या है हममें से बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जो हिन्दी नहीं जानते उनके लिये अंग्रेजी को जारी रखना पड़ेगा। इसके लिये कुछ समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। मैं महसूस करता हूं कि व्यावहारिकता को देखते हुए अंग्रेजी को जारी रखना जरूरी है।

इस विवाद का कोई भी उपबन्ध विवादग्रस्त नहीं है। इस विधेयक में जो कुछ मांग की गई है वह सिद्धान्त रूप में नितान्त अनिवार्य हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी तकनीकी कठिनाईयां हैं, जिनका सरलता से मुकाबला किया जा सकता है, यदि सरकार इस के बारे में गम्भीरता से विचार करे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : (भुवनेश्वर) : मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के प्रयोग में मुश्किलें नहीं आयेंगी ? मुझे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का अनुभव है। मैंने देखा है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पांच अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश तथा चीनी के साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था होती है।

हमारे देश की बहुत सी भाषाएं हजारों वर्ष पुरानी हैं और उनका साहित्य बहुत समृद्ध है। हमें इन सभी भाषाओं का विस्तार करना है। भारत सरकार इस उद्देश्य के लिये करोड़ों रुपये व्यय कर रही है।

हमारे देश में लोकतन्त्र पनप रहा है। लोग अब देश के प्रशासन में अधिक रुचि ले रहे हैं। क्या ही अच्छा हो यदि लोगों की भाषाओं को मान्यता देकर उन्हीं की भाषा में प्रशासन कार्य किया जाये। इसी प्रकार इस सदन में भी हमें अपनी भाषाओं के प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिये। मैं विधेयक के सिद्धान्तों से सहमत हूं। परन्तु हमें विचार करना चाहिये कि क्या इसे लागू करने में कोई तकनीकी कठिनाई तो नहीं खड़ी होगी। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ मेनन (एर्णाकुलम) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को इसके लाने के लिये बधाई देता हूं। यह विषय हमारे देश की राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित है। यह ठीक है कि सब लोग अपनी भाषा में अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं, परन्तु हमें देश के बहुमत की भाषा को ध्यान में रखना है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि कम से कम कठिनाई से अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। कांग्रेस दल गत 20 वर्षों से देश में सत्तारूढ़ है। खेद की बात है कि इसने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। अब सरकार को इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये।

जब यहां पर संसद के दक्षिण में सत्र होने के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी, उस समय संसद कार्य मंत्री ने कहा था कि सरकार इस बारे में विचार करेगी। अब मेरा उनसे अनुरोध है वह इसे स्वीकार कर लें। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। यदि साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था की जावे तो उस पर अधिक व्यय नहीं

होगा। इस व्यवस्था के हो जाने पर हमें बहुत सुविधा हो जावेगी और हम उन सदस्यों की बात भी समझ सकेंगे कि जो अपनी मातृ भाषा में बोलते हैं। इससे वाद-विवाद अधिक लाभदायक हो जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिये।

मै चाहता हूं कि कम से कम संसद में तो सभी भाषाओं से समान व्यवहार किया जाये। इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। मैं इस विधेयक का अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगो) : मैं द्र० मु० क० के माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं, यह महत्वपूर्ण है कि सदस्यों की भाषा प्रत्येक के समझ में आ जानी चाहिये। नहीं तो इस लोक सभा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि लोक सभा की कार्यवाही ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो सब की समझ में आ जाये, इस सम्बन्ध में मैंने मार्च, 1967 को अध्यक्ष और प्रधान मंत्री जी को यह परामर्श दिया था कि प्रादेशिक भाषा का दूसरी भाषाओं में साथ साथ अनुवाद करने की व्यवस्था की जाय, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

हम विलासमय और खर्चीली योजनाओं को आरम्भ करने में हिचकिचाते नहीं हैं, हम स्वचालन को लाना चाहते हैं, इन सबके लिए काफी मात्रा में धन व्यय किया जाता है। परन्तु जो आवश्यक है और साथ ही साथ जो अधिकतर लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसमें हम देरी कर रहे हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या पर विचार करे और सदस्यों के प्रादेशिक भाषाओं में दिए गए वक्तव्यों को दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की उचित व्यवस्था की जाये।

Shri Randhir Singh : (Rohtak) : Sir, there are two aspects of this question. One is constitutional and the other is political. We have to consider this question from both points of view. Our constitution recognizes 15 languages as our national languages. It is obligatory for the Government to develop all these languages. Then there should not be any compulsion in the matter of languages.

It was said that the provision of facility of translation of all languages would cost too much. We should be prepared to bear that cost. It is Parliament of our country and not a small institution. My friend quoted the example of Russia in this regard. We can and should also provide same facilities here. This will have very good effect on the integration of our country. This Bill has provided an opportunity to discuss the ways as to how on the issue of language we can be considerate to other languages etc. I would request my friends from north India to learn a south Indian language and those of South Indian friends to learn and speak a north Indian language. Thus in a spirit of give and take we should resolve our language problem. It will inculcate a feeling of unity.

You cannot impose a language on people. I feel if this Bill is accepted it will go a long way in forging sense of unity in the country and country will become stronger.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापटनम) : यह ठीक है कि संविधान में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं घोषित किया गया है परन्तु यहां पर भी उनको समान दर्जा मिलना चाहिये। देश की विभिन्न भाषाओं को यहां पर भी बराबर प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश की अन्य भाषाएं इतनी समृद्ध नहीं कि उनको भी यहां हिन्दी और अंग्रेजी के समान स्थान मिले। क्या बंगला भाषा किसी प्रकार भी कम उन्नत भाषा है ? इसी प्रकार हमारे देश में और भी बहुत सी ऐसी-ऐसी भाषाएं हैं। हमें सभी भाषाओं के प्रयोग की यहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिये।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये और इस पर अमल हो। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। श्री पाटिल ने कन्नड भाषा में भाषण दिया परन्तु खेद है कि उसे हम में से बहुत समझ नहीं पाये। इस प्रकार हम सबको उनकी बात का पता नहीं चला। यदि उनकी भाषा के अनुवाद की यहां व्यवस्था होती तो बहुत अच्छा होता। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हम सिद्धान्त रूप से इस विधेयक से सहमत हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से इस पर अमल नहीं किया जा सकता। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है।

रूस में यदि साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था की जा सकती है तो यहां पर होनी चाहिये। फिर इस पर जो व्यय हो, उसे भी किया जाना चाहिये। जिस मशीनरी की आवश्यकता हो वह लगायी जानी चाहिये और देश की सभी भाषाओं में साथ साथ अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I support this Bill and hope it would be adopted.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति महोदय, जैसा कि सदन को पता है सरकार की यह दृढ़ नीति है कि देश की 15 राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाये। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने भी 15 भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति का निर्णय कर लिया है। कुछ और कार्य भी किये गए हैं। जो नई शिक्षा की नीति सरकार ने अपनाई है उसके अनुसार भी उच्चतम शिक्षा अब भारतीय भाषाओं में दी जा सकती है जिनका वर्णन संविधान की आठवीं सूची में किया गया है।

इस संशोधन के स्वीकार करने की राह में धनराशि सम्बन्धी तथा टैक्नीकल दिक्कतें नहीं है। हम तो विधेयक की भावना का स्वागत करते हैं तथा हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि संसद में 15 भाषाओं का प्रयोग हो। मुख्य प्रश्न यह है कि इस समय संघ की दो सरकारी भाषाएं हैं और अन्तोगत्वा एक ही भाषा होगी। ऐसी परिस्थिति में क्या 15 भाषाओं को संघ की संसद की भाषायें बनाया जा सकता है।

यह भी कहा गया है कि जब कोई सदस्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी के अतिरिक्त किसी और भाषा में बोलता है तो वह तकनीकी रूप में संविधान का उल्लंघन करता है। ऐसा समझना ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार कोई भी सदस्य अपनी मातृ भाषा में बोल सकता है। यह भी कहा गया है कि जो सदस्य अपनी मातृ भाषा में बोलेगा उसे सब नहीं समझ पायेंगे। ऐसी कठिनाई तो होगी ही। संघ की सरकारी भाषा हिन्दी मानी गई है तथा अंग्रेजी को सह भाषा का दर्जा दिया गया है।

यह ठीक ही है कि सदस्यों को अपनी मातृ भाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिये क्योंकि अपनी भाषा में वे ठीक प्रकार अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जो हिन्दी तथा अंग्रेजी में नहीं बोल सकते उनके लिये तो दिक्कत होगी। संविधान बनाने वालों को इस कठिनाई का आभास था और इस कारण उन्होंने सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दिया है।

देश की स्थिति ऐसी है कि यदि हम संसद का मामला लें तथा बाकी बातों को वैसा ही छोड़ दें तो बहुत कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। मुख्य कठिनाई इस प्रस्तावित संशोधन के स्वीकार करने में यह होगी कि संघ की सरकारी भाषा के रूप में हम 15 भाषायें नहीं रख सकते। मैं आशा करता हूं कि यहां बोलते समय सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति महोदय जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं। इस विधेयक का बहुत सदस्यों ने समर्थन किया है। इस विधेयक का सम्बन्ध भाषा की सारी नीति से नहीं है। मैं तो केवल संसद में बोली जाने वाली भाषा तक ही सीमित रहूंगा।

लंका की संसद में तमिल प्रान्त के सदस्य तमिल भाषा में बोल सकते हैं। सिंगापुर की संसद में चार भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है। यही बात मलेशिया में है। जब सिंगापुर जैसा देश संसद में चार भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे सकता है तो हमारी संसद में इस प्रकार की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।

मंत्री जी ने एक व्यावहारिक कठिनाई का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धान्त रूप में यह बात स्वीकार कर ली जाये तो वे इसे कार्यान्वित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री महोदय इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

संविधान के अनुसार संसद में एक सदस्य केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोल सकता है। यदि वह इन दोनों भाषाओं में से किसी एक में बोलने में असमर्थ है तब वह अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृ भाषा में बोल सकता है। हम चाहते हैं कि अपनी मातृ भाषा में बोलने का अधिकार सबको होना चाहिये चाहे वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी जानता हो या नहीं। साथ ही उसे दूसरे भी समझ सकें, इस बात की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

जब संघ लोक सेवा आयोग सब भाषाओं में परि परीक्षा देने की अनुमति देता है तो संसद में भी यही अधिकार होना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : महोदय विधेयक से सम्बन्धित मंत्रियों में से कोई भी यहां नहीं है। यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने मुझ से कहा था कि वह दूसरे सदन में कार्यवाही में भाग लेने जा रहे हैं। परन्तु उनके मंत्रालय से कोई तो होना ही चाहिये। यह मांग उचित है। यह अच्छा हुआ कि अब उप प्रधान मंत्रीजी आ गये हैं। अब चर्चा जारी रखी जा सकती है।

श्री सेझियान : भाषा का साथ-साथ अनुवाद हो यह समस्या नहीं थी। बात तो सिद्धान्त की है कि आठवीं सूची में उल्लेख की गई भाषाओं का यहां प्रयोग हो। साथ-साथ अनुवाद करने का तो प्रथक मामला है। सरकार को चाहिये कि 14 भाषाओं को यहां संसद की भाषा स्वीकार करे तथा आरम्भ में अंग्रेजी तथा हिन्दी के भाषणों के अन्य भाषाओं में समझने की अनुमति दी जाये। यदि सरकार सिद्धान्त रूप में यह बात स्वीकार करले तो बाकी पर बाद में बात-चीत हो सकती है। हम इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सिद्धान्त रूप में इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 26	**विपक्ष में 73**
Ayes 26	**Noes 73**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के पक्ष से आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद विधेयक
ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL

श्री म० त्रि० शर्मा (मंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के गठन, सम्पूर्ण भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए इसे अगले सत्र के प्रथम दिन तक परिचालित किया जाय' वाद विवाद जो 10 मई, 1968 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के गठन, सम्पूर्ण भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संबंधी विषयो के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे अगले सत्र के प्रथम दिन तक परिचालित किया जाय' वाद विवाद जो 10 मई, 1968 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, I fully support this Bill. Instead of using the English medicines, we should try the Ayurvedic medicines more. We have a tradition of using them.

I want the Government to bring a comprehensive Bill. We should revive the old system of Ayurvedic medicines.

I represent the poorer class of people and on their behalf I congratulate the hon. member for bringing this Bill. We should not imitate the foreigners in all matters. The Government has neglected the Ayurvedic system of medicine and so it should now revive it. The English medicines are costly also.

I support the Bill.

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप–मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : महोदय, मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और रुचि दिखाई हैं, मेरे मन में श्री अ० त्रि० शर्मा के प्रति जोकि इस विधेयक को लाये हैं, बड़ा सम्मान है । वह एक योग्य चिकित्सक हैं और उनकी ख्यति देश से बाहर भी हैं । परन्तु विधेयक के उद्देश्यों में उन्होंने जो बातें दर्ज की है, वह सत्य नहीं हैं । वास्तव में स्नातक की शिक्षा के स्तर तक तो राज्य सरकारों के हाथ में है । स्नातक स्तर से ऊपर की शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार केवल वित्तीय सहायता देती है ।

1958 में उडूया समिति ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून की सिफारिश की थी । 1959 में आयुर्वेदिक अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने भी केन्द्रीय कानून की सिफारिश की थी परन्तु, 1961 में योजना आयोग इन बातों से सहमत नहीं हुआ । योजना आयोग के आयुर्वेदिक तालिका ने 'शुद्ध' आयुर्वेदिक शिक्षा की सिफारिश की थी ।

इस चर्चा में 15 सदस्यों ने भाग लिया है जिनमें प्रत्येक प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति हैं । इस कारण हमें राय जानने के लिये प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

परिषद ने यह राय भी प्रकट की कि उनके विचार में चिकित्सा की मिली जुली पद्धति के स्नातक एक घटिया प्रकार के डाक्टर बनकर रह गये हैं । शुद्ध तथा अशुद्ध प्रकार के आयुर्वेद के बारे में भी विवाद था ।

यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है । हम स्वयं राज्य व्यापक विधेयक ला रहे हैं । इस कारण मैं श्री शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना विधेयक वापिस ले लें ।

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजनगर) : महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया हैं मैं उनका आभारी हूं । वे सब सहमत हैं कि विधेयक चर्चा होने के योग्य है । उप मंत्री जी ने भी विधेयक के सिद्धान्तों से सहमति प्रकट की है । उन्होंने मेरा साहस भी बढ़ाया है ।

वस्तु स्थिति यह है कि यही विधेयक 1962 में पुरःस्थापित किया था। इस पर चर्चा 1965 में हुई। उस समय भी सरकार ने बचन दिया था कि वह एक व्यापक विधेयक लायेगी। एक समिति का गठन भी इसके बारे में हुआ परन्तु, उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। उस समय डा० सुशीला नैयर स्वास्थ्य मंत्री थी। वह तो आयुर्वेद को समाप्त करना चाहती थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की थी उसमें भी आयुर्वेद पद्धति का केवल एक सदस्य था। इस तरीके से वह इस पद्धति का गला घोंटना चाहती थी। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं चाहते थे यद्यपि वे इस पद्धति को प्रोत्साहित नहीं करते थे।

तीनों मंत्री अब अच्छे हैं और इस पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहते है, परन्तु नीचे जो कार्यान्वित करने वाली मशीनरी है वह तो इस पद्धति के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में सफलता की आशा कम है। राय जानने के बारे में प्रसारित करने में सरकार की कोई हानि नहीं होगी। यह अवश्य है कि जिस समय सरकार अपना व्यापक विधेयक लायेगी मैं अपना विधेयक वापिस ले लूंगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : अच्छी बात। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अ० त्रि० शर्मा : यदि ऐसी बात है तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना है। मै सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, सम्पूर्ण भारत के लिए एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए इसे अगले सत्र के प्रथम दिन तक परिचालित किया जाय" वाद-विवाद जो 10 मई, 1968 को स्थगित किया गया था।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

राजद्रोह विधेयक

TREASON BILL

Sri Yashpal Singh (Dehradun) : Mr. Deputy Speaker, with your permission I want a discussion on the Treason Bill, We find that for the last 20 years there is no School or college were which may impart training in nationalism and patriotism. We find institutes for the control of insects and mosquitoes. But for keeping the country united we find no school.

We know that Russia would supply arms to Pakistan, there are in India people who did not speak a word against Russia. They have got sympathy with Russia.

The Government says nothing as to how they would get back Kailash and Mansarover. If this Government cannot issue such an ultimatum, it has no fight to be in power

It is in power due to ignorance of people. They say that they would fight poverty first and then the enemy. I want that enemy should be fgought against first.

When Sheikh Abdullah addresses a meeting in Kashmir, it is listened by 2 lakhs people but when the Home Minister addsesses a meeting there, only 500 people come to listen to him and they too under political pressure. This Government says so many things but actually it does nothing.

Gandhiji said that we would be finished but we would not accept partition.

We have to be liberal to Muslim culture. I endorse what Aurobindu said that nothing can prevent India and Pakistan be coming one again. Sardar Bhagat Singh and others did not go to gallows simbingly for a partitional free India. We have to stop in this country this be pendence on foreign country in borrowing ideas. We find in this country who still look to other countries.

We have to inculcate a spirit of nationalism, socialism and integration in this country and would have to start schools and other institutes for giving training for this purpose.

This Government knows only how to beg from other countries. It cannot defend the country.

I want a full discussion on my Bill.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Deputy Speaker the Government is already seized o this matter. They would bring a comprehensive legislation about it.

It is not correct to say that when Sheikh Abdullah goes to address a public meeting five lakh people come to listen to him. When he went to address a meeting in Meerut, he was taken in a police van whereas whenever Shri Chavan goes to address a meeting, people in lakhs through the place to listen to him.

We had in this country both Maharana Pratap and Jai Chand. We cannot forget Rana Pratap who lived in a hut and ate breed of grass but defended this country.

Now the Christian missionaries come here and sabotage the security of this nation in the name of religion. All sections of this country have to be prepared to defend this country from the foreigners. We want to assure the people of Kashmir that we are with them.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब आधे घंटे की चर्चा होगी।

—=—

* ट्रेक्टरों का स्पलाई

* SUPPLY OF TRACTORS

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker. the question of supply of tractors in this country is a question of life and death for them. The peasant are being looted here in the matter of tractors.

* प्राधे घंटे की चर्चा

* Half an hovr Discussion

I am happy that we have a farmer as our Food Minister. The same can be said about his team also.

The future of 55 crore people of this country is connected with the food production here. The farmer wants to produce more but the capitalists here say that we should not have more tractors.

I do not know how the decision of the Government that in future no industrialist would require any licence for setting up Tractor Factory would help the poor farmer in meeting his requiremetns of tractors of less than 20 H. P. when the big capitalist, who monopolised the production of tractors were not in favour of producing small tractors of less than 20 H. P. for the reason that if they produced such tractors, it would go against their interests because they would, not be able to extract money out of the pockets of farmers in that case. Tractors of 20 to 25 H. P. to-day cost 25-30 thousand rupees and it is very difficult for the poor farmers to purchase these tractors.

Secondly, there is a general complaint that on the one hand. the quality of tractors being produced in the country is falling, but on the other hand, their price was rising. How these two things are going together.

Sir, our Food Minister who is very sympathetic towards the poor farmer has, on general occasions, stated that the Government would import small tractors from Russia and Czechoslavakia and would make them available to farmers at cheap rates. The position today is that DT 14, Zeeper and Furguson Tractors are not easily available and are being sold in the black market at a much higher price than their actual price. The producers and dealers are in collusion and have delberately created scarcity with a view to make huge profits.

The Government should tell us clearly when they will import tractors from Russia and Czechoslavakia. Russia is prepard to give us more tractors, Czechoslavkia wanted to set up a factory for the production of tractors in Uttar Pradesh. We want the reasons as to why the Government do not allow them to set up a factory there. What steps the Government propose to meet the increasing demand for tractors which is likely to reach 50,000 a year by 1971-72 ?

The demand for power-tillers and tractors in the country is 1,00,000 and 50,000 respectively and it is in the interest of the country to meet it. The Government should provide the tractor costing Rs. 6,000 at a subsidised price of Rs,3000. A corporation should be set up to provide tube-wells, improved seeds, tractors etc. to the farmers on deferred Payment. The Government should take concrete steps to meet the basic requirements of the farmers so that targets of foodproduction could be achieved.

Some of the Indians in foreign countries are anxious to send 38,000 tractors as gifts to their relatives here, but the Government do not give them necessary permission. Therefore, what I suggest is that the Government should allow them to send these tractors which will help us a great deal in increasing our production.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 55 (5) के अन्तर्गत, जो आधे घंटे की चर्चा पर लागू होता है, अन्य सदस्यों को केवल स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी, न कि भाषणों की । मंत्री महोदय !

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि किसानों को कृषि के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायें, तो वे कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकते हैं, जहां तक अन्य उपकरणों का सम्बन्ध है, स्थिति काफी सन्तोषजनक है। हमारा देश डीजल इन्जनों इलैक्ट्रिक पम्पिंग सैटों आदि के निर्माण के मामले में काफी हद तक आत्म-निर्भर बन गया है। उर्वरकों तथा कीटनाशक पदार्थों के सम्बन्ध में भी हमारी स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन ट्रैक्टर के सम्बन्ध में काफी सन्तोषजनक स्थिति नहीं है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में तीव्र प्रगति के कारण ट्रैक्टरों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि मांग का प्रति वर्ष मूल्यांकन करना कठिन है फिर भी ऐसा लगता है कि ट्रैक्टरों की इस वक्त वार्षिक मांग लगभग 50,000 तक पहुंच चुकी है। यद्यपि यह मोटा अनुमान है लेकिन वह आगामी वर्षों में इस मांग के तेजी से बढ़ने की संभावना का द्योतक है। प्रश्न यह है कि इस मांग को कैसे पूरा किया जाये ? हमारे जैसे विशाल देश में इस मांग को पूरा करने का एकमात्र तरीका यही है कि एक ठोस निर्माण कार्यक्रम बनाये जाये, दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में निर्माण कार्यक्रम उतना सफल नहीं रहा जितनी हमने आशा की थी। लेकिन अब सरकार ने स्थिति महसूस की है और एक बहुत बुनियादी निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी उद्योगपति को ट्रैक्टर कारखाना अथवा पावर-टिलर (शक्ति चालितहल) कारखाना खोलने के लिये कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इसलिये किया गया है ताकि निर्माण सम्बन्धी विनियम अथवा प्रतिबन्ध और अधिक व्यापक निर्माण कार्यक्रम के मार्ग में रुकावट न बनें।

यद्यपि निर्माण कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो देश की आवश्यकता को पूरी करे, फिर भी, हमारा उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। उदाहरणार्थ, अब तक लाईसेंस देने की हमारी क्षमता 30,000 प्रति वर्ष थी और अधिष्ठापित क्षमता 15,000 प्रतिवर्ष थी। 1965-66 में उत्पादन केवल 5,567 था लेकिन अब, वर्ष 1967-68 में वह 11,394 तक पहुंच गया और इस वर्ष उद्योग मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वह 20.000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष तक पहुंच जायेगा लेकिन इस समय देश में 20 से 35 अथवा 50 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर बनाये जाते हैं। इससे कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर इस समय देश में नहीं बनाये जा रहे हैं। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि 20 अश्व शक्ति से कम के ट्रैक्टर बड़े पैमाने पर कैसे बनाये जा सकते हैं।

यद्यपि हमने उद्योग मन्त्रालय के परामर्श से अनेक उपाय किये हैं फिर भी उत्पादन तत्काल नहीं बढ़ सकता। स्वाभाविक है कि हमें काफी तादाद में बाहर से आयात करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रख कर हम रुपये में भुगतान वाले देशों से ट्रैक्टरों का आयात करने का प्रयत्न कर रहें हैं। हम रूस और चैकोस्लोवेकिया से ट्रैक्टरों का आयात करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आयातित ट्रैक्टरों की चोर–बाजारी की जा रही है और सरकार ने कदाचार कम करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं।

अब तक वितरण व्यवस्था गैर सरकारी अभिकरणों के हाथ में थी। अब यह निर्णय किया गया है कि आयातित ट्रैक्टरों का वितरण सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों अर्थात् कृषि

उद्योग निगम के माध्यम से किया जायेगा। हमने राज्य सरकारों से कृषि-उद्योग निगम बनाने का अनुरोध किया है जो कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा अन्य उपकरणों आदि की आवश्यकता की ओर ध्यान देंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की छान-बीन करते हैं और हम कुछ तदर्थ आधार पर कृषि उद्योग निगम को आयातित ट्रैक्टरों का कोटा देते हैं। इस प्रणाली को आरम्भ करने बाद हमें गलत-वितरण सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं मिली है।

देश में निर्मित ट्रैक्टरों के बारे में सरकार ने ऐसी कार्यवाही की है जिससे मूल्य पर कुछ नियन्त्रण रहे। इन ट्रैक्टरों के मूल्य प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किये जाते हैं अब ये ट्रैक्टर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं।

सरकार इस बात के लिये भरसक प्रयत्नशील है कि ट्रैक्टर और अधिक संख्या में उपलब्ध कराये जायें और कुछ ऐसे ठोस उपाय किये जायें जिनसे ट्रैक्टरों की मांग यथा शीघ्र पूरी हो सके।

Shri Rabi Ray (Puri): What is the difference between prices of tractors imported from Russia and Czechoslavakia on the one hand and those manufactured in the countary on the other hand. What is the cost of production of indigenously produced tractors and what is their selling price ?

May I know whether it a fact that the spare parts of imported tractors are not available in the country and if so, what steps are being taken to meet the requirements of the actual users in regard to these spare parts ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आयानित रूसी ट्रैक्टर डी० टी-14 बी की कीमत 6,900 रुपये और जैंटर की 12,100 रुपये है और विक्रय मूल्य 13,000 रुपये है। जहां तक फालतू पुर्जों की उपलब्धि का प्रश्न है, ऐसी शिकायत रही है कि आयातित फालतू पुर्जे वास्तविक उपभोक्ताओं को नही मिल रहे हैं। इसलिए हमने नीति विषयक एक निर्णय किया है कि इन फालतू पुर्जों का आयात करने का लाइसेंस कृषि-उद्योग निगम को दिया जाये ताकि सरकारी क्षेत्र के अभिकरण वास्तविक उपभोक्ताओं की जरूरतों की और ध्यान दे सकें।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : There is acute shortage of tractor-tyres and a large number of tractors particularly in Rajasthan are lying idle. I want to know what specific steps have been taken to meet this shortage of various makes of tyres.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ट्रैक्टर टायरों की उपलब्धि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के 5200 टायर आयात करने का कार्यक्रम बनाया गया है, इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर निर्माताओं को तीन महीने के उत्पादन के लिये अनुमानित आवश्यकता के बराबर टायर आयात करने की अनुमति दी गई है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There are several cases of malpractices being indulged in by the distributors some tractor [manfacturing companies take large amount from the farmers as advance and then they freely use the amount received by way of diposits and do not pay any interest to the farmers thereon. The farmers are also not supplied tractors on the plea of shortage or non-availability. I would like to know whether his Ministry would look in to such cases where the situation is being exploited

by these companies or distributors and whether they would also take steps to provide tractors at least to such farmers as have deposited money with the distributers.

Lastly, in U. P., the farmers are required to pay tax on thier tractor-trailars whereas there is no tax of this kind in any other State. This is a step motherly treatment being meted out to the farmers of that State. Steps should be taken to remove this discrimination.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ वितरक कदाचार कर रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति में, जब कि ट्रैक्टर की उपलब्धता कठिन है, कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका इलाज यही है कि उपलब्धता अथवा देश में उनका उत्पादन बढ़ाया जाये। यदि कोई विशेष शिकायत हो, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे और दोषी व्यक्ति को दण्ड देंगे।

जहां तक ट्रैक्टरों के लिए अग्रिम धन लेने का सम्बन्ध है, पहले वितरक लोग एक "फर्म आर्डर" के लिये 2000 रुपये लेते थे अब 1000 रुपये लेते हैं। लेकिन कमी के कारण हम इसे भी सन्तोषजनक नहीं समझते। यह सच है कि ये वितरक इस प्रकार प्राप्त धन का अबाध रूप से प्रयोग करते हैं। हमने उनसे कहा है कि वे रकम तभी जमा करवायें जब वे तीन महीने के भीतर ट्रैक्टर देने की स्थिति में हो यदि ट्रैक्टर मूल्य नियन्त्रण आदेश में संशोधन करके इस 1000 रुपये की राशि को घटाकर 100 रुपये कर दिया जाये तो कदाचार के मामले कम से कम होंगे।

जहा तक उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों पर कर का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में निश्चित रूप से विचार करूंगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 12 अगस्त 1968/21 श्रावण 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 12, 1968/Sravana 21, 1890 (Saka)